आर्थिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्र. 3

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		
पहला अध्याय		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.3	2
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश की संगठनात्मक संरचना	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां	1.6	3
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं थीमेटिक लेखापरीक्षा	1.6.1	4
थीमेटिक कंडिकाएं	1.6.2	4
वैनगंगा कछार में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	1.6.2.1	4
रानी अवंति बाई सागर परियोजना का वितरण नेटवर्क	1.6.2.2	4
विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा	1.6.3	5
लेनदेनों की लेखापरीक्षा	1.6.4	6
नियमों का अनुपालन न होना	1.6.4.1	6
पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय	1.6.4.2	7
सतत एवं व्यापक अनियमितताएं	1.6.4.3	7
असावधानी /नियंत्रण में विफलता	1.6.4.4	8
लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां	1.6.4.5	9
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की उत्तर देयता का अभाव	1.7	9
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	1.7.1	9
लेखापरीक्षा समिति का गठन	1.7.2	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई	1.7.3	10
लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु लंबित कंडिकाएं	1.7.4	10
लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सरकार के उत्तर	1.7.5	10
मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.7.6	10

दूसरा अध्याय		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
लोक निर्माण विभाग		
मध्य प्रदेश में सड़कों का विकास	2.1	15
जल संसाधन विभाग		
वैनगंगा कछार में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (थीमेटिक पैराग्राफ)	2.2	49
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना का वितरण नेटवर्क (थीमेटिक पैराग्राफ)	2.3	73
तीसरा अध्याय		
विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा		
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा	3.1	95
चौथा अध्याय		
लेनदेन लेखापरीक्षा		
नियमों का अनुपालन न किया जाना	**4.1**	127
वन विभाग		
उपकर की वसूली में असामान्य देरी के कारण सरकार को ब्याज हानि	4.1.1	127
निर्धारित मूल्य से कम पर बिक्री के कारण राजस्व हानि	4.1.2	128
इको पर्यटन गतिविधियों पर केन्द्र सरकार के बिना अनुमोदन के किया गया व्यय	4.1.3	129
निधियों की अनियमित पार्किंग	4.1.4	130
वायरलैस सेटों की खरीददारी में अनियमित भुगतान	4.1.5	131
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
आद्योपांत (टर्न-की) संविदा में घटक का प्रतिस्थापन होने पर मूल्य में कमी न करने के कारण हानि	4.1.6	132
कड़ी चट्टान की खुदाई में कम वसूली	4.1.7	133
पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय	**4.2**	134
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
अस्वीकार्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान	4.2.1	134
मूल्य वृद्वि समायोजन में अधिक भुगतान	4.2.2	136
लोक निर्माण विभाग		
दोषपूर्ण योजना के कारण व्यर्थ व्यय	4.2.3	137
जल संसाधन विभाग		

समान कमान क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं का अनियमित निष्पादन	4.2.4	138
सतत एवं व्यापक अनियमितताएं	**4.3**	139
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
अतिरिक्त सुरक्षित जमा राशि का न काटा जाना	4.3.1	140
मूल्य वृद्धि क्लॉज में संशोधन से ठेकेदार को अधिक भुगतान	4.3.2	140
असावधानी /नियंत्रण में विफलता	**4.4**	141
जल संसाधन विभाग		
असंतुलित दर की मदों के लिए ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता	4.4.1	142
निर्धारित क्षतिपूर्ति की कम/ नहीं वसूली	4.4.2	143
स्टील पर मूल्य समायोजन का अनियमित भुगतान	4.4.3	143
निम्न योजना के परिणामस्वरूप निष्क्रिय व्यय	4.4.4	144
विशिष्टियों के अनुसार कार्य का न किया जाना	4.4.5	145
अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत	4.4.6	146

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विवरण	पृष्ठ
1.1	30 जून 2012 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषित विवरण	151
1.2	ऐसी लेखापरीक्षा कंडिकाओं का विवरण जिसके संबंध में विभागों के उत्तर 30 सितंबर 2012 तक लंबित है	152
1.3	30 जून 2012 तक की ऐसी कंडिकाएं जिन पर पी.ए.सी. द्वारा अभी चर्चा की जानी है	152
1.4	वर्षवार एवं विभागवार ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं/समीक्षाओं की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक जिनके पी.ए.सी. प्रतिवेदनों पर विभागीय द्वारा की गई कार्रवाई की टीप सितंबर 2012 तक लंबित है ।	153
2.1	सीआरएफ एवं नाबार्ड के अंतर्गत सड़कों के समय पूर्व उन्नयन कार्य को दिखाने वाला विवरण	154
2.2	ओजीपीसी एवं सील कोट के स्थान पर बीएम एवं एसडीबीसी के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत को दिखाने वाला विवरण	155
2.3	डीपीआर एवं आईआरसी 37 की विशिष्टियों से बाहर	157

	निष्पादित कार्य को दिखाने वाला विवरण	
2.4	अनावश्यक सड़क चौड़ीकरण से अतिरिक्त लागत को दिखाने वाला विवरण	159
2.5	प्राइमर कोट के स्थान पर सरफेस ड्रेसिंग के निष्पादन को दिखाने वाला विवरण	161
2.6	टेक कोट के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	163
2.7	इलेक्ट्रानिक सेंसर पेवर के नियोजन ना किए जाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण	164
2.8	तकनीकी अमले के कम नियाजन के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण	165
2.9	निर्णीत हर्जाने को अधिरोपित ना करने को दिखाने वाला विवरण	166
2.10	अनुबंध अवधि के पश्चात मूल्य भिन्नता के अपात्र भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	169
2.11	गतिशीलन अग्रिम की वसूली न होने को दर्शाने वाला विवरण	170
2.12	नाबार्ड कार्यों में कार्यपूर्णता में विलंब को दर्शाने वाला विवरण	171
2.13	असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्ति सुरक्षा जमा न लेकर ठेकेदारों को अदेय लाभ को दर्शाने वाला विवरण	174
2.14	सीआरएफ के अंतर्गत गुणवत्ताविहीन बिटुमिनस मेकेडम के निष्पादित कार्य को दर्शाने वाला विवरण	175
2.15	अपर्याप्त आयोजना के कारण लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर व्यर्थ व्यय को दर्शानेवाला विवरण पत्रक	176
2.16	भूमि के अभाव में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर निष्फल व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	180
2.17	प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	187
2.18	योजनाएँ, जिनमें ठेकेदारों से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	188
2.19	असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा की वसूली न होने के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	191
2.20	लघु सिंचाई योजनाओं की संरचनाओं के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए नमूने लेने के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	192
2.21	कार्य को सौंपे जाने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	193
2.22	ठेकेदार द्वारा कार्य को अपूर्ण छोड़े जाने के कारण नहर प्रणाली को पूरा करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	196

2.23	नहर कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	197
2.24	बढ़े हुये माप के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	198
2.25	निर्धारित अवधि के पश्चात मूल्यवृध्दि के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	199
2.26	जोखिम एवं लागत शर्त को लागू नही करने के कारण शासन को अपरिहार्य हानि को दर्शाने वाला पत्रक	200
2.27	असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति जमा को न रोकने के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	201
2.28	विलंब हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होने के कारण हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	210
3.1	विज़न 2020 के अनुसार नर्मदा जल के परियोजित उपयोग के लिए परियोजनावार विवरण दर्शाने वाला पत्रक	211
3.2	रिवर्स कैलेंडर 2007 के अनुसार नर्मदा बेसिन में निर्मित की जाने वाली वृहद परियोजनाओं का विवरण दर्शानेवाला पत्रक	213
3.3	पर्यावरण अनापत्ति में विलंब को दर्शानेवाला विवरण पत्रक	215
3.4	ठेकों को स्वीकार किए जाने में विलंब को दर्शानेवाला विवरण पत्रक	216
3.5	कार्य आदेश जारी करने में विलंब का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	217
3.6	बांधों एवं नहरों के निर्माण में विलंबों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	223
3.7	एन.वी.डी.ए. में टर्न-की ठेकों का परियोजनावार विवरण	225
3.8	चल रहे टर्न-की ठेकों में विलंब का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	226
3.9	जल संसाधन विभाग की मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का विवरण	227
3.10	जल के पुर्नविनियोजन का विवरण	230
3.11	वर्ष 2020-21 तक निधियों की आवश्यकता का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	231
3.12	एन.व्ही.डी.ए. के बजट प्रावधानों एवं व्ययों का विवरण	233
4.1	उपकर की वसूली में विलंब के कारण हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	234
4.2	निर्धारित मूल्य से कम पर बिक्री के कारण राजस्व की हानि	234
4.3	इको पर्यटन गतिविधियों के लिए वन क्षेत्र में निर्माण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	235

4.4	"ओपन ट्रफ " कार्य के प्रतिस्थापन पर टर्न की संविदा के मूल्य में कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	237
4.5	कड़ी चट्टान का लेखाकरण न होना एवं कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	238
4.6	कार्य की अवास्तविक प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	239
4.7	अतिरिक्त सुरक्षा जमा (ए.एस.डी.) की कम/ नहीं कटौती की दर्शाने वाला विवरण पत्रक	240
4.8	ठेकेदारो को अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	241
4.9	निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली कम/ न होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	241
4.10	मूल्य समायोजन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	242
4.11	अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण अतिरिक्त लागत को दर्शानेवाला विवरण पत्रक	243

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

वर्ष 2011-12 को आच्छादित करने वाले इस प्रतिवेदन में, मध्यप्रदेश शासन की आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र के अंतर्गत वन, नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट है । यद्यपि, सामान्य सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; 2011-12 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में लेखापरीक्षा संचालित की गई है ।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में लेखापरीक्षा की योजना एवं विस्तार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं ड्राफ्ट कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या की गई है एवं इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का एक सार रूप प्रस्तुत है । अध्याय 2 में मध्यप्रदेश में सड़कों के विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो थीमेटिक अध्ययनों, क्रमशः वैनगंगा बेसिन में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना के वितरण नेटवर्क के निष्कर्षों का उल्लेख है, जबकि अध्याय 3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को समाविष्ट करता है । अध्याय 4 में विभिन्न विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है।

पहला अध्याय

प्रस्तावना

पहला अध्याय

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चयनित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्धृत मामलों और सरकारी विभागों तथा स्वायत्तशासी निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है।

निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या सरकारी योजनाओं ने कम से कम लागत पर इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया है व इच्छित लाभ दिया है। पिछले कुछ वर्षो में लेखा परीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा व चयनित विभागों की लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों को कार्यान्वित करने में कमियों को सूचित किया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखा परीक्षित ईकाइयों के व्यय से सम्बन्धित लेन देनों की जाँच से सम्बन्धित है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, प्रयोज्य विधानों, नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों के लक्ष्य मितव्ययिता तथा दक्षता से प्राप्त किए गए हैं।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम राज्य विधान मण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षो से आशा की जाती है कि कार्यपालन अधिकारी को सुधारात्मक उपाय करने योग्य बनाएगी जो संगठनों के वित्तीय प्रबन्धन के सुधार को बढ़ायेगी तथा इस प्रकार बेहतर अभिशासन के लिए योगदान कर सकें।

यह अध्याय लेखा परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा के साथ-साथ में लेखापरीक्षा की योजना और सीमा की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों तथा उपलब्धियों की रूपरेखा, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षो तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी देता है। इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में निष्पादन लेखापरीक्षा व चयनित थीमों पर लेखापरीक्षा से उद्धृत निष्कर्ष निहित हैं। अध्याय- 3 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा को शामिल किया गया है। अध्याय 4 में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए गए है।

1.2 लेखा परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

सचिवालय स्तर पर राज्य में 56 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव होते हैं जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 15 विभाग व इन विभागों के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां (पी.एस.यू.)/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) भोपाल के लेखापरीक्षा अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। इन विभागों

की लेखापरीक्षा की गयी, जिनके लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गये हैं।

2011-12 के दौरान तथा पिछले दो वर्षो में सरकार द्वारा किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति तालिका-1.1 में दी गई हैं।

तालिका 1.1 : व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

संवितरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाएं	123.81	11889.97	12013.78	112.70	14533.98	14646.68	137.53	16091.11	16228.64
सामाजिक सेवाएं	5712.12	7249.73	12961.85	7857.02	9488.38	17345.40	9836.94	10460.00	20296.94
आर्थिक सेवाएं	3652.22	4719.15	8371.37	4394.59	5689.89	10084.48	5464.93	7499.98	12964.91
सहायता अनुदान एवं अंशदान	349.53	2200.37	2549.90	546.41	2388.62	2935.03	577.15	2626.07	3203.22
योग	**9837.68**	**26059.22**	**35896.90**	**12910.72**	**32100.87**	**45011.59**	**16016.55**	**36677.16**	**52693.71**
पूंजीगत व्यय									
पूंजीगत परिव्यय	7863.82	61.05	7942.87	8657.07	142.81	8799.88	9022.87	32.30	9055.16
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	47.25	3769.63	3816.88	959.32	2755.41	3714.73	1079.25	14681.31	15760.56
सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिम के लेन्देनों को छोड़कर)	-	-	2394.05	-	-	2529.23	-	-	3149.79
अंतर्राज्जीय समायोजन	-	-	2.78	-	-	1.85	-	-	3.70
आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
लोक लेखा संवितरण	-	-	50871.84	-	-	62344.26	-	-	73279.04
योग	7911.07	3830.68	65010.42	9616.39	2898.22	77389.95	10102.12	14713.61	101348.25
महायोग	17748.75	29889.90	100907.32	22527.11	34999.09	122401.54	26118.67	51390.77	154041.96

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्रदत्त है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक मध्य प्रदेश सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम के अनुच्छेद 13[1], 14[2], 15[3] 19[4] व 20[5] के अधीन करते हैं। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्वांत एवं प्रणालियां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 में निर्धारित की गई है।

1 (I) राज्य की समेकित निधि से समस्त लेनदेन, (II) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे सम्बन्धित समस्त लेन देन।

2 व्यय लेखापरीक्षा

3 अनुदान व ऋण लेखापरीक्षा

4 सरकारी कम्पनियों व निगमों की लेखापरीक्षा

5 कुछ निश्चित प्राधिकरण व निगमों के खातों की लेखापरीक्षा

1.4 महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, की संगठनात्मक संरचना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुर्नसंरचना के फलस्वरूप पूर्व महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक सेवाओं व राजस्व सेवाओं का महालेखाकार कार्यालय बन गया। 02 अप्रैल, 2012 से महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश का नया नाम दिया गया। पुर्नसंरचना के बाद से राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओ जिनको "आर्थिक क्षेत्र" व "राजस्व क्षेत्र" के अंतर्गत समूह बद्ध किया गया है, की लेखापरीक्षा महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा सम्पादित की जाती है। महालेखाकार की सहायता चार समूह अधिकारियों द्वारा की जाती है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभाग/संगठन/स्वायत्त संस्थाओं/योजना आदि के उनके द्वारा किये गये व्यय, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्ति के स्तर के आकलन, आन्तरिक नियंत्रण के मूल्यांकन तथा हितधारी की संबद्धता के आधार पर जोखिम निर्धारण व आकलन के साथ आरम्भ होती है। इस प्रक्रिया में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। 2011-12 के दौरान 781 इकाइयों की लेखापरीक्षा तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा, संवीक्षा, दो थीम आधारित लेखापरीक्षा और विभिन्न विभागों की अन्य लेखापरीक्षा करने में 10560 दल दिवसों का उपयोग किया गया है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूरी करने के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किये जाते है इकाई प्रमुख को जारी किये जाते हैं। इकाइयों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है या अनुसरण के लिए आगे की कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिये संधारित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन विधान मंडल पटल पर रखने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

विगत कुछ वर्षो में लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया। इसी प्रकार सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई कमियाँ भी सूचित की गई थीं।

1.6.1 निष्पादन लेखापरीक्षा व थीमेटिक लेखापरीक्षा

वर्तमान प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा संवीक्षा और दो थीमेटिक कंडिकाए निहित है। मुख्यांश निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं।

1.6.1.1 मध्य प्रदेश में सड़को का विकास

मध्य प्रदेश में सड़कों का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सीआरएफ, नाबार्ड व राज्य बजट के वित्त पोषण से निष्पादित किया जाता है।

सीआरएफ के माध्यम से लिये गये कार्य का निधि प्रबंधन अपर्याप्त था। कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। वन विभाग की अनापत्ति लिये बिना निष्फल व्यय के बहुत से दृष्टांत है। कार्य निष्पादन अपर्याप्त था क्योंकि बहुसंख्यक प्रकरणों में राष्ट्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटी एण्ड एच) के विनिदेर्शों की अवहेलना की गई। निविदाएं अव्यवहारिक दरों पर स्वीकार की गई, परिणामस्वरूप नाबार्ड के अंतर्गत कार्य प्रगति धीमी रही।

(कंडिका 2.1)

1.6.2 थीमेटिक कंडिकाएं

1.6.2.1 वैनगंगा बेसिन में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक जल संसाधन विभाग का वैनगंगा बेसिन 778 लघु सिंचाई योजना के माध्यम से 1.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करता है। बेसिन 8 जिलों नामतः बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी व 12 जल संसाधन संभागों से मिलकर बना है।

वैनगंगा बेसिन में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के थीमेटिक अध्ययन के दौरान प्रकट हुआ कि लघु सिंचाई योजनाएं अपर्याप्त सर्वे और भूमि अधिग्रहण व निविदा प्रक्रिया में तालमेल का अभाव व भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के मध्य में कार्य प्रदाय के कारण प्रभावित हुई। उद्वहन योजनाओं का प्रदर्शन उपयोगकर्ताओं के सहभाग की कमी के कारण खराब रहा। लघु सिंचाई योजनाओं के कमान क्षेत्र की दूसरी सिंचाई योजना के कमान क्षेत्र से परस्परव्याप्तता समय रहते चिन्हित नहीं की गई, परिणामस्वरूप व्यर्थ व्यय हुआ। निगरानी और गुणता नियंत्रण क्रियाविधि अपर्याप्त थी क्योंकि मूल अभिलेख बनाये नहीं रखे गये व जाँच के लिए अपर्याप्त नमूने लिये गये।

(कंडिका 2.2)

1.6.2.2 रानी अवन्ति बाई लोधी सागर परियोजना का वितरण नेटवर्क

रानी अवन्ति बाई लोधी सागर (आरएबीएलएस) परियोजना बांयी तट नहर के द्वारा 1.57 लाख हे की सिंचाई के उद्देश्य का लेकर शुरू की गई। 135.50 कि.मी. लम्बी बांयी तट नहर व इसके 1915.04 कि.मी. वितरण नेटवर्क का निर्माण कार्य ₹ 251.85 करोड़ की लागत पर 1982 में शुरू किया गया जो 1990 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2012 तक 1099.66 करोड़ खर्च किये जाने के बाद भी परियोजना अभी तक अधूरी है। जनवरी 2012 तक 1.57 लाख हे. सिंचाई क्षमता के विरूद्ध 1.23 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित की गई थी।

यद्यपि प्राधिकरण को 1996-97 व 2009-10 के मध्य कोई वित्तीय बाधाएं नहीं थी, फिर भी कार्य प्रदाय, भूमि अधिग्रहण में देरी व कार्य की धीमी प्रगति के कारण निर्माण कार्य लक्षित समय सीमा में पूरा नहीं किया जा सका। आरएबीएलएस परियोजना जिसको 2015 तक पूरा करने के लिए दुबारा अनुसूचित किया गया है, वितरण नेटवर्क व फील्ड चैनल के कार्य का मुख्य नहर के कार्य के साथ तालमेल न होने के कारण परियोजना ने सिंचाई उपलब्ध कराने के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि मार्च 2012 तक सृजित 1.23 लाख हे. सिंचाई क्षमता (आई.पी.) में से केवल 29,721 हे. (आई.पी.) इस्तेमाल की गई।

मुख्य नहर व इसके वितरण नेटवर्क के कि.मी. 130.67 से किलोमीटर 135.50 तक के कार्य निष्पादन में असामान्य देरी, नरसिंहपुर जिले में 34,382 हे. क्षेत्र को सिंचित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी बाधा होगी। फील्ड स्तर पर संविदा पर बंधन दोषपूर्ण था। परिणामस्वरूप लक्षित प्रगति प्राप्त नहीं की गई।

(कंडिका 2.3)

1.6.3 विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन में नर्मदा घाटी विकास विभाग पर विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा को शामिल किया गया है। मुख्यांश आगामी कंडिकाओं में दिये गये है।

एन.व्ही.डी.ए. ने नर्मदा का पानी उपयोग करने के लिए अधोसंरचना सृजन पर 2007-12 के दौरान आवंटित ₹ 6014.88 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5472.40 का व्यय किया। केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्लू.सी.) से डीपीआर अनुमोदन, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने व कार्य प्रदाय में देरी हुई। इसके अतिरिक्त भी नहरों व बांधो के निष्पादन में स्लिपेज थे। अभी तक नर्मदा व इसकी सहायक नदियों पर तीन बड़ी परियोजनाओं के लिए, 9.114 एमएएफ पानी संग्रहण के लिए 11 बांध व 3.157 एमएएफ पानी के उपयोग के लिए नहर प्रणाली का कार्य ही पूरा किया जा सका है।

एन.व्ही.डी.ए. 2007-12 के दौरान किसी भी बड़ी परियोजना की नहर प्रणाली को पूरा नहीं कर सका है। अप्रभावी निगरानी, वैकल्पिक योजनाओं का नया बनाया जाना व अयोग्य ठेकेदारों को कार्य दिया जाना, निर्माण कार्यो में देरी का कारण रहा। बाकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि निर्धारण भी अपर्याप्त था।

एन.व्ही.डी.ए. बड़ी परियोजनाओं के बाकी बांध व नहर कार्य संवीक्षा वर्ष में तभी पूरा कर सकता था यदि कार्य तुरन्त किये जाते व कार्य निष्पादन की निगरानी सतर्कता पूर्वक की गई होती। आगे, बाकी मध्यम परियोजनाएं संवीक्षा वर्ष तक पूरी की जा सकती थी यदि मध्यम परियोजनाएं तुरंत चिन्हित कर ली जाती, कम से कम समय में अनापत्ति ले ली जाती, परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों को निश्चित कर लिया जाता और अन्य गतिविधियों की सतर्कता पूर्वक निगरानी करते हुए, योजित व निष्पादित की जाती है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में प्रकट हुआ कि एनडब्ल्यूडीटी (राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण) के अधिनिर्णय के अनुसार नर्मदा के पानी के उपयोग के लिए तैयारी धीमी थी क्योंकि वर्तमान प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्यवाही

की आवश्यकता होगी अन्यथा मध्य प्रदेश नर्मदा पानी का अपना हिस्सा पाने में पिछड़ जायेगा।

(कंडिका 3.1)

1.6.4 लेनदेन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागो/ संगठनों की सुचारु कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूह बद्ध किया गया हैः

- नियमों का अनुपालन न किया जाना।
- पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय
- सतत एवं व्यापक अनियमितताएं
- असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

1.6.4.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हों। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। इस प्रतिवेदन में ₹ 36.79 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिये गये है जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है :

- मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए वन विकास उपकर की ₹ 34.97 करोड़ की राशि को देरी से जमा किया गया जिससे सरकार को ₹ 4.94 करोड़ ब्याज हानि हुई।

 (कंडिका 4.1.1)

- खैर लकड़ी अवरोध मूल्य से कम पर नीलाम की गई। जिससे ₹ 13.82 लाख की राजस्व हानि हुई।

 (कंडिका 4.1.2)

- विभाग ने इको पर्यटन संवर्धन पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 2.17 करोड़ इको पर्यटन के संवर्धन पर व्यय किए।

 (कंडिका 4.1.3)

- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता का उल्लंघन करते हुए संयुक्त वन समितियों हेतु बजट में आवंटित राशि निकाली गई एवं व्यक्तिगत जमा लेखा (पी.डी.ए.) के स्थान पर बैंक खाते में रखी गई।

 (कंडिका 4.1.4)

- भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना वायरलैस सेट व सहायक उपकरण की अपूर्ति के लिये डीजीएस एण्ड डी को ₹ 1.32 करोड़ का भुगतान किया गया और वापस हुई राशि शासकीय खाते में प्रेषित करने के बजाय डी.एफ.ओ. के व्यक्तिगत जमा खाते में रखी गई।

 (कंडिका 4.1.5)

- जारी मिश्रित संविदा के कार्यक्षेत्र से ₹ 48.32 करोड़ की लागत का महत्वपूर्ण घटक "ओपन ट्रफ" हटा दिया गया। प्रतिस्थापित घटकों में ₹ 21.15 करोड़ की राशि के घटाने के बाद ₹ 27.17 करोड़ की परिणामी बचत राशि भी, सम्पूर्ण संविदा कीमत घटाने के स्थान पर, दूसरे कार्यो के लिए दरों को बढ़ाकर भुगतान कर दी गई।

(कंडिका 4.1.6)

- खोदी गई कडी चट्टान जिसकी चार नहर निर्माण कार्यो में आवश्यकता थी, के लिए ₹ 1.05 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 4.1.7)

1.6.4.2 पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से प्राधिकृत व्यय लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने लोक निधि से व्यय करने में अनौचित्य व्यय, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय को पाया गया। उनमें से कुछ की नीचे चर्चा की गई है।

- एक ठेकेदार को, कार्य की असंतुलित प्रगति होने पर भी, समय पूर्व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर ₹ 11.68 करोड़ का नकद प्रोत्साहन (₹ 5.84 करोड़ का भुगतान किया गया) मंजूर कर दिया गया, जबकि ठेकेदार विनिर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा व कार्य के निष्पादन में लगातार देरी की।

(कंडिका 4.2.1)

- पेट्रोल, आईल लुब्रीकेंट व मटेरियल घटक का गलत अनुपात अपनाने के कारण मूल्य समायोजन में ठेकेदार को ₹ 85.59 लाख का अधिक भुगतान कर दिया गया।

(कंडिका 4.2.2)

- बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अनुदान अंतर्गत 35 कि.मी. सड़क की मंजूरी व कार्यान्वयन में देरी के कारण को योजना अवधि की समाप्ति व निधियों की रोक की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा, परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कंडिका 4.2.3)

- रीवा जिले में राजापुर उद्वहन सिंचाई योजना (एल.आई.एस.) के 1628 हे. के कुल कमान क्षेत्र कार्य को 2007 में शुरू किया गया। जो त्योंथर में दूसरी बड़ी उद्वहन सिंचाई योजना की कमान क्षेत्र के साथ परस्परव्यापी हो गया, जिससे ₹ 1.63 करोड़ का अपव्यय हुआ।

(कंडिका 4.2.4)

1.6.4.3 सतत एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितता तब सतत समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो। यह व्यापक हो जाती है जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालक के भाग पर गंभीर न होने की संकेत सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण

के अभाव का सूचक भी है। क्रमागत रूप से यह नियमों/विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणीत होता है। लेखापरीक्षा में प्रतिवेदित सतत अनियमितताओं के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है।

- असंतुलित दरों के विरूद्ध ठेकेदार से अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि ₹ 3.56 करोड़ नहीं काटी गई।

(कंडिका 4.3.1)

- शासन के अनुमोदन के बिना, मूल्य वृद्धि के परिशोधित कारको को अपनाते हुए, ठेकेदार को ₹ 9.33 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.2)

1.6.4.4 असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, अधोसंरचना एवं लोक सेवा में विकास तथा उन्नयन के द्वारा सुधार करें। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरूद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्यवाही के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

- असंतुलित दरों वाली मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा के न काटे जाने से, ठेकेदार को ₹ 8.48 करोड़ का अनुचित लाभ व सरकार को ₹ 43.92 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 4.4.1)

- ठेकेदार से उसके द्वारा सात कार्यो के निष्पादन में देरी के कारण परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होने से शासन को ₹ 1.68 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.4.2)

- मूल्य समायोजन की गणना में स्टील की उच्चतर दरें अपनाने के कारण ठेकेदार को ₹ 81.71 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.4.3)

- अपर्याप्त योजना और नाला क्लोजर कार्य व वेयर निर्माण में ताल मेल की कमी के कारण ₹ 1.53 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4.4)

- मिट्टी कार्य, वाटरिंग व्यय व रोलिंग के बिना किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 49.59 लाख की लागत का अधोमानक कार्य हुआ।

(कंडिका 4.4.5)

- अनुचित सर्वे व मूल्यांकन के कारण मदों की मात्राओं में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप ₹ 57.55 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.4.6)

1.6.4.5 लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां

वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, लेखापरिक्षित इकाइयों द्वारा वसूली के लिए ₹ 124.89 करोड़ स्वीकार कया गया । समान अवधि के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों के चार विभागों[6] से ₹ 5.07 करोड़ की वसूली की गई । महत्वपूर्ण वसूलियों के दृष्टांत नीचे दिये गये हैं -

- ठेकेदार को बढ़ाई गई मापों के आधार पर किए गए ₹ 58.41 लाख के भुगतान की वसूली की गई ।

(जल संसाधन विभाग)

- ठेकेदार को कार्य के बिना भुगतान की गई ₹ 25.71 लाख की राशि की वसूली की गई ।

(जल संसाधन विभाग)

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की उत्तर देयता का अभाव

1.7.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय प्रमुखों तथा अगले उच्च अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों का पालन करें और दोषों/ चूकों में सुधार कर उनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर महालेखाकार, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा (ए.जी.) को उनके अनुपालन की सूचना दें। महालेखाकार गम्भीर अनियमितताएं कार्यालय प्रमुखों के ध्यान में भी लाते हैं।

30 जून 2012 को सिविल विभागों[7] से सम्बन्धित 4831 निरीक्षण प्रतिवेदन (19054 कंडिकाए) लंबित थे। इनमें से 2730 निरीक्षण प्रतिवेदन (8499 कंडिकाएं) पांच वर्षो से अधिक समय से निराकरण हेतु लंबित थे। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा कंडिकाओं के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट-1.1** में दिये गये हैं। सरकार के वित्त सम्बन्धी नियमों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के त्वरित अनुपालन/उत्तर के लिये प्रावधान समाविष्ट करने तथा समुचित निरोधात्मक प्रभाव के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है।

1.7.2 लेखापरीक्षा समिति का गठन

सरकार ने शकधर समिति (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की अनुशंसाओं को स्वीकार करते समय लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी कार्यवाही की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था (मई 2000)। सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के त्वरित निराकरण के लिए एक शीर्ष स्तरीय समिति (अप्रैल 2009) तथा 44 विभागीय स्तर समितियों का गठन किया परन्तु आदेश में शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक के लिये कोई नियत समय निर्धारित नहीं किया। तथापि, विभागीय स्तर समिति की तीन माह में एक बार बैठक की जाना अपेक्षित है।

[6] वन विभाग, लोक निर्माण, जल संसाधन व म.प्र. ग्रामीण सड़क प्रधिकरण

[7] परिशिष्ट 1.1 देखे

2011-12 के दौरान शीर्ष स्तरीय राज्य लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई जबकि आर्थिक क्षेत्र के विभागों में विभागीय स्तर समिति[8] की केवल तीन बैठक हुई।

1.7.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई

मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 1998) के अनुसार राज्य विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं के संबंध में विभागों द्वारा की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कोई भी कार्यवाही के विषय में लोक लेखा समिति तथा प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए।

छः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कंडिकाओं की समीक्षा में यह पाया गया कि 11 कंडिकाओं के विभागीय उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012) जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

1.7.4 लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु लंबित कंडिकाएं

कंडिकाओं का विवरण (सामान्य एवं सांख्यिकी को छोड़कर) जिनपर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जानी है, 30 जून 2012 तक की स्थिति **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाई गई है ।

1.7.5 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सरकार के उत्तर

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विधान सभा में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के छः माह के भीतर समिति की अनुशंसाओं के संबंध में की गई कार्यवाही अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में समिति को सूचना देने के लिए समस्त विभागों को अनुदेश जारी किए थे (नवंबर 1994)। कृत कार्यवाही की टिप्पणी की प्रतिलिपियां महालेखाकार को भी उनकी टिप्पणियों के लिए पृष्ठांकित की जानी है।

विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 300 कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की गई थी (सितम्बर 2012)। पूर्व वर्ष 1986-87 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में जारी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्रेषित नहीं की गई। विभागवार तथा वर्षवार विवरण **परिशिष्ट-1.4** में दिए गए हैं। लंबित स्थिति मुख्य सचिव के ध्यान में लायी गई थी (नवम्बर 2012) और संबंधित विभागों के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

1.7.6 मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विभागों की प्रतिक्रिया

ड्राफ्ट कंडिकाएं और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रधान सचिव, वित्त और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों को अर्धशासकीय रूप से तथ्यों एवं आकंडो की पुष्टि व छः सप्ताहों के अंदर उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जून व अक्टूबर 2012 के

[8] मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की डीएलसी बैठकें क्रमशः दिनांक 30-06-2011, 05-12-2011 और 15-12-2011 को आयोजित की गई ।

मध्य तक 19 ड्राफ्ट कंडिकाओं में से, एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, दो थीमेटिक कंडिकाएं और एक विभाग केंद्रित लेखापरीक्षा विभिन्न विभागों को अग्रेषित की गई।

सरकार ने केवल 10 ड्राफ्ट कंडिकाओं का उत्तर दिया है।

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्यप्रदेश में सड़कों के विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.2 वैनगंगा कछार में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर थीमेटिक कंडिका

2.3 रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना के वितरण नेटवर्क पर थीमेटिक कंडिका

अध्याय - 2

निष्पादन लेखा परीक्षा

लोक निर्माण विभाग

2.1 मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास पर निष्पादन लेखा परीक्षा

विशेषताएँ

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क एवं परिवहन विभाग) ने 2001 एवं 2012[1] के मध्य ₹ 2224.78 करोड़ की लागत पर मध्य प्रदेश में मुख्य जिला सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के 298 निर्माण कार्य अनुमोदित किये थे, जिसमें से 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 1653.67 करोड़ लागत के 152 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। मध्य प्रदेश शासन ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की ऋण सहायता से 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 1499.00 करोड़ लागत पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा उन्नयन के 510 निर्माण कार्य अनुमोदित किये थे। शासन ने योजना एवं आयोजना शीर्षों के अंतर्गत राजकीय बजट प्रावधानों के माध्यम से सड़कों के विकास एवं अनुरक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया था जिस पर समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 1109.86 करोड़ का व्यय किया गया था। 2007-08 और 2011-12 के मध्य केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत 42 निर्माण कार्य तथा नाबार्ड के अंतर्गत 169 निर्माण कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हुये थे। सी.आर.एफ./नाबार्ड के अंतर्गत योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों में भारी गिरावट ध्यान में आई यद्यपि कोई वित्तीय विवशता नहीं थी। लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आई प्रमुख कमियाँ निम्न रूप से उल्लिखित हैं :

- ₹ 12.34 करोड़. की केन्द्रीय सड़क निधि के दुरूपयोग के दृष्टांत थे।

 (कण्डिका 2.1.6.1 तथा 2.1.13.4)

- केन्द्रीय सड़क निधि/नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की पूर्णता में असाधारण विलम्ब हुये थे। सड़कों के समय पूर्व उन्नयन एवं वन विभाग से अनुमति के बिना निर्माण कार्य सौंपे जाने के परिमाण स्वरूप ₹ 15.19 करोड़. का अपव्यय/निष्फल व्यय हुआ तथा 5.69 करोड़ रू की अतिरिक्त लागत हुई।

 (कण्डिका 2.1.8.1 तथा 2.1.8..2)

- सुदृढ़ीकरण के कार्य का नवीकरण के रूप में गलत वर्गीकरण किये जाने से 2.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ ही वित्त विभाग के आदेशों का उल्लंघन हुआ।

 (कण्डिका 2.1.9.2)

- वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) पर सरफेस ड्रेसिंग के अप्राधिकृत प्रावधान के परिणाम- स्वरूप ₹ 2.76 करोड़. की अतिरिक्त लागत हुई।

 (कण्डिका 2.1.9.3)

[1] केन्द्रीय सड़क निधि के निधिकरण के अंतर्गत वास्तविक व्यय एवं बजट अनुमानों की सही स्थिति दर्शाने के लिये 2001-02 से 2011-12 की अवधि ली गई है।

- निर्णीत हर्जाने, मूल्य भिन्नता के अपात्र भुगतान तथा हानि से शासन को ₹ 25.37 करोड़ की हानि के दृष्टांत ध्यान में आये थे।

(कण्डिका 2.1.10.1, 2.1.10.2 तथा 2.1.10.3)

- गतिशीलन अग्रिम की कम वसूली, अदेय वित्तीय सहायता एवं प्रतिभूति अग्रिम की अनियमित स्वीकृति के उदाहरण थे।

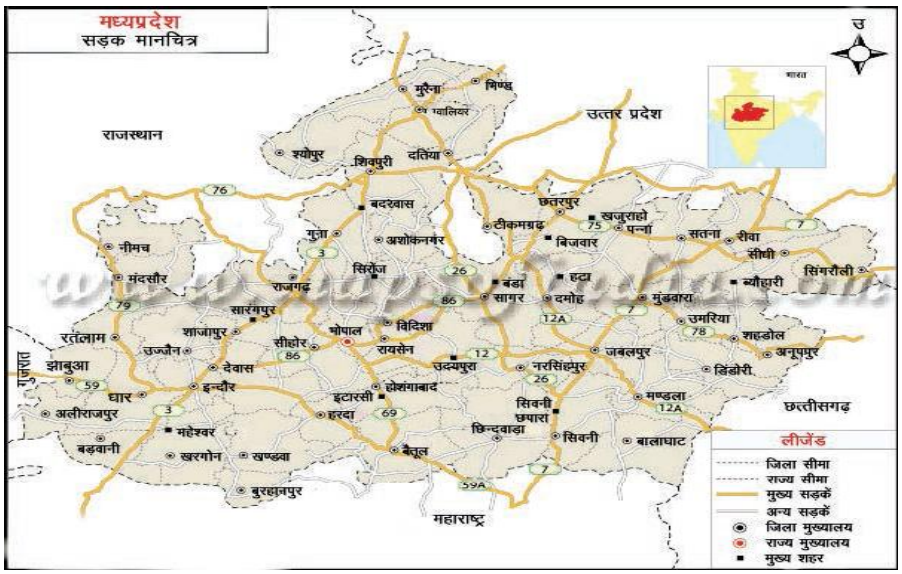
(कण्डिका 2.1.10.4 तथा 2.1.10.5)

- सड़क निर्माण कार्यों पर किया गया ₹ 109.54 करोड़. का व्यय, विलंब एवं निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण निष्फल रहने के साथ ऋण पर ₹ 20.39 करोड़ के ब्याज का दायित्व हुआ।

(कण्डिका 2.1.10.7)

2.1.1 प्रस्तावना

राज्य के आर्थिक विकास में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है देश में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में यातायात को ढोने वाली अधिकांश लम्बी सड़कें राज्य से होकर गुजरती है



मार्च 2008 एवं मार्च 2012 की स्थिति में राज्य के लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण के अधीन सड़कों की लम्बाई की तुलनात्मक स्थिति निम्न रूप में है:

सड़कों का विवरण	सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	
	2007 - 08	2011 - 12
राष्ट्रीय राजमार्ग	4280	4709
प्रादेशिक राजमार्ग	8729	10501
मुख्य जिला सड़कें	11572	19574
ग्रामीण सड़कें	48733[2]	23639

(स्रोत : वर्ष 2007-08 एवं 2011-12 के लिये लोक निर्माण विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन)

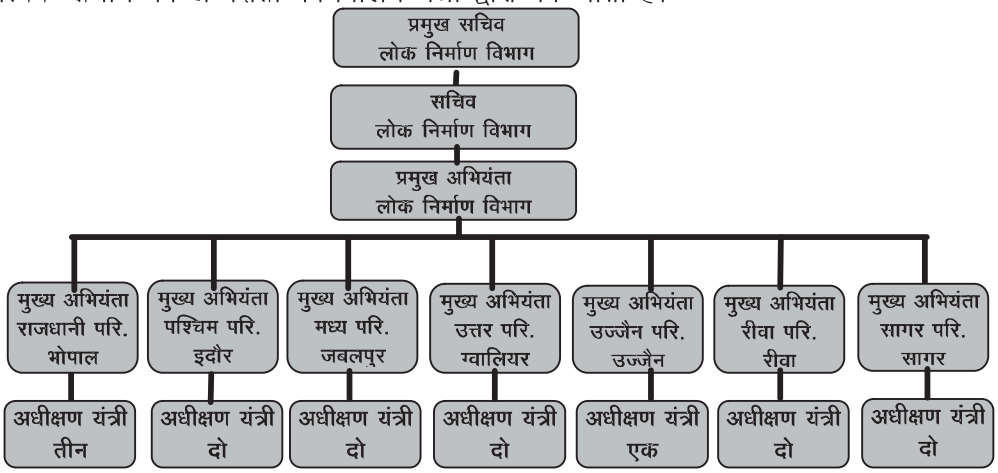
[2] मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सड़कों के हस्तांतरण से ग्रामीण सड़कों की लंबाई घट गई।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि[3] के माध्यम से 2007-08 एवं 2011-12 के दौरान मध्य प्रदेश में ₹1653.67 करोड़ की लागत पर सड़कों के 2409.74 किलोमीटर के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन (152 निर्माण कार्य) का अनुमोदन किया था।

मध्य प्रदेश शासन ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के विभिन्न चरणों के माध्यम से ₹ 1499.00 करोड़ की लागत पर 4457.27 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों (510 निर्माण कार्य) के सुधार के लिये कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का अनुमोदन भी प्राप्त किया था (2007-12)। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु 2007-12 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1232.17 करोड़ का बजट भी दिया था।

2.1.2 संगठनात्मक स्वरूप

केन्द्रीय सड़क निधि, नाबार्ड एवं राज्य के बजट की निधियों से सड़क निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन ऐजेन्सी लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) का शासन स्तर पर प्रमुख सचिव द्वारा नेतृत्व किया जाता है। प्रमुख अभियंता विभाग के तकनीकी अध्यक्ष हैं जिनकी सहायता परिक्षेत्रों के सात मुख्य अभियंताओं द्वारा की जाती है। मण्डल स्तर पर 14 अधीक्षण यंत्री हैं जैसा कि संगठन चित्र में दर्शाया गया है। सड़कों एवं भवनों के निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 53 संभागों द्वारा अधीक्षण यंत्रियों की सहायता की जाती है, प्रत्येक संभाग की अध्यक्षता कार्यपालन यंत्री द्वारा की जाती है।



स्रोतः लोक निर्माण विभाग, वर्ष 2011-12 का प्रशासकीय प्रतिवेदन

2.1.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से संपादित की गई किः

[3] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन, पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रूपये का अधिभार आरोपित कर केन्द्रीय सड़क निधि सृजित की गई है। मंत्रालय, राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रवर्तित निर्माण कार्यें का प्रशासकीय अनामेदन देने के बाद इस निधि को वितरित करता है। राज्य राजमार्गें एवं मुख्य जिला मार्गें के विकास तथा अनुरक्षण, टू-लेन से फोर-लेन में चौड़ीकरण तथा कमजोर पटरियों के खण्डों के सुदृढ़ीकरण के लिये इस निधि की व्यवस्था की गई है।

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था, निधियों के प्रबंधन एवं उपयोगिता हेतु पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान था।
- सड़क निर्माण कार्य सुनियोजित थे तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और इंडियन रोड कांग्रेस[4] के माईल स्टोन्स, मानक रूपांकनों एवं विशिष्टियों के अनुसार प्रभावकारिता और मितव्ययता को ध्यान में रखकर निष्पादित किये गये है।
- ठेका प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी थे।

2.1.4 लेखा परीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न से लिये गये मापदण्डों पर आधारित थेः

- निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान, इंडियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियाँ, वित्तीय नियम, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेश।
- केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 एवं नियम 2007 तथा
- नाबार्ड के दिशा निर्देश।
- सड़कों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित रूप से अनुमोदित रूपांकन एवं विशिष्टियां तथा
- ठेकों की शर्तें एवं निबंधन।

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के अधीन सात परिक्षेत्रों (मुख्य अभियंताओं के नेतृत्व में) एवं 14 मण्डलों (अधीक्षण यंत्री के नेतृत्वों में) 53 संभागों के माध्यम से सड़क निर्माण कार्यों का विकास किया जा रहा था। निष्पादन लेखा परीक्षा के लिये 16 संभाग[5] चयन किये गये थे सांख्यिकी सूचना एवं आंकड़े प्रमुख अभियंता कार्यालय से संग्रहित किये गए थे। केन्द्रीय सड़क निधि एवं नाबार्ड सहायता से 120 सड़क निर्माण कार्यों के योजनाकरण, क्रियान्वयन एवं निष्पादन से संबंधित 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लेनदेनों की निष्पादन लेखा परीक्षा में नवंबर 2011 से अगस्त 2012 के दौरान जाँच की गई थी।

जनवरी 2012 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान सचिव लोक निर्माण विभाग के साथ लेखा परीक्षा उद्देश्यों, मापदण्ड एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। सितंबर 2012 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव लो.नि.वि. के साथ लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी तथा विभाग के प्रत्युत्तर को स्पष्ट किया गया था। निष्पादन लेखा परीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन विभाग को जारी किया गया था (सितम्बर 2012) उत्तर, अभी प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

4 केन्द्रीय सड़क निधि, नाबार्ड एवं राज्य बजट के अंतर्गत सड़कों के निष्पादन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं आईआरसी की विशिष्टयाँ लागू योग्य थी।

5 अशोक नगर, भोपाल 2, छिंदवाड़ा, देवास, गुना, ग्वालियर 2, खरगौन, खण्डवा, इंदौर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, शाजापुर, सतना, सीहोर तथा विदिशा।

2.1.6 निधि प्रबंधन

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत राज्य की सड़कों के निर्माण और विकास से संबंधित परियोजनाओं, योजनाओं या गतिविधियों हेतु निधियाँ वितरित की जाती हैं और राज्यकीय बजट के माध्यम से जारी होती है। नाबार्ड सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि प्रतिपूर्ति आधार पर मुक्त करता है। यदि राज्य शासन ऐसा चाहता है तो नाबार्ड, समय-समय पर लागू मापदण्डों के अनुसार अग्रिमों के रूप में भी निधियाँ जारी करता है । 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि एवं नाबार्ड निधियों को उपयोग कर क्रमशः ₹ 996.90 करोड़ तथा ₹ 1741.09 करोड़ का व्यय किया गया था इसके अतिरिक्त राज्य शासन ने विद्यमान सड़कों के विकास और अनुरक्षण हेतु राज्य योजना बजट से ₹ 1232.17 करोड़.की निधियाँ भी उपलब्ध कराई थी। इसमें से ₹ 1109.86 करोड़ का व्यय 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान किया गया था।

आवंटन एवं व्यय का वर्ष-वार विश्लेषण नीचे दिया गया हैः

तालिका 2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय सड़क निधि			नाबार्ड			राज्य बजट प्लान		
	आवंटन	व्यय	उपयोग का प्रतिशत	आवंटन	व्यय	उपयोग का प्रतिशत	आवंटन	व्यय	उपयोग का प्रतिशत
2007-08	122.56	92.59	75.55	360.91	313.38	86.83	391.94	357.15	91.12
2008-09	135.85	113.72	83.71	345.51	321.38	90.65	211.29	219.05	103.67
2009-10	251.00	180.78	72.02	422.09	391.03	92.64	200.74	163.90	81.64
2010-11	481.00	293.97	61.12	432.51	408.20	94.37	173.65	162.15	93.38
2011-12	260.00	315.84	121.48	431.72	307.91	71.32	254.55	207.61	81.56
योग	**1250.41**	**996.90**	**79.72**	**1992.74**	**1741.09**	**87.37**	**1232.17**	**1109.86**	**91.08**

स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

यह देखा जा सकता है कि 2007-12 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि और नाबार्ड में वास्तविक व्यय 79.72 प्रतिशत एवं 87.37 प्रतिशत था परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सड़क निधि एवं नाबार्ड के अंतर्गत क्रमशः 20.28 प्रतिशत और 13.02 प्रतिशत की सीमा तक बचत थी। बचत के मुख्य कारण कार्य सौंपने में विलंब एवं ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति थे जैसा कि अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.6.1 केन्द्रीय सड़क निधि का दुरूपयोग

निविदा बुलाए बिना पूरक अनुसूची के द्वारा 7.20 करोड़ के कार्य अनियमित रूप से सौंपे गए ।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कार्यों के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी[6] दिशा निर्देशों (मई 1984) के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलनों से परे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि या विशिष्टियों में परिवर्तन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की लिखित पूर्व अनुमति के बिना प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इससे आगे निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार एवं निश्चित परियोजना हेतु स्वीकृति प्राक्कलनों पर प्रत्याशित या वास्तविक

[6] पत्र क्र./आर.डब्ल्यू/एन.एच.एच./को-आर्ड/32/84 दिनांक 19.05.1984

बचत को स्वीकृति प्राधिकारी की अनुमति के बिना उस अतिरिक्त कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है जो कार्य के मूल कार्य क्षेत्र में नहीं था।

हमारे ध्यान में आया (अप्रैल 2012 से मई 2012) कि ₹ 3.10 करोड़ के लिये मकसूदनगढ़ बायपास रोड (गुना) एवं ₹ 4.10 करोड़ के लिये उचेहरा बायपास रोड (सतना) के कार्य क्रमशः मुख्य अभियंता उत्तर परिक्षेत्र एवं मुख्य अभियंता रीवा परिक्षेत्र द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुमति के बिना स्वीकृति किये गये थे तथा निविदा बुलाए बिना अनुपूरक सूची पर सौंपे गए थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2012) कि निविदा के न्यून प्रतिशत को देखते हुये एम.ओ.आर.टी.एण्ड .एच. की सहमति के साथ अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये गये थे।

प्रमुख अभियंता का उत्तर समाधानकारक नहीं है क्योंकि एम.ओ.आर..टी एण्ड एच. द्वारा स्वीकृत प्रशासकीय अनुमोदन में ये कार्य सम्मिलित नहीं थे एवं मूल कार्य के क्षेत्र में किसी परिवर्तन हेतु एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच. की लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक थी । एम.ओ.आर..टी एण्ड एच. से लिखित पूर्व अनुमोदन का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.1.7 भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मुख्य अभियंताओं एवं प्रमुख अभियंता द्वारा मानीटरिंग करना आवश्यक है ताकि निर्दिष्ट समय एवं लागत पर लक्ष्य उपलब्ध हो सके तथा कार्यक्रमों से अपेक्षित लाभों का अर्जन हो सके। हमने अवलोकन किया कि यद्यपि प्रमुख अभियंता द्वारा निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थितियाँ तैयार की गई थीं, परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने एवं कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरिंग हेतु वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। निर्माण कार्यों की समय पर पूर्णता भी विलंबित हुई थी जैसा कि निम्न कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.7 केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत कार्य

सी.आर.एफ. के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध मार्च 2012 तक उपलब्धियाँ नीचे की तालिका में संक्षेपित की गई हैः

तालिका 2.3

वर्ष	स्वीकृत सड़कें (संख्या में)	स्वीकृत सड़कें (कि.मी.)	पूर्ण सड़कें (संख्या में)	वर्ष के अंत में प्रगतिरत् कार्य	पूर्ण सड़कें (कि.मी.)
2006-07 तक	146	3026.01	142	04	2971.50
2007-08	18	293.93	15	07	223.59
2008-09	14	261.72	10	11	227.21
2009-10	58	1140.69	17	52	663.08
2010-11	62	713.40	00	79 (35 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए)	10.20
2011-12	00	00	00	79	00
योग	**298**	**5435.75**	**184**	**114**	**4095.58**

स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

तालिका से देखा जाएगा कि सी.आर.एफ. के अंतर्गत 142 कार्य पूर्ण हुये थे जिनके लिये मार्च 2007 तक स्वीकृतियां प्राप्त की गई थी। 2007-12 के दौरान 152 कार्य स्वीकृति हुये थे। सी.आर.एफ. के अंतर्गत अलग-अलग कार्य पूर्ण करने के लिये प्रशासकीय अनुमोदन जारी किये जाने की दिनांक से अधिकतम 24 माह तक की विभिन्न अवधियाँ अनुमत्य की गई थीं। इस प्रकार 2007-10 के दौरान आरंभ किये गये कार्यों को मार्च 2012 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था।

हमारे ध्यान में आया (अप्रैल 2012) कि 2007-10 के दौरान आरंभ किये गये 90 कार्यों में से मार्च 2012 तक 42 कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हुये थे एवं 48 कार्य प्रगति में थे। इस प्रकार 2007-10 के दौरान आरंभ किये गये कार्यों के विरूद्ध 54 प्रतिशत की गिरावट थी। इसके साथ ही प्रशासकीय अनुमोदन की दिनांक से चार माह में कार्य सौंपने की निर्धारित अवधि के विरूद्ध 2010-11 में दिये गये प्रशासकीय अनुमोदन की दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सी.आर.एफ. के 62 कार्यों में से 35 कार्यों के लिये ऐजेन्सियों का निर्धारण नहीं हुआ था। हमने और आगे देखा कि बस्तियों के लिये लक्ष्यित संबद्धता की उपलब्धि से संबंधित जानकारी विभाग में संकलित नहीं थी।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुपातहीन निधियाँ मुक्त किये जाने से लम्बाई-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सी.आर.एफ. के अंतर्गत निधियों की विमुक्ति के नियमों की शर्तें में निधियों की विमुक्ति कार्य की भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के साथ बंधी हुई है। इसके साथ ही तथ्य यह है कि मार्च 2011 के अंत तक 309.35 करोड़ से अधिक एवं मार्च 2012 के अंत तक ₹ 253.51 करोड़ विभाग के पास निधि में उपलब्ध थे जो निर्दिष्ट करता है कि कार्य की प्रगति पर निधियों की विमुक्ति का कोई प्रभाव नहीं था।

2.1.7.2 कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत निर्माण कार्य

नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध मार्च 2012 तक की उपलब्धियाँ नीचे की तालिका में संक्षेपित की गई हैः

तालिका 2.4

वर्ष	स्वीकृत सड़कें (संख्या में)	स्वीकृत सड़कें (कि.मी.)	पूर्ण सड़कें (संख्या में)	पूर्ण सड़कें (कि.मी.)
2007-08	80	1091.25	71	965.55
2008-09	नाबार्ड के अंतर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं			
2009-10	114	1373.09	71	960.84
2010-11	225	1781.94	27	401.18
2011-12	91	210.99	00	18.92
योग	**510**	**4457.27**	**169**	**2346.49**

स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से देखा जाएगा कि 2007-12 के दौरान नाबार्ड के अंतर्गत 510 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसमें से केवल 169 कार्य उस अवधि के दौरान एक से चार वर्षों के विलंब से पूर्ण हुये थे। इस प्रकार सड़क निर्माण कार्यों की पूर्णता की उपलब्धियों में गिरावट थी यद्यपि वहां कोई वित्तीय बाध्यता नहीं थी। सड़क निर्माण

कार्यों की पूर्णता में विलंब के कारण, जैसे हमारे द्वारा चिन्हित किये गये वे है, नाबार्ड के अंतर्गत कार्यों के लिये अकार्ययोग्य दरों पर निविदाओं की स्वीकृति, डामर के मूल्य में अचानक वृद्धि (2007-08) एवं कार्यों को पूर्ण करने में ठेकेदारों की उदासीनता जैसा कि नीचे कण्डिका 10.7 में विस्तृत चर्चा की गई है।

प्रमुख सचिव लो.नि.वि. ने निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2012) के दौरान बतलाया कि ये कार्यक्रम निधियों की कमी से पीड़ित थे और निर्माण कार्यों की प्रगति सुधारने का आश्वासन दिया था।

उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि नाबार्ड के अंतर्गत आवंटित निधियाँ 2007-08 से 2011-12 के दौरान कभी भी पूरी तरह उपयोग नहीं की गई थी।

2.1.8 योजनाकरण एवं परियोजना प्रबंधन

सड़क निर्माण में, सही योजनाकरण, निर्माण प्रक्रिया, निष्पादन एवं आलोचनात्मक सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन आवश्यक है। चूंकि संपूर्ण निष्पादन में विलंब और लागत अधिक्य के मुख्य कारण भू-अर्जन, फारेस्ट क्लियरेन्स में विलंब तथा अशुद्ध योजनाकरण हैं, परियोजना एवं तर्कसंगत योजनाकरण परियोजनाओं के समय पर निष्पादन तथा लागत आधिक्य को परिहार करने में सहायता कर सकते हैं। कार्य को कार्यान्वयन हेतु सौंपे जाने से पूर्व प्रत्येक परियोजना के लिए सही आयोजना हेतु, विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान आवश्यक हैं।

योजनाकरण में कमियों से संबंधित विषयों पर नीचे चर्चा की गई हैः

2.1.8.1 सड़कों के विकास हेतु अनुपयुक्त योजनाकरण

सड़कों के समयपूर्व उन्नयन से ₹ 6.34 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ ।

सी.आर.एफ. की दिशा निर्देश में उपबंधित है कि वे सड़कें जहाँ पिछले तीन वर्षों में सुधार कार्य किया गया है, स्वीकृति के लिये पात्र नहीं मानी जाएंगी। इससे आगे, आई.आर.सी.[7] विशिष्टियों में व्यवस्था है कि नवीकरण कार्य निर्मित सड़कों की लंबाई के 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किये जायेंगे। इसके साथ ठेके की शर्तें और निबंधनों में उपबंधित है कि सड़कों के सुधार और अनुरक्षण के लिये ठेकेदार निष्पादन गारण्टी अवधि (कार्य पूर्ण होने के बाद 18 माह) तक उत्तरदायी है।

राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत तीन संभागों[8] में जनवरी 2008 से नवंबर 2008 के दौरान 92 किलोमीटर कुल लंबाई में सात सड़कों का नवीकरण किया गया था। ये सड़कें नवंबर 2009 से सितंबर 2010 तक निष्पादन गारण्टी अवधि के अंतर्गत थीं। ऐसा होने पर भी सी.आर.एफ.एवं नाबार्ड के अंतर्गत इन सड़कों को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु समयपूर्व (मई 2008 एवं अगस्त 2009 के मध्य) चयनित किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 6.34 करोड़ मूल्य का पूर्व में निष्पादित किया गया सड़कों के नवीकरण का कार्य (बिटूमिनस कोर्स के साथ) निष्फल सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में सविस्तार बताया गया है। यह इस तथ्य का सूचक था कि कोई दीर्घकालिक योजनाकरण नहीं किया गया था जिससे विकास के लिये ऐसी सड़कों का चयन टाला

7 इण्डियन रोड कांग्रेस

8 अशोक नगर, शाजापुर एवं विदिशा

जा सके क्योंकि उन्नयन के लिये ऐसे कार्य चयन किये गये जो नवीकरण के लिये भी शेष नहीं थे परिणामतः उन पर अपव्यय हुआ।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि सड़कों की आरोहण (राइडिंग) गुणवत्ता बनाये रखने के लिये 20 मि.मी. से 25 मिमी. की पतली डामरीकृत परत का निष्पादन किया गया था और प्रमुख सचिव लो.नि.वि. मामले को देखने के लिये सहमत हुये।

प्रमुख अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निष्पादित कार्य, डामरीकृत नवीकरण का उपयोग करके राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये थे।

2.1.8.2 वन विभाग से निर्बाधन (क्लीयरेंस) के बिना कार्य सौंपने में अपूर्ण योजनाकरण

वन विभाग के क्लीयरेंस के बिना कार्य अनियमित रूप से सौंपने के कारण ₹ 13.69 करोड़ का निष्फल/ अतिरिक्त व्यय ।

भारत सरकार वन मंत्रालय के आदेश (जून 2000) एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों की शर्तें के अनुसार वन क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन के कार्य आरंभ करने से पूर्व वन विभाग से भूमि का क्लीयरेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आई.आर.सी. के प्रावधानों के अनुसार सड़क स्थान एवं रूपांकन में एक प्राथमिक विचार हो कि सामग्री के परिवहन की कुल मिलाकर लागत न्यूनतम हो। इस विचार के समाधान के लिये अत्यधिक वांछनीय संरेखण (एलाईन्मेंट) निर्धारित करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण प्रारंभ किया जाना चाहिये। सभी अंतर्ग्रस्त परिचालनों की तर्कसंगत क्रम से अग्रिम रूप से आयोजना की जानी चाहिये। और आगे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये यह अनिवार्य है कि योजनाकरण स्टेज सहित सभी स्टेजों पर भी राजमार्ग परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को विचार में लिया जाये।

वन भूमि के लिये निर्बाधन प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य सौंपने के परिणाम स्वरूप हुये निष्फल व्यय के दृष्टातों पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई हैः-

- लो.नि.वि. संभाग 2 ग्वालियर में सड़कों के दो कार्य वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना निर्माण के लिये अनियमित रूप से आरंभ किये गये थे (अप्रेल 2005/नवंबर 2007)। यद्यपि सड़कों के एलाइन्मेंट में सोनचिरैय्या अभ्यारण अन्तर्ग्रस्त थे। ₹ 3.35 करोड़ व्यय करने के बाद विभाग को जुलाई 2009 सितम्बर 2009 में ये कार्य ठेके की शर्तों के अनुसार पुरोबंध (फोरक्लोज़) करने पड़े थे क्योंकि इन दो सड़कों के एलाइन्मेंट में सम्मिलित वन भूमि (सोनचिरैया अभ्यारण) के लिये क्लीयरेन्स वन विभाग से प्राप्त नहीं किया जा सका था। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 3.35 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित हैः

तालिका 2.5

सरल क्रमांक	सड़क का नाम	अनुबंध क्र. कार्यादेश तिथि एवं अवधि	कार्य की संभावित लागत/ निविदा प्रतिशत	पूर्व बंद की तिथि	पूर्व बंद की तिथि को भुगतान की स्थिति
1	नाबार्ड के अंतर्गत दादाखिरक-तिगरा रोड 34.20 कि.मी.	265/07-08 30.11.07/10 माह	₹ 450 लाख/ (+) 4.77	4.07.09	₹ 1.80 करोड़
2	घाटीगांव-दादाखिरक-भवरपुरा 23 कि.मी. (सी.आर.एफ.)	04/05-06 04.04.05/10 माह	₹ 275 लाख/ (-) 23	25.09.09	₹ 1.55 करोड़
					₹ 3.35 करोड़

हमने और आगे देखा (मार्च 2012) कि दादा खिरक-टिघरा सड़क का शेष कार्य फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना एक अन्य ठेकेदार को सौंपा (नवंबर 2010) गया था। इससे ₹ 85.29 लाख[9] की लागत आधिक्य के साथ ही चार वर्षों से अधिक का समयाधिक्य हुआ तथा सभी मौसमों के लिये सड़कों का विचारित लाभ भी अर्जित नहीं हुआ।

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2012) प्रमुख अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि कार्यों को पूर्ण करने में विलंब को टालने के लिये वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना कार्य सौंपे गये थे तथा आश्वासन दिया कि फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त करने से पूर्व कार्य नहीं दिये जाने के अनुदेश जारी किये जायेंगे। प्रमुख सचिव लो.नि.वि. द्वारा खिरक-टिघरा सड़क के पुरोबंधन तथा बाद में फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना पुनः शेष कार्य सौंपे जाने के प्रकरणों पर ध्यान देने के लिये सहमत थे।

- केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) नियम 2007 की शर्तें के अनुसार आर्थिक महत्व एवं अन्तर्राज्यीय संपर्क योजनाओं के कार्य तभी स्वीकृत किये जा सकेंगे जब निष्पादन एजेन्सियाँ यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सड़क विकास के लिये भूमि उपलब्ध है।

हमने देखा (अप्रेल 2012) कि आर्थिक महत्व[10] के अंतर्गत अनारद-निहालदेवी सड़क (48 कि.मी. लम्बी) के प्राक्कलन बनाते समय विभाग ने एक विस्तृत प्राक्कलन (सितम्बर 2009) त्रुटिपूर्ण बनाया था जिसमें वन विभाग द्वारा अनुमोदित (नवंबर 2009) 4.5 मीटर की चौड़ायी के विरूद्ध 10 मीटर चौड़ायी शामिल की गई थी। यद्यपि 21 किलोमीटर सड़क वन क्षेत्र से गुजर रही थी, वन विभाग से अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया (फरवरी 2010) था।

वन विभाग ने आपत्ति ली और काम बंद करने का आदेश दिया (जून 2010)। उस समय तक विभाग ने ठेकेदार को ₹ 5.50 करोड़ का भुगतान किया था। कार्य का निष्पादन फिर से आरंभ किया जाना था (अप्रैल 2012)। इस प्रकार ₹ 5.50 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया और विचारित लाभ अब तक अर्जित नहीं हुये थे।

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2012) प्रमुख अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि कार्यों को पूर्ण करने में विलंब को टालने के लिये वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना कार्य सौंपे गए थे तथा आश्वासन दिया कि फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त करने से पूर्व कार्य नहीं दिये जाने के अनुदेश जारी किये जायेंगे। तथापि, उत्तर वन विभाग द्वारा अनुमोदित चौड़ायी की अपेक्षा अधिक चौड़ायी में कार्य करने के कारण को स्पष्ट नहीं करता है।

- नाबार्ड के अंतर्गत 48.40 किलोमीटर लंबाई में बिस्टान-सिरवेल सड़क (लो.नि.स. खरगौन) के उन्नयन का कार्य वन विभाग से फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना एक ठेकेदार को सौंपा गया था (मार्च 2005)। वन विभाग से

9 (अ) आरंभिक कार्य की संभावित लागत= ₹ 450 लाख + 4.77 प्रतिशत निविदा प्रीमियम = ₹471.46 लाख । आज तक किया गया कार्य = ₹ 180.31 लाख । शेष = ₹291.15 लाख । (ब) बाद के अनुबंध की संभावित लागत = ₹453.00 लाख (-) 16.90 प्रतिशत निविदा प्रीमियम = ₹376.44 लाख । (ब) - (अ) = ₹85.29 लाख ।

10 मध्यप्रदेश और राजस्थान बार्डर जोड़ने वाली आर्थिक एवं अंतराज्यीय महत्व की सड़क।

क्लीयरेंस के अभाव में विभाग द्वारा 20 मार्च 2007 को इस शर्त[11] के साथ कार्य फोरक्लोज़ किया गया कि ठेकेदार को कार्य के विशिष्ट भाग को पूरा करना होगा। मार्च 2007 में कार्य को फोरक्लोज़ करने के शीघ्र बाद ही विभाग ने वन विभाग से 10 अप्रैल 2007 को क्लीरेंस प्राप्त कर लिया। शेष कार्य को 01 अप्रैल 2007 से प्रभावशील नवीन दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) पर एक अन्य ठेकेदार को सौंप दिया गया (फरवरी 2008)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.84 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई जैसा कि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6

(लाख ₹ में)

सड़क का नाम	कार्य की संभावित लागत/ निविदा प्रतिशत	पूर्व ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने की स्थिति में कुल लागत	भुगतान की गई राशि	बचे हुए कार्य की संभावित लागत/ निविदा प्रतिशत	कार्य की समाप्ति तक कुल लागत	योग (4+6)	अतिरिक्त लागत (7-3)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिस्तान-सिरवेल 48.40 कि.मी. (खरगौन)	786.12 (-) 7.18	729.68	241.42	868.74 (+) 11.90	972.12	1213.54	483.86

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2012) प्रमुख अभियंता एवं प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि ठेके के सशर्त फोरक्लोजर के प्रकरण पर ध्यान देंगे।

2.1.9 कार्य का निष्पादन

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले सभी कार्यों के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक है तथा निष्पादन के दौरान विशिष्टियों से संबंधित कार्य के क्षेत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पूर्वानुमति बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। नाबार्ड के निधिकरण के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के अनुबंधों की शर्तें और निबंधनों में आवश्यक है कि कार्यों का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टयों के अनुसार कड़ाई के साथ निष्पादन किया जाए तथा यह उपबंधित है कि कार्यस्थल की परिस्थिति से यदि विशिष्टियों में परिवर्तन आवश्यक हो गया हो तो इसे शासन के अनुमोदन हेतु डी.पी.आर.[12] में सम्मिलित करना चाहिये। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों एवं राजमार्ग इंजीनियर्स के लिये पाकेट बुक के अनुसार नवीन सड़कों के लिये आई.आर.सी.: 37 "लचीली पटरियों के डिज़ाईन के लिये दिशा निर्देशों" के अनुसरण में लचीली पटरियों का डिज़ाइन किया जाना चाहिये।

11 विभाग ने ठेकेदार को पिपलाझोपा ग्राम तक बिटुमिनस कार्य निष्पादित करने के अनुदेशों के साथ ठेका फोरक्लोज किया था अर्थात् ठेकेदार को ठेका फोरक्लोज़ होने के बाद पिपलाझोपा ग्राम तक कार्य निष्पादित करना था।

12 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।

2.1.9.1 लचीली पटरियों का त्रुटिपूर्ण डिज़ाइन

लचीली पटरियों का डिज़ाइन, विभिन्न पैरामीटर्स जैसे केलिफोर्निया, बीयरिंग रेश्यो (सी.बी.आर.) के संबंध में सब-ग्रेड की शक्ति, यातायात गणना, वाहनक्षति सूत्र, लेन वितरण सूत्र, वर्षा के आंकड़े यातायात वृद्धि दर तथा लचीली पटरी का रूपांकित जीवन आदि पर आधारित होना चाहिये।

डिज़ाईन करने में कमियों से संबंधित विषयों एवं परिणामजन्य अतिरिक्त लागत पर नीचे चर्चा की गई हैः

➢ ***महंगी विशिष्टियों के अप्राधिकृत प्रावधान से अतिरिक्त लागत***

ओ.जी.पी.सी. एवं सील कोट के स्थान पर बी.एम. एवं एस.डी.बी.सी. के अप्राधिकृत निष्पादन से विभाग ने ₹ 11.50 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन की

आई.आर.सी. 37 के प्रावधानों के अनुसार जहां रूपांकित यातायात एक लाख मानक एक्सल[13] (एम.एस.ए.) से कम हो एवं सब-ग्रेड[14] की सी.बी.आर.[15] पांच प्रतिशत से अधिक हो, बिटुमिनस कोर्स के रूप में सील कोट के साथ 20 मि.मी. मोटे ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट (ओ. जी.पी.सी.) का प्रावधान किया जाना चाहिये।

आठ संभागों[16] में 13 सड़कों[17] के कार्यों की नमूना जांच में हमने अवलोकन किया (फरवरी 2012 से अगस्त 2012) कि सड़कों के प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण रूप से बनाये गये थे। यद्यपि सब-ग्रेड पांच प्रतिशत से अधिक सी.बी.आर. की मिट्टी से तैयार की गई थी एवं रूपांकित यातायात तीव्रता एक एम.एस.ए. से कम थी, ओ.जी.पी.सी. एवं सील कोट के बजाय बिटुमिनस मेकेडम (बीएम) एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस मेकेडम (एस.डी.बी.सी.) उपबंधित कर निष्पादित किये गये थे। इससे ₹ 11.50 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2012) कि विशिष्टियाँ केवल दिशा-निर्देश थीं एवं तकनीकी विशेषज्ञता के साथ प्रभारी यंत्री कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार विशिष्टियों से विचलन के लिये शक्ति प्राप्त थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तकनीकी अनुदेश में उपबंधित है कि निष्पादन के दौरान मंत्रालय के अनुमोदन बिना कार्य की विशिष्टियों में कार्य स्थल की सभी परिस्थितियों को जो लचीली पटरी के डिज़ाईन का निर्धारण करती है ध्यान में रखा गया है। इसलिये त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन से उच्चतर विशिष्टियाँ अपनाने पर अतिरिक्त लागत आई जो टालने योग्य थी।

13 मिलियन स्टेन्डर्ड एक्सल सड़क पर यातायात का भार बताता है।

14 सड़कों एवं मिट्टी कार्य की 30 से.मी. से 50 से.मी. की ऊपरी परत सब-ग्रेड है।

15 केलिफॉर्निया बेयरिंग रेश्यो (सी.बी.आर.) मिट्टी की शक्ति बतलाती है।

16 अशोक नगर, छिन्दवाड़ा, देवास, खरगोन, नरसिंहपुर, रीवा, सतना एवं सीहोर।

17 छः सड़कें (सी.आर.एफ.) 4 सड़के (नाबार्ड) 1 राड़क (डी.टी.ए.पी.टी.) एवं दो सड़के राज्य योजना।

➢ *डी.पी.आर एवं विशिष्टियों के क्षेत्र से परे दानेदार सब-बेस जी.एस.बी. का अधिक निष्पादन*

जी.एस.बी. की मोटाई एवं चुनाव आई. आर.सी.: 37, 2001 में निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर तय किया जाता है। जी.एस.बी. की मोटाई सी.बी.आर. के रूप में सब-गेड की मजबूती एवं प्रक्षेपित यातायात पर जी.एस.बी. की मोटाई आधारित होती है।

आवश्यकता से अधिक मोटाई में जी.एस.बी. के निष्पादन से ₹3.64 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत ।

सात संभागों[18] में सड़कों के नमूना जाँच किये गये नौ कार्यों में हमने अवलोकन किया (दिसंबर 2011 जुलाई 2012) कि चार कार्यों[19] के संबंध में सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न प्रारंभिक यातायात गणना अपनाकर यातायात तीव्रता गलत संगणित की गई थी, और निर्धारित किये गये की अपेक्षा बढ़ाये गये लेन वितरण सूत्र का उपयोग करके सब-ग्रेड[20] की मजबूती गलत निर्धारित की गई थी। परिणामस्वरूप आई.आर.सी. 37 की शर्तें में आवश्यक मोटाई से अधिक मोटाई की जी.एस.बी. दी गई थी। दूसरे अन्य पांच कार्यों[21] में डी.पी.आर. में दी गई मोटाई से अधिक मोटी जी.एस.बी. का निष्पादन किया गया था। नौ कार्यों में अधिक मोटाई के प्रावधान एवं निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹3.64 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

कार्यपालन यंत्रियों ने उत्तर दिया (दिसंबर 2011 जुलाई 2012) कि जी.एस.बी. का निष्पादन स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार किया गया था जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे।

कार्यपालन यंत्रियों के उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं थे क्योंकि स्वीकृत प्राक्कलन यातायात तीव्रता की त्रुटिपूर्ण गणना पर आधारित थे जिसके परिणाम स्वरूप अप्राधिकृत प्रावधान और अधिक मोटाई में जी.एस.बी. का निष्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, पांच कार्यों के संबंध में डी.पी.आर. में उपबंधित की अपेक्षा अधिक मोटी जी.एस.बी. के निष्पादन के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

➢ *अतिरिक्त सड़क चौड़ायी के अनावश्यक चौड़ीकरण से लागत*

सड़कों की अनावश्यक चौड़ाई से ₹ 8.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत ।

एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. द्वारा जारी (दिसम्बर 1999) दिशानिर्देशों एवं प्रमुख अभियंता द्वारा जारी (अगस्त 2010) परिपत्र के अनुसार विनिर्दिष्ट यातायात वृद्धि दर के साथ रूपांकित जीवन के अंत तक के प्रत्याशित यातायात के आधार पर सड़क के रूपांकित सुधार हेतु यातायात को विचार में लिया जाना चाहिये। सड़क की चौड़ायी निर्धारित करने के उद्देश्य से "पैसेन्जर कार यूनिट" की संख्या के रूप में यातायात का परिमाण संगणित किया जाना चाहिये। सड़क की क्षमता नीचे दिये गये अनुसार होनी चाहिये ताकि रूपांकित जीवन के लिये यातायात की आवश्यकता को पूरा कर सके।

18 अशोक नगर, देवास, गुना, खण्डवा, शाजापुर, सतना एवं सीहोर।

19 अवन जनजाली रोड, अमर पाटन से रामपुर, सीहोर-बिलकिस गंज एवं नागौद-उचेहरा सड़क।

20 मिट्टी की 30 से 50 सेमी की ऊपरी सतह जिस पर सड़क निर्माण होना है।

21 विजयपुरा- ईसागढ़, आगर सारंगपुर-शादीपुरा, हाटपिपलिया-भौसारा, देवास-राजोसाकेलोड-डबलचौकी एवं पन्धाना-छःगांव माखन।

i. 4000 पी.सी.यू.[22] तक यातायात परिमाण - निर्माण चौड़ाई 9 मीटर एवं परिवहन चौड़ायी 3.75 मीटर वाली सिंगल लेन।

ii. 4000 पी.सी.यू. से 10000 पीसीयू तक यातायात परिमाण- निर्माण चौड़ायी 10 मीटर एवं परिवहन चौड़ायी 5.50 मीटर वाली इण्टर मीडिएट लेन।

iii. 10000 पी.सी.यू. से अधिक यातायात की मात्रा -फार्मेशन चौड़ाई 10 मीटर एवं परिवहन चौड़ाई 7 मीटर वाली डबल लेन ।

दो संभागों[23] में पांच सड़क कार्यों के उन्नयन एवं सुधार के प्रकरण में हमारे ध्यान में आया (अगस्त 2012) कि प्रक्षेपित यातायात की मात्रा एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच. के दिशा-निर्देशों में निर्धारित पी.सी.यू. अपनाने के बजाय सूत्र के रूप में एम.एस.ए. को लेकर संगणित की गई थी। सूत्र के रूप में एम.एस.ए. को अपनाना केवल क्रस्ट की मोटाई निर्धारित करने के लिये निर्धारित था। यातायात की मात्रा निर्धारण हेतु पी.सी.यू. के बजाय एम.एस.ए. को अपनाने से 3.75 मीटर एवं 5.5 मीटर की आवश्यक परिवहन चौड़ाई के विरूद्ध इन सड़कों पर प्रक्षेपित यातायात (रूपांकित यातायात) के रूप में क्रमशः 5.5 मी. एवं 7.0 मीटर परिवहन चौड़ाई में सड़कों का निर्माण हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अगस्त 2012) कि सड़कों की चौड़ाई स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलनों के लिये स्वीकृति प्रक्षेपित यातायात मात्रा की त्रुटिपूर्ण संगणना के आधार पर प्राप्त की गई थी, जिससे अतिरिक्त लागत आई थी।

➢ *बिटुमिनस कोर्स का अपर्याप्त प्रावधान*

बिटुमिनस बेस कोर्स का प्रावधान एवं कार्यान्वयन विशिष्टियों के अनुसार नहीं था ।

आईआरसी 37,2001 के अनुसार बिटुमिनस मेकेडम (बीएम) बेस कोर्स प्रयुक्ति केवल पांच मिलियन मानक एक्सल (एम.एस.ए) से कम यातायात ले जाने वाली रूपांकित सड़कों के लिये वांछनीय रूप से सीमित की जानी चाहिये। पांच एम एस ए से अधिक ले जाने के लिये रूपांकित सड़कों हेतु डेन्स बिटुमिनस मेकेडम (डी.बी.एम.) बाइण्डर कोर्स की सिफारिश की गई है। इसमें यह भी उपबंधित है कि पांच एम एस ए से अधिक यातायात और पांच प्रतिशत से अधिक शक्ति की सब-ग्रेड के लिये 78 मि.मी. बी.एम. की आवश्यकता है तथा 3 एम.एस.ए .के लिये 50 मि.मी. बी.एम. आवश्यक है। विशिष्टियों के अनुसार 78 मि.मी .बी.एम. के समतुल्य 55 मि.मी. डी.बी.एम. ली जा सकती है।

तीन संभागों में तीन सड़कों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने अवलोकन किया (अप्रैल 2012 से मई 2012) कि डी.पी.आर. में बी.एम. बेस कोर्स के प्रावधान आई.आर.सी.: 37, 2001 विशिष्टियों के रूप में पर्याप्त नहीं थे जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है

[22] पैरोन्जर कार यूनिट।

[23] छिन्दवाड़ा एवं देवास।

तालिका 2.7

सरल क्रमांक	संभाग का नाम	सड़क का नाम	अनुबंध क्रमांक	डिज़ाइन यातायात	सबग्रेड सीबीआर (प्रतिशत)	बीएम बेस कोर्स की आवश्यकता (आई आर सी 37 की विशिष्टियों के अनुसार)	सड़क में प्रदान की गई मात्रा	सड़क में अपर्याप्त प्रावधान
1	नरसिंहपुर	मुंगावली -गोरखपुर रोड (सी.आर.एफ. के अंतर्गत)	15/सी.आर. एफ/2009-10	>5 एमएसए	5	55 मि.मी. डीबीएम या 78 मि.मी. बीएम	50 मि.मी. बीएम	28 मि.मी. बीएम
2	गुना	अवान (जंजाली) मकसुदनगढ़ रोड (सी.आर.एफ. के अंतर्गत)	02/सी.आर. एफ/2009-10	5.7 एमएसए	6	55 मि.मी. डीबीएम या 78 मि.मी. बीएम	50 मि.मी. बीएम	28 मि.मी. बीएम
3	सतना	छेवरी-कुम्हारी पाथर रोड (प्लान के अंतर्गत)	216/ ईई /2009-10	3 एमएसए	5	50 मि.मी. बीएम	20 मि.मी.ओजी पीसी[24]	आवश्यक बीएम कोर्स का प्रदान नहीं

सी.आर.एफ. के अंतर्गत मुंगावली-गौरखपुर सड़क (तालिका का सरल क्रमांक 1) के प्रकरण में बिटुमिनस बेस कोर्स के अपर्याप्त प्रावधान के कारण निष्पादन के शीघ्र बाद समयपूर्व विफलता देखी गई थी। इसलिये विशिष्टियों से हीन कार्यों के निष्पादन यहां तक कि डी.पी.आर. में दिये गये रूप में इनको निष्पादित किया गया हो, का परिणाम रूपांकित जीवन के संबंध में समयपूर्व विफलता हो सकती है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2012) कि विशिष्टियाँ केवल दिशा निर्देश थीं एवं तकनीकी विशेषज्ञता के साथ प्रभारी यंत्री कार्यस्थल परिस्थितियों के अनुसार विशिष्टियों के प्रावधान से विचलन के लिये शक्ति प्राप्त थे।

उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि विशिष्टियों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त बिटुमिनस क्रस्ट नहीं दी गई थी। कार्य-स्थल की परिस्थितियों का तर्क केवल तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब दिशा-निर्देशों में निर्धारित की अपेक्षा डी.पी.आर. में अधिक महंगी विशिष्टियाँ दी गई हैं।

2.1.9.2 बिटुमिनस मैकेडम (बीएम) कार्य का अप्राधिकृत निष्पादन

बिटुमिनस मेकेडम के अनावश्यक निष्पादन से ₹ 2.54 करोड़ की अतिरिक्त लागत

एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. की विशिष्टियों, बिटुमिनस कार्य के निर्माण और पर्यवेक्षण की नियमावली (आई.आर.सी. 2001) में निर्धारित प्रावधान एवं आई.आर.सी. 82 के अनुसार 1500 वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन की बिटुमिनस सतह का नवीकरण इसके निर्माण से पांच वर्ष बाद या प्रतिवर्ष सड़क लम्बाई का 20 प्रतिशत विचार में लिया जाना चाहिये। नवीकरण कार्य में सील या पतले सरफेसिंग कोर्स की प्रयुक्ति शामिल होती है। सुदृढ़ीकरण एक पर्याप्त रूप से वृहद कार्य है जो पटरी को उन्नत या पुनः स्थापित करने के लिये विचारित है जिसमें 25 मि.मी. से ऊपर बिटुमिनस कोर्स शामिल है।

लो.नि.वि. देवास संभाग में, पाटहोल भरने, बिटुमिनस मेकेडम (बीएम) से प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पीसीसी), बाइण्डर कोर्स के रूप में बी.एम. के बाद एस.डी.बी.सी.

[24] ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट (ओ.जी.पी.सी.)

वीयरिंग कोर्स के प्रावधान के साथ तीन सड़कों के नवीकरण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी (2012-13)।

हमने देखा (जून 2012) कि आई.आर.सी. 82 के प्रावधानों के रूप में नवीकरण कार्य में केवल 25 मिमी तक एसडीबीसी की पतली सरफेसिंग आवश्यक थी इसके बजाय 50 मि.मी. मोटाई में बी.एम. के बाद 25 मि.मी. मोटी बिटुमिनस सरफेसिंग निष्पादित की गई थी जो केवल सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये आवश्यक थी। इस प्रकार बी.एम. की 5225 घनमीटर की संपूर्ण मात्रा का निष्पादन आई.आर.सी. के प्रावधानों के रूप में आवश्यकता से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई जैसा नीचे तालिका में सविस्तार बताया गया है:

तालिका 2.8

अनुबंध क्र	कार्य का नाम	बीएम की मात्रा (घन मी.)	मूल्य (₹ प्रति घन मी.)	अनुबंध का प्रतिशत	कुल राशि (₹ में)
5/एसएसी/12-13	बीकेएसके रोड का नवीनीकरण 14 कि.मी.	1087.50	₹ 4628	(+)4.99	5284094
7/एसएसी/12-13	सतवास-धासोद रोड का बीटी नवीनीकरण कि.मी. 2 से 6, 11, 18 = 7 कि.मी.	2310.00	₹ 4628	(+) 4.98	11223075
4/एसएसी/12-13	टोंक कला खुर्द रोड का बीटी नवीनीकरण कि.मी. 7.40	1827.50	₹ 4628	(+) 4.97	8878016
योग		**5225**			**25385185**

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2012) प्रमुख अभियंता लेखा परीक्षा निष्कर्ष से सहमत थे।

2.1.9.3 मध्यवर्ती टेक-कोट एवं सरफेस ड्रेसिंग का अप्राधिकृत निष्पादन

विशिष्टियों से परे सरफेस ड्रेसिंग के अप्राधिकृत निपादन से ₹ 2.76 करोड़ की अतिरिक्त लागत ।

विशिष्टियों[25] में निर्धारित निर्माण प्रक्रिया के अनुसार, कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार को या तो सुधार के अंतर्गत विद्यमान परिवहन मार्ग के एक खण्ड के साथ अथवा यातायात हेतु एक मार्ग बनाना चाहिये और उसे संधारित करना चाहिये। निर्माण के दोरान यातायात हेतु अस्थायी डायवर्शन का निर्माण, सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग का निष्पादन एवं मध्यावर्ती टैक कोट (बी.एम. पर सेमीडेंस बिटुमिनस कंकरीट से पूर्व) जैसी सारी व्यवस्थाएं निर्माण कार्य के लिये प्रासंगिक मानी जायेंगी और यह ठेकेदार का उत्तरदायित्व था।

हमने अवलोकन किया (नवंबर 2011 से अगस्त 2012) कि ताज़ी बिछायी गई डब्ल्यू बी.एम. पर यातायात चालू करने के लिये चार संभागों में राज्य योजना के अंतर्गत चार कार्यों, छः संभागों में नाबार्ड के अंतर्गत 13 कार्यों, छह संभागों[26] में सी.आर.एफ. के अंतर्गत 10 कार्यों ठेकेदारों ने डब्ल्यू.बी.एम. एवं बिटुमिनस मेकेडम सरफेस (बी.एम.) के

[25] एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. विशिष्टियों का क्लॉज 112

[26] अशोक नगर, छिन्दवाड़ा, देवास, गुना, नरसिंहपुर एवं सागर ।

मध्य सरफेस ड्रेसिंग का निष्पादन किया था एवं उन्हें इसका भुगतान किया गया था। चूंकि निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था के लिये सरफेस ड्रेसिंग का निष्पादन कार्य के लिये प्रासंगिक था, ठेकेदारों को सरफेस ड्रेसिंग के लिये भुगतान नहीं किया जाना था। इससे ठेकेदारों को ₹ 2.76 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ जैसा **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि सरफेस ड्रेसिंग ताज़ी बिछायी गई डब्ल्यू बी.एम. पर यातायात की अनुमति देने के लिये दिया गया था।

उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि सरफेस ड्रेसिंग का कार्य, निर्माण कार्य के लिये प्रासंगिक था और एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. विशिष्टियों के क्लॉज़ 112.2 के रूप में यातायात की व्यवस्था ठेकेदारों का उत्तरायित्व था।

- हमने और आगे अवलोकन किया (अप्रैल 2012 से जुलाई 2012) कि विभाग ने पांच संभागों[27] में आठ सड़क कार्यों के अनुबंधों का भाग बनाने वाली "बिल्स ऑफ क्वान्टिटी" (बीओक्यू) और प्राक्कलनों में अतिरिक्त/मध्यवर्ती टैक कोट की प्रयुक्ति उपबंधित की थी। ठेकेदारों ने टैक कोट निष्पादित किया एवं उसके लिये उन्हें भुगतान किया गया था चूंकि यातायात की व्यवस्था ठेकेदार का उत्तरदायित्व था एवं एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. की विशिष्टयों के अनुसार निर्माण कार्य के लिये प्रासंगिक था प्राक्कलनों और बिल्स ऑफ क्वान्टिटी में उसका प्रावधान करना और उसके लिये भुगतान करना न्यायसंगत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ का ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में बताया गया है।

 प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि अतिरिक्त टैक-कोट बी.एम. सरफेस पर एस.डी.बी.सी. के वियरिंग कोर्स डालने के लिये आवश्यक हो गया था चूंकि बी.एम. पर से यातायात निकला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त/मध्यवर्ती टैक-कोट कार्य के लिये प्रासंगिक था और इसलिये ठेकेदारों को अलग से भुगतान नहीं किया जाना था ।

2.1.9.4 इलेक्ट्रानिक सेन्सर पेवर नियोजित न करने से ठेकेदार को अधिक भुगतान

सीमेंट कांकरीट पटरी के कार्य में इलेक्ट्रानिक सेंसर पेवर नहीं लगाने पर ठेकेदार से ₹ 73.65 लाख की कटौती नहीं की गई थी ।

लोक निर्माण विभाग की दरों की सूची (एस.ओ.आर.) के प्रावधान के अनुसार एम.40 ग्रेड की सीमेंट कान्क्रीट की पटरी एवं सब बेस की ड्राय लीन कन्क्रीट (डी.एल.सी.) को इलेक्ट्रानिक सेन्सर पेवर से बिछाना चाहिये। इलेक्ट्रानिक सेन्सर पेवर नहीं लगाये जाने पर निष्पादित की गई मात्रा के विरूद्ध ठेकेदार के बिलों से डी.एल.सी. की दरों से एवं एम.40 ग्रेड की सीमेंट कन्क्रीट की दरों से क्रमशः ₹ 150 प्रतिघन मीटर एवं ₹ 350 प्रतिघन मीटर की कटौती की जानी चाहिये।

तीन संभागों[28] में चार सड़क कार्यों के संबंध में हमने अवलोकन किया (अप्रैल 2012 से मई 2012) कि ठेकेदारों के पास न तो इलेक्ट्रानिक सेंसर के साथ पेवर थे और न

27 खरगौन, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना एवं सीहोर।

28 नरसिंहपुर, रीवा एवं सतना।

उन्होंने किराये के माध्यम से मशीनरी नियोजित की थी। इसीलिये ठेकेदारों से निर्धारित दरों पर कटौतियाँ की जानी थी, जो विभाग द्वारा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 73.65 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

सतना एवं नरसिंहपुर के कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (मई 2012) कि ठेकेदारों के द्वारा इलेक्ट्रानिक सेंसर के साथ पेवर लगाये गये थे ।

सतना एवं नरसिंहपुर के कार्यपालन यंत्रियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रानिक सेंसर के साथ पेवर ठेकेदारों द्वारा तकनीकी बोली में प्रस्तुत मशीनरी एवं संयंत्र की सूची में मौजूद नहीं थे और इलेक्ट्रानिक सेंसर पेवर लगाने के समर्थन में किराये पर लिये जाने के प्रमाण पत्र भी नहीं थे। सेंसर पेवर लगाया जाना कार्यों की माप पुस्तकों में भी दर्शाया नहीं गया था।

2.1.9.5 तकनीकी विशेषज्ञ नियोजित न करने से ठेकेदार को अधिक भुगतान

तकनीकी विशेषज्ञ को नियोजित न करने के लिए ठेकेदारों से ₹ 74.70 लाख की कटौती नहीं की गई थी ।

स्टेन्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेण्ट्स (एसबीडी) के अनुलग्नक 2 के प्रावधानों के अनुसार ₹ पांच करोड़ से अधिक मूल्य के कार्यों के निष्पादन हेतु छः ग्रेज्यूएट इंजीनियर्स आवश्यक थे। तकनीकी विशेषज्ञ नियोजित न करने/कम नियोजित करने की दशा में प्रति गेज्यूएट इंजीनियर ₹ 10,000 की दर से एवं प्रति डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियर के लिए 5,000 रुपये की दर से प्रतिमाह वसूली की जानी थी।

पांच संभागों[29] में आठ सड़क कार्यों की छान-बीन के दौरान हमने अवलोकन किया (फरवरी 2012 से जून 2012) कि न तो ठेकेदारों ने ठेके के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञ नियोजित किये थे और न ही विभाग ने तकनीकी विशेषज्ञों के अपर्याप्त नियोजन पर ठेकेदार के बिलों से राशि की वसूली की थी। इससे न केवल ₹ 74.70 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है अपितु अवमानक कार्यों के निष्पादन की जोखिम के लिये विभाग प्रकाश में आ गया।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (फरवरी 2012 से जून 2012) कि ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त तकनीकी स्टॉफ नियोजित किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों ने निर्दिष्ट किया कि ठेके में उल्लिखित की अपेक्षा कम तकनीकी स्टॉफ नियोजित था।

2.1.10 ठेका प्रबंधन

ठेका प्रबंधन क्रमानुसार एवं दक्षतापूर्वक ठेका सृजन, निष्पादन एवं वित्तीय तथा प्रचालन कुशलता को बढ़ाने और जोखिम को कम करने की प्रक्रिया है। सड़क कार्यों के ठेके आइटम रेट एवं प्रतिशत दर आधार पर निष्पादित किये गये थे। ठेका प्रबंधन में ध्यान में कमियों पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

[29] देवास, रीवा, सागर, सतना एवं सीहोर।

2.1.10.1 निर्णीत हर्जाने के कम वसूली

कार्यान्वयन में असामान्य विलंब के बावजूद ठेकेदारों पर ₹ 17.15 करोड़ का निर्णीत हर्जाना आरोपित नहीं किया गया था ।

संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार अनुबंध में प्रविष्ट किया गया अनुमत्व समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा एवं यह कार्यादेश की दिनांक से संगणित किया जाएगा। अनुबंध की शर्तें एवं निबंधनों में आगे उपबंधित है कि कार्य में विलंब हेतु कार्य के मूल्य के 1/16 प्रतिशत की दर से प्रति सप्ताह ठेका मूल्य की 6 प्रतिशत सीमा तक प्रतिशत दर निविदा[30] पर ठेकों के अंतर्गत वसूल किया जाना चाहिये। आयटम रेट ठेकों[31] के प्रकरण में यदि ठेकेदार ठेके में निर्धारित पूर्णता के समय का पालन करने में विफल रहता है, ठेकेदार नियोक्ता को प्रारंभिक ठेका मूल्य के 1/2000 प्रतिदिन की दर से ठेका मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन ऐसी त्रुटि के लिये निर्णीत हर्जाने का भुगतान करेगा।

पन्द्रह संभागों में से आठ संभागों[32] में 28 सड़क[33] कार्यों की नमूना जांच में हमने अवलोकन किया कि वहाँ 156 दिनों से लेकर 1305 दिनों के विलंब थे जो ठेकेदारों पर आरोपणीय थे। कार्यपालन यंत्रियों ने अनुबंध के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने के लिये अनेक नोटिस दिये थे। ऐसा होने पर भी ठेकेदारों से वसूली योग्य ₹ 17.15 करोड़ को निर्णीत हर्जाने को ठेकेदारों के बिलों से काटा नहीं गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया है।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि ठेकेदारों पर आरोपणीय विलंबों की मात्रा का आकलन करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाऐंगे।

2.1.10.2 मूल्य भिन्नता का अपात्र भुगतान

ठेकेदारों को मूल्य भिन्नता के ₹ 2.47 करोड़ भुगतान किए गए थे यद्यपि अपात्र थे

प्रमुख अभियंता द्वारा जारी (मार्च 2007) अनुदेश जो ठेके की अतिरिक्त विशेष शर्तें के रूप में लगाए गए है निर्धारित करते हैं कि बिटुमिन/स्टील के मूल्य में कोई भिन्नता (धन/ऋण) बिटुमिन/स्टील की सिद्धांतिक खपत पर भुगतान की जाएगी या काटी जाएगी। मूल्य का अंतर केवल अनुबंध अवधि के लिये संगणित किया जाएगा।

चार संभागों[34] के अंतर्गत आठ अनुबंधों में हमने देखा (दिसंबर 2011 से मई 12) कि ठेकेदारों ने अनुबंध अवधि के बाद बिटुमिनस कार्य किया था। ऐसा होने पर भी ठेकेदारों को मूल्य मिन्नता का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.47 करोड़ का अपात्र भुगतान हुआ जैसा **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि मूल्य भिन्नता का भुगतान सुगम बनाने के लिये जहां आवश्यक हो संविदात्मक प्रावधान संशोधित किये जाना हैं।

उत्तर विद्यमान ठेका शर्तें के उल्लंघन में इन कार्यों में अनुबंध अवधि के बाद की अवधि के लिये मूल्य भिन्नता के भुगतान के कारण नहीं देता है।

30 निविदा के फार्म-ए. पर ठेका।

31 स्टेण्डर्ड बिडिंग फार्म पर निविदा।

32 अशोक नगर, छिंदवाड़ा, खण्डवा, रीवा, सागर, शाजापुर, सीहोर एवं विदिशा।

33 सी.आर.एफ.: नौ कार्य, नाबार्डः 13 कार्य एवं राज्य योजनाः छः कार्य।

34 अशोक नगर, ग्वालियर-2, शाजापुर एवं सतना।

2.1.10.3 नियंत्रण विफलता और विवेकहीन निर्णय

सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की सफल योजनाकरण निर्माण एवं संधारण के लिये मुख्य अभियंता (नियंत्रण अधिकारी) उत्तरदायी हैं। विभाग के काम सुधारने के लिये एवं सुशासन के लिये रणनीति विकसित करने, नीतिगत निर्णय लेने के लिये भी मुख्य अभियंता उत्तरदायी है।

नियंत्रण विफलता और विवेकहीन निर्णयों को दृष्टांतों पर नीचे चर्चा की गई है

➢ ***विवेकहीन निर्णय से शासन को हानि***

दाण्डिक निर्णय को निरस्त करने के विवेकहीन निर्णय से शासन को ₹ 2.92 करोड़ की हानि ।

ठेके का क्लॉज 3(ए) उपबंधित करता है कि ठेके के विखण्डन पर ठेकेदार की सुरक्षा जमा राजसात हो जाएगी एवं शासन के पास निपटान हेतु रहेगी। ठेके के क्लॉज 3(सी) उपबंधित करता है कि यदि कार्य का कोई भाग अनिष्पादित रहता है और अन्य ठेकेदार को दिया जाता है, कार्य के उस भाग पर मूल ठेके के मूल्य से अधिक व्यय होने पर वह मूल ठेकेदार द्वारा वहन किया जायगा और भुगतान किया जाएगा।

हमने अवलोकन किया (जून 2012) कि देवास संभाग में ठेकेदारों की धीमी प्रगति से कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदारों की लागत एवं जोखिम पर (ठेके के क्लॉज 3 (सी) के अंतर्गत) दो सड़क कार्यों[35] को समाप्त कर दिया था। शेष कार्यों का आकलन किया गया था एवं मूल ठेकेदारों की लागत और जोखिम पर सौंपे गऐ थे (मार्च 2009 एवं अक्टूबर 2008) जबकि शेष कार्य प्रगति में थे। मुख्य अभियंता उज्जैन परिक्षेत्र ने बिना कोई कारण बताए कार्यपालन यंत्री द्वारा दो कार्यों को समाप्त करने के पूर्व आदेश निरस्त कर दिये। इसके परिणाम स्वरूप विभाग शेष कार्यों पर आई ₹ 2.92 करोड़ की अतिरिक्त लागत की मूल ठेकेदारों से वसूली प्रभावशील नहीं कर सका जैसा नीचे तालिका में बताया गया है।

तालिका 2.9

(लाख ₹ में)

अनुबंध क्र./ निधियों का स्त्रोत	सड़क का नाम	कार्य की संभावित लागत/निविदा प्रतिशत	समायावधि (माह)	निष्पादित कार्य का मूल्य	बचे हुए कार्य का मूल्य	बचे हुए कार्य का अनुबंध क्र./स्थिति	कार्य की संभावित लागत/निविदा प्रतिशत	मूल ठेकेदार से वसूल की जाने वाली अतिरिक्त लागत
60/07-08 सी.आर. एफ	हाटपिपल्या-भौरसा रोड	445.00 लाख/ 4.86% अधिक	16	4.50	440.50	336/08-09 पूर्ण	440.00 लाख/ 59% अधिक	238.21
59/07-08 नाबार्ड	हाटपिपल्या-बरखेड़ा सोमा-कर्नावद रोड	189.00 लाख/ 7.86% कम	12	57.80	131.20	271/08-09 प्रगतिरत्	126.53 लाख 35% अधिक की दर से	54.23

प्रमुख सचिव लो.नि.वि. एवं प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2012) आश्वासन दिया कि मुख्य अभियंता द्वारा जोखिम और लागत के अंतर्गत कार्य समाप्त करने के निर्णय को बदलने के मामले पर ध्यान दिया जायेगा।

आगे की कार्यवाही अभी अपेक्षित है (फरवरी 2013)।

[35] सी.आर.एफ. के अंतर्गत हाट पिपलिया, भौरसा सड़क एवं नाबार्ड (देवास जिला) के अंतर्गत हाट पिपलिया बरखेड़ा सोमा कर्नावद सड़क।

➢ *ठेके का अनियमित पुरोबंधन (फोरक्लोजर)*

कार्य के अनियमित पुरोबंधन से ₹ 1.10 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

लो.नि.वि. संभाग शाजापुर के अधीन खरदोंकलां-उग्ली-शुजालपुर सड़क (नाबार्ड सहायता) का कार्य दर अनुसूची (अप्रेल 2005) पर 19.55 प्रतिशत निविदा प्रीमियम के साथ ₹ 4.41 करोड़ की संभावित ठेका राशि पर एक ठेकेदार को दिया गया था (अप्रैल 2007)। नाबार्ड के अंतर्गत निधियों की कमी के कारण ठेकेदार की लागत एवं जोखिम के बिना कार्य फोरक्लोज़[36] किया गया था (जून 2009)। ₹ 3.03 करोड़ के अपूर्ण बिल का भुगतान (मई 2010) ठेकेदार को किया गया था। ₹ 405.64 लाख शेष कार्य के लिये निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई थी (अक्टूबर 2010) एवं दर अनुसूची (अप्रैल 2009) से 17.60 प्रतिशत कम पर कार्य पुनः उसी ठेकेदार को सौंप दिया गया था।

हमने अवलोकन किया (नवंबर 2011) कि संभाग में नाबार्ड निधिकरण के अंतर्गत अनेक अन्य कार्य प्रगति में थे। इन कार्यों को निर्धारित पूर्णता अवधि के तीन से चार गुणा अवधि बीत जाने के बाद भी फोरक्लोज नहीं किया गया था। इस प्रकार ठेके को फोरक्लोज करने का निर्णय मनमाना था जिससे ₹ 1.10 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया ।

तालिका 2.10

(लाख ₹ में)

सड़क का नाम	कार्य की संभावित लागत/निविदा प्रतिशत	पूर्व ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की स्थिति में कुल लागत	पूर्व ठेकेदार को भुगतान की गई राशि	बचे हुए कार्य की संभावित लागत/ निविदा प्रतिशत	कार्य पूर्ण होने तक व्यय की जाने वाली राशि	योग (4+6)	अतिरिक्त लागत (7-3)
1	2	3	4	5	6	7	8
खरदों कला उगली शाजापुर	441.00/ (+)19.55%	527.21	302.86	405.64/ (-)17.60%	334.25	637.11	109.90

कार्यपालन यंत्री ने बताया (दिसंबर 2012) कि यद्यपि कार्य नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था परियोजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित नहीं की जा सकी। उसने आगे बताया कि मूल्य भिन्नता क्लॉज अनुबंध में सम्मिलित नहीं था। विभाग द्वारा कार्य का बंद करने के अनुदेश दिये गये थे।

कार्यपालन यंत्री द्वारा कार्य को फोरक्लोज करने के लिये दिया गया औचित्य समाधान कारक नहीं है क्योंकि नाबार्ड प्रतिपूर्ति आधार पर निधि जारी कर रहा था एवं नाबार्ड की सहायता के साथ अनेक प्रगतिरत कार्य निष्पादित किये जा रहे थे जहाँ अनुबंधों की शर्तें में मूल्य भिन्नता क्लॉज सम्मिलित नहीं था। उन कार्यों में से ठेकेदार की जोखिम एवं लागत के बिना उपरोक्त कार्य फोरक्लोज किया गया था।

[36] ठेकेदार की लागत एवं जोखिम के बिना कार्य बंद करने के लिये उपबंधित ठेके का क्लॉज 14

➢ ***कार्य को विवेकहीन/अनियमित रूप से किये जाने के कारण अतिरिक्त लागत***

प्रशासकीय स्वीकृति से परे अनियमित रूप से कार्य सौंपे जाने से अतिरिक्त लागत ₹ 1.73 करोड़

निर्माण कार्य विभाग नियमावली के प्रावधान के अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन की राशि से 10 प्रतिशत आगे के कार्य की राशि में कोई परिवर्तन होता है तो पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन आवश्यक है।

हमने अवलोकन किया (अप्रैल 2012) कि लोक निर्माण विभाग संभाग सागर के अंतर्गत भापेल जैसीनगर सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य ₹ 4.96 करोड़ (नवंबर 2006) के प्रशासकीय अनुमोदन के विरूद्ध ₹ 5.84 करोड़ रुपये (संभावित ठेका लागत ₹ 6.30 करोड़ रुपये) पर एक ठेकेदार को सौंपा गया था। पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के आभाव में मंत्रालय ने सी.आर.एफ. के माध्यम से निधिकरण रोक दिया था। जब तक ठेकेदार ₹ 5.68 करोड़ रुपये राशि का कार्य निष्पादित कर चुका था। निधियो कि कमी के कारण विभाग ने 7.2 किमी सड़क में शेष बिटुमिन्स कार्य छोड़कर ठेकेदार की जोखिम एवं लागत के बिना ठेका फोरक्लोज कर दिया (दिसम्बर 2010)। शेष कार्य ₹ 1.93 करोड़ रुपये (नये एस.ओ.आर. पर आधारित) की संभावित लागत पर अन्य ठेकेदार को वार्षिक अनुरक्षण के निधिकरण के माध्यम से सी.आर.एफ. के अंतर्गत सौंप दिया (फरवरी 2012)। इस प्रकार पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य दिये जाने के विभाग के निर्णय के कारण ₹ 1.73 करोड़ रुपये[37] की अतिरिक्त लागत हुई।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख अभियंता निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2012) के दौरान इस बात पर सहमत हुये कि कार्य के निरस्तीकरण एवं स्वीकृत लागत से अधिक पर सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य को दिये जाने में निविदा आमंत्रण सूचना से पहले पुनरीक्षित शासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिये था।

आगे की कार्यवाही अभी तक अपेक्षित है (फरवरी 2013)।

2.1.10.4 ठेकेदारों से गतिशीलन अग्रिम की वसूली न होना

ठेकेदारों से गतिशीलन अग्रिम की वसूली न होना ₹ 2.14 करोड़

आयटम दर ठेकों हेतु स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के क्लॉज 51 के अनुसार नियोक्ता ठेकेदार को बिना शर्त बैंक गारण्टी के विरूद्ध ठेका राशि के 10 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान करेगा। ठेके की शर्तें एव निबंधनों में आगे व्यवस्था है कि अग्रिम, ठेके के अंतर्गत यंत्री द्वारा प्रमाणित अंतरिम भुगतानों से प्रतिशत कटौती के साथ चुकाया जाएगा। कटौतियां अग्रिम की प्रथम किस्त के भुगतान की दिनांक से छः माह बाद या उस अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के बाद आरंभ होगी जब ठेकेदार को ठेका राशि के 20 प्रतिशत से कम का भुगतान नहीं हुआ हो, जो भी अवधि पहले समाप्त हो।

37

प्रारंभिक कार्य की संभावित लागत ₹ 629.62 लाख
घटाईये निविदा प्रीमियम @7.29 प्रतिशत
कार्य की लागत = ₹ 583.72 लाख
पूर्व में किया गया भुगतान = ₹ 567.68 लाख

शेष कार्य की संभावित लागत = ₹ 193.00 लाख
घटाईये निविदा प्रीमियम @1.8 प्रतिशत
कार्य की लागत = ₹ 189.53 लाख

(अ) पूर्णता के बाद कार्य की लागत = ₹ 567.68 लाख + ₹ 189.53 लाख = ₹ 757.20 लाख
(ब) कार्य की लागत जब संपूर्ण कार्य पूर्व के ठेकेदार द्वारा पूरा किया गया था =₹ 583.72 लाख
(अ) - (ब) = ₹ 173.48 लाख

कटौती सभी अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों की राशि के 20 प्रतिशत की दर से की जायेगी जब तक कि ऋण चुकता न हो जाये। यह भी उपबंधित है कि पूर्णता के लिये मूल समय समाप्त होने से पूर्व ऋण पूर्णतः चुकता हो जाए।

तीन संभागों[38] में तीन सड़क कार्यों की नमूना जांच में हमने अवलोकन किया (दिसंबर 2011 से अगस्त 2012) कि गतिशीलन अग्रिम की ₹ 2.14 करोड़ रुपये की राशि वसूली किये बिना पड़ी थी यद्यपि कार्यों की पूर्णता की निर्धारित अवधि मई 2011 एवं दिसंबर 2011 के मध्य समाप्त हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.14 करोड़ की अदेय सहायता हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में बताया गया है।

प्रमुख सचिव लो.नि.वि. एवं प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2012) बताया कि ठेकेदारों से अग्रिमों की वसूली पूर्व में ही कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गतिशीलन अग्रिम की संपूर्ण राशि ठेकों की शर्तें के अनुसार निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति से पहले वसूल नहीं की गई थी।

2.1.10.5 निष्पादन प्रतिभूति जमा की अनियमित वापसी

₹ 83.42 लाख की प्रतिभूति जमा अनियमित रूप से लौटाई गई ।

अनुबंधों के साथ लगाई गई अतिरिक्त विशेष शर्तें के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा ठेके की शर्तें और निबंधनों के अनुसार ठेके के यथोचित निष्पादन एवं संधारण के लिये ली जाएगी जो चलित देयकों के भुगतान से 10 प्रतिशत कटौती के साथ बयाना राशि जोड़कर होगी। पूर्णता की दिनांक से दो वर्ष बाद ठेकेदार को निष्पादन प्रतिभूति जमा की पचास प्रतिशत राशि वापिस की जायेगी। शेष 50 प्रतिशत पूर्णता दिनांक के तीन वर्ष के बाद ठेकेदार को लौटायी जाएगी।

हमने अवलोकन किया (दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि दोष दायित्व अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) समाप्त होने से पूर्व ₹ 83.42 लाख रुपये की निष्पादन प्रतिभूति जमा ठेकेदारों को वापस लौटा दी गई थी जैसा कि नीचे की तालिका में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.11

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	ठेकेदार का नाम	दोष दायित्व अवधि	वापसी का माह	राशि (लाख ₹ में)
1	शाजापुर	शाजापुर-दुपाड़ा-कनद रोड सीआरएफ के अंतर्गत	121/ 2005-06	मे. टी.आर. त्रेहान	23.02.11 (23.02.08 को कार्य पूर्ण)	मई 2010	48.90
2	ग्वालियर	घाटीगांव-दादा खिरक-भंवरपुरा रोड सीआरएफ के अंतर्गत	04/ 2005-06	मे. तोमर बिल्डर्स	30.08.12 (30.08.09 को अंतिम माप)	मार्च 2010	23.25
3	सागर	भापेल-जैसीनगर रोड सीआरएफ के अंतर्गत	61 डीएल / 2007-08	मे. जितेन्द्र जे. पटेल प्रोजेक्ट लिमिटेड	20.06.13 (26.06.10 को अंतिम भुगतान)	फरवरी 2009	11.27
						योग	**83.42**

[38] छिन्दवाड़ा, गुना एवं शाजापुर।

हमने और आगे अवलोकन किया कि शाजापुर-दुपाड़ा-कनाद सड़क कार्य की ₹ 48.90 लाख रुपये की निष्पादन प्रतिभूतियां वापस कर दी गई थीं यद्यपि कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार से ₹ 44.09 लाख की शुद्ध वसूली योग्य राशि ली जानी थी।

कार्यपालन यंत्री शाजापुर ने बताया (दिसम्बर 2011) कि निष्पादन प्रतिभूति जमा किसी विशेष वसूली के विरूद्ध समाजित नहीं होना था। कार्यपालन यंत्री सागर ने बताया (अप्रैल 2012) की निष्पादन प्रतिभूति जमा पूर्व कार्यपालन यंत्री द्वारा लौटायी गई थी। कार्यपालन यंत्री ग्वालियर ने बताया (मार्च 2012) कि निष्पादन प्रतिभूति जमा नियमों के अनुसार मुक्त की गई थी।

कार्यपालन यंत्रियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि निष्पादन प्रतिभूति जमा ठेके में उल्लिखित दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के पहले ठेकेदारों को वापस कर दी गई थी।

2.1.10.6 प्रतिभूति अग्रिम की अनियमित स्वीकृति

प्रतिभूति अग्रिम की अनियमित स्वीकृति ₹ 1.05 करोड़।

ठेके की शर्तें एवं निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति अग्रिम केवल संबंधित कार्य पर उपयोग के लिये ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई न बिगड़ने वाली सामग्री पर ही दिया जाएगा। अग्रिम का भुगतान इन्वाइस में वर्णित राशि की 75 प्रतिशत दर से किया जायेगा।

दो संभागों में दो सड़कों के अभिलेखों की जांच में हमने अवलोकन किया (फरवरी 2012 से जून 2012) कि ठेकेदारों को 4 मि.मी. मेटल[39] एवं व्ही.जी. 30 (डामर) जैसी बिगड़ने वाली सामग्री पर प्रतिभूति अग्रिम दिया गया था जो तालिका में दर्शाये अनुसार ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई थी।

तालिका 2.12

सड़क का नाम	संभाग	मात्रा/ विवरण	कुल भुगतान किया गया प्रतिभूति अग्रिम (राशि लाख ₹ में)
सीहोर-बिलकिसागंज-भदभदा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	सीहोर	5000 घन मी. (4 मि.मी.मेटल)	25.00
		305.994 मी.टन वी.जी.30	64.26
हाटपिपल्या-टप्पा-सिद्धिकगंज रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	देवास	74.54 मी.टन वी.जी.30	15.93
			105.19

चूंकि उपरोक्त सामग्री बिगड़ने वाली सामग्री की श्रेणी में थी, प्रतिभूति अग्रिम की स्वीकृति अनियमित थी जिससे ठेकेदारों को ₹ 1.05 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया (सितंबर 2012) कि ये मदें बिगड़ने वाली प्रकृति की नहीं थीं।

[39] 4 मि.मी. की गिट्टी रेत की श्रेणी वर्गीकृत है (छन्नी का साइज 4.75 मि.मी.) सामग्री बिगड़ने वाली है।

प्रमुख अभियंता लो.नि.वि का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 4 मिमी मेटल रेत की श्रेणी में आती है और रेत और डामर बिगड़ने वाली प्रकृति के हैं। अतः बिगड़ने वाली सामग्री पर प्रतिभूति अग्रिम की स्वीकृति अनियमित थी।

2.1.10.7 नाबार्ड के अंतर्गत कार्यों की धीमी प्रगति

नाबार्ड योजना अंतर्गत कार्यों की धीमी प्रगति से ₹ 109.54 करोड़ का निष्फल व्यय साथ ही ब्याज के लिये ₹ 20.39 करोड़ का दायित्व भी सृजित हुआ।

नाबार्ड द्वारा ऋण की संस्वीकृतियों की शर्तें निबंधनों के अनुसार एक बार विशिष्ट परियोजना स्वीकृत हो जाने पर ऋण नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सामान्यतः प्रतिपूर्ति आधार पर किस्तों में विमुक्त किये जाते हैं। नाबार्ड द्वारा भुगतान, परियोजना की प्रगति एवं निधियों की उपयोगिता पर निर्भर है। कार्यों के ठेकों की शर्तें एवं निबंधनों में उपबंधित है कि कार्य की पूर्णता हेतु निर्दिष्ट समय ठेके की सारवस्तु होगी। कार्यों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन संभागीय प्राधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता को मानीटरिंग के उद्देश्य से भेजे जाते हैं। संभागीय प्राधिकारियों द्वारा भेजे गये मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता कार्यालय में मासिक आधार पर संकलित किये जाते है। राज्य शासन का वित्त विभाग, प्रलेखीकरण एवं निधियों के आहरण आदि के लिये निरंतर नोडल विभाग रहता है। इसलिये ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत स्वीकृति हेतु परियोजनाओं को वित्त विभाग के माध्यम से भेजना पड़ता है एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में त्रैमासिक रूप से निगरानी की जाती है।

चूंकि कार्य नाबार्ड के माध्यम से किये जा रहे थे उन्हें नाबार्ड ऋण पर ब्याज के अनावश्यक अर्जन को टालने और बसाहटों के लिये अधिकतम लाभ देने के लिये समय पर पूर्ण किया जाना आवश्यक था।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान नाबार्ड ऋण के माध्यम से आरंभ किये गये कार्यों की नमूना जांच के दौरान नवंबर 2011 एवं मई 2012 के मध्य हमने अवलोकन किया कि सात संभागों[40] में 56 कार्यों के संबंध में प्रगति अत्यंत धीमी थी एवं कार्य अपूर्ण पड़े थे। निर्धारित पूर्णता अवधि के तीन से चार गुणा अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी ये कार्य मिट्टी कार्य/जी.एस.बी./डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक ही निष्पादित हुये थे। बिटुमिनस कार्य न तो ठेकेदारों द्वारा आरंभ किये गये थे और न विभाग द्वारा ठेके की शर्तों[41] के रूप में कोई दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। कार्यों की धीमी प्रगति से न केवल ₹ 109.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ किन्तु नाबार्ड को भुगतान योग्य ब्याज के लिये ₹ 20.39 करोड़ का दायित्व भी सृजित हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है। हमने विश्लेषण किया कि कार्यों की धीमी प्रगति के कारणों में से एक मुख्य कारण ठेकों को अकार्य योग्य दरों पर सौंपा जाना था जो प्राक्कलनों से 32.34 प्रतिशत तक कम थी। जहाँ निविदा प्रतिशत प्राक्कलनों से 3.33 प्रतिशत कम थी, कार्य लगभग पूर्ण हो गये थे।

40 ग्वालियर 2, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, शाजापुर, सीहोर एवं विदिशा।

41 ठेकेदारों पर आरोपणीय विलंबों की मात्रा पर आधारित निर्णीत हर्जाने के अधिरोपण के लिये ठेके में उपबंधित क्लॉज 2।

प्रमुख सचिव लो.नि.वि. एवं प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2012) के दौरान बताया कि निधियों की कमी से ये कार्य पीड़ित थे तथा कार्यों की प्रगति सुधारने का आश्वासन दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपूर्ण कार्यों पर नाबार्ड को भुगतान योग्य ब्याज टालने के लिये कार्यों की पूर्णता पर असाधारण विलंब के लिये विभाग द्वारा कोई दाण्डिक कार्यवाही नहीं की गई थी।

2.1.10.8 अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त न करने से ठेकेदार को अदेय लाभ

अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त न करने से ठेकेदार को अदेय लाभ ₹ 2.66 करोड़ ।

ठेका प्रलेखों में बोलीदाता को अनुदेशों के क्लॉज 29.5 एवं 34.1के अनुसार यदि कार्य की लागत के यंत्री के प्राक्कलन के संबंध में सफल बोलीदाता की बोली गंभीर रूप से असंतुलित[42] है, नियोक्ता ठेके के अंतर्गत सफल बोलीदाता की त्रुटि पर वित्तीय हानि से नियोक्ता को बचाने के लिये पर्याप्त स्तर तक निष्पादन प्रतिभूति की राशि मांग सकता है।

ठेके की शर्तें एवं निबंधनों में आगे उपबंधित है कि ठेकेदार को स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर ठेके की राशि के 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि के साथ असंतुलित बोली के लिये प्रतिभूति जमा करना होगी। असंतुलित बोलियों के लिये अतिरिक्त विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 28 दिनों तक रोकी जायेगी।

दो संभागों[43] में तीन सड़क कार्यों के संबंध में हमने देखा (जुलाई 2012 से अगस्त 2012) कि ठेकेदारों ने कुछ मदों की प्राक्कलित दरों के विरूद्ध अनुपातहीन असंतुलित दरें उद्धृत की थी। इसके होते हुये भी विभाग ने ठेकेदार की त्रुटि की दशा में वित्तीय हानि को पूरा करने के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.66 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई जैसा **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. खण्डवा ने उत्तर में बताया (जुलाई 2012 से अगस्त 2012) कि कार्य समय पर पूर्ण होने वाला है। कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. छिंदवाड़ा ने और आगे बताया कि ₹45 लाख रुपये अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में जमा रखे गये है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिये अनुबंधों में निर्धारित सीमा तक असंतुलित मदों के विरूद्ध अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

2.1.11 गुणवत्ता आश्वासन एवं मानीटरिंग प्रणाली

आई.आर.सी.एस.पी.11 के प्रावधानों एवं ठेके के साथ लगाये गये संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार प्रभारी यंत्री का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि निष्पादित किये गये कार्य एवं कार्यों में लगायी गई सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप हो। सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिये विशिष्टयों के अनुसार परीक्षण किये गये हैं एवं

42 गंभीर रूप से असंतुलित बताता है कि कुछ मदो के लिये उद्धृत उस विशेष मद की प्राक्कलित दरों के साथ उस निविदा का प्रतिशत जोड़ने/घटाने के बाद उससे अनुपातहीन उच्च दरें।

43 छिन्दवाड़ा और खण्डवा।

आवश्यक आवृत्ति के साथ संपादित किये गये हैं। यह भी आवश्यक है कि सभी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण एवं अवलोकन क्रमानुसार अभिलिखित हैं एवं सावधानीपूर्वक परिरक्षित हैं।

कमजोर गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानीटरिंग प्रणाली दृष्टांतों पर नीचे चर्चा की गई है।

विशिष्टियों से हीन बिटुमिनस मैकेडम कार्य का निपादन ₹ 17.27 करोड़

2.1.11.1 विशिष्टियों से हीन बिटुमिनस मैकेडम कार्य का निष्पादन



सी.आर.एफ. के अंतर्गत बासोदा-सिरोंज सड़क का दृश्य

एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. की विशिष्टियों में आवश्यक है कि बिटुमिनस मैकेडम (बीएम) को सेमीडेन्स बिटुमिनस कांकरीट (एस. डी.बी.सी.) के वीयरिंग कोर्स से 48 घण्टों के भीतर ढांका जाएगा। यदि इसमें विलंब हो तो इसे सील कोट से ढांका जाएगा जिसे प्रासंगिक भाग के रूप में माना जाएगा एवं ठेकेदार को अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। विशिष्टियों में और आगे आवश्यक है कि एस.डी.बी.सी. को मजबूत बी.एम. कोर्स पर डालना चाहिये।

सात संभागों[44] में 13 सड़क कार्यों में हमने देखा (नवंबर 2011 से जुलाई 2012) कि ₹17.27 करोड़ रुपये की लागत पर 50368.64 घनमीटर में निष्पादित बी.एम. को एस.डी.बी.सी. के अगले वीयरिंग कोर्स से 15 दिनों से एक वर्ष समाप्त होने के बाद ढांका गया था एवं कुछ प्रकरणों में यह वर्षा के मौसम में भी अरक्षित छोड़ दी गई क्योंकि सील कोट भी नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में दर्शाया गया है।

प्रमुख सचिव लो.नि.वि. एवं प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2012) बताया कि बी.एम. और एस.डी.बी.सी. के साथ-साथ निष्पादन में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण बी.एम. को अगले वीयरिंग कोर्स से ढांका नहीं गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.डी.बी.सी. के समय पर निष्पादन में यदि कोई कठिनाई थी तो बी.एम. को ठेकेदार की लागत पर सील कोट से ढांका जा सकता था क्योंकि सील कोट कार्य के लिये प्रासंगिक माना जाता है। यदि बी.एम. वर्षा के मौसम में अरक्षित रहती है तो एस.डी.बी.सी. के निष्पादन से पूर्व टैक-कोट की प्रयुक्ति के बाद भी एस.डी.बी.सी. (वीयरिंग कोर्स) को समयपूर्व सरक जाने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि बी.एम. कोर्स के ऊपर धूल जमा हो जाएगी और उसके कारण बी.एम. और एस.डी.बी.सी. के मध्य बंधन को कमजोर करेगी। हमने और आगे देखा (मई 2012) कि इन विशिष्टियों के प्रतिकूल रीवा संभाग में नाबार्ड के अंतर्गत लालगंज मंगावन सड़क के 38599.28 वर्गमीटर पर एस.डी.बी.सी. को डब्ल्यू.बी.एम. सतह पर बिछाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 45.34 लाख मूल्य का विशिष्टियों से हीन कार्य निष्पादित

[44] अशोक नगर, देवास, गुना, खरगौन, सागर, सतना एवं विदिशा।

हुआ। कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2012) कि कार्य यातायात तीव्रता एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.ओ.आर.टी एण्ड एच. की विशिष्टियों एवं दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

2.1.11.2 कार्यों का अवमानक निष्पादन

➢ *ड्राय लीन कांकरीट का अवमानक निष्पादन*

ड्राय लीन कांकरीट का अवमानक निष्पादन ₹ 49.82 लाख ।

एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. विशिष्टियों के अनुसार लीन कांकरीट में न्यूनतम सीमेंट की मात्रा कांकरीट के प्रति घनमीटर 150 किलोग्राम से कम नहीं होगी तथा ढलायी के सात दिनों पर प्रत्येक निरंतर समूह के पांच क्यूबों की न्यूनतम औसत कम्प्रेसिव स्ट्रेन्स्थ (संपीडित शक्ति) 10 मेगा पासकल (एम.पी.ए.) से कम नहीं हागी। यंत्री किसी दोष के लिये दोष दायित्व अवधि के समाप्त होने से पूर्व ठेकेदार को नोटिस देगा। यह अवधि पूर्णता की दिनांक से आरंभ होती है जैसा ठेका प्रलेखों में परिभाषित है।

हमने देखा (अप्रैल 2012) कि सतना सेमरिया सड़क के अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 के दौरान क्यूब के लिये संपादित किये गये परीक्षण के परिणामों में सात दिनों में 7-8 एम.पी.ए. की हीन औसत कम्प्रेसिव स्ट्रेन्स्थ पाई गई थी। इससे ₹ 49.82 लाख[45] मूल्य के 2930.591 घनमीटर ड्रायलीन कांकरीट का अवमानक निष्पादन निर्दिष्ट हुआ। इससे सड़क कार्यों की समयपूर्व विफलता हो सकती है।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2012) के दौरान बताया कि डी.एल.सी. की आवश्यक शक्ति 28 दिनों में उपलब्ध हो गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच विशिष्टियाँ निर्धारित करती हैं कि सात दिनों में 10 एम.पी.ए. की आवश्यक कम्प्रेसिव शक्ति उपलब्ध होनी चाहिये क्योंकि डी.एल.सी. को 7 दिनों के भीतर अगली कड़ी पट्टी से ढोकना आवयश्क है। क्योंकि परीक्षण परिणामों ने सात दिनों के भीतर हीन औसत शक्ति दर्शायी थी, ठेकेदार को कड़ी पटरी द्वारा डी.एल.सी. को ढांकने के कार्य की अनुमति देना कमजोर मानीटरिंग निर्दिष्ट करता है।

➢ *सीमेंट कांकरीट पटरी का विशिष्टियों से हीन कार्य*

सीमेंट कांकरीट पटरी का विशिटियों से हीन कार्य ₹ 87.36 लाख ।

जहां कहीं सीमेण्ट कांकरीट सड़क बिछायी जानी आवश्यक हो आई.आर.सी. 44 की विशिष्टियों के अनुसार अनुमोदित डिजाइन मिक्स एम.-40 ग्रेड सीमेंट कंकरीट पटरी का निष्पादन किया जाना चाहिये।



सिहोर-बिलकिसगंज-भदभदा सड़क का दृश्य

हमने देखा (फरवरी 2012) कि एम.-40 ग्रेड सीमेण्ट कांकरीट के अनुमोदित डिजाइन मिक्स के अनुसार कांकरीट के प्रति घनमीटर सीमेण्ट की आवश्यकता 424 एवं 427.14 किलोग्राम थी। तथापि, ठेकेदार कांकरीट के प्रतिघनमीटर 400 किलो ग्राम सीमेण्ट उपयोग कर कार्य

[45] ₹ 1700 प्रतिघन मीटर की दर से संगणित।

निष्पादित कर रहे थे। इस प्रकार वहां कांकरीट के प्रति घनमीटर 27.14 किलोग्राम सीमेण्ट का कम उपयोग था इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.36[46] लाख मूल्य पर एम.40 ग्रेड सीमेण्ट कांकरीट की 2239.97 घनमीटर मात्रा का अवमानक निष्पादन हुआ था। इसके अतिरिक्त सीमेण्ट के कम उपयोग पर ₹ 3.16 लाख[47] का अधिक भुगतान भी ठेकेदार से वसूली योग्य था।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सीहोर ने बताया (फरवरी 2012) कि आगे के कार्य के लिये मिक्स डिजाईन अनुमोदित हुआ था जिसमें 400 किलोग्राम सीमेंट प्रति घनमीटर से आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई थी।

कार्यपालन यंत्री का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित मिक्स डिजाइन में कांकरीट के प्रतिघनमीटर 424 किलोग्राम से 427 किलोग्राम सीमेंट आवश्यक था न कि कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया 400 किलोग्राम। इसलिये 400 किलोग्राम प्रति घनमीटर सीमेंट के उपयोग के परिणामस्वरूप अवमानक निष्पादन हुआ था।

➢ ***ग्रेनुलर सब-बेस का अवमानक निष्पादन***

राजमार्ग इंजीनियर्स के लिये आइ.आर.सी. पाकेट बुक के प्रावधान के अनुसार 20 लाख मानक एक्सल (एम.एस.ए.) की यातायात तीव्रता के प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक सी.बी.आर. वाली एवं 2 एम.एस.ए. से अधिक यातायत तीव्रता के प्रकरण में 30 प्रतिशत से अधिक सी.बी.आर. वाली सब-बेस सामग्री उपयोग की जानी चाहिये।

हमने देखा (फरवरी 2012) कि लोक निर्माण विभाग संभाग सीहोर में सीहोर बिलकीसगंज भदभदा सड़क के कार्य के संबंध में यद्यपि इस सड़क पर यातायात तीव्रता 3 एम.एस.ए. से अधिक थी इस सड़क पर उपयोग की गई जी.एस.बी. की सी.बी.आर. 22 प्रतिशत थी। इसके परिणाम स्वरूप जी.एस.बी. का विशिष्टियों से हीन निष्पादन हुआ था। हमने और आगे अवलोकन किया कि विशिष्टियों के विचलन में कार्य के निष्पादन के प्रकरण में उच्च प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग सीहोर ने बताया (फरवरी 2012) कि 30 प्रतिशत से अधिक सी.बी.आर. मान की जी.एस.बी. उपयोग करके कार्य कराये गये थे।

कार्यपालन यंत्री का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.बी.आर. के जांच परिणाम निरूपित करते थे कि कार्य में उपयोग की गई जी.एस.बी. की सी.बी.आर. केवल 22 प्रतिशत की थी।

2.1.12 मानीटरिंग

विभागीय अनुदेशों के अनुसार कार्यक्रम को क्रियान्वयन की परिक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं एवं प्रमुख अभियंता द्वारा मानीटरिंग की जानी आवश्यक थी ताकि लक्ष्यों की उपलब्धि समय के भीतर हो और पूरे आर्थिक लाभों को प्राप्त किया जा सके। सी.आर.एफ. की

46 2239.97 * ₹ 3900 / घनमीटर = ₹ 8735883 ।

47 2239.97 * (427.14 - 400.00) = 60.79 मी.टन सीमेंट @ 5200/मी.टन = ₹ 3.16 लाख।

गाइडलाईन (2007) में दिया गया है कि परियोजना मानीटरिंग, समय एवं लागत आधिक्य को टालने के लिये व्यवस्थित तरीके से नियमित अन्तराल पर की जायेगी।

नाबार्ड ऋण के अंतर्गत परियोजना के निष्पादन हेतु बजट आवंटन किया जाता है। उसके विरूद्ध किये गये व्यय का मासिक आधार पर नाबार्ड से दावा किया जाता है। चुंकि विलबों से राज्य शासन पर अतिरिक्त ब्याज का भार होता है इसलिये समय और लागत आधिक्य को बचाने के लिये कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिये सघन मानीटरिंग आवश्यक है।

वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किये जाने भी आवश्यक हैं ताकि निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सामने कार्यों की प्रगति मानीटर करने के लिये उच्च प्राधिकारी समर्थ हो सकें और इस तरह परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित हो सके।

कार्यों की मानीटरिंग के प्रयोजन हेतु संभागों द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियंत्रण कार्यालयों (मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता) को भेजे जाते हैं।

हमने संभागों द्वारा भेजी जा रही मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से देखा कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन संभागों के बीच एक समान फार्मेट में नहीं है। निर्धारित पूर्णता दिनांक, विलंबों के मामले में कार्यों को पूर्ण करने की संभावित दिनांक, समय वृद्धि की स्वीकृति/अस्वीकृति का तथ्य एवं कार्यों को पूर्ण करने में विलंब के कारण, प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं किये जा रहे है। इस विवरणों के अभाव में कार्य की प्रगति निष्पादन में समस्याओं एवं आवश्यक सुधारात्मक उपायों का पर्याप्त रूप से अधिमूल्यन नहीं हो सकता है। विभाग द्वारा कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। प्रमुख अभियंता द्वारा केवल वास्तविक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संकलित की जा रही थी और त्रैमासिक आधार पर मुख्य सचिव म.प्र. शासन को प्रतिवेदित की जा रही थी कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के अभाव में यदि कोई गिरावट हो, चिन्हित और सुधारी नहीं जा सकती है।

हमने और आगे देखा कि निर्धारित पूर्णता अवधियों के संदर्भ में कार्यों के पूर्ण करने में विलंब थे जैसा कि पूर्वेल्लिखित कण्डिका 10.7 में चर्चा की गई।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. द्वारा निधियों की अनुपातहीन मुक्ति के कारण लम्बाईवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। नाबार्ड के अंतर्गत कार्यों के संबंध में यह बताया गया कि कार्यक्रम निधियों की कमी से पीड़ित था। उन्होंने कार्यों की प्रगति सुधारने का आश्वासन भी दिया था।

उत्तर समाधान कारक नहीं था क्योंकि सामान्यतः सभी तीनों श्रेणियों नामशः सी.आर.एफ., नाबार्ड एवं राज्य बजट में निधियों की बचत थी जैसा कि ऊपर कण्डिका 6 में दर्शाया गया है और कोई भी कार्य निधियों की कमी से पीड़ित नहीं था।

2.1.13 अन्य विषय

2.1.13.1 ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) के बाद मिट्टी कार्य का निष्पादन

विशिष्टियों में निर्धारित है कि सड़क कार्य में गतिविधियों के काल क्रमानुसार मिट्टी कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद जी.एस.बी. कार्य आरंभ किया जाना चाहिये।

हमने नाबार्ड के अंतर्गत "खुरई राजवंश सड़क" के कार्य के संबंध में देखा (अप्रैल 2012) कि मात्रा के बिल में दिये गये 52853.60 घनमीटर मिट्टी कार्य के विरूद्ध 81411 घनमीटर मिट्टी कार्य निष्पादित किया गया था। कुल मात्रा में से 27766 घनमीटर कार्य जी.एस.बी. के निष्पादन के बाद निष्पादित किया गया था। मिट्टी कार्य की 28557.40 घनमीटर मात्रा अनुपूरक सूची के माध्यम से स्वीकृत की गई थी। हमने और आगे देखा कि अनुपूरक सूची के माध्यम से स्वीकृत मिट्टी कार्य की मात्रा संबंधित उपयंत्री को माप पुस्तक जारी होने से पहले की दिनांक में निष्पादित दर्शाते हुये माप पुस्तक[48] में अंकित की गई थी। चूंकि जी.एस.बी. मिट्टी कार्य के बाद निष्पादित होती है ₹ 36.10 लाख[49] मूल्य की 27766 घनमीटर मात्रा का मिट्टी कार्य संदिग्ध प्रकृति का था।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सागर ने बताया (अप्रैल 2012) कि प्रकरण की जांच पड़ताल जारी थी एवं तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.1.13.2 भ्रामक पूर्णता प्रमाण पत्र अनियमित रूप से जारी किया जाना

सी.आर.एफ. की गाइडलाइन के अनुसार कार्य निष्पादन के बाद कार्य पूर्ण होने के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। और आगे, कार्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन होने पर एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. से पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन आवश्यक है।

दो संभागों में सी.आर.एफ. के अंतर्गत दो कार्यों की छानबीन के दौरान हमने अवलोकन किया (अप्रैल 2012 से जून 2012) कि वास्तविक रूप से निष्पादित सड़क कार्यों की लम्बाईयाँ स्वीकृत की गई लंबाईयों से कम थी जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.13

सरल क्र.	सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	सड़क की स्वीकृत लंबाई	कुल व्यय	वास्तविक पूर्ण लंबाई
1	हाटपिपल्या-भौरसा रोड सीआरएफ के अंतर्गत	₹ 445.47 लाख	21.20 कि.मी.	₹ 463.57 लाख	11.00 कि.मी.
2	मयाना-नईसराय रोड सीआरएफ के अंतर्गत	₹ 469.18 लाख	21.00 कि.मी.	₹ 556.09 लाख	19.00 कि.मी.

यद्यपि ये कार्य घटी लंबाई में निष्पादित किये गये थे, विभाग द्वारा इस रिमार्क के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये थे कि उपरोक्त कार्य हर प्रकार से पूर्ण थे। कार्यपालन यंत्री देवास ने बताया (जून 2012) की उच्चतर निविदा प्रीमियम के कारण सड़क केवल 11 किलोमीटर में पूर्ण की गई थी, जबकि कार्यपालन यंत्री गुना द्वारा कोई विशिष्ट

48 माप पुस्तक क्रमांकः 21612

49 27766 घनमीटर मिट्टी कार्य ₹ 130 प्रति घनमीटर की दर से।

उत्तर नहीं दिया गया। कार्यपालन यंत्री देवास का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सड़क की लंबाई 21.20 किलोमीटर से 11 किलोमीटर परिवर्तित होना कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन था जिसके लिये पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन आवश्यक था जिसका पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पूर्णता प्रमाण पत्र में बताया कि कार्य हर प्रकार से पूर्ण है, सही नहीं था।

2.1.13.3 मद के अनियमित प्रतिस्थापन से अधिक भुगतान

महंगी मद द्वारा डब्ल्यू.बी.एम. के अनियमित प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप ₹ 70.46 लाख की अतिरिक्त लागत।

आयटम रेट ठेके के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार, एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. में दी गई विशिष्टियों एवं ड्राइंग्स के अनुरूप निर्दिष्ट अवधि के लिये मात्रा के बिल में वर्णन किये गये संपूर्ण कार्य को निष्पादित करने के लिये बाध्य था।



सी.आर.एफ. के अंतर्गत बासोदा-सिरोंज सड़क का दृश्य

हमने अवलोकन किया (फरवरी 2012) कि सी.आर.एफ. के अंतर्गत "बासौदा सिरोंज सड़क" का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन आयटम रेट ठेके पर ₹ 25.07 करोड़ की सहमत्य लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा गया था (जनवरी 2010)। लागत पुनरीक्षित हो कर ₹ 29.12 करोड़ हो गई थी। ठेकेदार ने निर्धारित पूर्णता अवधि (नवंबर 2011) के अंत तक केवल 47 प्रतिशत कार्य निष्पादित किया था।

कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिये विभाग ने 250 मि.मी में डब्ल्यू.बी.एम. समेकन के स्थान पर 250 मिमी मोटी वेट मिक्स मेकेडम (डब्ल्यू.एम.एम.) का अधिक महंगा विकल्प प्रविष्ट किया था। अधिक महंगी मद द्वारा प्रति स्थापन से 30590 घनमीटर के निष्पादन तक ₹ 70.46 लाख[50] की अतिरिक्त लागत हुई थी। मात्राओं के बिल के अनुसार कुल 67422.50 घनमीटर डब्ल्यू.एम.एम. के निष्पादन पर अतिरिक्त लागत और बढ़कर ₹ 1.54 करोड़ हो जायेगी।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (फरवरी 2012) कि कार्य प्रगति को देखते हुये मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिस्थापन स्वीकृत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विलंब ठेकेदार पर आरोपनीय था और विलंब के कारण कोई भी अतिरिक्त लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त कार्य के क्षेत्र के लिये एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. से अनुमोदन आवश्यक था क्योंकि कार्य का मूल क्षेत्र एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच द्वारा स्वीकृत था।

2.1.13.4 अनियमित व्यय

सी.आर.एफ. के कार्यों के निष्पादन हेतु अगस्त 2010 में एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये दिशा निर्देशों, और एम.ओ.आर.टी. एण्ड

[50] 14 रनिंग बिल तक निष्पादित मात्रा 30590 घनमीटर डब्ल्यू.एम.एम., डब्ल्यू.एम.एम. की दर ₹ 886.031 प्रति घनमीटर डब्ल्यू.बी.एम. की औसत दर ₹ 635.66 प्रति घनमीटर अंतर = ₹ 230.36 प्रति घनमीटर। कुल अदेय लाभ = 30590 * 230.36 = ₹ 7046712 ।

एच. परिपत्र (मई 1984) के अनुसार सड़क फर्नीचर की मद कार्य के क्षेत्र में शामिल करनी चाहिये। स्वीकृत प्राक्कलन के क्षेत्र से परे कोई भी कार्य एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आरंभ नहीं करना चाहिये।

रोड फर्नीचर कार्यों पर अनियमित व्यय ₹ 5.14 करोड़ ।

➢ लोक निर्माण विभाग गुना एवं देवास संभागों में सी.आर.एफ. के अंतर्गत सात सड़क कार्यों[51] में हमने देखा (अप्रैल 2012 से जून 2012) कि ₹ 5.14 करोड़ की रोड मार्किंग, स्पीट बम्प, रोड स्टड, कैट्स आई एवं साइन बोर्ड जैसी मदें[52] एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना खुले बाजार से सीधे क्रय की गई थीं। ये मदें विभाग द्वारा कार्य पर सीधे प्रभारित कर उपयोग की जाना दर्शायी गई थीं। लो.नि.वि. संभाग देवास के अंतर्गत दो सड़क कार्यों[53] में हमने देखा कि यद्यपि रोड फर्नीचर मदें कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित थी एवं ठेकेदार द्वारा निष्पादित भी की गई थी ₹1.06 करोड़ मूल्य का रोड फर्नीचर अन्य सड़क कार्य नामशः राजोदा-केलोद-डबलचौकी से अंतरण प्रविष्टि द्वार इन दो कार्यों पर पुनः प्रभारित किया गया था। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों में एक बार कार्य पर सीधे प्रभारित सामग्री के लिये अंतरण प्रविष्टि अनुमत्य नहीं है। चूंकि उपरोक्त दो कार्यों पर रोड, फर्नीचर पहले ही निष्पादित हो चुका था ₹ 1.06 करोड़ राशि के रोड फर्नीचर को और आगे स्थानांतरित कर काल्पनिक लेखाकरण की संभावना को लेखा परीक्षा में नकारा नहीं जा सकता।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2012) कि रोड फर्नीचर कार्य सी.आर.एफ. की बचत से निष्पादित किये गये थे जो प्रशासकीय अनुमोदन की राशि के भीतर था। प्रमुख सचिव लो.नि.वि. ने अंतरण प्रविष्टि के प्रकरण को देखने का आश्वासन दिया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत प्राक्कलन के क्षेत्र से परे कार्य करने के लिये एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

टुकड़ों में कार्य के माध्यम से ₹ 2.54 करोड़ का अनियमित व्यय ।

➢ ग्वालियर संभाग-2 में तीन सड़क कार्यों में हमने और आगे देखा (मार्च 2012) कि सी.आर.एफ. (₹ 0.66 करोड़) और नाबार्ड (₹ 1.68 करोड़) के अंतर्गत दी गई निधियो में से 2.54 करोड़[54] रुपये विभिन्न टुकड़ों में कार्य के माध्यम से बर्म फिलिंग, वाटर बाउण्ड मेकेडम बिटुमिनस पैच रिपेयर, विशेष मरम्मत, तटबंध का निर्माण आदि पर 2010-12 के दौरान उपयोग किया जाना दर्शाया गया था यद्यपि वन विभाग द्वारा भूमि का क्लीयरेंस न करने से कार्य पूर्व में ही बन्द हो चुका था (जुलाई सितम्बर 2009) ।

51 मयाना नई सराय ₹ 36.88 लाख, अनारद निहालदेवी ₹ 38.95 लाख, बहावरा कोहन हमीरपुर ₹ 32.39 लाख (गुना), पिपलरावा हशखेड़ी-बालोन बिगरोद ₹ 151.45 लाख, हाट पिपलिया भौसारा ₹ 76.53 लाख, हाट पिपलिया- टप्पा-सिद्दीकगंज ₹ 69.45 लाख एवं देवली चौबाराधिरा- इकलहरा- सुरजाना- पिपलरावा ₹ 108.47 लाख ।

52 थर्मो प्लास्टिक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव कम्पाउण्ड के साथ रोड मार्किंग, साइनबोर्ड, स्पीड बम्प्स, रोड स्टड्स, स्थान पहचान मार्कर, एवं केट्स आई।

53 पिपलरवा हशखेड़ी-बालोन बिगरोद एवं देवली- चौबारादेहरा- इकलहरा- सुरजना- पिपलरवा।

54 ग्वालियर संभाग-2 के अंतर्गत घाटीगांव, दादाखिरक, भंवरपुरा, ₹ 65.91 लाख (सी.आर.एफ.), दादाखिरक-टिगरा ₹ 43.22 लाख (नाबार्ड), मकोडा अंतारी- चिम्मक ₹ 144.23 लाख (नाबार्ड)।

इसके अतिरिक्त इन तीन सड़कों पर मरम्मत का कार्य आवश्यक नहीं था क्योंकि कार्य के पूर्ण किये गये भाग निष्पादन गारंटी के अंतर्गत पहले ही कवर्ड थे।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2012) बताया कि राजस्व भूमि के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्रों पर व्यय किया गया था एवं संबंधित अधीक्षण यंत्री को अनुदेश दिये कि मामले के तथ्यों का सत्यापन करें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन भूमि के अंतर्गस्त होने से प्रगतिरत कार्य फोरक्लोज हो चुके थे एवं राजस्व भूमि पर पूर्ण की गई सड़कें निष्पादन गारण्टी अवधि के अंतर्गत कवर्ड थी। इसलिये अनुरक्षण पर और आगे व्यय किया जाना अनियमित था।

2.1.14 निष्कर्ष

केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से आरंभ किये गये कार्यों का निधि प्रबंधन अपूर्ण था एवं वहां निधियों के दुरूपयोग के दृष्टांत थे क्योंकि कार्य के अनुमोदित क्षेत्र के परे कार्य निष्पादित किये गये थे। परियोजनाओं की समय पर पूर्णता एवं कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरिंग के लिये वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त किये बिना कार्य सौंपने एवं सड़क एलाइन्मेंट (संरेक्षण) के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण निष्फल व्यय के दृष्टांत थे। कार्यों का निष्पादन अपूर्ण था क्योंकि प्राक्कलनों की तैयारी और स्वीकृति के दौरान बड़ी संख्या के प्रकरणों में एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच की विशिष्टियों की उपेक्षा की गई थी।

कार्य निविदा आमंत्रित किये बिना दिये गये थे एवं निर्णीत हर्जाने वसूल नहीं किये गये थे यद्यपि विलंब ठेकेदारों पर आरोपणीय थे। नाबार्ड के अंतर्गत असाधारण रूप से अकार्य-योग्य दरों पर निविदायें स्वीकृत करने के परिणाम स्वरूप कार्यों की प्रगति धीमी थी। निर्धारित गतिशीलन अग्रिम ठेकेदारों से समय पर वसूल नहीं किये गये थे।

2.1.15 अनुशंसाएं

- विभिन्न स्तरों पर सावधिक एवं नियमित अंतराल पर कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि अड़चनों को चिन्हित किया जा सके एवं समय पर पूर्णता सुनिश्चित हो सके।
- संबंधित प्राधिकारियों से सभी आवश्यक निर्बाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने के बाद कार्य आरंभ करना चाहिये।
- शासन के हितों की सुरक्षा के लिये ठेकों की समाप्ति/वापसी के प्रकरणों में संविदात्मक प्रावधानों को प्रभावशील करना चाहिये। ठेके में उपबंधित रूप में तथा कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान करना सुनिश्चित करने के लिये ठेका प्रबंधन को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- कार्यों के आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग के लिये एक अच्छी संरचनात्मक प्रणाली का गठन होना चाहिये।

जल संसाधन विभाग

2.2 वैनगंगा कछार में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर थीमेटिक पैराग्राफ

2.2.1 प्रस्तावना

विभाग का वैनगंगा कछार, 2011-12 के अंत तक 778 लघु योजनाओं के माध्यम से 1.62 लाख हेक्टेयर आच्छादित करता है । कछार, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर एवं सिवनी जिलों को आच्छादित करता है एवं इसमें चार अधीक्षण यंत्री (अ.यं.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यपालन यंत्रीयों (का.यं.) की प्रमुखता के 12 जल संसाधन संभाग है । मुख्य अभियंता वैनगंगा कछार, कछार के अंतर्गत कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु उत्तरदायी हैं । अनुभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), जो संभाग के कार्यपालन यंत्री के नियंत्रण के अधीन होते है, नई योजनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं ।



2.2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

थीमेटिक अध्ययन में वैनगंगा कछार की लघु सिंचाई योजनाओं[55] (एम.आई.) के निर्माण एवं संधारण से संबंधित 2007-12 की अवधि के दौरान के लेन देन आच्छादित थे। लेखापरीक्षा के दौरान, लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना एवं निर्माण, सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग एवं लघु सिंचाई योजनाओं की सृजित अधोसंरचनाओं के उपयोग से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की गई । लेखापरीक्षा ने, वैनगंगा कछार के 12 संभागों में से मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं यादृच्छिक रूप से चयन किए गए छह संभागीय

[55] उपरी एवं भूजल सिंचाई योजनाएं जिनका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर (हे) तक हो लघु सिंचाई (एम.आई.) योजनाओं की भाँति वर्गीकृत की जाती हैं ।

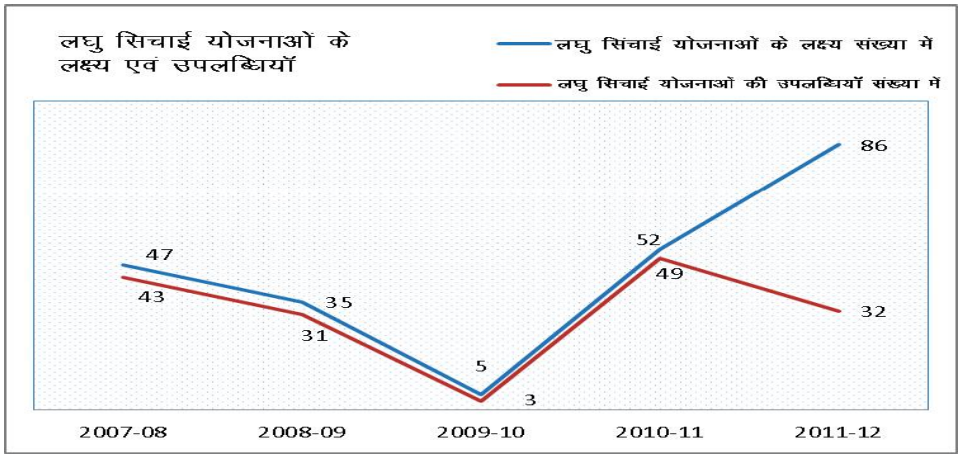
कार्यालयों के अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण दिसम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य किया एवं शेष छह संभागीय कार्यालयों से जानकारी एकत्र की ।

विभाग के कार्यकारियों के साथ आगम सम्मेलन अक्तूबर 2011 में आयोजित किया गया था । लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु प्रमुख सचिव (पी.एस.) के साथ निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2012 में आयोजित किया गया एवं विभाग के उत्तर उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किए गए । प्रमुख अभियंता का उत्तर अक्तूबर 2012 में प्राप्त हुआ था ।

2.2.3 आयोजना

लघु योजनाओं के संदर्भ में आयोजना प्रक्रिया में, सिंचाई किए जाने वाले कमान क्षेत्र की पहचान, परियोजना की साध्यता, शीर्ष कार्य[56] एवं नहर कार्य[57] के लिए स्थल की उपयुक्तता का निर्धारण उन्हें प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्धारण, आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं जल संसाधन विभाग के तकनीकी परिपत्रों के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन हेतु उनके उचित अनुक्रम में सभी चरणों का क्रियान्वयन, निदेशन एवं मॉनीटर करना सम्मिलित है ।

वैनगंगा कछार में, मार्च 2007 तक 127452 हे को आच्छादित करने वाली 620 लघु सिंचाई योजनाएं थीं । विभाग ने ₹ 447.73 करोड़ का व्यय करने के पश्चात 37904 हे की सिंचाई क्षमता के विकास के लिए 225 लघु योजनाओं के लक्ष्य के विरूद्ध 34902 हे की सिंचाई क्षमता के साथ 158 योजनाओं का निर्माण वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान किया । इसप्रकार, अवधि के दौरान लक्ष्यित योजनाओं का 30 प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका था । वैनगंगा कछार में 2011-12 के अंत तक कुल मिलाकर 162354 हे को आच्छादित करने वाली 778 लघु सिंचाई योजनाएं थीं ।



स्रोतः मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

[56] इसमें बाँध, स्लूस एवं रिपिल चैनल इत्यादि का निर्माण सम्मिलित है ।

[57] इसमें नहरों एवं जल नियंत्रक संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है ।

योजनाओं की संख्या के संदर्भ में लघु योजनाओं की पूर्णता के लिए वर्ष वार लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण चार्ट में दिया गया है । वर्ष 2009-10 में मात्र तीन लघु योजनाए पूर्ण की गई थीं । सभी पाँच वर्षों में उपलब्धियां लक्ष्य से कम थीं। योजनाओं के निर्माण की उपलब्धियों में कमी जो 2007-08 में चार (जैसा ऊपर चार्ट में दिया गया है, लक्षित 47, उपलब्धि 43,) से बढ़कर 2011-12 में 54 हो गई थी जो मुख्यतः भूमि का अधिग्रहण न होने, खराब आयोजना, अनुचित सर्वेक्षण एवं प्राक्कलनों के कारण था, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई हैः

2.2.3.1 खराब आयोजना के कारण लघु योजनाओं के कमान क्षेत्र का अतिव्यापन

लघु योजनाओं के निर्माण में खराब आयोजना के परिणामस्वरूप कमान क्षेत्र का अतिव्यापन हुआ

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्लू.डी.) नियमावली की कंडिका 2.007 एवं 7.008 के अनुसार, सर्वेक्षण एवं संरेखण के पूर्ण होने के पश्चात एवं कार्यपालन यंत्री के अनुमोदन के पश्चात विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं । गेज एवं डिस्चार्ज, वर्षा, मौसम विज्ञान विषयक आँकड़े, डूब एवं कमान क्षेत्र गाँवों के कृषि संबंधी आँकड़ों के विवरण इत्यादि प्राप्त करने के पश्चात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए अनुभागीय अधिकारी उत्तरदायी हैं । अनुचित सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कारण लघु योजनाओं के कमान क्षेत्र में होने वाले अतिव्यापन होने वाली दृष्तांतों की चर्चा नीचे की गई है;

- कटनी संभाग में, 105 हे की सिंचाई करने हेतु परिकल्पित भैंसवाही लघु सिंचाई योजना के निर्माण का कार्य जनवरी 2009 में ₹ 88.38 लाख की लागत पर प्रारंभ किया गया । कार्य के क्षेत्र में मिट्टी बांध, पडल की खुदाई एवं भराई, फिल्टर ब्लेंकेट, रॉक टो, सीपेज नाली, चिपिंग एवं पिचिंग, घास उगाना, हेड स्लूस, एप्रोच नहर की खुदाई एवं स्पिल नहर, वेस्ट वियर एवं फाल का निर्माण करना सम्मिलित था । ठेकेदार ने नाला बंधान एवं स्लूस के लिए लम्बाई को छोड़कर सम्पूर्ण लम्बाई में मिट्टी बांध के लिए मिट्टी कार्य का कार्यान्वयन किया (नवम्बर 2010) । इसके बाद कार्य रोक दिया गया क्योंकि योजना का कमान क्षेत्र का बरगी बाँध की दाँयी तट नहर के कमान क्षेत्र से अतिव्यापन हो रहा था। कार्य पर फरवरी 2012 तक ₹ 36.26 लाख का व्यय किया गया था ।

 लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि योजना के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद एवं शीर्ष कार्य के जनवरी 2009 में सौंपे जाने के बाद भी बरगी नहर के कमान क्षेत्र का अतिव्यापन की जानकारी नहीं थी, इसे केवल भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों को तैयार करने के दौरान अवलोकित किया गया । आगे यह बताया गया कि लघु योजनाएं बहुधा वृहद योजनाओं के कमान क्षेत्र में आ जाती है एवं लघु योजनाओं के लिए निर्मित संरचनाओं का उपयोग अन्य कार्यों हेतु किया जाएगा ।

 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बरगी व्यपवर्तन परियोजना 2001 से लगातार चल रही थी एवं कमान क्षेत्र के अतिव्यापन की पहचान नहर के लिए संरेखण सर्वेक्षण के दौरान की जा सकती थी । इस प्रकार, शासन के दो विभागों के

मध्य समन्वय के अभाव के कारण सर्वेक्षण एवं निर्माण पर ₹ 36.26 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ ।

- सिवनी संभाग में 252.94 हे क्षेत्र की सिंचाई हेतु परिकल्पित बोथिया लघु सिंचाई योजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया (नवम्बर 2008)। मार्च 2012 तक शीर्ष कार्य का 80 प्रतिशत पूर्ण हुआ था एवं नहर कार्य की कोई प्रगति प्रतिवेदित नहीं हुई थी । आगे, नहर प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.) को अगस्त 2010 में भेजा गया था । 2011-12 तक ₹ 2.58 करोड़ का व्यय किया गया था ।

 हमने देखा (अप्रैल 2012) कि बोथिया लघु सिंचाई योजना के कमान क्षेत्र का एक भाग पेंच व्यपवर्तन परियोजना, जो जल संसाधन विभाग द्वारा 1987-88 में प्रारंभ की गई एक वृहद परियोजना थी, के कमान क्षेत्र के अंतर्गत आ गया । विभाग ने परियोजना की लागत को कम करने के लिए या नया कमान क्षेत्र आच्छादित करने हेतु कमान क्षेत्र को कम करने/ बदलने के लिए कोई पहल नहीं की। आगे, कार्य के अनुबंध को ठेकेदार की धीमी प्रगति के कारण 2011-12 में रद्द किया गया । इसप्रकार, ₹2.58 करोड़ का व्यय निष्फल रहा (अक्तूबर 2012)।

 प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि योजना पेंच व्यपवर्तन योजना के अंतिम छोर पर स्थित थी एवं योजना का आंशिक कमान पेंच व्यपवर्तन योजना के कमान से प्रभावित था इसलिए योजना को पूर्ण करने का निश्चय किया गया।

 उत्तर पुष्टि करता है कि संभाग अवगत था कि कमान क्षेत्र के भाग का अतिव्यापन हो रहा था किन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई ।

 प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने निर्गम सम्मेलन में बताया (सितम्बर 2012) कि वृहद योजनाओं के कार्य ने सामान्यतः लघु सिंचाई योजनाओं के कमान क्षेत्र को आच्छादित किया एवं जोर दिया कि लघु सिंचाई योजनाएं, वृहद योजनाओं के पूर्ण होने के बाद भी उपयोगी होंगी एवं अतिरिक्त फसल के लिए सिंचाई को बढ़ाएगी । आगे यह कहा गया कि वृहद परियोजनाओं की पूर्णता अवधि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पर्यावरण संबंधी अनापत्तियों के कारण अधिक होती है ।

 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कमान क्षेत्र का अतिव्यापन नहर के संरेखण सर्वेक्षण के समय पहचाना जा सकता था एवं विभाग द्वारा कमान के अतिव्यापन को टालने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती थी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ ।

2.2.3.2 रूपांकन, सर्वेक्षण इत्यादि की खराब आयोजना के कारण निष्फल व्यय

लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण में खराब आयोजना के कारण ₹ 5.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 7.002 एवं 7.003 में प्रावधानित है कि मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन[58] कार्यपालन यंत्री एवं एस.डी.ओ. द्वारा प्रारंभ किए जाएंगे। सर्वेक्षण एवं अन्वेषण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (ए.ए.) प्राप्त होने के पश्चात, सर्वेक्षण प्राक्कलनों के लिए तकनीकी स्वीकृति, इसे स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी एवं इसके पश्चात परियोजना के लिए विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ होगा । फरवरी 2006 में जारी तकनीकी परिपत्र (क्र. 53) में निर्धारित है कि परियोजना की सामान्य साध्यता, जिसमें पर्याप्त रूप से अप्रवेश्य (इम्परवियस) बांध स्थल को सुनिश्चित करना सम्मिलित था, को सुनिश्चित किए बिना परियोजना कार्यपालन यंत्री के स्तर से ऊपर प्रस्तुत नहीं की जाएगी ।

तीन संभागों में हमने देखा (दिसम्बर 2011 से मई 2012) कि रूपांकन सर्वेक्षण इत्यादि की खराब आयोजना के कारण सिंचाई करने हेतु 607.46 हे को आच्छादित कर रही पाँच लघु सिंचाई योजनाएं, ₹ 5.89 करोड़ के व्यय के बड़े पैमाने पर निष्फल रहते हुए, जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** में विवरण दिया गया है अकार्यशील थीं । योजनाओं की आयोजना में विफलता मुख्यतः

- तालाब बेसिन में पानी का न रूकने में
- जलग्रहण क्षेत्र की त्रुटिपूर्ण पहचान के कारण योजना को बंद करने में
- अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण नहर प्रणाली के बिना कार्यों का कार्यान्वयन करने में एवं
- भूमि स्वामियों द्वारा अवरोधों की पहचान न किए जाने के कारण कार्यों के कार्यान्वयन में अवरोधों में

परिणीत हुए ।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि भूतकनीकी अन्वेषण केवल मध्यम एवं वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए किए गए थे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी परिपत्र के संदर्भ में भूतकनीकी अन्वेषण आवश्यक थे । आगे, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 7.02 के अनुसार लघु परियोजना की दशा में अभियांत्रिकी भूविज्ञानी के साथ परामर्श करके बांध की नींव/ स्पिल चैनल की स्थिति निश्चित करना आवश्यक था । इसप्रकार खराब आयोजना के परिणामस्वरूप ₹ 5.89 करोड़ का निवेश बड़े पैमाने पर निष्फल रहा ।

2.2.3.3 भूमि के अधिग्रहण हेतु आयोजना

भूमि का अधिग्रहण न होने से ₹16.89 करोड़ का व्यय निष्फल होते हुए लघु सिंचाई योजनाएं अपूर्ण थीं।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.104 के नीचे नोट 3 के अनुसार किसी कार्य को सौंपने से पूर्व कार्य के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए । इसप्रकार किसी सिंचाई परियोजना के निर्माण प्रारंभ किए जाने के पूर्व भूमि की उपलब्धता प्रथम पूर्वापेक्षा है ।

[58] प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण द्वारा योजना की साध्यता का निर्धारण करने के लिए प्रतिवेदन

नमूना जाँच किए गए छह संभागों में हमने देखा (दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण, 3057.41 हे की लक्षित सिंचाई को आच्छादित करने वाली 13 लघु सिंचाई योजनाएं 16.89 करोड़ के निष्फल व्यय के साथ अपूर्ण पड़ी थीं जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में विवरण दिया गया है । कार्यान्वयन में विलंब मुख्यतः आयोजना एवं भूमि के अधिग्रहण के लिए समय अनुसूची को तैयार न करने के कारण थे ।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने निर्गम सम्मेलन में स्वीकार किया (सितम्बर 2012) कि भूमि के अधिग्रहण में विलंब थे एवं बताया कि निरंतर निगरानी तथा जिलाध्यक्षों के साथ संवाद द्वारा समस्या का अधिकांश सीमा तक समाधान किया जा चुका है । उन्होंने आगे बताया कि विभाग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अधिसूचना के पश्चात भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतान करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है एवं बाद में किसी बाधा को टालने के लिए, मुआवजे के भुगतान के 15 दिवसों के भीतर अधिग्रहित भूमि का जल संसाधन विभाग के पक्ष में नामान्तरण करने हेतु राजस्व प्राधिकारियों से अनुरोध किया जा रहा है।

तथ्य यद्यपि वही रहता है कि योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित करने से पहले कार्य प्रारंभ करने के कारण ₹ 16.89 करोड़ का निवेश निष्फल हुआ ।

2.2.4 बजट आवंटन एवं व्यय

शासन, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 4702- लघु सिंचाई योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजना) के लेखा शीर्ष के अंतर्गत निधियां प्रावधानित करता है । वित्त विभाग, इस शीर्ष के अधीन विभाग को निधियां विमोचित करता है । निधियां आगे कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संभागीय कार्यालयों को वितरित की जाती है । वैनगंगा कछार में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय निम्न तालिका दिया गया हैः

तालिका 2.14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य (प्रतिशत में)
2007-08	107.53	100.87	6.66 (6.19)
2008-09	117.35	112.51	४.८४ (४.१२)
2009-10	72.25	69.97	2.28 (3.15)
२०१०-११	७०.५५	७०.४७	०.०८ (०.११)
2011-12	94.14	93.91	0.23 (0.24)
महा योग	**461.82**	**447.73**	**14.09**

स्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 2007-12 के दौरान बचतें मात्र 0.11 प्रतिशत से 6.19 प्रतिशत तक थीं ।

2.2.5 कार्यान्वयन

2.2.5.1 प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय

26 लघु सिंचाई योजनाओं में प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक ₹ 29.34 करोड़ का व्यय किया गया

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.005 के अनुसार, जब अनुमोदित राशि के 10 प्रतिशत से व्यय अधिक होता हो या होने की संभावना हो तो सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए । आगे, कंडिका 2.120 के नीचे नोट 3 (बी) के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन की राशि, व्यय की स्वीकृति में सम्मिलित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

नमूना जाँच किए गए पाँच संभागों[59] के अभिलेखों की में हमने देखा (फरवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि 26 लघु सिंचाई योजनाओं पर ₹ 29.34 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय किया गया था क्योंकि ₹ 47.33 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन के विरूद्ध वास्तव में ₹ 76.67 करोड़ का व्यय किया गया था । प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय की सीमा 11.36 प्रतिशत एवं 267.32 प्रतिशत के मध्य थी जैसा **परिशिष्ट 2.17** में विवरण दिया गया है । यद्यपि व्यय प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक हुआ था तथापि पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि मूल्य वृद्धि एवं बढ़ी हुई भूमि अधिग्रहण की लागत के कारण प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय था एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन का जारी करना प्रक्रियाधीन था। उन्होंने आगे बताया कि प्रणाली परिष्कृत की जा चुकी है एवं कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन, योजना की साध्यता का परीक्षण करने, विस्तृत सर्वेक्षण, तकनीकी स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरण तैयार करने के बाद दिया जा रहा था ।

तथ्य वहीं रहता है कि प्रशासनिक अनुमोदन के 10 प्रतिशत से अधिक व्यय करने से पहले पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे ।

- हमने आगे देखा कि डिंडोरी की दो लघु सिंचाई योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक, परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) चार से पाँच वर्षों के विलंब से प्रदान की गई थी, जैसा निम्न तालिका में विवरण दिया गया हैः

तालिका 2.15

परियोजना का नाम	सी.सी.ए. हे में	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि करोड़ में एवं दिनांक	तकनीकी स्वीकृति की राशि करोड़ में एवं दिनांक	अधिक तकनीकी स्वीकृति करोड़ में	विलंब वर्षों में
बिलाईखार तालाब लघु सिंचाई योजना	105.26	1.03 करोड़ 31 अगस्त 2004	1.35 करोड़ 13 अगस्त 2008	0.32	4 वर्ष
सिलघटी तालाब लघु सिंचाई योजना	165.92	1.37 करोड़ 31 अगस्त 2004	2.44 करोड़ 1 दिसम्बर 2009	1.06	5 वर्ष
कुल	**271.18**			**1.38**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संभागीय अधिकारी द्वारा यद्यपि तकनीकी स्वीकृति पहले ही प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक प्रदान की गई थी पुनरीक्षित प्रशासनिक

[59] डिंडोरीः 16.61 करोड़ (08 लघु सिंचाई योजनाएं), नरसिंहपुरः 1.94 करोड़ (05 लघु सिंचाई योजनाएं), हिरन जबलपुरः 1.89 करोड़ (04 लघु सिंचाई योजनाएं), कटनीः 3.89 करोड़ (04 लघु सिंचाई योजनाएं), सिवनीः 3.54 करोड़ (05 लघु सिंचाई योजनाएं)

अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे । बिलाईखार एवं सिलघटी लघु सिंचाई योजनाओं पर क्रमशः ₹ 2.36 करोड़ एवं ₹ 2.26 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी थी (मार्च 2012) जो प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति से अधिक थी ।

- ऊपर उल्लिखित दो योजनाओं सहित डिंडोरी एवं जबलपुर की चार लघु सिंचाई योजनाओं में हमने आगे देखा कि तकनीकी स्वीकृतियाँ भी अवास्तविक थीं क्योंकि ठेकेदारों द्वारा प्राक्कलित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्राएँ निष्पादित की गईं थीं तदनुसार उन्हें भुगतान भी किया गया जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.16

परियोजना का नाम	अधिक मात्राओं की कार्य की मदें	बिना अनुमोदन के ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (₹लाख में)	मात्राओं में वृद्धि प्रतिशत में
बिलाईखार तालाब लघु सिंचाई योजना	दो मदें	3.67	19 से 34 प्रतिशत[60]
सिलघटी तालाब लघु सिंचाई योजना	पाँच मदें	34.34	55.90 से 156.65 प्रतिशत[61]
दनदनानाला तालाब लघु सिंचाई योजना	चार मदें	289.34	27.89 से 213.14 प्रतिशत[62]
मरहापाठा तालाब लघु सिंचाई योजना	एक मद	3.90	349.71 प्रतिशत [63]
कुल		**₹ 331.25**	

कार्यपालन यंत्री डिंडोरी ने बताया (फरवरी 2012) कि अधिक मात्राओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए थे । कार्यपालन यंत्री जबलपुर ने बताया (अप्रैल 2012) कि कार्य स्थल की स्थिति एवं स्ट्राटा की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही अधिक मात्राएं कार्यान्वित एवं भुगतान की जानी चाहिए थीं ।

इसप्रकार, कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक तकनीकी स्वीकृति के परिणामस्वरूप मात्राओं की अनुसूची में अधिक मात्राओं का प्रावधान हुआ एवं उसके पश्चात कार्य के निष्पादन में प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय हुआ ।

- अनुबंध की शर्तों में, यदि एक मद की कार्यान्वित मात्रा प्राक्कलित मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ती तो प्राक्कलित दर धन या ऋण सकल निविदा प्रतिशत की दर से भुगतान का प्रावधान था ।

 सिवनी संभाग में अप्रैल 2007 में प्रारम्भ किए गए गोरखपुर तालाब के कार्य में, अनुबंध के पदों में ₹ 150 प्रति घनमीटर की दर से रॉक टो की मात्रा 2465.35

60 मिट्टीकार्य 19 प्रतिशत, अनकोर्स्ड रबल मेसनरी 34 प्रतिशत

61 मिट्टीकार्य 55.90 प्रतिशत, फिल्टर ब्लैंकेट 70.84 प्रतिशत एवं खुदाई 156.65 प्रतिशत

62 मिट्टीकार्य 27.89 प्रतिशत, स्टोन पिचिंग 93.50 प्रतिशत, पडल भराई 107.96 प्रतिशत एवं खुदाई 213.14 प्रतिशत

63 डी.आर. एवं एस.आर. में खुदाई

घनमीटर थी जबकि इस प्राक्कलन के अनुसार इस मद की दर ₹ 331.41 प्रति घनमीटर थी । बाद में मात्रा 4700.50 घनमीटर तक बढ़ गई । मात्राओं में वृद्धि के कारण विभाग को 1990.52 घनमीटर की अधिक मात्रा के लिए ₹ 331.45 प्रति घनमीटर की उच्चतर प्राक्कलित दर पर भुगतान करना था । ₹ 3.61 लाख के अतिरिक्त व्यय को कार्य की मद के सही प्राक्कलन से टाला जा सकता था ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि अतिरिक्त मात्राओं का भुगतान मुख्य अभियंता की स्वीकृति से एवं अनुबंध के अनुसार किया गया था । उत्तर, अतिरिक्त मात्राओं के लिए उच्चतर दरों पर भुगतान त्रुटिपूर्ण प्राक्कलनों के कारण आवश्यक हो गया था, की पुष्टि करता है ।

2.2.5.2 ठेकेदारों द्वारा निष्पादन प्रतिभूति का जमा न किया जाना

अनुबंध से गारंटी शर्त को अनियमित रूप से निकाल कर ₹ 3.72 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 2.14 (शर्त 1), ठेके की शर्तें, के अनुसार व्यक्ति जिसकी निविदा स्वीकार की गई है, बयाना जमा (अर्नेस्ट मनी) के साथ प्रतिभूति, नकद या शासकीय प्रतिभूतियों के रूप में जमा करेगा एवं प्रतिभूति में कमी की राशि को कार्य की प्राक्कलित लागत के 10 प्रतिशत से अनधिक प्रतिभूति की कुल राशि को पूर्ण करने के लिए, उसके चल देयकों से वसूल किया जाएगा ।

आगे, शासन के आदेश (मई 2003) के अनुसार, व्यक्ति जिसकी निविदा स्वीकार की गई हो, उसकी बोली के स्वीकरण पत्र की तिथी से 30 दिवसों के भीतर या अनुबंध करने से पहले, ठेका मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर प्रारंभिक प्रतिभूति जमा (निष्पादन प्रतिभूति जमा) देगा जिसमें बयाना जमा की राशि भी सम्मिलित होगी । उपरोक्त प्रारंभिक प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त प्रत्येक देयक के कुल मूल्य का पाँच प्रतिशत के बराबर चल देयक से कटौती की जाएगी । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश वित्तीय संहित भाग-।। के नियम 21 के पदों मे, अनुबंध की शर्तें, वित्त विभाग की सहमति के बिना बदली नहीं जानी चाहिए ।

हमने देखा (दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि ठेकेदारों द्वारा इस संबंध में आवेदन के प्रस्तुत करने पर जून 2006 में, प्रमुख अभियंता की प्रमुखता वाली समिति द्वारा पाँच प्रतिशत प्रतिभूति जमा की शर्त को निकालने का निर्णय लिया गया । विभाग ने छह संभागों[64] के 50 अनुबंधों में ₹ 3.72 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में विवरण दिया गया है । हमने यह भी देखा कि पाँच प्रतिशत प्रतिभूति जमा की शर्त मार्च 2011 से पुनः आरम्भ की गई थी । प्रमुख अभियंता स्तर से वित्त विभाग की सहमति के बिना, पाँच प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति की शर्त को विलोपित करने की कार्रवाई अनियमित थी एवं इससे ठेकेदारों को ₹ 3.72 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता हुई । इसके अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन सुरक्षित नहीं था जिसकी कंडिका 2.2.5.6 में चर्चा की गई है ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि ठेकेदारों ने ठेके के निबंधनों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए दरें उद्धृत की थीं एवं

[64] ज.सं.सं. छिंदवाड़ाः (7 अनुबंध), ज.सं.सं. डिंडोरीः (12 अनुबंध), ज.सं.सं. हिरन जबलपुरः (6 अनुबंध), ज.सं.सं. कटनी (8 अनुबंध), ज.सं.स. नरसिंहपुर (8 अनुबंध), ज.सं.सं. सिवनी (9 अनुबंध)

निष्पादन प्रतिभूति की कटौती का प्रभाव उनके उद्धृत मूल्य पर पड़ता इसलिए यह कोई हानि नहीं थी । उन्होंने आगे बताया कि निविदा प्रक्रिया का उद्देश्य, कार्यों को किफायती तरीके से कार्यान्वित करना था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधानों के पदों में विभाग को, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना, ठेका दस्तावेज में किसी बदलाव के लिए शक्तियां नहीं थी एवं विभाग ने कोई साक्ष्य नहीं दिए कि निविदा शर्तों में परिवर्तन से विभाग ने कार्यों के कार्यान्वयन में मितव्ययिता बरती थी ।

2.2.5.3 असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का न काटा जाना

असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के ₹ 3.87 करोड़ वसूली नहीं किए गए थे ।

अनुबंधों की मानक शर्त 3.28 के अनुसार, अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी समझता है कि निविदाकार ने जब ऐसी मदों की प्राक्कलित दर की तुलना में कुछ मदों के लिए असंगत ढंग से अधिक दरें उद्धृत की हो तो निविदा असंतुलित समझी जाती है एवं उसे ऐसी मदों के भुगतान को, उस मद की प्राक्कलित दर धन या ऋण निविदा प्रतिशत अधिक/कम यथास्थिति सीमित करने की शक्ति होगी । ऐसी रोकी गई राशि प्रभारी अभियंता द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा जमा की भाँति रखी जाएगी । यदि ठेकेदार किसी कारण से कार्य को अपूर्ण छोड़ता है तो इसप्रकार काटी गई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा शासन को जब्त होगी ।

पाँच संभागों[65] में हमने देखा (दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि संभागीय अधिकारियों ने 13 चल रहे कार्यों में, कार्य की मदों की असंतुलित दरों के कारण ₹ 3.87 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की राशि वसूल नहीं की जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में विवरण दिया गया है । कार्यों की असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की राशि को न रोका जाना अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत था ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने बताया (सितम्बर 2012) इस बारे में विभाग ने सुधारात्मक उपाय प्रारंभ किए थे एवं निविदाएं प्रतिशत दर आधार पर आमंत्रित की जा रहीं थी ।

2.2.5.4 उद्वहन सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर निष्फल व्यय

अपूर्ण एवं अकार्यशील होने के कारण उद्वहन सिंचाई योजनाओं पर ₹ 6.68 करोड़ का व्यय निष्फल रहा ।

जहाँ पर गुरूत्वीय नहरों के माध्यम से सिंचाई संभव न हो वहाँ पर उद्वहन सिंचाई योजनाएं (एल.आई.एस.) निर्मित की जाती हैं । योजना की साध्यता सर्वेक्षण कार्य और उसके निर्माण एवं संधारण के लिए समस्त व्यय का विचार करते हुए संभावित लागत के लिए प्राक्कलन तैयार कर पता लगाई जाती है। जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए विद्युत कनेक्शन लाभान्वित होने वाले कृषकों द्वारा लिया जाना था । कछार में कुल 44 उद्वहन योजनाएं थी जिनमें से छह संभागों में 18 उद्वहन सिंचाई योजनाओं का परीक्षण किया गया । चार उद्वहन सिंचाई योजनाओं के अधूरे कार्यान्वयन एवं पूर्ण उद्वहन सिंचाई योजनाओं के छोड़े जाने के दृष्टांतों का विवरण नीचे दिया गया है;

[65] छिंदवाड़ा, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर एवं सिवनी

तालिका 2.17

संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम, आई. पी. हे में	पूर्णता एवं व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ लेखापरीक्षा की अगली टिप्पणी
कटनी	चपना एल.आई.एस. 858 हे	निर्माणाधीन ₹ 4.50 करोड़	द्वितीय पंप हाउस के व्हेक्यूम पंप को दिसम्बर 2007 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था । इसके बाद विभाग के निर्देशों के अनुसार एल.आई.एस. का कार्य रोक दिया गया एवं ₹ 4.50 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल रहा ।	शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, जल उपयोगकर्ताओं द्वारा सहकारिता के आधार पर योजना को चलाने के लिए स्वीकृति दिए जाने तक उद्वहन सिंचाई योजनाओं के सभी कार्यों को रोका जाना था । आगे यह बताया गया कि जहाँ पर किसान पंजीकृत सोसायटी बनाने एवं विद्युत कनेक्शन लेने के लिए राजी नहीं थे, गत दो वर्षों से कोई आवंटन जारी नहीं किया जा रहा था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रारंभ करने से पूर्व योजना की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए था ।
जल संसाधन संभाग हिरन, जबलपुर	काटव एवं शाहगढ़ एल.आई.एस. 202 हे एवं 466 हे	2010 ₹13.00 लाख एवं ₹1.20 करोड़	इन पूर्ण हुई एल.आई.एस. से वर्ष 2011-12 के दौरान कोई सिंचाई प्रतिवेदित नहीं हुई थी, योजनाओं पर ₹1.33 करोड़ व्यय निष्फल रहा ।	काटव एवं शाहगढ़ एल.आई.एस. की रूपांकित सिंचाई प्राप्त नहीं की जा सकी क्योंकि विद्युत देयकों का भुगतान न होने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए गए थे । इन एल.आई.एस. से 2011-12 के दौरान कोई सिंचाई नहीं की गई । उत्तर सूचक है कि विद्युत के लिए निधियों का तालमेल नही किया गया था ।
जल संसाधन संभाग हिरन, जबलपुर	सुकरी एल.आई.एस. 241.40 हे	निर्माणाधीन ₹ 85.37 लाख	किसानों की समिति एल.आई.एस. को चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन लेने में असमर्थ थी । जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, लाभान्वित किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन लिए जाने के बाद ही शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए आवंटन दिया जाना था। मुख्य अभियंता ने जनवरी 2009	किसानों की समिति के सदस्यों एवं अन्य किसानों से संपर्क कर समस्या को हल करने के प्रयास किए जा रहे थे ।

संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम, आई. पी. हे में	पूर्णता एवं व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ लेखापरीक्षा की अगली टिप्पणी
			में विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने, राजस्व विभाग को भूमि स्थानांतरित करने एवं मशीनरी को स्टोर में रखने के आदेश दिए । इस प्रकार ₹ 85.37 लाख का व्यय निष्फल हुआ था।	

आगे प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि संचालन एवं संधारण पर अधिक व्यय तथा योजनाओं के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता न होने के कारण इन योजनाओं के लिए शासन स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विचार किया जा रहा है । किसानों की समिति बनने एवं उनके द्वारा संचालन की जिम्मेदारी लेने के बाद ही कार्य पूर्ण किए जाएंगे ।

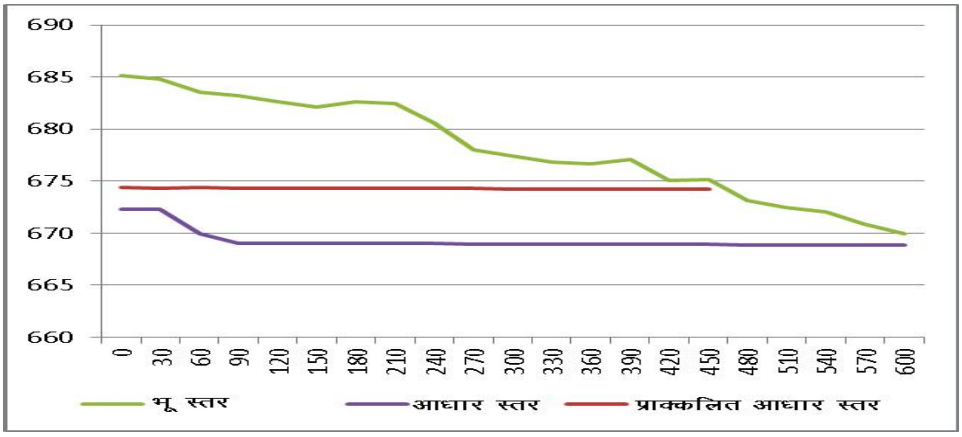
उत्तर पुष्टि करता है कि योजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व योजनाओं की साध्यता का पता नहीं लगाया गया था इसप्रकार यह विवेकहीन व्यय में परिणीत हुआ ।

2.2.5.5 स्पिल चैनल के निर्माण में परिहार्य व्यय

स्पिल चैनल में मितव्ययी व्यवस्था का अनुपालन न किए जाने के कारण ₹ 2.32 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।

दनदनानाला तालाब लघु सिंचाई योजना के कार्य के लिए फरवरी 2008 में किए गए अनुबंध में पडल ट्रेन्च, कट ऑफ ट्रेन्च, बोल्डर टो, फिल्टर, स्लूस, वेस्ट वियर, निर्गम नालियाँ, एप्रोच एवं स्पिल चैनल के लिए सभी प्रकार की विघटित चट्टान, मृदु चट्टान (डी.आर./एस.आर.) में 184723.43 घनमीटर खुदाई के लिए एक प्रावधान था । इसमें से डी.आर. एवं एस.आर. के 171327.57 घनमीटर स्पिल चैनल[66] के लिए प्रावधानित किए गए थे जो डी.आर./एस.आर. की कुल खुदाई का 92.75 प्रतिशत होता था ।

प्राक्कलित खुदाई के संदर्भ में कार्यान्वित स्तरों को दर्शाने वाला ग्राफ



66 बांध में विशिष्ट स्तर से अधिक स्तर के बढ़ने से रोकने के लिए पानी को छोड़ने के लिए स्पिल चैनल या स्पिल वे प्रावधानित किए जाते हैं । यह अपस्ट्रीम में अवांछित डूब या फलस्वरूप ऊपर से छलकने एवं बांध की संभाव्य विफलता का टालता है (ज.सं.वि.तकनीकी आदेश क्र. 28)

हमने देखा (फरवरी 2012) कि डी.आर. एवं एस.आर. में खुदाई की मात्रा 5,78,445.02 घनमीटर तक बढ़ी थीं जिसके लिए ठेकेदार को ₹ 3.84 करोड़ का भुगतान किया गया था । स्पिल चैनल में डी.आर./एस.आर. की अधिक खुदाई के लिए तकनीकी स्वीकृति के संदर्भ में आधार चौड़ाई एवं लम्बाई में वृद्धि जैसे कारणों का उल्लेख करते हुए अधिक मात्राओं के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव, मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, सिवनी को भेजा गया (नवम्बर 2009) । मुख्य अभियंता ने देखा (नवम्बर 2009) कि कार्य का कार्यान्वयन पुनरीक्षित ड्राईंग के अनुमोदन के बिना एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार नहीं था । अधिक मात्राओं की स्वीकृति अब तक प्रतीक्षित थी (फरवरी 2012)। जैसा कि रूपांकन में परिकल्पित था स्पिल चैनल के आधार तल को 450 मी की दूरी (आर.डी.) पर मिलना था । यद्यपि संभाग ने तालाब के अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) में स्पिल चैनल को आर.डी.600 मी. पर मिलाने हेतु गहराई बढ़ाते हुए खुदाई की । परिणामस्वरूप, स्पिल चैनल के लिए खुदाई की मात्रा बढ़ गई एवं इसलिए ₹2.32 करोड़[67] का अतिरिक्त व्यय हुआ था । प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि स्पिल चैनल में कोई फॉल नहीं था । इसलिए रूपांकित गहराई एवं रूपांकित आधार ढलान तक खुदाई आवश्यक थी एवं इसी कारण इसे कार्यान्वित किया गया था । आगे यह बताया गया कि चूक के कारण प्राक्कलन में खुदाई की मात्रा सम्मिलित नहीं की गई थी ।

तथ्य वही रहता है कि अधिक मात्राएं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कार्यान्वित की गई थी जो प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के दो वर्ष से अधिक होने के बाद भी प्रदान नहीं की गई थी ।

2.2.5.6 निम्न विशिष्टि कार्य का निष्पादन

जल सिंचन के बिना 56.66 लाख का अवमानक मिट्टी कार्य कार्यान्वित किया गया एवं बांध के कार्य में पडल ट्रेन्च कार्यान्वित नहीं की गई थी

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.02 में प्रावधानित है कि एक प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देने वाला अधिकारी, रूपांकन के सही होने एवं आरेखन के संदर्भ में प्राक्कलन में सभी आवश्यक मदों को सम्मिलित करने हेतु उत्तरदायी है । सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशिष्टियों (कार्यों के लिए दरों की अनुसूची की) की कंडिका 4.9.9 (खण्ड-II, भाग-I) प्रावधानित करती है कि अनुकूलतम आर्द्रता धारिता पर, शुष्क घनत्व पर मिट्टी भरण वाले बांध में कार्यान्वित मात्रा में से, न दबने वाली (चट्टान) एवं दबने वाली (मिट्टी) नींव के लिए क्रमशः एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत समंजन छूट (श्रींकेज एलाउंस) घटाई जाएगी। सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार, बांध के मिट्टीकार्य में, मिट्टी को 15 सेंटीमीटर की परतों में बिछाना, जल सिंचन एवं

67

1.	डी.आर./एस.आर. की प्राक्कलित मात्रा	184723.43 घनमीटर
2.	प्राक्कलित मात्रा का 10%	18472.34 घनमीटर
3.	कुल अनुमत्य मात्रा	193195.77 घनमीटर
4.	22 वे वल देयक के अनुसार कार्यान्वित मात्रा	578445.02 घनमीटर
5.	अनुचित कार्यान्वयन (4-3)	385249.25 घनमीटर
6.	स्पिल चैनल में डी.आर./ एस.आर. का अनुचित कार्यान्वयन 92.75% की दर से	357318.67 घनमीटर
7.	परिहार्य व्यय ₹ 65/- प्रति घनमीटर की दर से	₹ 23225713.55

अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए मिट्टी कार्य का अनुकूलतम आर्द्रता धारिता पर दृढ़ीकरण सम्मिलित था ।

हमने देखा (अप्रैल 2012 एवं मई 2012) कि

- कटनी संभाग में, जामुनचुआ लघु सिंचाई योजना के कार्य के जी शेड्यूल में मिट्टी के कार्य में जल सिंचन की मद सम्मिलित थी । 117874.38 घनमीटर जल सिंचन के लिए भुगतान किया गया (मार्च 2010) किन्तु अगले चल देयक में जल सिंचन के लिए अद्यतन मात्रा निरंक दर्शाई गई, से प्रदर्शित हुआ कि कोई जल सिंचन नहीं किया गया था। श्रींकेज एलाउन्स 20 प्रतिशत घटाया गया था इससे भी पुष्टि हुई कि जलसिंचन नहीं किया गया था । इसप्रकार, ₹ 56.66 लाख[68] मूल्य का मिट्टी कार्य अवमानक विशिष्टि का हुआ जिसके परिणामस्वरूप सीपेज के कारण अधिक रिक्तीकरण हो सकता है ।

 प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि स्थापित मापदण्डों के अनुसार कार्य का कार्यान्वयन न करने के लिए फील्ड अमले के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

- प्रमुख अभियंता द्वारा जारी (अगस्त 1990) तकनीकी परिपत्र 27 प्रावधानित करता है कि पडल ट्रेन्च[69] का संरेखण इसप्रकार नियत करना चाहिए कि इसकी आधार चौड़ाई के अनुप्रवाहगामी (डाउनस्ट्रीम) किनारे को संपूर्ण लम्बाई में, बांध की परत की मध्य रेखा के साथ मेल खाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, ऐसे स्थलों पर जहाँ संपूर्ण सीपेज कट ऑफ की लागत ज्यादा न हो, इसे हमेशा प्रावधानित करना चाहिए यद्यपि अंडर सीपेज के कारण पानी की कमी का कोई महत्व न हो । इसप्रकार पडल ट्रेन्च, मिट्टी बांध की संपूर्ण लम्बाई में कार्यान्वित किया जाना आवश्यक था ।

 हिरन संभाग में, इमलई लघु सिंचाई योजना के शेष कार्य के लिए, आर.डी. 126.70 मीटर से आर.डी. 178.35 मीटर में, नाला क्लोजर के लिए अंतर दर्शाते हुए माप पुस्तिका में कोई कार्य नहीं किया जाना दर्शाया गया था । हमने देखा (मई 2012) कि बांध के आर.डी. 150 मीटर पर 11891.6 घनमीटर मिट्टी कार्य कार्यान्वित किया गया (मार्च 2006)। आर.डी. 126.70 मीटर से आर.डी. 178.35 मीटर में मिट्टी कार्य पडल ट्रेन्च के कार्यान्वयन के बिना कार्यान्वित किया गया था जो विशिष्टियों के प्रावधानों के विपरीत था । आर.डी.150 मीटर पर कार्यान्वित मिट्टी कार्य के लिए ₹ 4.43 लाख[70] की राशि का भुगतान किया गया (मार्च 2006)। इसप्रकार बांध विशिष्टियों का अनुपालन न होने से ₹ 4.43 लाख का अवमानक कार्य हुआ ।

 प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि योजना की मूल स्वीकृति राहत मद के अंतर्गत जनवरी 1982 में दी गई थी एवं पडल भराई का कार्य राहत मद

68 ₹ 48 प्रति घनमीटर की दर से 118043.18 घनमीटर मिट्टी कार्य के लिए राशि

69 बांध के निर्माण के लिए पडल ट्रेन्च की खुदाई की जाती है ।

70 11891.6 घनमीटर * ₹ 37.29 प्रति घनमीटर = 443438/-

के अंतर्गत किया गया था । आगे यह बताया गया कि शीर्ष कार्य का 90 प्रतिशत एवं नहर कार्य का 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं योजना को अक्तूबर 2012 में पूर्ण हो जाना था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं बताए गए कि पडल ट्रेन्च पहले कार्यान्वित की गई थी एवं कथित कार्य को बाद में प्रारंभ करते समय अक्षुण्ण (इन्टेक्ट) थी । कार्य अब तक प्रगति पर था (मार्च 2013)

2.2.5.7 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

दरों का नियमन न करने एवं ठेकेदार द्वारा दिए गए रिबेट के प्रस्ताव पर ध्यान न दिए जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान ।

अनुबंध के भाग के रूप में मध्य प्रदेश शासन के आदेशों (अक्तूबर 1987) के अनुसार अतिरिक्त मदों के लिए दरें नियत करने की कार्यपालन यंत्री को कोई शक्ति नहीं होगी एवं जिन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान की गई हो, की दशा में 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्राओं के कार्यान्वयन एवं भुगतान के लिए मुख्य अभियंता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी । लेखापरीक्षा में देखे गए ठेकेदारों को हुए अधिक भुगतानों के दृष्टांतों की चर्चा नीचे की गई है;

- सिवनी संभाग द्वारा पथरिया लघु सिंचाई योजना के निर्माण में, हमने देखा कि जी शेड्यूल में मिट्टी कार्य की प्राक्कलित 53691.36 घनमीटर मात्रा सम्मिलित थी । ठेकेदार ने 71179.45 घनमीटर मिट्टी कार्य कार्यान्वित किया एवं उसे ₹ 50 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया । इसप्रकार कार्य की मात्राएं बढ़ीं थी एवं 10 प्रतिशत से अधिक मात्राओं के भुगतान के लिए दर के अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता को प्रस्ताव भेजा गया (जून 2011)। मुख्य अभियंता ने अधिक कार्यान्वित मात्रा के लिए, अनुबंध में शर्त 4.3.13.3(ए) के अंतर्गत निकाली गई दर या ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर जो भी कम हो के 90 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की । इसलिए 10 प्रतिशत से अधिक मात्राओं के लिए भुगतान को मुख्य अभियंता के आदेश के अनुसार ₹36.42 प्रति घनमीटर [71] की दर से विनियमित किया जाना था । संभाग ने यद्यपि ठेकेदार को ₹ 50 प्रति घनमीटर की उच्चतर दर पर भुगतान किया जिससे ठेकेदार को ₹ 1.64 लाख[72] का अधिक भुगतान हुआ । हमने आगे देखा कि ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 7.52 लाख का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹7.52 लाख का अनियमित व्यय हुआ ।

 संभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि अधिक भुगतान को स्वीकृति के पश्चात समायोजित कर लिया जाएगा एवं मुख्य अभियंता की 90 प्रतिशत दरों से भुगतान करने की स्वीकृति में अतिरिक्त मदें भी सम्मिलित थी । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया कि अतिरिक्त कार्यान्वित मात्राओं के भुगतान के लिए शर्त 4.3.13.3(ए) के अंतर्गत मद की दर या ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर के

[71] ₹ 32.39 प्रति घनमीटर की प्राक्कलित दर गुणा, प्राक्कलित दर से अधिक होने से 24.94 प्रतिशत = ₹ 40.47 प्रति घनमीटर (90 प्रतिशत की दर से = ₹ 36.42 प्रति घनमीटर)

[72] (71179.36 घनमीटर (1.10* 53691.36))* 13.58= ₹ 1,64,574.17

90 प्रतिशत से भुगतान की अनुमति कार्य की निरंतरता के लिए दी गई थी । ठेकेदार को अतिरिक्त मात्राओं/ अतिरिक्त मदों के लिए भुगतान अब भी लंबित है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान मुख्य अभियंता के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए था एवं मुख्य अभियंता की स्वीकृति में अतिरिक्त मदों के भुगतान के लिए अनुमोदन सम्मिलित नहीं था ।

- सिवनी संभाग द्वारा सालीवाड़ा तालाब के निर्माण के मामले में ठेकेदार ने कार्य की सभी मदों पर पाँच प्रतिशत रिबेट का प्रस्ताव दिया था । ठेकेदार को किए गए कार्य के कुल मूल्य ₹ 1.22 करोड़ के नौंवे चल देयक का भुगतान किया गया (मार्च 2012)। हमने देखा (अप्रैल 2012) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित रिबेट को चल देयकों से नहीं घटाया गया था । इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 6.09 लाख[73] का अधिक भुगतान हुआ ।

 कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि ठेकेदार से रिबेट वसूल किया जाएगा ।

2.2.5.8 उच्चतर विशिष्टि से सीमेंट कांकरीट (सी.सी.) लाइनिंग का कार्यान्वयन

सी.सी लाइनिंग के लिए उच्चतर विशिष्टि अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 15.88 लाख की अतिरिक्त परिहार्य लागत आई

प्रमुख अभियंता मार्च 1984 में जारी किए गए तकनीकी परिपत्र (1/84) के प्रावधानों के अनुसार, तीन क्यूमेक तक बहाव वाली नहरों की सीमेंट कांकरीट एम-10[74] के पूर्व ढलित स्लैब से लाइनिंग की जानी चाहिए ।

कटनी संभाग में, धोरसी रेग्यूलेटर के पुनर्संरचना के कार्य में, नहर के सेक्शन में 0.30 मी. पूर्ण आपूर्ति गहराई एवं आधार की चौड़ाई 0.60 मी. (3 क्यूमेक से काफी कम बहाव दर्शाते हुए) थी । ठेकेदार को सी.सी. लाइनिंग के लिए 1588.27 घनमीटर एम-15 ग्रेड के सीमेंट कांकरीट (उच्चतर विशिष्टि) के लिए 47.64 लाख का भुगतान किया गया था (जून 2011) । सी.सी. लाइनिंग की उच्चतर विशिष्टि अपनाने से ₹15.88 लाख[75] की अतिरिक्त लागत आई । हमने आगे देखा कि मुख्य तकनीकी परीक्षक, भोपाल ने भी इंगित किया किया (नवम्बर 2010) कि इतने छोटे सेक्शन के लिए एम-10 ग्रेड की लाइनिंग पर्याप्त होती ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि पूर्व ढलित लाइनिंग के अनुभव को देखते हुए लाइनिंग की पैनलों की चोरी को रोकने के लिए स्थल पर ढलित लाइनिंग को प्रावधानित किया गया था एवं प्रमुख अभियंता द्वारा 9 जनवरी 2012 को जारी किए एक

73 ₹ 12189114.00 का पाँच प्रतिशत

74 यह सीमेंट, रेत एवं गिट्टी के 1:3:6 के अनुपात को प्रदर्शित करता है ।

75

1. सी.सी. 1:2:4 कार्यान्वित मात्रा	1588.27 घनमीटर
2. भुगतान की गई दर	₹ 3000 प्रति घनमीटर
3. सी.सी. 1:3:6 के लिए भुगतान योग्य दर	₹ 2000 प्रति घनमीटर
4. दर में अंतर	₹ 1000 प्रति घनमीटर
लाइनिंग के कार्य में अतिरिक्त लागत	**₹ 15,88,270**

पत्र में स्पष्ट रूप से नियत है कि सी.सी. पूर्व ढलित (टाइल) की अत्यधिक चोरी हो रही थी एवं इसलिए स्थल पर ढलित लाइनिंग अपनाई जाना चाहिए । प्रमुख अभियंता भी कार्यपालन यंत्री के उत्तर से सहमत हुए (सितम्बर 2012)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिपत्र उक्त कार्य के कार्यान्वयन के बाद जारी किया गया था एवं उत्तर एम-10 सीमेंट कांकरीट के स्थान पर एम-15 सीमेंट कांकरीट को अपनाने के कारण को स्पष्ट नहीं करता है ।

2.2.5.9 कृषकों के संगठन में कम संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन

कम संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गठित किए गए गए थे

राष्ट्रीय जल नीति 2002, जल संसाधन प्रबंधन में सहभागिता के दृष्टिकोण पर बल देती है । हितग्राहियों की सहभागिता, सिंचाई प्रणाली के इष्टतम अनुरक्षण एवं सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग में सहायता करती है । मध्य प्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 (नियम 10) के अनुसार, जल उपभोक्ता संथाओं (डब्लू.यू.ए.) द्वारा जल के प्रभावी उपयोग के लिए लघु सिचाई योजनाओं के मामले में, योजनाओं के कमान क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (टी.सी.) में बाँटा जाता है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया हैः

तालिका 2.18

क्षेत्र हे में	टी.सी. की संख्या
200 हे	4
201 से 400 हे	6
401 से 600 हे	8
601 से 2000 हे	10

हमने देखा (फरवरी 2012 से मई 2012) कि जल उपभोक्ता संथाओं के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कथित प्रावधानों के अनुसार गठित नहीं किए गए थे जैसा कि निम्न तालिका में विवरण दिया गया हैः

तालिका 2.19

संभाग का नाम	कुल योजनाएं	डब्लू. यू.ए. द्वारा कवर की गई योजनाएं	डब्लू. यू.ए. की संख्या	कुल आवश्यक टी.सी.	टी.सी. का गठन	टी.सी. गठित नहीं की गई	कम टी.सी. के साथ डब्लू. यू.ए.
नरसिंहपुर	25	18	7	60	37	23	6
हिरन जबलपुर	47	38	16	110	88	22	7
सिवनी	112	86	45	314	266	48	20
डिंडोरी	81	64	23	184	138	46	17
कटनी	106	87	30	270	227	43	14
कुल	**371**	**293**	**121**	**938**	**756**	**182**	**64**

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँच नमूना जाँच किए गए संभागों में, कुल 371 लघु सिंचाई योजनाओं के विरूद्ध 293 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए डब्लू.यू.ए. गठित किए गए थे । आगे, 938 आवश्यक टी.सी. के विरूद्ध मात्र 756 टी.सी. गठित की गईं थीं । उपरोक्त कथित प्रावधानों के संदर्भ में, 121 डब्लू.यू.ए. में से 64 डब्लू.यू.ए. में कम संख्या में टी.सी. गठित की गई थी । इसप्रकार, सिंचाई प्रणाली के इष्टतम अनुरक्षण एवं सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य उस सीमा तक पूर्ण नहीं हुआ था।

पाँच संभागों के कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (फरवरी 2012 से मई 2012) कि कुल कमान क्षेत्र में टी.सी. के माध्यम से सिंचाई की गई थी एवं टी.सी. के लिए कमान क्षेत्र के निर्धारित स्लैब को ध्यान में रखते हुए यथा संभव टी.सी. की संख्या का गठन किया गया था । आगे यह बताया गया कि कुछ डब्लू.यू.ए. एक से अधिक परियोजनाओं में सम्मिलित थीं एवं यह कि सिंचाई क्षमता के कम उपयोग से कम टी.सी. का कोई संबंध नहीं है जबकि कमान क्षेत्र कुछ स्थानों पर अन्य तालाब से अतिव्यापित (ओव्हरलेप) हो रहा था ।

कार्यपालन यंत्रियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि मानदण्डों के अंतर्गत वांछित टी.सी. नहीं बनाए गए थे एवं जल के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी लघु सिंचाई योजनाएं डब्लू.यू.ए. के सृजन से कवर नहीं की गईं थीं ।

2.2.5.10 एम.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों के माध्यम से कार्यों में अनियमितताएं

₹ 12.96 करोड़ मूल्य के संधारण कार्य, डब्लू.यू.ए. के स्थान पर सीधे विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप लघु सिंचाई योजनाओं के संधारण में डब्लू.यू.ए. की सहभागिता का वंचन हुआ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों (आदेश क्र. 4823, दिनांक 20 दिसम्बर 2007) के अनुसार, एम.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों के माध्यम से प्रारंभ किए गए लघु सिंचाई तालाबों एवं नहरों के संधारण कार्यों के लिए जल उपभोक्ता संथाएं कार्यान्वयन ऐजेंसी होंगी ।

हमने देखा (फरवरी 2012 से अप्रैल 2012) किः

- डिंडोरी संभाग में, एम.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों का उपयोग करते हुए लघु योजनाओं के संधारण के ₹ 12.96 करोड़ मूल्य के कार्य संभाग द्वारा विभागीय रूप से कार्यान्वित किए गए थे । 8627.27 हे एवं 12574.27 हे आच्छादित करने के लिए क्रमशः वर्ष 2010-11 में 44 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 14 डब्लू.यू.ए. एवं वर्ष 2011-12 में 64 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 23 डब्लू.यू.ए. गठित की गई थीं । इसप्रकार उपसंभागीय प्राधिकारियों द्वारा एम.एन.आर.ई.जी.एस.के कार्यों का सीधे कार्यान्वयन अनियमित था । इससे एम.एन.आर.ई.जी.एस. कार्यों में डब्लू.यू.ए. की सहभागिता का वंचन हुआ जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कथित प्रावधानों की आवश्यकता के विपरीत था ।

 प्रमख अभियंता ने अन्य बातों के साथ साथ बताया (अक्तूबर 2012) कि डब्लू.यू.ए. ने एम.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया एवं एम.एन.आर.ई.जी.एस. कार्यों के लिए कार्यान्वयन ऐजेंसी, कार्यपालन यंत्री का बनाया गया था।

 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग, डब्लू.यू.ए. को कार्यों के कार्यान्वयन में सहभागी नहीं बना सका, जैसा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों में वांछित था ।

 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए (जनवरी 2006) निर्देशों में निर्धारित मस्टर रोल के प्रारूप में, मजदूरों को भुगतान के समय गवाहों के हस्ताक्षर एवं जहाँ पर मजदूरों का खाता संधारित किया जाता हो, में बैंक का नाम उल्लिखित करना प्रावधानित है । आगे, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के कंडिका 4.013 के अनुसार, यदि मस्टर रोल का उपयोग तीन

माह के भीतर नहीं किया जाता है तो इसे पुनः जारी कराना चाहिए । मस्टर रोल में काँट छाँट एवं करेक्शन फ्लड का उपयोग वर्जित है ।

चार संभागों में मजदूरों को नॉमिनल मस्टर रोल (एन.एम.आर.) के माध्यम से ₹ 49.43 लाख[76] का भुगतान किया गया किन्तु एन.एम.आर. तीन माह के पश्चात उपयोग किए गए थे, गवाहों के हस्ताक्षर अभिलिखित नहीं पाए गए एवं मजदूरों को किए गए भुगतान के विरूद्ध बैंक का नाम अभिलिखित नहीं था। इसप्रकार शासन द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन न होने से व्यय का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

प्रमुख अभियंता ने बताया कि कार्यवार मस्टर रोल जनपद पंचायत द्वारा प्रदाय किए गए थे, मस्टर रोल में कार्य का नाम, विभाग का नाम इत्यादि उल्लिखित थे जिसका उपयोग किसी अन्य कार्य पर नहीं किया जा सकता था, लगाए गए सभी मजदूरों के पोस्ट ऑफिस/ बैंक उल्लिखित किए गए थे ।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि सूची में दर्शाए मस्टर रोल में गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे एवं मस्टर रोल जारी किए जाने के तीन माह से अधिक के बाद उपयोग किए गए थे।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.075 के अनुसार जब कार्य की राशि ₹ 15000 या कम न हो तो ठेके पर दिए जाने हेतु प्रस्तावित समस्त कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए । सड़क सामग्री जैसे मुरम, गिट्टी, रेत इत्यादि एवं भवन सामग्री जैसे मेसनरी पत्थर, पत्थर पडल भराई के लिए सामग्री, ईंट, गिट्टी, मुरम रेत एवं लकडी को कार्य की भाँति[77] समझा जाएगा एवं भंडार सामग्री क्रय की भाँति नहीं समझा जाएगा ।

तीन संभागों में 1.36 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया ।

- तीन संभागों[78] में संभागीय अधिकारियों ने 54 योजनाओं के रख रखाव के लिए निविदाएं आमंत्रित किए बिना बोल्डर, मुरम, रेत, पत्थर एवं गिट्टी इत्यादि की खरीद पर ₹ 1.36 करोड़ का व्यय किया (मार्च 2011 से मार्च 2012) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ का व्यय अनियमित हुआ ।

 प्रमुख अभियंता ने बताया कि रेत, मुरम, गिट्टी एवं पडल के लिए मिट्टी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत दरों पर क्रय करने के पश्चात उपयोग किए गए थे ।

 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किए जाने थे ।
- सिवनी संभाग में, 21 योजनाओं पर, ट्रेक्टर एवं ट्राली के माध्यम से सामग्री के परिवहन पर पेटी व्हाऊचर द्वारा ₹ 28.22 लाख का व्यय किया गया (जून 2011 से मार्च 2012) । कथित कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं थी

76 डिंडोरी ₹ 12.90 लाख, हिरन जबलपुर ₹ 12.68 लाख, कटनी ₹ 7.45 लाख एवं सिवनी ₹ 16.39 लाख = ₹ 49.43 लाख

77 इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम के स्थान पर कार्य को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

78 डिंडोरी ₹ 81.31लाख, कटनी ₹ 4.27 लाख एवं सिवनी ₹ 50.25 लाख

जैसा कि नियमावली में वांछित था । इसप्रकार कार्य कार्यान्वयन अनियमित था एवं उल्लिखित निर्देशों के प्रतिकूल था ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि चूँकि लीड, दरों की अनुसूची में प्रावधानित 200 मीटर से अधिक थी, कार्य मजदूरों की क्षमता से परे होने के कारण ट्रेक्टर के माध्यम से पूर्ण कराए गए ।

उत्तर, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदु को सम्बोधित नहीं करता है ।

2.2.6 निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

2.2.6.1 लघु सिंचाई योजनाओं का अपर्याप्त निगरानी

निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण सिंचाई क्षमता का उपयोग कम रहा ।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली (कंडिका 8.001 एवं 8.006) प्रावधानित करती है कि रूपांकन पूर्वानुमानों एवं पूर्णता आरेखनों को ध्यान में रखते हुए बाँध एवं नहर का संधारण करना चाहिए ।

नमूना जाँच किए गए छह संभागों[79] में सिंचाई क्षमता के उपयोग का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.20

वर्ष	कुल लघु सिंचाई योजनाएं	सृजित सिंचाई क्षमता हे में	उपयोग हे में	प्रतिशत उपयोग
2007-08	411	89727	22155.45	24.69
२००८-०९	४३४	९२९६९	२६३०८	२८.३०
२००९-१०	४५२	९६८५१	२२८७३	३२.६२
2010-11	489	105554	27613.9	26.16
२०११-१२	५२०	११३०६८	४५५०१.९	४०.२४

जैसा कि उपरोक्त तालिका में विवरण दिया गया है, 2007-08 से 2010-11 के दौरान सिंचाई क्षमता का उपयोग 23.62 प्रतिशत एवं 28.30 के मध्य एवं 2011-12 में 40.24 प्रतिशत था । सिंचाई क्षमता के कम उपयोग के लिए हमारे द्वारा विश्लेषित किए गए कारणों की चर्चा नीचे की गई है:

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 8.009 के अनुसार, यदि रूपांकित पूर्ण आपूर्ति स्तर पर जल मार्ग (पानी का बहाव) 20 प्रतिशत से कम या अधिक होता हो तो एस.डी.ओ. को नहर की रिमॉडलिंग के लिए प्राक्कलन तैयार करना चाहिए एवं उसे कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए । जो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

 हमने देखा (फरवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि जल मार्गों की बिगड़ती हुई दशा के बावजूद भी पाँच संभागों में से चार[80] द्वारा कोई रिमॉडलिंग[81] का कार्य नहीं किया गया ।

79 छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर एवं सिवनी

80 डिंडोरी, हिरन जबलपुर, नरसिंहपुर एवं सिवनी

81 मूल आरेखनों एवं विशिष्टियों के अनुसार नहरों का पुनर्निर्माण

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 8.015 (बी) के अनुसार, कमान क्षेत्र की सिंचाई, नहर प्रणाली निष्पादन पर निर्भर होती है । इसलिए नहरों का निष्पादन पर, नहर गेज रजिस्टर एवं नहरों के परफारमेंस टेबल के माध्यम से निगरानी रखा जाना था ।

 हमने देखा (फरवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि नहर गेज रजिस्टर एवं नहरों के परफारमेंस टेबल संधारित नहीं किए जा रहे थे ।

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 7.004 प्रावधानित करती है कि केवल मशीन नम्बर वाले पृष्ठों की मुद्रित फील्ड बुक[82] एवं लेवल बुक[83] ही उपयोग की जाएगी । फील्ड बुक/ लेवल बुक का खाता, माप पुस्तिका की भाँति रखा जाएगा । लेवल/फील्ड बुक के लिए भी माप पुस्तिका की ही भाँति महत्व प्रावधानित है । लेवल की प्लॉटिंग करने के पश्चात लेवल/फील्ड बुक संभागीय कार्यालय में वापस किया जाएगा ।
 नमूना जाँच किए गए छह संभागों में से चार[84] में हमने देखा (फरवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि कोई फील्ड बुक एवं लेवल बुक संधारित नहीं किए गए थे। जैसा कि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 7.007 वांछित था, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 7.01 में दी गई चेकलिस्ट के अनुसार फील्ड बुक/ लेवल बुक की समीक्षा कटनी संभाग में नहीं की गई थी ।

जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत वांछित अभिलेखों का संधारण न होने के कारण उच्च प्राधिकारियों द्वारा नहरों के निष्पादन पर निगरानी नहीं रखी जा सकी एवं नहरों के रिमॉडलिंग कार्य नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप नहरों की बिगड़ती दशा एवं सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हुआ।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि सिंचाई क्षमता का उपयोग पानी की उपलब्धता पर निर्भर था एवं नहरों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं पुनःस्थापन के कार्यों के लिए, सुधार, नवीकरण एवं प्रत्यावर्तन शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृति दी जा रही थी । उन्होंने आगे बताया कि नहरों में बहाव एवं उनकी प्रवाह क्षमता पर निगरानी के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली अपनाई गई है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक सिंचाई में वृद्धि हुई थी एवं लेवल बुक एवं फील्ड बुक संधारित करने हेतु प्रमुख अभियंता द्वारा अनुदेश जारी किए जा रहे थे ।

82 फील्ड बुक, बाद के संदर्भों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण के विवरण को अभिलिखित करने के लिए उपयोग होती है

83 लेवल बुक बाद के संदर्भों के लिए सर्वेक्षण के समय स्तरों को अभिलिखित करने हेतु उपयोग होती है

84 डिंडोरी, हिरन जबलपुर, नरसिंहपुर एवं सिवनी

तथ्य वही रहता है कि बिगड़ती हुई दशा की नहरों की रिमॉडलिंग करने के मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न होने परिणामस्वरूप अंततः सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हुआ ।

2.2.6.2 संभाग स्तर पर कार्यों का अपर्याप्त निरीक्षण

संभाग स्तर पर लघु सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण अपर्याप्त था

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 8.016ः

(।) 500 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाले वृहद/मध्यम/लघु परियोजनाओं के समस्त शीर्ष कार्यों का वार्षिक रूप से एवं अन्य लघु परियोजनाओं के शीर्ष कार्य का चार वर्षों में एक बार एवं

(।।)तीन क्यूमेक से अधिक बहाव क्षमता वाली नहरों का वार्षिक रूप से एवं तीन क्यूमेक से कम बहाव वाली नहरों का चार वर्ष में एक बार वार्षिक/ आवधिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाएगा ।

का वार्षिक/ आवधिक निरीक्षण प्रावधानित करती है ।

नमूना जाँच किए गए छह संभागों में से चार संभागों में हमने देखा (मार्च 2012 एवं अप्रैल 2012) कि 2007-12 के दौरान कार्यपालन यंत्रियों द्वारा निरीक्षण वांछित आवृति के अनुसार नहीं किए गए थे जैसा कि निम्न तालिका में विवरण दिया गया हैः

तालिका 2.21

स.क्र.	संभाग का नाम	निरीक्षण की गई लघु सिंचाई योजना	कुल लघु सिंचाई योजनाएं
1	हिरन जबलपुर	4	47
2	कटनी	5	106
3	नरसिंहपुर	13	25
4	सिवनी	6	112
	महायोग	**28**	**290**

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2012) कि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान व्यवहारिक नहीं थे एवं कार्यपालन यंत्रियों पर अत्यधिक बोझ था एवं वांछित आवृति के अनुसार निरीक्षण करने हेतु समय नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि विभाग ने प्रावधान को संशोधित किया (सितम्बर 2012) एवं निरीक्षण का कार्य अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन यंत्रियों, एस.डी.ओ. एवं उपयंत्रियों के मध्य बाँट दिया गया था ।

2.2.6.3 अपर्याप्त नमूनों के कारण अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण

नमूनों की कमी के कारण सीमेंट कांकरीट कार्य पर गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था

आई.एस. 456ः 2000 की कंडिका 15.2.2, कार्य में कांकरीट की मात्रा के संदर्भ में सीमेंट कांकरीट के गुणवत्ता जाँच के लिए प्रत्येक ग्रेड के कांकरीट के नमूनों की न्यूनतम आवृति निधारित करती है जैसा कि नीचे दिया गया है;

तालिका 2.22

कार्य में कांकरीट की मात्रा (घनमीटर में)	नमूनों की संख्या
1 - 5	1
6 - 15	2
16 - 30	3
31 - 50	4
51 एवं अधिक	4 धन प्रत्येक अतिरिक्त 50 घनमीटर के या उसके भाग लिए एक अतिरिक्त नमूना

आगे, मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम (एम.पी.डब्लू.एस.आर.पी.) के लिए अनुबंध की मानक शर्त 14.0 प्रावधानित करती है कि नहरों की संबंद्ध दूरियों में बिछाई जाने वाली कांकरीट लाइनिंग की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ठेकेदार जैसा कि प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देश दिया जाए यादृच्छिक रूप से नमूने लेने की व्यवस्था करेगा एवं नमूना कोर लेने की आवृति, अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कोर टेस्ट के लिए प्रत्येक 250 मी लम्बाई के लिए आधार लाइनिंग से एक नमूना एवं साइड लाइनिंग से एक अन्य नमूना होना चाहिए ।

नमूना जाँच किए गए छह संभागों में से कटनी एवं नरसिंहपुर संभागों में हमने देखा (मार्च 2012 एवं अप्रैल 2012) कि कम्प्रेसिव स्ट्रेंग्थ की जाँच के लिए तीन कार्यों में आवश्यक 105 नमूनों के विरूद्ध मात्र 51 नमूने लिए गए थे । कटनी संभाग के छह कार्यों में कोई टेस्ट नहीं किए गए । विवरण **परिशिष्ट 2.20** में दिया गया है ।

कटनी संभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि कार्य विशिष्टियों के अनुसार किया गया था एवं स्लम्प इत्यादि जैसे स्थल टेस्ट किए गए थे । उन्होंने आगे बताया कि टेस्ट परिणामों की अभाव में ठेकेदारों के देयकों से उपयुक्त राशि काटी गई है ।

उत्तर, कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट संचालित नहीं किए जाने के कारणों की व्याख्या नहीं करता है एवं तथ्य वही है कि टेस्ट संचालित नहीं किए जाने लिए राशि की कटौती से इंगित हुआ कि कार्य उचित गुणवत्ता के बिना स्वीकार किए गए थे।

इसीप्रकार, एम.पी.डब्लू.एस.आर.पी. (कटनी संभाग) के अंतर्गत धोरसी रेग्यूलेटर के शीर्ष कार्य, मुख्य नहर एवं आर.बी.सी. की पुनर्संरचना के कार्य के संबंध में, लाइनिंग के कार्य के लिए निर्धारित कोर टेस्ट नहीं किए गए थे । इसप्रकार संभागीय प्राधिकारियों ने कार्य की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त हुए बिना ही कार्य को स्वीकार किया।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2012) कि ठेकेदारों से टेस्ट परिणाम प्रतीक्षित थे । आगे प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नई संरचना प्रस्तावित की जा रही है । यह भी बताया गया कि प्रशिक्षित अधिकारियों एवं उपकरणों के अभाव के कारण कार्य का गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावित हुआ था यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं है कि कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टेस्ट की आवश्यक आवृति से कम टेस्ट किए जाने या

टेस्ट न किए जाने से कार्य पर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

2.2.7 निष्कर्ष

जल संसाधन विभाग के वैनगंगा कछार में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण अपर्याप्त सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का निविदा प्रक्रिया के साथ तुल्यकालिक न होने एवं भूमि के अधिग्रहण के बीच में कार्यों को सौंपे जाने के कारण प्रभावित था । उपयोगकर्ताओं की सहभागिता के अभाव में उद्वहन सिंचाई योजनाओं का निष्पादन कम था। अन्य सिंचाई योजनाओं के साथ लघु सिंचाई योजनाओं के कमान क्षेत्र के अतिव्यापन को समय रहते पहचाना नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ व्यय हुआ। अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि मूल अभिलेख संधारित नहीं किए जा रहे थे एवं टेस्ट करने के लिए अपर्याप्त नमूने लिए जा रहे थे ।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

2.3 रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना का वितरण नेटवर्क पर थीमेटिक पैराग्राफ

2.3.1 प्रस्तावना

जबलपुर जिले में स्थिति रानी अवंती बाई लोधी सागर (आर.ए.बी.एल.एस.) परियोजना जो पूर्व में बरगी बहुउद्देश्यीय परियोजना के नाम से जानी जाती थी नर्मदा घाटी विकास योजना के अधीन नर्मदा नदी पर पहली परियोजना थी । बाँध और वितरण नेटवर्क के साथ परियोजना बाँयीं तट नहर (एल.बी.सी.) के द्वारा 1.57 लाख हेक्टेयर (हे.) की सिंचाई के उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी । दाँयी तट नहर पृथक परियोजना है एवं इसका परीक्षण इस समीक्षा में नहीं किया गया है ।

आर.ए.बी.एल.एस. के अंतर्गत बाँयी तट नहर का वितरण नेटवर्क जिसमें मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरकायें, माईनर्स, सब माईनर्स, वाटर कोर्स एवं फील्ड चैनल्स[85] सम्मिलित है जबलपुर (95,000 हे.) एवं नरसिंहपुर (62,000 हे.) जिलों की सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु एक बड़ी सिंचाई परियोजना है । एल.बी.सी. की लागत प्रारंभ में राज्य निधि द्वारा वहन की गई थी परन्तु धनाभाव के कारण 1996-97 से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण द्वारा की गई थी । 1915.04 कि.मी. वितरण नेटवर्क सहित 135.50 कि.मी. लंबी बाँयी तट नहर का निर्माण सिंचाई विभाग (जुलाई 1985 में पुनर्नामांकन जल संसाधन विभाग) द्वारा 1982 में ₹ 251.85 करोड़ की लागत पर प्रारंभ किया गया जो 1990 में पूर्ण की जानी थी । आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना ₹ 1099.66 करोड़ के व्यय के उपरांत भी मार्च 2012 में अपूर्ण थी । जनवरी 2012 तक 1.57 लाख हे. के लक्ष्य के विरूद्ध, हमारे संकलन अनुसार 1.23 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी । सिंचाई क्षमता के निर्माण के लिये शेष कार्य मार्च 2012 तक प्रारंभ नहीं की गई है ।

नर्मदा कछार में सिंचाई सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से वर्ष 1985 में नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.व्ही.डी.डी.) के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके आगे प्राधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया । प्राधिकरण ने वर्ष 1992 में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) से वितरण नेटवर्क का निर्माण ले लिया । मध्य प्रदेश में मंत्री नर्मदा घाटी विकास विभाग, प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं जो उपाध्यक्ष एवं पांच पूर्णकालिक सदस्य (अभियांत्रिकी, वित्त, उर्जा, पर्यावरण और वन एवं पुनर्वास) से सहायित है । आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना का वितरण नेटवर्क मुख्य अभियंता आर.ए.बी.एल.एस. जबलपुर के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । मुख्य अभियंता क्षेत्र स्तर पर तीन अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) एवं चार कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) से सहायित है ।

[85] प्रतिवेदन की ग्लासरी में मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरिकायें, माइनर्स, सबमाइनर्स, वाटरकोर्स, फील्डचैनल की परिभाषाएं दी गयी हैं ।

2.3.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

आर.ए.बी.एल.एस. के वितरण नेटवर्क की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने की दृष्टि से की गई कि क्या निधियां उपलब्ध थीं एवं प्रभावी ढंग से उपयोग की गई, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में दर्शायेनुसार सिंचाई क्षमता सृजित एवं उपयोग की गयी एवं ठेका प्रबंधन मितव्ययिता से कार्य की समयवृद्धि पूर्णता सुनिश्चित करने में प्रभावी था । सदस्य (अभियांत्रिकी), मुख्य अभियंता (आर.ए.बी.एल.एस.) परियोजना एवं सभी चार संभागों[86] जो एल.बी.सी. के वितरण नेटवर्क के निर्माण से संबद्ध है, के 2007-12 के आदान प्रदान के अभिलेखों की समीक्षा दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 के मध्य की गयी ।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की चर्चा, सदस्य (अभियांत्रिकी) एन.व्ही.डी.ए. के साथ प्रवेश सम्मेलन के दौरान अक्तूबर 2011 में की गयी थी । निर्गम सम्मेलन उपाध्यक्ष एन.व्ही.डी.ए. एवं प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ जून 2012 में की गयी थी । निर्गम सम्मेलन के दौरान प्राधिकरण द्वारा व्यक्त विचारों को उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है ।

यह प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया था (अगस्त 2012), अभी तक शासन का उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2013) ।

2.3.3 वित्तीय प्रबंधन

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ए.ए. से अधिक व्यय किया गया ।

जल संसाधन विभाग से वितरण नेटवर्क निर्माण को अधिग्रहित करने के पश्चात प्राधिकरण ने परियोजना के लिये ₹ 309.81 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (ए.ए) मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) से 1992 में प्राप्त की । ₹ 1060.97 करोड़ का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राधिकरण द्वारा शासन को (जून 2002) प्रस्तुत किया गया था जिसके लिये प्रशासकीय स्वीकृति मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं हुई थी । पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 1552.85 करोड़ के लिये मार्च 2012 में प्रस्तुत किया गया था जिसका अनुमोदन शासन द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013) । प्राधिकरण ने वर्ष 2011-12 तक वितरण नेटवर्क पर कुल ₹ 1099.66 करोड़ व्यय किया है । इस प्रकार ए.ए. से अधिक व्यय करने से पूर्व पुनरीक्षित ए.ए. प्राप्त नहीं की गई थी जैसा कि मध्य प्रदेश कार्य विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली की कंडिका 2.005 (।) के अंतर्गत आवश्यक है जो निर्धारित करता है कि जब व्यय स्वीकृत प्राक्कलन से 20 प्रतिशत अधिक हो जाए तो पुनरीक्षित ए.ए. प्राप्त की जानी चाहिए ।

2007-12 के दौरान आवंटित निधियां पूर्णतः उपयोग नहीं किए गए थे ।

वर्ष 2007-08 से पूर्व के वर्षों के दौरान ₹ 846 करोड़ व्यय किये गये थे एवं वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्षों में ₹ 253.66 करोड़ व्यय किये गए है जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है -

[86] (1) नहर संभाग क्रं. 2 जबलपुर (2) नहर संभाग क्रं. 2 गोटेगांव (3) नहर संभाग क्रं. 1 करेली और (4) डिसनेट संभाग नरसिंहपुर

तालिका 2.23 आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय				अव्ययित राशि का प्रतिशत
			राज्य शासन	नाबार्ड ऋण	कुल	अव्ययित राशि	
2006-07 तक	**873.25***	**808.43***	459.54	386.46	846.00	----	---
2007-08	60.67	60.40	24.14	31.87	56.01	4.39	7.27
2008-09	58.70	58.70	25.24	36.90	62.14	----	----
2009-10	66.50	66.50	41.10	11.06	52.16	14.34	21.56
२०१०-११	४२.३६	४९.८१	४७.२९	०.८४	४८.१३	१.६८	०३.३७
2011-12	57.87	38.66	35.22	----	35.22	3.44	8.90
					1099.66		

*नोट - 1979-80 से 1985-86 का बजट प्रावधान एवं आवंटन उपलब्ध नहीं था । तथापि व्यय प्रारंभ से लिया गया था अर्थात 1979-80 से ।

(स्त्रोत - जानकारी सी.ई. आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना एवं प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

तालिका से देखा जा सकता है कि आवंटन का उपयोग 2007-08 से 2011-12 के दौरान तीन से 22 प्रतिशत कम हुआ । पिछले पांच वर्षों में आवंटित निधि के अनुपयोग के कारण मूल आवंटन कम किये गये । उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं होने का कारण निगरानी की कमी से कार्यपूर्णता में विलम्ब, निविदा स्वीकृति और कार्य आवंटन में विलम्ब एवं ठेकेदारों द्वारा अपूर्ण कार्यों को छोड़ा जाना था जैसा कि कंडिका क्रमांक 4 एवं 6.1 से 6.4 में चर्चा किया गया है ।

2.3.3.1 नाबार्ड ऋण को उपयोग न कर पाना

नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ₹ 576.96 करोड़ में से प्राधिकरण केवल ₹ 467.13 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सका ।

नाबार्ड की अनुसूची-II विशेष निबंधन और शर्तों के अनुसार सिंचाई के लिए नहर के निर्माण हेतु उपलब्ध सीमित अवधि को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन, परियोजना का कुशल आयोजना एवं पर्याप्त परिवीक्षण द्वारा समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

नाबार्ड द्वारा वर्षों 1996-97 से 2005-06 तक छः चरणों में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)[87] के अंतर्गत ₹ 576.96 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये। ऋण वितरण अनुसूची के अनुसार पूर्ण स्वीकृत राशि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पहले ही व्यय किये जा चुकी राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2006-07 के अन्त तक वितरित की जानी थी। नाबार्ड ऋण की स्वीकृति, दावा राशि एवं प्रतिपूर्ति की स्थिति

[87] ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)- ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, नाबार्ड द्वारा 1995-96 में राज्य शासन एवं राज्य शासित निगमों को जारी ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाने हेतु संस्थित किया गया था ।

नीचे तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 2.24 नाबार्ड ऋण की स्वीकृति और उपयोग

(₹ करोड़ में)

स्वीकृति का वर्ष एवं चरण	स्वीकृत	दावा	नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति	नाबार्ड द्वारा अमान्य	उपयोग का प्रतिशत
आर.आई.डी.एफ -II-1996-97	43.26	47.73	40.57	7.16	93.78
आर.आई.डी.एफ -V-2000-01	87.61	91.06	81.44	9.62	92.96
आर.आई.डी.एफ -VI-2000-01	213.64	154.03	149.14	4.89	58.75
आर.आई.डी.एफ -VIII-2002-03	171.23	167.79	153.99	13.80	89.93
आर.आई.डी.एफ -IX-2003-04	58.35	59.72	56.68	3.04	97.13
आर.आई.डी.एफ -X-2005-06	132.87	94.42	85.31	9.11	64.21
कुल	**576.96**	**514.75**	**467.13**	**47.62**	**80.96**

(स्रोत - जानकारी एन.व्ही.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराई गई)

हमने देखा कि

- नाबार्ड ने अंतिम ऋण मार्च 2007 में परियोजना समाप्ति की शर्त के साथ अप्रैल 2005 में स्वीकृत किया। चूँकि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सके, नाबार्ड ने अंतिम चरण (आर.आई.डी.एफ.-X-2005-06) ऋण के प्रतिपूर्ति के लिए पूर्णता अवधि को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया । तथापि, प्राधिकरण बढ़ी हुई अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कर सका।
- स्वीकृत ऋणों की प्रतिपूर्ति अनुसूची के अनुसार ₹ 576.96 करोड़ मार्च 2010 तक वितरित किये जाने थे। प्राधिकरण, तथापि, मार्च 2010 तक ₹ 514.75 करोड़ के दावाकृत राशि में से ₹ 47.62 करोड़ की प्रतिपूर्ति की कमी के साथ केवल ₹ 467.13 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की । इस प्रकार नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने में 19 प्रतिशत की कमी थी जिसे अंततः मार्च 2010 के बाद बंद कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा नाबार्ड ऋण का चरण VI एवं X क्रमशः 41 प्रतिशत एवं 36 प्रतिशत कम उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण था।
- नाबार्ड ऋण की सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लागत मूल्यवृद्धि का वहन मध्य प्रदेश शासन को किया जाना था। नाबार्ड ने प्राधिकरण के ₹ 47.62 करोड़ के दावे को अधिक मात्राओं पर व्यय एवं स्वीकृत राशि से अधिक व्यय के आधार पर अमान्य किया जो कि प्राधिकरण की खराब आयोजना अनुमान को दर्शाता है।

ऋण राशि के उपयोग में कमी का कारण परिवीक्षण की कमी से कार्य पूर्णता में विलम्ब, आयोजना में कमी, भू-अर्जन में देरी एवं नहर नेटवर्क के कार्यो एवं मुख्य नहर कार्यो में तालमेल न होना एवं ठेकेदारों द्वारा बीच में कार्य छोड़ा जाना था ।

मुख्य अभियंता आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना ने बताया (मार्च 2012) कि ठेकेदारों द्वारा अधूरा कार्य छोड़े जाने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका । मुख्य अभियंता ने तथापि कार्य पूर्णता में विलंब के अन्य कारणों को स्पष्ट नहीं किया ।

2.3.4 सिंचाई क्षमता (आई.पी.) का सृजन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में विशिष्ट सिंचाई क्षमता के क्रियान्वयन व निर्माण, विलम्ब को रोकने एवं वांछित लाभों के समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट लक्ष्य व माइलस्टोन निर्धारित किये गये थे । कार्य मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किये जाने थे ।

प्राधिकरण ने जनवरी 2012 के अंत तक लक्षित आई.पी. 1.57 लाख हे. के विरूद्ध 1.23 लाख हे. आई.पी. सृजित की । विगत पांच वर्षों मे आई.पी. का वर्षवार सृजन नीचे दर्शाया गया है ।

तालिका 2.25 सिंचाई क्षमता का सृजन

(आई.पी.हेक्टेयर में)

वर्ष	आई.पी.सृजन के लिए लक्ष्य	प्रतिवेदन उपलब्धि	आई.पी. का वास्तिविक सृजन	प्रगामी आई.पी. सृजन	व्यय (₹ करोड़ में)
2006-07 तक	156981	111314	111314	111314	846.00
2007-08	20000	16614	4063	115377	56.01
2008-09	16000	19113	4006	119383	62.14
2009-10	9959	4630	1100	120483	52.16
2010-11	500	495	970	121453	48.13
2011-12	---	--	1146	122599	35.22
कुल		**152166**	**122599**		**1099.66**

(स्त्रोत - जानकारी सी.ई. आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना एवं क्षेत्रिय इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

प्राधिकरण ने अभी तक लक्षित आई.पी. 1.57 लाख हे. के विरूद्ध 1.23 लाख हे. आई.पी. सृजित की एवं पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 11 हजार हे. आई.पी. का सृजन किया ।

उपरोक्त दर्शाता है कि विगत पांच वर्षों (2007-08 से 2011-12) में प्राधिकरण द्वारा ₹ 253.66 करोड़ का व्यय कर केवल 11,285 हे. आई.पी. सृजित किया गया था । वर्ष 2011-12 में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । मुख्य अभियंता ने तथापि उच्च प्राधिकारी को सृजित 1.23 लाख हे. आई.पी. के विरूद्ध 1.52 लाख हे. प्रतिवेदित (नवम्बर 2011) किया । मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिवेदित आई.पी. सही नहीं है, क्योंकि कार्यपालन यंत्री आर.ए.बी.एल.एस. नहर संभाग क्र. 1 करेली ने हमें 34,223 हे.[88] आई.पी. के लिये मुख्य नहर कि.मी. 130.67 से कि.मी. 135.50 एवं इसके वितरण नेटवर्क की अपूर्णता के तथ्य से अवगत कराया है (दिसम्बर 2011) । 34,223 हे. आई.पी. के कम सृजन ने उक्त क्षेत्र के किसानों को खेती से वंचित कर दिया ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012) एवं उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013) ।

[88] लक्षित आई.पी. 1,56,981 हे. के विरूद्ध वास्तविक सृजित आई.पी. 1,22,599 हे. था । शेष 34,382 हे. आई. पी. में से 34,223 हे. नहर दूरी कि.मी. 130.67 से कि.मी. 135.50 एवं शेष आई.पी. 159 हे. अन्य दूरियों में सृजित किया जाना था ।

2.3.4.1 लक्ष्यों की अनुपलब्धि

एल.बी.सी. के अंतर्गत आई.पी. के सृजन के लिए लंबाई के अनुसार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं –

तालिका 2.26 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

दूरी (कि.मी. में)	रूपांकित सिचाई (हे.)	सृजित आई.पी. (हे.)	प्रारंभिक/ वर्तमान लक्ष्य	रूपांकित लंबाई (कि.मी. मे)	पूर्ण लंबाई (कि.मी. मे)	शेष लंबाई (कि.मी. मे)	शेष कार्य की लागत (₹ करोड़ मे)
मुख्य नहर 0 कि.मी. से 64 कि.मी. एवं 760.89 कि.मी. वितरण प्रणाली	61587	58330	जून 1990	64.00		पूर्ण	163.07
			मार्च 2015	760.89	723.43	37.46	
मुख्य नहर 64 कि.मी. से 84 कि.मी. एवं 310.58 कि.मी. वितरण प्रणाली	22204	22105	जून 1990	20.00		पूर्ण	47.39
			मार्च 2015	310.58	304.61	5.97	
मुख्य नहर 84 कि.मी. से 130 कि.मी. एवं 508.3 कि.मी. वितरण प्रणाली	38404	42164	जून 1990	46.00		पूर्ण	94.57
			मार्च 2015	508.30	499.23	9.07	
मुख्य नहर 130 कि.मी. से 135.50 कि.मी. एवं 335.27 कि.मी. वितरण प्रणाली	34786	निरंक	जून 1990	5.50	5.37	0.13	165.03
			मार्च 2015	335.27	186.79	148.48	
कुल	**156981**	**122599**		**2050.54**		**201.11**	**470.06**

(स्त्रोत - जानकारी सी.ई. आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

एल.बी.सी. नेटवर्क के आई.पी. के सृजन लक्ष्य में कमी के कारण जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया, धनाभाव, कार्य आवंटन में देरी, ठेकेदारों द्वारा अधूरा कार्य छोड़ा जाना, ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयवधि में कार्य पूर्ण न किया जाना एवं अपर्याप्त निकास प्रणाली थे, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है –

2.3.4.2 बाँयी तट नहर की वितरण नेटवर्क की सिंचाई क्षमता के सृजन में विलम्ब

(i) धन की कमी

धनाभाव ने 1995-96 तक नहर नेटवर्क कार्य की प्रगति में रूकावट पैदा की।

नहर नेटवर्क 1995-96 तक निर्धारित समयावधि में धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सका। वर्ष 1996-97 में कार्य को 2007 तक पूर्ण किये जाने हेतु नाबार्ड ऋण अंतर्गत प्रारंभ किया गया। व्यय राशि ₹ 467.13 करोड़ की प्रतिपूर्ति के उपरांत प्राधिकरण द्वारा नाबार्ड के व्यय प्रतिपूर्ति की बढ़ी हुई अवधि में भी कार्य पूर्ण न किये जाने से नाबार्ड ऋण सहायता बंद हो गयी। नहर नेटवर्क अभी भी अधूरा था एवं अब इसे मार्च 2015 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य बनाया गया है। परियोजना वर्तमान में राज्य बजट अनुदानों से कार्यान्वित की जा रही है।

मुख्य अभियंता ने तथ्य स्वीकार किया (मार्च 2012) कि निर्माण गतिविधियाँ वर्ष 1992 से 1996 तक धनाभाव के कारण बंद रही थीं ।

(ii) कार्य आवंटन में विलम्ब

12 कार्यों के संदर्भ में विभिन्न स्तरों व अवस्थाओं पर विलंब की वजह से कार्य के आवंटन में विलंब हुआ।

एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली का परिशिष्ट 2.10 क्लाज 4.7 निर्धारित करता है कि निविदा दिनांक के चार माह के अंदर निविदा स्वीकृत हो जानी चाहिए। एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के परिशिष्ट 2.10 के क्लाज 8.1.1 के साथ ही साथ अनुबंध आगे निर्धारित करता है कि ठेकेदार निविदा स्वीकृति के तीस दिन के अंदर अनुबंध कार्यान्वित करेगा।

हमने चार संभागों[89] के 21 कार्यो में से 12 कार्यों (रूपांकित सिंचाई क्षमता 52,111 हे.) की नमूना जांच के देखा कि चार प्रकरणों[90] में कार्यादेश जारी किये जाने में (तीन से ग्यारह माह) विलम्ब था एवं कार्यपालन यंत्री स्तर पर चार प्रकरणों में[91] उच्चाधिकारियों को निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) भेजने में (आठ से छत्तीस माह) विलम्ब था। प्राधिकरण स्तर पर एन.आई.टी. निराकरण के पाँच[92] प्रकरणों में पाँच से बारह माह एवं निविदा स्वीकृत करने के दस प्रकरणों[93] में चार से तेरह माह का विलम्ब था। दो प्रकरणों[94] में शेष कार्य की निविदायें, मूल कार्य के निरस्तीकरण के 24 से 36 माह के बाद भी निराकृत नहीं हुये थे। इस प्रकार इन कार्यों के संदर्भ में विभिन्न स्तर एवं अवस्थाओं पर विलंब था जिसे **परिशिष्ट 2.21** में दर्शाया गया है।

विशेष रूप से, एल.बी.सी. कि.मी. 130.67 से कि.मी. 135.50 एवं इसकी वितरण प्रणाली (रूपांकित आई. पी. 34,223 हे.) निर्माण के चार कार्य (**परिशिष्ट 2.21** में स. क्र. पाँच से आठ) वर्ष 2005-06 में जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने हेतु प्रारंभ किये गये थे जो अभी तक अपूर्ण हैं (मार्च 2012) । सभी चार कार्य जुलाई 2009 से अक्टूबर 2010 तक ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण निरस्त कर दिये गये। तीन शेष कार्यों के लिए निविदा स्वीकृति में सात से तेरह माह का विलंब एवं एक कार्य में निविदा रद्द करने एवं कार्य को चार भागों में विभक्त कर निविदा आमंत्रण का निर्णय नौ माह विलम्ब से लिया गया।

निविदा के निराकरण में विलम्ब के सम्बन्ध में ई ई नहर संभाग क्र. 1 करेली ने उत्तर दिया कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक विलंब है जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि सभी शेष कार्यों (**परिशिष्ट 2.21** में स. क्र. पाँच से बारह) की निविदा का निराकरण, निरस्तीकरण दिनांक से 19 से 39 माह के विलंब के बाद भी नहीं हो पाया था। दो शेष कार्यों (**परिशिष्ट 2.21** में स. क्र. 11 एवं 12) की निविदा 24 से 36 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आमंत्रित नहीं की गई थी।

(iii) ठेकेदारों द्वारा अधूरा कार्य छोड़ा जाना

दंड/ ठेका प्रावधानों की अनदेखी के परिणामस्वरूप ठेकेदारों ने कार्य अधूरा छोड़ा।

हमारे द्वारा नहर निर्माण के 21 कार्यों में से नमूना जाँच किये गये आठ कार्य (50,321 हे. आई.पी. के सृजन के लिए) अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तक विभिन्न ठेकेदारों को अक्तूबर 2004 से दिसम्बर 2009 तक (13 से 21 माह के अंदर) पूर्ण करने हेतु आवंटित किये गये। सभी आठ कार्य ठेकेदारों की खराब प्रगति के कारण जून 2007 से अक्तूबर 2010 तक निरस्त कर दिये गये थे। इनमें से एक कार्य (नगना वितरिका) सात वर्षों के विलंब एवं ₹ 2.93 करोड़ जो कि मूल ठेकेदार से वसूली योग्य थी, की

89 (1) नहर संभाग क्र. 2 जबलपुर (2) नहर संभाग क्र. 2 गोटेगांव (3) नहर संभाग क्र. 1 करेली और (4) डिसनेट संभाग नरसिंहपुर

90 परिशिष्ट 2.21 का सरल क्रमांक एक से चार

91 परिशिष्ट 2.21 का सरल क्रमांक नौ से बारह

92 परिशिष्ट 2.21 का सरल क्रमांक पाँच से आठ एवं ग्यारह

93 परिशिष्ट 2.21 का सरल क्रमांक एक से दस

94 परिशिष्ट 2.21 का सरल क्रमांक ग्यारह एवं बारह

अतिरिक्त लागत पर अन्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया (जून 2011)। शेष सात कार्य अभी भी अपूर्ण थे (जुलाई 2012)।

चूँकि प्राधिकरण के पास इन ठेकों में पर्याप्त प्रतिभूति जमा उपलब्ध नहीं थी जो ठेकेदारों की कार्य पूर्णता में विफलता की स्थिति में समायोजित की जा सके, यह ठेकेदारों द्वारा कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने में असमर्थ थी जिनकी चर्चा कंडिका 6.1 से 6.4 तक की गयी है। अतः 50,321 हे. आई.पी. सृजन के कार्य में ठेकेदारों द्वारा कार्यों को अधूरा छोड़े जाने के कारण दो से सात वर्षों का विलंब हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.22** में विस्तारित किया गया है ।

(iv) निर्धारित समयवधि में कार्य पूर्ण न होना

एल.बी.सी. के कोई भी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये गये थे ।

समय सीमा किसी भी अनुबंध का सार है । फिर भी यह देखा गया कि वितरण नेटवर्क के निर्माण का ठेकेदारों को आवंटित कोई भी कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण नहीं हुआ । मई 2006 से मार्च 2012 तक पूर्ण किये गये 10 कार्यों की जांच दर्शाती है कि भू-अर्जन, विद्युत लाईन का स्थानांतरण, आरेखन एवं रूपांकन को प्रदाय करने, अतिरिक्त मात्रा के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण कार्यों की पूर्णता में छः वर्षों तक का विलम्ब हुआ । सभी 10 प्रकरणों में भू-अर्जन के कारण विलम्ब उल्लेखनीय थे जैसा कि **परिशिष्ट 2.23** में विस्तारित किया गया है ।

2.3.4.3 अपर्याप्त आयोजना के परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता सृजित न होना

एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली की कंडिका 2.025 एवं 2.026 के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के आधार पर बनाये जाने चाहिए । रूपांकन एवं प्राक्कलन संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए । एम.पी.डब्ल्यू.डी. की कंडिका 2.028 आगे निर्धारित करती है कि किसी प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी रूपांकन की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार होगा ।

(i) अपर्याप्त ड्रेनेज प्रणाली

हरेरी शाखा नहर खराब ड्रेनेज एवं निम्न विशिष्टि कार्य के कारण टूट गई, परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ का व्यय व्यर्थ हुआ।

हरेरी शाखा नहर का कि.मी. 31.30 से कि.मी. 52.83, जो एक कच्ची नहर थी, वर्ष 1992 से 2002 के मध्य ₹ 1.60 करोड़ की लागत पर नरसिंहपुर जिले के 3,093 हे. की सिंचाई के लिये निर्मित की गयी थी । नहर वर्ष 2007 में प्रथम बार पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात परीक्षित की गई थी । परीक्षण के दौरान नहर कि.मी. 33.18 पर टूट गई । वर्ष 2008-09 में, सुधार के उपरांत नहर परीक्षित की गई परन्तु पुनः विफल रही और कि.मी. 37.50 पर टूट गई । इसे भी वर्ष 2008-09 मे सुधारा गया । वर्ष 2009-10 में पानी के प्रवाह के दौरान नहर पुनः कि.मी. 43.500, 47.700, 48.100, 52.400 पर टूट गई । वर्षा के दौरान विभिन्न दूरियों पर नहर क्षतिग्रस्त हो गई ।

जी.एस.इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एंड साईंस इंदौर जिसे विभाग ने नहर की क्षति के कारणों के विश्लेषण हेतु प्राधिकृत किया था, ने प्रतिवेदित किया कि एम्बेन्कमेन्ट में प्रयुक्त अनुपयुक्त मिट्टी एवं उपयुक्त रूपांकित क्रॉस ड्रेनेज की अनुपस्थिति के कारण नहर क्षतिग्रस्त हुई थी । प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार ने भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2009) कि नहर का निर्माण भू-बांध विशिष्टियों

के अनुसार नहीं किया गया था यद्यपि यह स्थानीय पठारों और नर्मदा नदी के पास घाटियों से निकलती है ।

हमने आगे पाया कि, हरेरी शाखा नहर कि.मी. 31.30 से कि.मी. 52.83 तक 1992 से 2002 के दौरान पूर्ण की गयी परन्तु इसमें तुरंत जलप्रवाह नहीं किया गया एवं पिछली दूरियों (कि.मी. 00 से कि.मी. 31.30) की अपूर्णता के कारण निष्क्रिय पड़ी रही । परिणामस्वरूप, कि.मी. 31.30 से कि.मी. 52.83 तक कोई भी संधारण कार्य नहीं हुआ। दूसरी ओर नहर पठार के साथ-साथ संरेखित होने पर भी संपूर्ण दूरी में केवल एक क्रास ड्रेनेज[95] (सी.डी.) कि.मी. 33.19 पर प्रावधानित किया गया था । टूटी नहर के पुनर्निर्माण के प्राक्कलन (दिसम्बर 2011) में दो अतिरिक्त क्रास ड्रेनेज कि.मी. 38.50 एवं कि.मी. 41.50 पर प्रावधानित था जो दर्शाता है कि ड्रेनेज के लिये पूर्व में आयोजित रूपांकन त्रुटिपूर्ण था । क्षतिग्रस्त कार्य को सही करने के लिए ₹ 3.20 करोड़ की निविदायें अभी भी बुलाई जानी है (मार्च 2012) । इस प्रकार नहर निर्माण पर ₹ 1.60 करोड़ का व्यय मूलभूतरूप से निष्फल हो गया एवं 3,093 हे. आई.पी. का अभी तक उपयोग नहीं हो सका है ।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेखापरीक्षा के विचार से सहमत थे एवं निर्गम सम्मेलन में बताया (जून 2012) कि नहर की टूट तकनीकी विफलता थी एवं पुर्ननिर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) आउटलेट्स एवं री-सेक्शनिंग की अनायोजना ।

त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के परिणामस्वरूप 1,791 हे. आई.पी. का सृजन न होना एवं शेा कार्य की पूर्णता में ₹ 5.17 करोड़ की अतिरिक्त लागत ।

मुख्य नहर कि.मी. 66 और कि.मी. 84 के बीच, इसकी शाखाओं एवं वितरिकाओं में मिट्टी कार्य, लाइनिंग, संरचनायें एवं आउटलेट का कार्य ई.ई. नहर संभाग क्र. 2 गोटेगांव द्वारा मार्च 2002 में ₹ 17.26 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2004 में पूर्ण करने हेतु आवंटित किया गया था । ठेकेदार द्वारा ₹ 15.68 करोड़ के कार्य के कार्यान्वयन के पश्चात प्राधिकरण ने सितम्बर 2008 में शेष कार्य (₹ 1.58 करोड़) यह बताते हुए वापस ले लिया किः

(i) आउटलेट्स इस कारण नहीं बनाये जा सके कि आउटलेट की सही स्थिति फील्ड चैनल के कार्यान्वयन के दौरान निर्णीत की जाएगी ।

(ii) सीमेंट कांकरीट लाईनिंग पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि माइनर नहर का मिट्टी कार्य जो बहुत समय पूर्व पूर्ण हुआ बैठ चुका था एवं री-सेक्शनिंग कार्य आवश्यक था जो अनुबंध की परिधि में नहीं था ।

कारण जिस पर कार्य वापिस लिए गये दर्शाते है कि आउटलेट के स्थान एवं कार्यान्वित किये जाने वाले कार्य के मद के उचित निर्धारण के बिना कार्य प्रारंभ कर दिया गया था । इस प्रकार कार्य की अपर्याप्त आयोजना के परिणामस्वरूप शेष कार्य पर ₹ 5.17

[95] नहर का संरेखन प्राकृतिक ड्रेनेज घाटियों को पार करता है, एवं ड्रेन्स को सुरक्षित रूप से नहर को बिना क्षति पहुंचायें पार कराने का प्रावधान किया जाना हैं ।

करोड़[96] की अतिरिक्त लागत आई एवं 1,793 हे. आई.पी. का सृजन नहीं हो सका । हमने आगे पाया कि संशोधित प्राक्कलन में भी नहर प्रणाली की री-सेक्शनिंग का प्रावधान नहीं था ।

कार्यपालन यंत्री नहर संभाग क्र. 2 गोटेगांव ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) एवं बताया कि नहर प्रणाली की री-सेक्शनिंग का मद निविदा आमंत्रण करते समय रखा जाना था । उत्तर पुष्टि करता है कि प्राक्कलन पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना तैयार किया गया था ।

2.3.5 सृजित सिचाई क्षमता का खराब उपयोग

विगत पांच वर्षों (2007-12) मे सृजित आई.पी. का केवल आठ से पच्चीस प्रतिशत उपयोग हुआ ।

प्राधिकरण द्वारा मार्च 2008 तक 1.15 लाख हे. आई.पी. सृजित की गई थी जो जनवरी 2012 तक 1.23 लाख हे. तक बढ़ गयी लेकिन इसके विरूद्ध उपयोग 7,903 से 30,923 हे. के बीच रहा । इस प्रकार वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक सृजित आई.पी. का केवल आठ से 25 प्रतिशत उपयोग हुआ जैसा कि नीचे विस्तारित किया गया है

तालिका 2.27 सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग

(हेक्टयर में)

वर्ष	सृजित आई.पी.	वर्ष के दौरान उपयोग की गई आई.पी.	उपयोग का प्रतिशत
2007-08 तक	115377	7903	10
2008-09 तक	119383	9980	8
2009-10 तक	120483	15516	13
2010-11 तक	121453	30923	25
2011-12 तक	122599	29721	24

(स्त्रोत - जानकारी सी.ई. आर.ए.बी.एल.एस. एवं मैदानी ईकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

सृजित आई.पी. के खराब उपयोग के कारण थे, वाटर कोर्स (डब्ल्यू.सी.)[97] फील्ड चैनल्स (एफ.सी.)[98] का निर्माण न होना एवं विभिन्न कारणों जैसे गाद जमा होना, संरचनाओं के निर्माण न होने, संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने एवं नहर टूटने की वजह से पूर्ण नहर का पूरे वेग में न चल पाना जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है ।

2.3.5.1 नहर नेटवर्क के साथ-साथ वाटर कोर्स/फील्ड चैनल का निर्माण न होना

वाटर कोर्स/फील्ड चैनल के निर्माण न होने से सृजित आई.पी. का कम उपयोग ।

नहर प्रणाली में मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरिकायें, माईनर्स, सब माइनर्स, वाटर कोर्स और फील्ड चैनल समाविष्ट हैं । एल.बी.सी. नेटवर्क की अनुमोदित डी.पी.आर. (1989) सृजित आई.पी. के अधिकतम उपयोग के लिए 1.57 लाख हे. में डब्ल्यू.सी./एफ.सी का निर्माण प्रावधानित करती है ।

96 शेष कार्यों के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत (₹ 6.75 करोड़) एवं वापिस लिये गये कार्य के मूल्य (₹ 1.58 करोड़) का अंतर ।

97 वाटर कोर्सः नहर से निकाली गई एक चैनल जो जल को टर्नआउट तक ले जाता है ।

98 फील्ड चैनलः शासकीय आउटलेट से निकाली गयी एक चैनल और जो किसान के खेतो तक जाती है ।

हमने देखा कि नहर से खेतों में पानी ले जाने हेतु आवश्यक डब्ल्यू.सी./एफ.सी. नहर नेटवर्क के साथ-साथ निर्मित नहीं किए गए थे । सृजित आई.पी. 1.23 लाख हे. में से 17,870 हे. के लिये डब्ल्यू.सी./एफ.सी. का कार्य कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण[99] (काडा) द्वारा वर्ष 1991 एवं 2004 के मध्य किया गया । तत्पश्चात डब्ल्यू.सी./एफ.सी. का कार्य बंद कर दिया गया एवं प्राधिकरण द्वारा शेष कार्य पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया । एफ.सी. का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस) एवं काडा द्वारा वर्ष 2009-10 में पुनः प्रारंभ किया गया । डब्ल्यू.सी/एफ.सी. के कार्य 2009-10 एवं 2011-12 के मध्य केवल 10,194 हे. के लिए पूर्ण किये गये, डब्ल्यू.सी./एफ.सी. कार्य 4,830 हे. के लिए चल रह थे एवं शेष 89,705 हे. के लिए कार्य प्रारंभ नहीं हुए थे (मार्च 2012 तक) । कृषकों द्वारा नहर से पानी खींचकर अथवा अपने स्वयं के साधनों द्वारा सिंचाई की जा रही थी । इस प्रकार सिंचाई का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को उपलब्ध था जिनके खेत नहर के पास थे । नहर प्रणाली के साथ-साथ डब्ल्यू.सी./एफ.सी. का निर्माण न होने से नहर पूर्ण होने के बाद भी कृषक सिंचाई के लाभ से वंचित रहे ।

निर्गम सम्मेलन में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया (जून 2012) कि डब्ल्यू.सी./एफ.सी. निर्मित न होना ही आई.पी. के कम उपयोग का एकमात्र कारण नहीं था परन्तु सिंचाई क्षमता के उपयोग का लेखांकन न होना, अनियमित वर्षा एवं फसल चक्र (जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता है) परिवर्तन में कृषकों की असहमति भी आई.पी. के कम उपयोग के कारण थे । उन्होने आगे बताया कि डब्ल्यू.सी./एफ.सी. कार्य की पूर्णता में विलम्ब मुख्यतः इस तरह की परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र विकास संबंधी केन्द्र शासन की नीति में बार-बार परिवर्तन से हुआ था एवं डब्ल्यू.सी./एफ.सी. कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।

तथ्य यही है कि डब्ल्यू.सी./एफ.सी. कार्य की पूर्णता में विलम्ब के कारण कृषक, जो नहर के निकट नहीं थे सिंचाई सुविधा से वंचित रहे एवं परिणामस्वरूप 92,878 हे. आई.पी. का कम उपयोग हुआ । .

2.3.5.2 पूर्ण नहर का अप्रवाह

सृजित आई.पी. (1.23 लाख हे.) के अधिकतम उपयोग हेतु यह आवश्यक था कि नहर को संपूर्ण क्षमता से अंतिम छोर तक चलाया जाये ।

हमने देखा कि पूर्ण नहर को संपूर्ण क्षमता से न चलाये जाने के कारण सृजित आई.पी. का 17 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया । 590 माईनर्स/सब माइनर्स में से 143 माइनर्स/सब माइनर्स जिनकी आई.पी. 20,437 हे. थी, तली में गाद जमा होने के कारण (58 माइनर्स/सब माइनर्स आई.पी. 9,852 हे.), संरचनाओ जैसे हेड रेग्यूलेटर, ग्राम सड़क सेतु एवं क्रास ड्रेनेज न बनने से (55 माइनर्स/सब माइनर्स आई.पी. 6,636 हे.), नहर टूटने से (24 माइनर्स/सब माइनर्स, आई.पी. 3,093 हे.) एवं नहर संरचना

[99] भारत शासन ने 1974-75 में कमांड क्षेत्र विकास द्वारा सृजित एवं उपयोगित सिंचाई क्षमता के मध्य अंतर को पाटने के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की केन्द्र प्रवर्तित योजना चालू की । इस कार्यक्रम की निगरानी कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के संपूर्ण नियंत्रण में एक बहुअनुशासित टीम का गठन कर लिया गया ।

क्षतिग्रस्त होने से (छः माइनर्स/सबमाइनर्स आई.पी. 856 हे.) के कारण जल प्रवाह की स्थिति में नहीं थे । माइनर्स/सब माइनर्स के तली में गाद जमा होने का मुख्य कारण इसका संधारण न होना था । क्षति सुधार एवं अपूर्ण संरचनाओं के निर्माण की कार्यवाही भी समय पर प्रारंभ नहीं की गयी जो सिंचाई क्षमता के कम उपयोग का कारण रही ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012) एवं उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)

2.3.6 ठेकों के प्रबंधन में कमियाँ

अनुबंधो एवं नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अनधिकृत भुगतान, अधिक भुगतान एवं प्रतिभूति जमा (एस.डी.) / निष्पादन प्रतिभूति जमा (पी.एस.डी.) की अनियमित वापसी के उदाहरण देखे गये जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है।

2.3.6.1 ठेका प्रावधानों के अनुसरण न होने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

ठेके के प्रावधानों की अनदेखी दोषी ठेकेदारों से ₹ 5.35 करोड़ की वसूली योग्य राशि में परिणीत हुई ।

कार्यपालन यंत्री नहर संभाग क्र. 2 जबलपुर द्वारा एक ठेकेदार को दो कार्य[100] आवंटित किये गये (अप्रैल व जुलाई 2003) । कार्य क्रमशः जनवरी 2005 एवं अप्रैल 2005 में पूर्ण किये जाने हेतु अनुसूचित थे । ठेकेदार बढ़ी हुई अवधि में भी कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहा (31 मार्च 2008) । कार्यों को दिसम्बर 2008 में निरस्त कर दिया गया एवं अपूर्ण कार्यों के अंतिम देयक वसूली योग्य राशि ₹ 5.35 करोड़ (अनुबंध क्रमांक 01/03-04 के लिए ₹ 3.09 करोड़ एवं अनुबंध क्रमांक 02/03-04 हेतु ₹ 2.26 करोड़) के लिए पारित (नवम्बर 2010) किये गये जबकि संभाग के पास दोनो अनुबंधो में प्रतिभूति जमा के रूप में केवल ₹ 1.53 करोड़ उपलब्ध थे ।

हमने देखा कि विभिन्न अनियमिताओं जैसे मूल्यवृद्धि का त्रुटिपूर्ण भुगतान, अवमानक कार्य हेतु भुगतान, अधिक मात्रा का कार्यान्वयन एवं प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों की नहर कार्यों के चालू भुगतानों में प्रयुक्त सामग्री की रायल्टी की वसूली न किये जाने से वसूली उत्पन्न हुई जैसा कि नीचे विस्तारित किया गया है :

तालिका 2.28 भुगतानों में त्रुटियों के कारण प्रभावित होने वाली वसूलियाँ

विवरण	अनुबंध क्र. 1 राशि (₹ में)	अनुबंध क्र. 2 राशि (₹ में)
मूल्यवृद्धि का त्रुटिपूर्ण भुगतान	85,96,376	92,70,528
अपूर्ण कार्य के लिए शास्ति	7,40,000	9,10,000
खराब कार्य के लिए शास्ति	13,88,300	--
रायल्टी नहीं घटाई गई	66,44,198	44,97,237
अवमानक कार्य के कारण पिछले देयक से मात्रा की राशि कम की गयी	96,22,573	43,14,415
अधिक मात्रा के कारण पिछले देयक से मात्रा की राशि कम की गयी	46,47,113	47,95,439
कुल	**3,16,38,560**	**2,37,87,619**
अंतिम देयक में भुगतान योग्य राशि	(-) 6,165	(-) 2,40,444

[100] बेलखेड़ी वितरिका कि.मी. 00 से कि.मी. 34.00 एवं इसकी वितरण प्रणाली (अनुबंध 01/03-04), पिपरिया उपवितरिका कि.मी. 00 से कि.मी. 12, बेलखेड़ी टेल माइनर कि.मी. 00 से कि.मी. 15 एवं इसके माइनर एवं सबमाइनर्स (अनुबंध क्रमांक 02/03-04) ।

अंतिम देयक में मुक्त राशि	(-) 7,40,000	(-) 9,10,000
शुद्ध वसूली योग्य राशि	**3,08,92,395**	**2,26,37,175**
कुल वसूली योग्य राशि		**535.30 लाख**

(स्त्रोत - जानकारी ई.ई. नहर संभाग क्र. 2 जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

कार्यपालन यंत्री नहर संभाग क्रमांक -2 जबलपुर ने बताया (मार्च 2012) कि

(i) ठेकेदार मूल्य वृद्धि के लिए पात्र नहीं था क्योंकि समयवृद्धि दंड शर्त के अधीन स्वीकृत की गई थी ।

(ii) कुछ स्थानों पर नहर की लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त कार्य को सुधारने का वचन दिया था परन्तु उसके द्वारा इसे सुधारा नहीं गया । उन्होंने आगे बताया कि क्षतिग्रस्त कार्यों की मात्रायें अंतिम (भुगतान किये गये) मात्राओं में से घटाई गई थी ।

(iii) अतिरिक्त निष्पादित मात्राऐं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी अस्वीकृति के कारण अनुबंधित मात्राओं से कम की गई ।

उत्तर से पुष्टि होती है कि प्रारंभ में मूल्यवृद्धि के रूप में किए गए भुगतान गलत थे । लाईनिंग कार्य की व्यापक क्षति घटिया सामग्री/कारीगरी को दर्शाता है और अतिरिक्त कार्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यान्वित किये जाने चाहिए जिससे इस प्रकार की स्थिति एवं बाद की अवस्था में ठेकेदार के साथ विवाद से बचा जा सके ।

प्रतिभूति जमा/ निष्पादन प्रतिभूति जमा की अनियमित वापसी

प्रतिभूति जमा के ₹ 1.54 करोड़ की अनियमित वापसी की गई यद्यपि कार्य दोषी ठेकेदार की जोखिम व लागत पर निरस्त किया गया था व ₹ 5.35 करोड़ उससे वसूली योग्य थे ।

अनुबंध की मानक शर्त 4.3.17.2 के अनुसार ठेकेदार की एस.डी./पी.एस.डी. कार्य की पूर्णता तिथि के बारह माह के पश्चात वापस किया जाएगा । अनुबंध की शर्त 4.3.3.3 बताती है कि यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी के पास ठेकेदार के कार्य को माप करने एवं कार्य के कार्यान्वयन न किये गये भाग को अन्य ठेकेदार को सौंपने की शक्ति है । शेष कार्य के कार्यान्वयन में कोई अतिरिक्त लागत मूल ठेकेदार के द्वारा वहन एवं भुगतान की जाएगी जो ठेकेदार की एस.डी./पी.एस.डी. एवं उसे शासन की ओर से देय राशि से समायोजित की जाएगी ।

हमने देखा कि उपरोक्त दोनो अनुबंध कार्य की धीमी प्रगति के कारण अनुबंध की शर्त 4.3.3.3 के अंतर्गत 22.12.2008 को निरस्त कर दिये गये थे । अतएव, शेष कार्य अन्य एजेन्सी द्वारा पूर्ण किया जाना था एवं अतिरिक्त लागत, ठेकेदार की जमा से समायोजित की जानी चाहिए थी । इसके विपरित कार्यपालन यंत्री नहर संभाग क्र. 2 जबलपुर ने ठेकेदार द्वारा पी.एस.डी. के रूप में जमा ₹ 1.54 करोड़[101] की दो सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) अनियमित रूप से 22 नवम्बर 2009 को अर्थात ठेको के

[101] अनुबंध क्रमांक 1 एफ.डी.आर. क्र. 770083 दिनांक 10.04.03 के लिये ₹ 73.65 लाख
अनुबंध क्रमांक 2 एफ.डी.आर. क्र. 770642 दिनांक 14.07.03 के लिये ₹ 79.85 लाख
कुल ₹ 153.50 लाख

निरस्तीकरण के पश्चात वापस कर दी जिसे नीचे तालिका में विस्तारित किया गया है :

तालिका 2.29 प्रतिभूति जमा एवं निष्पादन प्रतिभूति जमा का वर्णन

(₹ लाख में)

अनुबंध क्रं.	एफ.डी.आर. के रूप में पी.एस.डी./ एस.डी.	चलित देयकों से एस.डी. घटाया	कुल राशि	पी.एस.डी. मुक्त किया	शेष उपलब्ध एस.डी.
1/2003-04	122.95	35.63	158.58	73.65	84.93
2/2003-04	99.96	48.25	148.21	79.85	68.36
		कुल	**306.79**	**153.50**	**153.29**

(स्त्रोत - जानकारी ई.ई. नहर संभाग क्र. 2 जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

प्राधिकरण ने इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि ₹ 3.82 करोड़ (₹ 5.35 करोड़ - ₹ 1.53 करोड़) में से ₹ 1.54 करोड़ की वसूली योग्य राशि समायोजित किए जाने का अवसर खो दिया। शेष राशि ₹ 3.82 करोड़ की वसूली अभी किया जाना था । दूसरी ओर कार्य की धीमी गति एवं ठेके के अनुवर्ती निरस्तीकरण के कारण परियोजना को विलंब भुगतान पड़ा एवं परिणामस्वरूप कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित रहे क्योंकि नहर कार्य अभी भी अपूर्ण है (मार्च 2013) ।

मुख्य अभियंता ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (मार्च 2012) एवं उत्तर दिया कि एस.डी. और पी.एस.डी. की वापसी अनुबंध के शर्त के अनुरूप नहीं थी । यह भी बताया कि संबंधित कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई है ।

2.3.6.2 कार्यों के बढ़े हुए माप के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

बढ़े हुए मापों के कारण दोषी ठेकेदारों को ₹ 62.20 लाख का अधिक भुगतान ।

एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली बताती है कि ठेकेदार को चालू भुगतान उपसंभागीय अधिकारी द्वारा माप अंकित करने के उपरांत ही किए जाने चाहिए । इस मापन के दस प्रतिशत संभागीय अधिकारी द्वारा नमूना जांच किये जाने चाहिए ।

ई.ई. नहर संभाग क्र. 1 करेली द्वारा ठेकेदारों को दो कार्य[102] ₹ 32.87 करोड़ के लिए क्रमशः मई 2006 और जुलाई 2008 में पूर्ण किये जाने हेतु आवंटित (अगस्त 2004 और नवम्बर 2006) किए गए थे । धीमी प्रगति के कारण कार्य क्रमशः मार्च 2010 एवं जुलाई 2009 में निरस्त किए गए थे ।

उक्त अपूर्ण कार्यों के अंतिम देयकों की जांच में हमने पाया कि अंतिम देयक में कार्य के कई मदों में कार्यान्वित मात्रायें उपन्तिम देयको में भुगतान की गई मात्राओं से कम थी । एम्बेंकमेन्ट में प्रयुक्त मिट्टी में से कार्य से खनित मिट्टी को न घटाया जाना, संकुचन अनुमान्यता को न घटाया जाना, चिपकने एवं न फूलने वाली मिट्टी

[102] (I) एल.बी.सी कि.मी. 126.190 से कि.मी. 130.670 एवं इसके वितरण प्रणाली का निर्माण (II) साडुमार शाखा नहर कि.मी. 00 से कि.मी. 4.5 और डुंगरिया वितरिका कि.मी. पांच से कि.मी. 23 का निर्माण

(सी.एन.एस.)[103] के कार्यान्वयन से सी.एन.एस. सामग्री की उत्खनित मात्रा न घटाया जाना एवं पूर्व देयकों में त्रुटिपूर्ण संगणना इसके कारण थे ।

पूर्ववर्ती देयकों तक बढ़े हुए मापन के कारण ₹ 62.20 लाख **(परिशिष्ट 2.24)** का अधिक भुगतान प्रकट करता है कि ई.ई. माप पुस्तिका के माप अंकन में नियंत्रण रखने में विफल रहे ।

ई.ई. डिसनेट संभाग नरसिंहपुर ने बढ़े हुए माप के कारण अधिक भुगतान को स्वीकारा (जनवरी 2012) एवं कहा कि यह ठेकेदार की जमा से समायोजित किया जाएगा । बढ़े हुए माप पर भुगतान परियोजना की मूर्त परिसंपत्ति सृजित किए बिना परियोजना लागत बढ़ने में परिणीत हुई ।

2.3.6.3 मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान

भू-अर्जन में विलंब के कारण ₹ 4.81 करोड़ मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान एवं दूसरी ओर 25,675 हे. में सिंचाई सुविधा में विलंब ।

एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के परिशिष्ट 1.25 (vi) के अनुसार, कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी कार्य के लिये अपेक्षित भूमि, खदान को लिखना एवं भूमि अर्जन/भूमि अन्तरण के लिये यह आश्वस्त होने के विचार से कि अपेक्षित भूमि का अन्तरण लक्ष्य दिनांक के पूर्व कार्यों को आरम्भ करने के लिये स्थापित हो सके, कार्यक्रम तैयार करने की है ।

नहर कार्यों के 25,675 हे. में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य वाले तीन अनुबंधों **(परिशिष्ट 2.25)** में हमने देखा कि कार्य, भू-अर्जन में विलम्ब के कारण समयवधि में पूर्ण नहीं हए थे । सक्षम अधिकारी ने ठेकेदारों को इस आधार पर समयवृद्धि प्रदान की । अनुबंध की शर्त 2.40.2 के अनुसार ठेकेदार बढ़ी हुई अवधि में उस विलम्ब के लिए जिसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, मूल्यवृद्धि के पात्र थे । हमने आगे देखा कि कार्य या तो भू-अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ किये बिना आवंटित कर दिये गए थे अथवा ठेकेदार को कार्य आवंटन तिथि के 27 से 39 माह पश्चात अर्जित किये गये थे । यह अनुसूचित पूर्णता समयवधि के बढ़ने एवं ठेकेदार को ₹ 4.81 करोड़ का मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान निर्धारित समयवधि से अधिक अवधि हेतु करने में परिणीत हुआ । इस प्रकार कार्य पूर्णता में एक वर्ष से तीन वर्ष छः माह के विलम्ब के कारण जैसा **परिशिष्ट 2.25** में विस्तारित है 25,675 हे. सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने मे तद्नुसार विलम्ब हुआ ।

ई.ई डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर ने बताया (जनवरी 2012) कि शाखा नहर हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव कार्य प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत कर दिये गये थे, जबकि माइनर्स/सब माइनर्स का प्रस्ताव धनाभाव के कारण फरवरी 2003 में कार्य के नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत होने के कारण बाद में प्रस्तुत किया गया । उत्तर फिर भी भू-अर्जन के बिना कार्य के आवंटन के लिए स्पष्टीकरण नहीं देता है । अन्य दो संभागों ने कोई उत्तर नहीं दिया । मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान परियोजना की लागत को भी बढ़ायेगा ।

मामला शासन को भी प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 2012) एवं उत्तर अभी तक प्राप्त नही हुआ है (मार्च 2013) ।

[103] यह, विभिन्न स्तरों के चिपकने की गुणधर्मिता वाली एवं इलाईट एवं क्योलिनाइट तथा उनके मिश्रण के साथ 50 प्रतिशत से अधिक तरलता सीमा की कम प्लास्टीसीटी वाले उनके मिश्रण की भांति न फूलने वाले क्ले खनिज जैसी मिट्टियाँ है ।

2.3.6.4 अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों की अनदेखी करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ

हमने देखा कि कई अवसरों पर प्राधिकरण अपने हितों की रक्षा या शासन को हानि रोकने के लिए ठेके के प्रावधानों को लागू करने मे विफल रही जो ठेकेदारों को नीचे संक्षिप्त रूप से दिये अनुसार अनुचित वित्तीय लाभ में परिणीत हुआ ।

अनियमित्ता की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
(i) ठेके के समापन में दोषी ठेकेदारों के लिए शर्त लागू न करना	अनुबंध की शर्त 4.3.2 निर्धारित करती है कि यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है एवं ठेका समाप्त किया जाता है तो एस.डी./पी.एस.डी. की राशि शासन द्वारा राजसात किया जाएगा । शेष कार्य अन्य एजेन्सी के माध्यम से ठेकेदार की लागत पर कराया जाएगा एवं अतिरिक्त लागत यदि कोई हो तो मूल ठेकेदार से वसूला जाएगा । आगे अनुबंध की शर्त 4.3.3.3 निर्धारित करती है कि यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने मे विफल रहता है तो सक्षम अधिकारी के पास दोषी ठेकेदार को किसी अन्य नई निविदा/ठेके में भाग लेने से रोकने, काली सूची में नाम लिखने एवं प्रतिभूति जमा/निष्पादन प्रतिभूति जमा राजसात करने के अतिरिक्त ठेकेदार का पंजीयन निरस्त करने की शक्ति होगी । हमने आठ निरस्त अनुबंधो की जांच में देखा कि मुख्य नहर (कि.मी. 130 से कि.मी. 135) शाखा नहर एवं इनकी वितरिकाओं के निर्माण के चार कार्यों में ठेकेदार माइलस्टोन प्राप्त करने में असफल रहे एवं ठेके अनुबंध की शर्त 4.3.2 के स्थान पर 4.3.3.3 मे निरस्त किये गये । शर्त 4.3.2 के अंतर्गत ठेके का निरस्तीकरण शासन को अधिक लाभकारी था क्योंकि प्रतिभूति जमा का राजसातीकरण एवं आगामी कार्यों को आवंटित किए जाने के लिए ठेकेदार का नाम काली सूची में रखने के अतिरिक्त शेष कार्य पूर्ण किए जाने पर होने वाला अतिरिक्त व्यय भी मूल ठेकेदार से वसूला जाना था । इस प्रकार शर्त 4.3.2 लागू न किए जाने के कारण प्राधिकरण ने शेष कार्य पूर्ण करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को मूल ठेकेदार से वसूल किये जाने का अवसर खो दिया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में कुल वृद्धि एवं शासन को परिहार्य हानि ₹ 37.06 करोड़ की हुई जिसे **परिशिष्ट 2.26** में विस्तारित किया गया है । हमने आगे देखा कि यद्यपि ठेके अनुबंध की शर्त 4.3.3.3 के अंतर्गत बन्द किये गये थे संभाग ने ठेकेदारों की एस.डी./पी.एस.डी. ₹ 7.02 करोड़ मे से जो प्राधिकरण के पास उपलब्ध थी केवल

अनियमित्ता की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
	₹ 1.82 करोड़ ही राजसात किया । निर्गम सम्मेलन के दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए बताया (जून 2012) कि कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेके निरस्तीकरण के आदेश पुनरीक्षण हेतु कानूनी सलाह ली जाएगी ताकि दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत वसूला जा सके । तथ्य यही है कि दंड रहित शर्त में कार्यों को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है ।
(ii) असंतुलित मदों के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की कटौती न किए जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान	अनुबंध की शर्त 3.26 प्रावधानित करती है कि यदि ठेकेदार द्वारा विभिन्न मदों पर दी गई दरें असमानुपातिक रूप से इन मदों के प्राक्कलित दरों से अधिक होती है तो इन मदों के लिये भुगतान प्राक्कलित दर में समग्र निविदा प्रतिशत जोड़कर / घटाकर किया जायेगा । शेष भुगतान को संपूर्ण कार्य की पूर्णता तक अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के रूप में रोककर रखा जायेगा । रोकी गई राशि राजसात की जायेगी यदि ठेकेदार काम छोड़ कर जाता है । अनुबंध के प्रावधान के अतिरिक्त निविदा अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी ने भी विशिष्ट रूप से असमानुपातिक मदों के भुगतान को जैसा कि अनुबंध की धारा 3.26 में दर्शाया गया है नियमित करने हेतु निर्देशित (उनके स्वीकृति पत्र के अनुसार) किया था । एल.बी.सी. एवं इसके वितरण नेटवर्क के 12 अनुबंधों की जांच में हमने देखा कि ठेकेदार ने कार्य के कुछ मदों के लिये अनुमानित दरों से अधिक दरें दी थीं जिसके लिये राशि ₹ 9.51 करोड़ अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के रूप में रोके जाने की आवश्यकता थी । 12 अनुबंधों में से सात अनुबंध, कार्य की धीमी गति के कारण निरस्त किये गयें । दो प्रकरणों[104] में जहां अतिरिक्त सुरक्षा निधि ₹ 1.01 करोड़ वसूल किये गये थे ठेकेदार को कार्य निरस्त किये जाने के पूर्व ₹ 92 लाख वापस कर दिये गये थे । अनुबंध के प्रावधानों एवं निविदा अनुमोदन प्राधिकारी के विशिष्ट निर्देश के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली न किये जाना सात निरस्त प्रकरणों में ठेकेदारों से राशि ₹8.56 करोड़[105] वसूल न किये

104 (1) अनुबंध क्रमांक (01/07-08) कि.मी. 130.670 से कि.मी. 135.50 एवं रेणुका वितरिका कि.मी. 00 से कि.मी. 5 का निर्माण (।।) अनुबंध क्रमांक (2/07-08) साड़मार शाखा नहर कि.मी. 4.5 से कि.मी. 9.00 एवं अमोड़ा वितरिका का निर्माण ।

105

सात निरस्त प्रकरणों से वसूली जाने वाली राशि	₹ 8.64 करोड़
संभाग के पास उपलब्ध राशि	₹ 92 लाख
वसूली योग्य राशि	₹ 8.56 करोड़

अनियमित्ता की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
	जाने एवं पांच पूर्ण प्रकरणों में ठेकेदारों को ₹ 86 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ में परिणीत हुआ (**परिशिष्ट 2.27**) । स्पष्टतः इस शर्त को लागू न किये जाने के कारण कार्य की पूर्णता को प्राकलित समय एवं लागत के अंदर सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदारों पर निषेधात्मक प्रभाव नहीं रहा । कार्यपालन यंत्री एल.बी.सी. संभाग क्रमांक 2 जबलपुर ने उत्तर में बताया (मार्च 2012) कि जब ठेकेदार दोनों निम्न एवं उच्च स्तर मदों को साथ साथ कार्यान्वित कर रहा था, कार्य के हित में असंतुलित मदों के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति रोक कर नहीं रखी गई। उत्तर असंतुलित मदों के लिये अतिरिक्त सुरक्षा वसूली न किये जाने को न्यायोचित नहीं करता है क्योंकि अनुबंध का निबंधन इसे प्रावधानित करता है। निविदा अनुमोदन प्राधिकारी ने भी अपने अनुमोदन पत्रों में असंतुलित मदों को चिन्हित किया था एवं अनुबंध की असंतुलित मद शर्त को लागू करने को निर्देशित किया था ।
(iii) कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के लिये ठेकेदारों पर शास्ति का अनारोपण	अनुबंध की शर्त 4.3.5.3 निर्धारित करती है कि अनुबंध के निबंधनों के अनुसार समयवृद्धि की अनुमति क्षतिपूर्ति की वसूली के अधिकारों के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिये । आगे एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के परिशिष्ट 2.14 की शर्त 4.3.2 (मद दर निविदा का मानक प्रपत्र) शास्ति की मात्रा प्रावधानित करता है । हमने देखा कि नहर संभाग क्रमांक 1 करेली के तीन अनुबंध निरस्त कर दिये गये क्योंकि ठेकेदार ठेके के बताये अनुसार माइलस्टोन प्राप्त करने में विफल रहे थे । समयवृद्धि दण्ड शर्त 4.3.5.3 के अन्तर्गत प्रदान की गई थी परन्तु ठेकों में शास्ति की मात्रा नहीं बताई गई थी क्योंकि शर्त 4.3.2 प्राधिकरण द्वारा संशोधित कर दी गई थी । चूंकि समयवृद्धि दण्ड शर्त के अन्तर्गत प्रदान की गई थी क्षतिपूति राशि ₹ 4.62 करोड़ (**परिशिष्ट 2.28**) का ठेकेदारों पर अनारोपण किया जाना था । प्राधिकरण ने फिर भी दोषी ठेकेदारों पर क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की थी । इस प्रकार दोषपूर्ण दंड शर्त ने ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से बचने की सुविधा प्रदान की इसके द्वारा संपूर्ण परियोजना लागत पर प्रभाव पड़ा । संभाग के ई.ई. ने बताया (जनवरी 2012) कि अनुबंध में क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं था अतः यह वसूल नहीं किया जा सका । उत्तर से स्पष्ट है कि ठेके दोषपूर्ण थे।
(iv) ठेकेदारों से सुरक्षित अग्रिम	अनुबंध की शर्त 3.25 के अनुसार सुरक्षित अग्रिम की वसूली प्रत्येक

अनियमित्ता की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
की कम वसूली	आगामी देयक में निष्पादित मदों में प्रयुक्त सामग्री की सीमा तक प्रभावी होना चाहिये । हमने साड़मार शाखा नहर (कि.मी. 0.0 से कि.मी. 4.5) के निर्माण में देखा कि ₹ 58.95 लाख सुरक्षा अग्रिम ठेकेदार को भुगतान किया गया (दिसम्बर 2006 से नवंबर 2008) । जबकि इसके देयकों से ₹ 37.45 लाख की वसूली (मार्च 2007 से फरवरी 2009) की गई थी, ठेकेदार ने कार्य अधूरा छोड़ दिया (जुलाई 2009) एवं शेष राशि ₹ 21.50 लाख ठेकेदार के अंतिम देयक से वसूल किये बिना रह गये जिसमें उसके अंतिम देयक में त्रुटिपूर्ण समायोजन के ₹10.19 लाख को भी सम्मिलित किया गया है । शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि केवल ₹ 11.31 लाख का सुरक्षा अग्रिम अंतिम देयक मे वसूली के लिये शेष था जिसके विरूद्ध संभाग के पास ₹ 18.00 लाख मूल्य की पूर्वढलित टाइल्स उपलब्ध थी । उत्तर सही नहीं है क्योंकि ₹ 10.19 लाख अंतिम देयक में त्रुटिपूर्ण तरीके से समायोजित कर लिये गये थे एवं इस प्रकार ₹ 21.50 लाख (₹ 11.31 लाख एवं ₹10.19 लाख) वसूली के लिये शेष थे। कार्यस्थल पर पड़ी हुई सामग्री का मूल्य वसूली योग्य राशि के विरूद्ध तब तक समायोजित नहीं माना जाता जब तक वह कार्यों में प्रयुक्त नहीं हो जाये जैसा कि समायोजन, परियोजना की लागत को सिंचाई क्षमता के रूप में होने वाले अनुकूल लाभ के बिना बढ़ा देता है ।

2.3.7 निष्कर्ष

यद्यपि प्राधिकरण को 1996-97 एवं 2009-10 के मध्य कोई वित्तीय बाधाएं नहीं थी, नहर निर्माण कार्य कार्य आवंटन में विलम्ब, भू-अर्जन में विलम्ब एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण लक्षित दिनांक के अन्दर पूर्ण नहीं हो सका । आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना जो कि 2015 तक पूर्ण किये जाने हेतु पुर्नअनुसूचित की गई थी मुख्य नहर के साथ वितरण प्रणाली और फील्ड चैनलों के कार्यों में तालमेल न होने के कारण सिंचाई उपलब्ध करवाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई जैसा कि मार्च 2012 तक 1.23 लाख हे. सृजित आई.पी. में से केवल 29,721 हे. ही उपयोग हो पाई थी । मुख्य नहर कि.मी. 130.67 से कि.मी. 135.50 एवं इसके वितरण नेटवर्क के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब नरसिंहपुर जिले के 34,382 हे. की सिचाई के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक बड़ा अवरोध होगा ।

संभाग स्तर पर ठेका प्रबन्धन दोषपूर्ण था एवं इसके परिणामस्वरूप लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की उपलब्धि नहीं हुई । ठेका प्रावधानों को लागू न किये जाने, जैसे असंतुलित

मदों के लिये प्रतिभूति राशि का न रोका जाना, ठेकेदारों को अधिक भुगतान, जोखिम एवं लागत शर्त का लागू न किया जाना एवं शास्ति का अनारोपण इसके उदाहरण थे ।

तीसरा अध्याय

विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा

अध्याय- III

नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा

प्रमुख विशेषताएँ

नर्मदा नदी, शहडोल जिले में अमरकंटक से प्रारंभ होती है एवं गुजरात राज्य के भरूच जिले में अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले 1,312 कि.मी. की लम्बाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है । जैसा कि तटवर्ती राज्यों के बीच, पानी के बँटवारे पर विवाद थे, गुजरात राज्य ने नर्मदा जल बँटवारे के लिए, जल संसाधन मंत्रालय को अंतर्राज्जीय जलविवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक औपचारिक शिकायत प्रस्तुत की (जुलाई 1968) एवं जल के बँटवारे के विषय पर निर्णय देने हेतु 1969 में एक न्यायाधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) का गठन किया गया था। दिसंबर 1979 के न्यायाधिकरण के अवार्ड के अनुसार मध्य प्रदेश को 18.25 एम.ए.एफ. नर्मदा का जल प्राप्त होना था। एन.डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा 2024 में इसकी समीक्षा की जानी थी । नर्मदा बेसिन में सिंचाई सुविधाओं के द्रुतगामी विकास के लिए, मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन. व्ही. डी.डी.) की स्थापना की (जुलाई 1981)। जुलाई 1985 में, नर्मदा घाटी की वृहद परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के एक बहु आयामी नियंत्रण वाले प्राधिकरण (एन.व्ही. डी.ए.) को सौंपा गया । अब तक, नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर, 9.114 मिलियन एकड़ फीट पानी के संग्रहण एवं 3.1565 मिलियन एकड़ फीट पानी के उपयोग के लिए नहर प्रणाली हेतु 13 परियोजनाओं के लिए 11 बांधों का निर्माण हो सका था ।"नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड के अनुसार राज्य की नर्मदा जल के उपयोग हेतु तैयारी" पर विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ किः

- ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब एवं पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन आयोजना बनाने में विलंब के कारण नर्मदा जल के उपयोग की आयोजना में स्लीपेज थे ।

(कंडिका 3.6)

- परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सभी घटकों की पूर्णता में विलंब थे जो बांधों के साथ-साथ नहरों एवं वितरण प्रणालियों के लागत आधिक्य एवं अपूर्णता में परिणीत हुए।

(कंडिका 3.7)

- निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण न करने, अपूर्ण जानकारी, अपर्याप्त आरेखन, इत्यादि के कारण आरेखन, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति में विलंब थे।

(कंडिका 3.7.2)

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) को अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने, पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण / पर्यावरण प्रबंधन आयोजना को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब थे ।

(कंडिका 3.7.3)

- निविदाएं को स्वीकार करने एवं कार्य आवंटन में देरी ने परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब हेतु योगदान दिया ।

(कंडिका 3.7.6)

- नहरों के कार्यों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से, ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति, कुछ दूरियों में भूमि अधिग्रहण में देरी, अपर्याप्त प्राक्कलन एवं एक साथ सभी दूरियों में कार्यान्वयन प्रारंभ करने के स्थान पर अलग-अलग दूरियों के लिए चरणबद्ध रीति से कार्यों के कार्यान्वयन के कारण विलंबित हुआ था ।

(कंडिका 3.7.7 (II))

- आठ टर्न-की ठेकों की, 18 से 36 माह की नियत पूर्णता अवधि पहले ही व्यपगत हो चुकी थी । यद्यपि सभी कार्य अगस्त 2012 की स्थिति में, 12 माह से 20 माह तक के विलंब के पश्चात भी अपूर्ण थे ।

(कंडिका 3.7.7 (III))

- नर्मदा बेसिन के शेष भाग में (अमरकंटक से हंडिया गेज) मध्यम एवं लघु परियोजनाओं (710000 हेक्टेयर के लिए 2.677 मिलियन एकड़ फीट) के सर्वेक्षण कार्य, अगस्त 2012 तक आवंटित नहीं किए गए थे ।

(कंडिका 3.8)

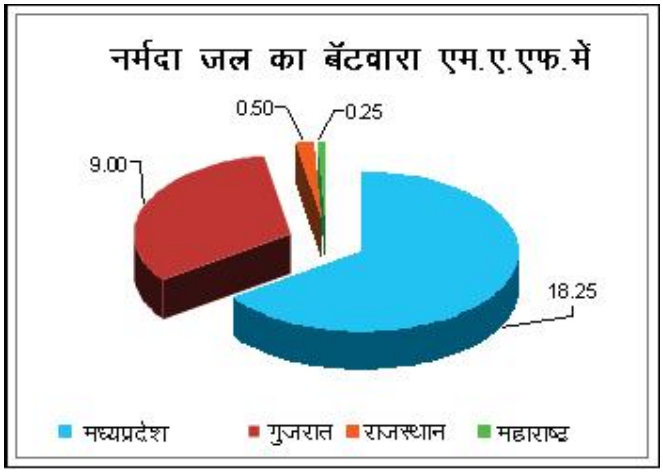
- न्यायाधिकरण के अवार्ड की दिनांक से 33 वर्ष से अधिक व्यपगत होने के बाद भी, जून 2012 को समाप्त जल वर्ष के दौरान कुल जल का उपयोग आवंटित भाग के विरूद्ध मात्र 5.51 मिलियन एकड़ फीट था ।

(कंडिका 3.9)

- राज्य योजना आयोग द्वारा अधिकतम सीमा के अधिरोपण के पश्चात्, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने शेष परियोजनाओं की पूर्णता के लिए आवश्यक ₹ 11002 करोड़ के अंतर को पाटने हेतु तालमेल बनाने के लिए अब तक आयोजना नहीं बनाई थी ।

(कंडिका 3.10)

3.1 प्रस्तावना



स्रोतः एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

नर्मदा नदी, भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश (एम.पी.) के 20 जिलों को आच्छादित करती है । यह शहडोल जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकल कर गुजरात राज्य के भरूच जिले में अरब सागर की खम्भात की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1,312 किलोमीटर की दूरी में पश्चिम की ओर बहती है । जैसा कि तटवर्ती राज्यों के बीच जल के बँटवारे पर विवाद थे, गुजरात शासन ने, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को अंतर्राज्जीय जलविवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नर्मदा जल के बँटवारे हेतु एक औपचारिक शिकायत प्रस्तुत की (जुलाई 1968)।

नर्मदा जल के बँटवारे के विवाद पर निर्णय देने के लिए अक्टूबर 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) का गठन किया था । न्यायाधिकरण ने 75 प्रतिशत निर्भरता पर 28 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) नर्मदा जल की उपयोगी प्रमात्रा निर्धारित की एवं इसे, चार तटवर्ती राज्यों के बीच अवार्ड (अवार्ड) दिसम्बर 1979 के माध्यम से आवंटित किया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है

तालिका क्र. 3.1

जल की मात्रा	मध्य प्रदेश	गुजरात	राजस्थान	महाराष्ट्र	कुल
(एम.ए.एफ. में)	18.25	9.00	0.50	0.25	28.00
(मिलियन क्यूबिक मीटर में)	22511.01	11101.32	616.74	308.37	34537.44
अनुपात	73	36	2	1	

(स्त्रोत : एन.वी.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

आगे, अवार्ड में

- यह कि यह हिस्सेदारी, वास्तविक निकासी के आधार पर की जानी थी न कि खपत उपयोग[1] के आधार पर ।

[1] उपयोगी खपत से आशय उपलब्ध आपूर्ति से उपयोग किया जल एक जल संसाधन प्रणाली की ओर पुनः उपयोग के लिए वापस न आए (जैसे कि, कृषि के लिए उपयुक्त जल एक प्रवाह, नदी में वापस नहीं आता है)

- यह कि प्रत्येक पक्षकार राज्य, जल के अपने भाग के भीतर, जल उपयोग के स्वरूप में एवं नर्मदा बेसिन तथा इसके भूभाग के भीतर अथवा बाहर के क्षेत्रों के हितो के लिए, ऐसे परिवर्तन जो आवश्यक समझे, करने हेतु स्वतंत्र था ।
- जल के न्यायसंगत आवंटन के संबंध में, न्यायाधिकरण के निर्णय के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक (दिसम्बर 1979) से 45 वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी भी समय समीक्षा

का प्रावधान था ।

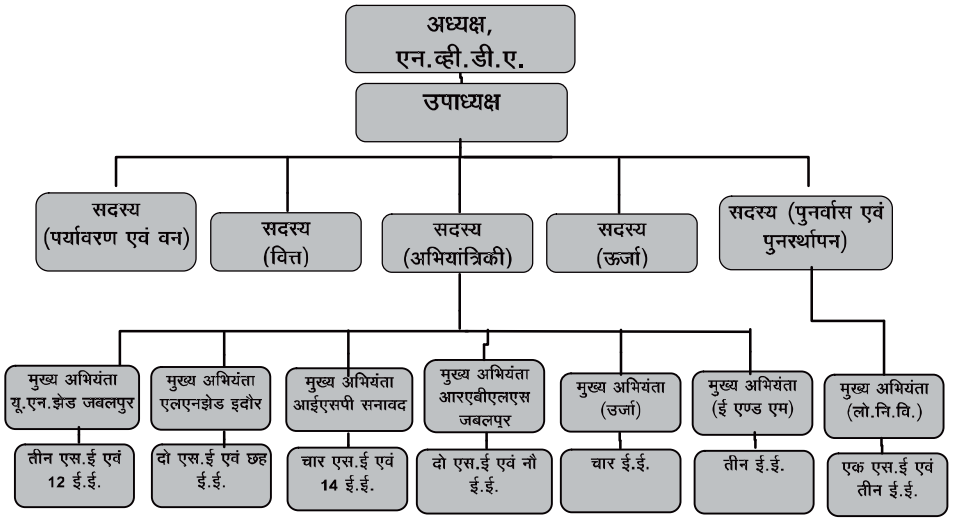
इस प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य को, एन.डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा 2024 में या उसके पश्चात् समीक्षा के दौरान अनुपयोगित जल के पुन: आवंटन को टालने के लिए वर्ष 2024 तक आवश्यक अधोसंरचना सृजित कर 18.25 एम.ए.एफ. जल के आवंटित भाग का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.व्ही. डी.डी.), नर्मदा घाटी में वृहद सिंचाई एवं बहु उद्देशीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से 1981 में सृजित किया गया था । 1985 तक सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से किया गया था ।

एन.डब्ल्यू.डी.टी. के अवार्ड के समीक्षा वर्ष के पूर्व नर्मदा जल के बाँटे गए हिस्से के उपयोग के लिए वृहद परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं नर्मदा बेसिन में जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की आयोजना के विशिष्ट उद्देश्य के लिए एन.वी.डी.ए. का गठन जुलाई 1985 में किया था । संगठन अपनी जनशक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति, अन्य शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर एवं निश्चित अवधि के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनर्नियुक्ति के माध्यम से भर्ती द्वारा करने हेतु अधिदेशित है ।

3.2 संगठनात्मक संरचना

एन.व्ही. डी.ए. के प्रमुख, शासन के राज्य मंत्री होते है जो एन.व्ही. डी.ए. के पदेन अध्यक्ष होते है । उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सहायता करते है, जो एन.व्ही. डी.ए. के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी है । उपाध्यक्ष, सदस्य (पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन), सदस्य (वित्त), सदस्य (अभियांत्रिकी), सदस्य (उर्जा), सदस्य (पर्यावरण एवं वन) द्वारा सहायित हैं । सदस्य (अभियांत्रिकी) चार मुख्य अभियंताओं (जबलपुर में दो एवं इन्दौर और सनावद में एक-एक) से सहायित है जो क्षेत्र स्तर पर अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों से सहायित है, जैसा कि संगठन चार्ट में दर्शाया गया है: -



3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

नर्मदा कछार की परियोजनाओं की अब तक पूर्णता एवं शेष परियोजनाओं को समीक्षा वर्ष तक पूर्ण करने की आयोजना एवं एन.व्ही.डी.ए. की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए एन.व्ही.डी.ए. की विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा की गई थी । इसके लिए, लेखापरीक्षा ने निम्न पहलुओं की जांच की;

- परियोजनाओं की पहचान एवं आयोजना
- परियोजनाओं की गतिविधियों का आयोजना के अनुसार कार्यान्वयन
- पूर्ण तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं में जल का उपयोग
- परियोजनाओं का निधिकरण
- परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी

3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष;

- न्यायाधिकरण का अवार्ड, मास्टर प्लान (1972), मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली और मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.)

- मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियम (म.प्र.का.आ.नि.), विज़न दस्तावेज (2012, 2015 एवं 2020), रिवर्स कैलेण्डर 2012 एवं

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन और अनापत्ति के लिए दिशा-निर्देश, 2010 के प्रावधान और

- लघु सिंचाई पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यकारी समूह एवं योजना आयोग के प्रतिवेदन

के प्रावधानों से लिए गए मानदंडों के आधार पर थे ।

3.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

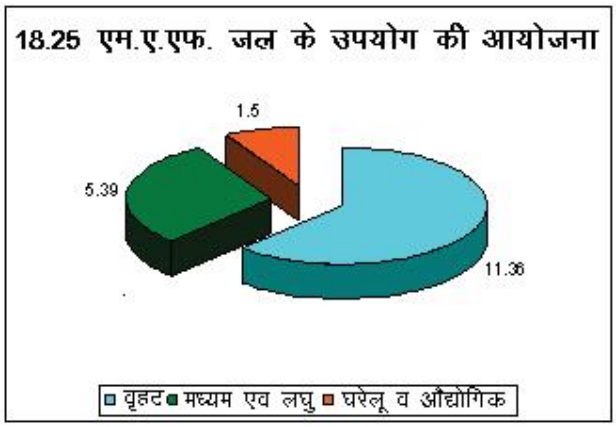
विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा में अब तक कार्यान्वित परियोजनाओं, शेष परियोजनाओं के आयोजना तथा कार्यान्वयन एवं नर्मदा जल के उपयोग के विस्तार की समीक्षा आच्छादित है । विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा जून 2012 से सितम्बर 2012 के दौरान संचालित की गई थी ।

जून 2012 में प्रवेश सम्मेलन के दौरान एन.व्ही. डी.ए. के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्डों एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी ।

उपाध्यक्ष, एन.व्ही.डी.ए. के साथ आयोजित निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2012) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई थी । निर्गम सम्मेलन में व्यक्त किए गए प्राधिकरण के दृष्टिकोणों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है । लेखापरीक्षा निष्कर्ष शासन को भेजे गए थे (अक्टूबर 2012) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013) ।

3.6 नर्मदा जल के उपयोग के लिए आयोजना

एन.व्ही.डी.ए. ने परियोजनाओं की पूर्णता को तीन बार पुनरीक्षित किया एवं अब 2020-21 तक पूर्ण करना तय किया गया है ।



स्रोतः एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1972 में, 31 वृहद, 441 मध्यम एवं 1927 लघु परियोजनाओं के माध्यम से 24.08 एम.ए.एफ. नर्मदा जल के उपयोग के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था। न्यायाधिकरण के अवार्ड के बाद वृहद (23), मध्यम (135) एवं लघु परियोजनाएं (3000)[2] से 16.75 एम.ए.एफ की संचयी सिंचाई क्षमता तथा शेष 1.5 एम.ए.एफ. घरेलू/ औद्योगिक उपयोग के लिए ग्राफ में दर्शाए अनुसार कम किए गए भाग 18.25 एम.ए.एफ (**परिशिष्ट 3.1**) के उपयोग के लिए योजना बनाई थी (सितम्बर 1978) । 18.25 एम.ए.एफ. जल के प्रस्तावित उपयोग का परियोजना वार विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है ।

[2] ऐसी परियोजना जिसका कमान क्षेत्र 10000 हेक्टेयर से अधिक है वृहद परियोजना के रूप में वर्गीकृत है, 10000 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर के मध्य कमान क्षेत्र मध्यम परियोजना के रूप में वर्गीकृत है एवं 2000 हेक्टेयर से कम कमान क्षेत्र लघु परियोजना के रूप में वर्गिकृत है ।

दिसम्बर 2003 में नर्मदा कछार में वृहद परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के विकास के लिए "विज़न 2012" दस्तावेज एन.व्ही.डी.ए. द्वारा तैयार किया गया था । विज़न दस्तावेज के अनुसार, नर्मदा कछार की सभी वृहद परियोजनाएं 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् वर्ष 2011-12 तक पूर्ण कर ली जानी थी ।

वृहद परियोजनाओं के पूर्ण होने में धीमी प्रगति के कारण स्लीपेज थे । इसलिए "विज़न 2012" संशोधित किया गया था और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एवं कमियों या बाधाओं को दूर करने के आवश्यक प्रयासों सूचित करने वाला एक रिवर्स कैलेन्डर[3] मई 2007 में प्रस्तुत किया गया था । बांध के निर्माण के साथ साथ नहर प्रणाली के निर्माण को प्रारंभ करते हुए सभी वृहद परियोजनाएं वर्ष 2011-12 तक पूर्ण करना आयोजना बद्ध थीं ।

जैसा कि प्रायः पर्यावरण एवं वन अनापत्ति और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आयोजनाओं के अनुमोदन में विलंब के कारण और भी स्लीपेज हुए थे इसलिए सभी वृहद परियोजनाओं को 2015 तक पूर्ण करने की दृष्टि से "विज़न 2015" दस्तावेज (2009 में प्रकाशित) तैयार किया गया था। "विज़न 2020" के अनुसार सभी वृहद परियोजनाओं को 2021-22 तक पूरा करने के लिए योजना बनाई गई है ।

एन.व्ही.डी.ए. ने उसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली 18 परियोजनाओं में से 0.2045 एम.ए.एफ के उपयोग के लिए केवल दो परियोजनाएं पूर्ण की थीं

3.7 वृहद परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

23 वृहद परियोजनाओं, 135 मध्यम परियोजनाओं एवं 3000 लघु परियोजनाओं के माध्यम से 18.25 एम.ए.एफ के आवंटित हिस्से का उपयोग की आयोजना की गई थी । अगस्त 2012 की स्थिति में नर्मदा कछार में वृहद परियोजनाओं के कार्यान्वयन (**परिशिष्ट 3.2**) की स्थिति का सारांश निम्न तालिका में दिया गया है;

तालिकाः 3.2

कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	प्रस्तावित जल उपयोग एम.सी.एम. में	प्रस्तावित जल उपयोग एम.ए.एफ. में	परियोजना की स्थिति	पूर्णता वर्ष
ज.सं. वि.	5	3641.39	2.952	पूर्ण	1988 से पूर्व
एन.व्ही.डी.ए.	2[4]	242.245	0.2045	पूर्ण	2010-11
एन.व्ही.डी.ए.	7[5]	7484.8	6.068	प्रगतिरत	-
एन.व्ही.डी.ए.	2[6]	312.93	0.2537	निविदा प्रक्रिया	-
एन.व्ही.डी.ए.	7[7]	1931.23	1.57	अब भी प्रारंभ की	-
				जानी थी[8]	
कुल	**23**	**13612.595**	**11.05**		

[3] रिवर्स केलेण्डरः शब्द का अर्थ है, परियोजना को लक्ष्य दिनांक तक पूर्ण करने हेतु पूर्णता की लक्ष्य दिनांक तय है एवं सभी क्रियाकलाप निर्धारित है ।

[4] मानः 140.1 एम.सी.एम. एवं जोबटः 112.145 एम.सी.एम.

[5] आर.ए.बी.एल.एस. 1681 एम.सी.एम., बी.डी.पीः 2510.6 एम.सी.एम., आई.एस.पीः 1625.26 एम.सी.एम., ओंकारेश्वर (ओ.एस.पी) 1300 एम.सी.एम., अपर बेदाः 101.09 एम.सी.एम., पुनासा एल.आई.एस. 130.20 एम.सी.एम. एवं लोअर गोईः 136.65 एम.सी.एम. = योग 7484.8 एम.सी.एम. (6.068 एम.ए.एफ.)

[6] हालोनः 134 एम.सी.एम. एवं अपर नर्मदाः 178.93 एम.सी.एम.= 312.93 एम.सी.एम. (0.2537 एम.ए.एफ.)

एन.व्ही.डी.ए. के विजन 2012 दस्तावेज के अनुसार, 2011-12 के अंत तक 23 वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत 26 बांध (**परिशिष्ट 3.1**) निर्मित किए जाने थे । अगस्त 2012 की स्थिति में, 13 वृहद परियोजनाओं[9] (9.114 एम.ए.एफ.) के 11 बांध एवं 3803.635 एम.सी.एम. जल (3.157 एम.ए.एफ.) के उपयोग के लिए नहर प्रणालियां पूर्ण हो चुकी थी ।

रिवर्स कैलेन्डर के अनुसार, एन.व्ही. डी.ए. ने वृहद परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न मुख्य घटक चिन्हित किए थे ।

- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण
- आरेखन, रूपांकन एवं डी.पी.आर और केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करना
- निविदा दस्तावेज तैयार करने सहित परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी निर्धारित करना, निविदा को अंतिम रूप देना एवं बांधों एवं नहरों के निर्माण के लिए कार्य सौंपना

एन.व्ही.डी.ए. द्वारा तैयार की गई कार्य योजना में पहचाने गए विभिन्न अवयवों के पूर्णता की स्थिति के बारे में नीचे चर्चा की गई है:

3.7.1 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

सात परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पूर्ण नहीं हो सके।

सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य में सर्वेक्षण कार्य के लिए स्थल अनापत्ति, जल-विज्ञान सर्वेक्षण, ग्रिड सर्वे सहित बांध संरेखण, भूवैज्ञानिक अन्वेषण सर्वेक्षण, कछार सर्वेक्षण, निर्माण सामग्री की जाँच सहित सर्वेक्षण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए लेवल का स्थिति नियतन एवं डूब क्षेत्र का सर्वेक्षण योजना शामिल है ।

मई 2007 तक, 23 वृहद परियोजनाओं में से सात वृहद परियोजनाओं[10] से संबंधित सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पूर्ण नहीं हुए थे । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सितम्बर 2012 की स्थिति में भी इन सात वृहद परियोजनाओं के सर्वे एवं अन्वेषण प्रगतिरत थे ।

7 एस.एम.एस. 486.600 एम.सी.एम., दूधीः 317.46 एम.सी.एम., मोरण्ड गंजालः 427.65 एम.सी.एम., अपर बुड़नेरः 82.72 एम.सी.एम., अटारियाः 112.00 एम.सी.एम., चिंकीः 458.60 एम.सी.एम. एवं आर.आर.बीः46.20 एम.सी.एम.= 1931.23 एम.सी.एम. (1.57 एम.ए.एफ.)

8 विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत वृहद परियोजनाओं की क्षमता में निवल 0.31 एम.ए.एफ. की कमी थी जिस अंतर को पाटने के लिए कोई आयोजना नहीं बनाई गई थी ।

9 तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, आर.ए.बी.एल.एस., बी.डी.पी., आई.एस.पी., पुनासा एल.आई.एस., ओ.एस.पी. मान, जोबट, अपर बेदा

3.7.2 आरेखन, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

केन्द्रीय जल आयोग से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब हुआ था ।

आरेखन, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के आधार पर तैयार किए जाते हैं जिसके लिए रिवर्स कैलेन्डर में तीन माह की समय अवधि प्रावधानित की गई थी । केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्लू.सी.) द्वारा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन एवं अनापत्ति के लिए 2010 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्लू.सी.) द्वारा प्रारंभिक प्रतिवेदनों के परीक्षण के लिए 18 सप्ताह एवं परियोजना मूल्यांकन के लिए छह माह आवश्यक है।

रिवर्स कैलेन्डर के अनुसार, उपरोक्त वर्णित सात वृहद परियोजनाओं के संबंध में आरेखन एवं रूपांकन सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन का घटक 2007-08 के दौरान पूर्ण हो जाना था । सितम्बर 2012 तक भी केन्द्रीय जल आयोग से इन परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सके थे । जैसा कि लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया, केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब मुख्यतः निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने, अपूर्ण जानकारी, अपर्याप्त आरेखन इत्यादि के कारण हुए थे ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदनों के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एन.व्ही.डी.ए. इन सात परियोजनाओं को समीक्षा वर्ष 2024 के पूर्व पूर्ण करने के योग्य होगा यदि पूर्व में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन प्राप्त करने में देखी की गई कमियों जैसे, निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने, अपूर्ण जानकारी, अपर्याप्त आरेखन इत्यादि को प्रभावी ढंग से सुलझाए ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ठेकेदारों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण काली सूची में डालने की कार्रवाई एवं पूर्व अर्हता शर्तों (निविदा दस्तावेज में) को कड़ा कर रहा था।

3.7.3 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्तियां प्राप्त करना

वृहद परियोजनाओं में एम.ओ.ई.एफ से अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब थे।

पर्यावरण एवं वन अनापत्तियां प्राप्त करने में स्थल अनापत्ति, ई.आई.ए./ई.एम.पी.[11] प्रतिवेदन तैयार करना, जन सुनवाई एवं अंतिम मूल्यांकन सम्मिलित है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2006 में जारी अधिसूचना के अनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्ति 27 माहों में अपेक्षित होती है।

23 वृहद परियोजनाओं में से, 11 परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्तियां 2006-07 से पूर्व प्राप्त कर ली गई थी । जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, एन.व्ही.डी.ए. ने पांच परियोजनाओं के लिए 2007-12 के दौरान अनापत्तियां प्राप्त कीं;

10 अटारिया, चिंकी, दूधी, मोरण्ड गंजाल, आर.आर.बी. एस.एम.एस, एवं अपर बुड़नेर

11 ई.आई.एः पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण एवं ई.एम.पीः पर्यावरण प्रबंधन आयोजना

तालिका: 3.3

स.क्र.	परियोजना का नाम	अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण का दिनांक	पर्यावरण अनापत्ति का दिनांक	लिया गया समय महिनों में
1	अपर बेदा	उपलब्ध नहीं	16-07-2007	उपलब्ध नहीं
2	पुनासा एल.आई.एस.	16-07-2004	16-07-2007	36
3	लोअर गोई	24-10-2002	17-01-2008	63
4	अपर नर्मदा	29-10-2001	10-09-2009	107
5	हालोन	29-10-2001	04-01-2010	111

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2006 की अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित 27 माह के विरूद्ध एम.ओ.ई.एफ. से अनापत्तियों के लिए तीन वर्ष से नौ वर्ष के मध्य समय लिया गया था।

हमने देखा कि 2007-12 की अवधि के दौरान एम.ओ.ई.एफ. द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई पाँच में से चार वृहद परियोजनाओं में, पर्यावरण अनापत्ति हेतु उल्लिखित सभी चार गतिविधियों (**परिशिष्ट 3.3**) में, विलंब थे जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है;

- स्थल अनापत्ति की गतिविधि में लगभग 180 दिन लगने चाहिए । इसके विरूद्ध जहां पुनासा एल.आई.एस. के मामले में मात्र 73 दिन लिए वहीं अन्य तीन परियोजनाओं में 432 दिन से 806 दिन लिए गए, अपर नर्मदा में यह अधिकतम 806 दिन थे।
- ई.आई.ए./ई.एम.पी. को तैयार करने की गतिविधि में लगभग 540 दिन लगने चाहिए । इसके विरूद्ध जहाँ तीन परियोजनाओं के मामलों में मात्र 129 दिन से 529 दिन लगे वहीं अपर नर्मदा परियोजना के मामले में 730 दिन लगे ।
- जन सुनवाई की गतिविधि में लगभग 90 दिन लगने चाहिए । इसके विरूद्ध जहाँ अपर नर्मदा के मामले में मात्र 18 दिन लगे वहीं तीन परियोजनाओं के मामले में 145 दिन से 342 दिन लगे ।
- अंतिम मूल्यांकन गतिविधि में लगभग 60 दिन से 90 दिन लगने चाहिए । इसके विरूद्ध सभी चार मामलों में 129 दिन से 773 दिन लगे ।

जैसा की लेखापरीक्षा में देखा गया, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना, ई.आई.ए./ई.एम.पी. को तैयार करने एवं प्रस्तुतिकरण में देरी एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2006 में जारी अधिसूचना में अपेक्षित संबंधित नियामक प्राधिकारियों[12] से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति का प्रभाव, मुख्य कारण थे । 1.57 एम.ए.एफ. जल के उपयोग के लिए शेष सात परियोजनाओं[13] के संबंध में, अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया मार्च 2008 एवं जून

12 परियोजनाओं की श्रेणी के अनुसार केंद्र सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)।

13 एस.एम.एस., दूधी, मोरण्ड-गंजाल, अपर बुड़नेर, चिंकी, आर.आर.बी. एवं अटारिया ।

2012 के मध्य प्रारंभ की गई थी एवं अगस्त 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई थी ।

विगत समय में पर्यावरण एवं वन अनापत्तियां प्राप्त करने हेतु लिए गए तीन से नौ वर्षों के वास्तविक समय को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से शेष सात परियोजनाओं के लिए 2015-16 से 2020-21 से पूर्व अनापत्तियां प्राप्त करना कठिन होगा जब तक कि विगत समय में देखी गई बाधाओं से उबरने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए जाते हैं ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही. डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि पर्यावरण अनापत्ति की प्रक्रिया में डी.पी.आर. बनाना, ई.ए.आई./ई.एम.पी. का अध्ययन, जन सुनवाई एवं विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण सम्मिलित है । आगे यह बताया गया कि अनापत्ति के लिए कानून बदल दिए गए थे एवं विलंब मुख्यत: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कारण हुआ था क्योंकि प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए यह दो से तीन वर्ष तक लेते हैं।

उत्तर उस सीमा तक स्वीकार्य नहीं है कि प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपूर्ण जानकारी का प्रस्तुतिकरण एवं ई.आई.ए./ई.एम.पी. प्रतिवेदनों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में विलंब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्तियां प्राप्त करने में विलंब में सहभागी बने । इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की पूर्णता के लिए कैलेन्डर बनाते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति हेतु लिए गए समय के कारक को लिया जाना चाहिए ।

3.7.4 निविदा दस्तावेज तैयार करना

निविदा दस्तावेज तैयार करने में कोई बाधा नहीं थी ।

सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृतियॉ प्राप्त होने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्तियां प्राप्त होने के पश्चात् निविदा दस्तावेज तैयार किए गए है । शेष सात परियोजनाओं[14] के लिए इस गतिविधि हेतु रिवर्स कैलेन्डर 2012 में दो माह की समयावधि प्रस्तावित की गई है ।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में मद दर ठेकों के लिए निविदा दस्तावेज का प्रपत्र मानकीकृत है जिसे एन.व्ही.डी.ए. द्वारा अपनाया गया था। एन.व्ही.डी.ए. ने परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से टर्न-की ठेका प्रणाली प्रारंभ की (अगस्त 2005) । टर्न-की ठेकों के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए सामान्यत: सलाहकारों को आऊटसोर्स किया गया था। परियोजनाओं के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इस गतिविधि से मद दर ठेकों या टर्न-की ठेकों के मामलों में अवरोध उत्पन्न नहीं हुए थे ।

[14] एस.एम.एस., दूधी, मोरण्ड-गंजाल, अपर बुड़नेर, अटारिया, चिंकी, एवं आर.आर.बी. । 23 वृहद परियोजनाओं में से सात परियोजनाएँ पूर्ण थी, सात परियोजनाएं निर्माणाधीन थी एवं दो परियोजनाएं निविदा प्रक्रियाधीन थीं ।

3.7.5 भूमि अधिग्रहण

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.104 के नीचे दिए गए नोट 3 के अनुसार, कार्य सौपे जाने से पूर्व किसी भी विशिष्ट कार्य हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए । टर्न-की ठेकों के मामलों में, भूमि अधिग्रहण प्रकरण तैयार करने का उत्तरदायित्व भी ठेकेदारों को ही सौंपा गया है ।

रिवर्स कैलेन्डर 2012 तैयार करने के दौरान एन.व्ही.डी.ए. ने परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी का विश्लेषण नहीं किया एवं इसे एक परियोजना के कार्यान्वयन में एक पृथक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार, एन.व्ही.डी.ए. ने भूमि अधिग्रहण को इसकी आयोजना/ कैलेन्डर बनाते समय एक अवरोध नहीं माना था।

यद्यपि हमने अवलोकित किया कि कुछ परियोजनाओं (ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, इत्यादि) के कार्यों की समयबद्ध पूर्णता में भूमि अधिग्रहण ने बाधाएं उत्पन्न की थी एवं अधिकांशतः अन्य परियोजनाओं में संपूर्ण आवश्यक भूमि के मात्र एक छोटे से भाग की आवश्यकता, वर्ष 2007-12 के दौरान निर्माण की कुल अवधि बढ़ने में परिणीत नहीं हुई थी ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण एक मुख्य अवरोध था । नर्मदा बचाओ आंदोलन (एन.बी.ए.) ने न्यायालयीन प्रकरणों के माध्यम से बाधाएं उत्पन्न की थी जो सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अभिनिर्णय के पश्चात ही दूर हुई थी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं एन.जी.ओ. का भी हस्तक्षेप हुआ था ।

यद्यपि हमने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मुख्यतः पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रश्न उठाए । इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के संभावित प्रभाव पर विचार किए बिना आयोजनाओं/ कैलेन्डरों को तैयार करने के परिणामस्वरूप मुकदमेबाज़ी से प्रभावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन समय आधिक्य में होगा एवं समीक्षा वर्ष तक प्रभावित परियोजनाओं की अपूर्णता में परिणीत हो सकता है ।

3.7.6 एजेंसी निर्धारित करना

निविदाओं को स्वीकार करने एवं कार्यों को सौंपे जाने में विलंब हुए थे जिससे परियोजनाओं की पूर्णता में सकल विलंब हुए थे ।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 2.10 ए में दर्शाए ड्राफ्ट निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त 2.41 के अनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत निविदाओं के मामलों में प्रस्ताव की वैधता अवधि छह माह है । इस प्रकार, निविदा के प्रस्तुतिकरण की दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर निविदा सामान्यत: स्वीकृत कर ली जानी चाहिए।

2007-08 एवं 2011-12 के मध्य नहरों के निर्माण से संबंधित किए गए 128 अनुबंधों की नमूना जांच में हमने देखा कि एन.व्ही.डी.ए. ने 10 अनुबंधों में उनकी स्वीकृति की छह माह की सामान्य अवधि के विरूद्ध स्वीकृति के लिए 188 दिनों से 347 दिनों का समय लिया (**परिशिष्ट 3.4**) । हमने आगे देखा कि एन.व्ही.डी.ए. ने **परिशिष्ट 3.5** में विवरणित 67 अनुबंधों में, कार्य आदेश जारी करने में निविदा स्वीकृति की दिनांक से 11 दिनों से 426 दिनों का समय लिया । यह विलंब, कार्यों की पूर्णता में सकल विलंब मे अंशदायी रहा । कुछ ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़ गए । पुनर्निविदा एवं कार्यों के आवंटन

में अतिरिक्त समय अंतर्निहित होने के कारण यह कार्यों की पूर्णता में अतिरिक्त देरी का कारण बने । इससे वृहद परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कुप्रबंधन प्रकट हुआ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए.. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि बांधों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी करने एवं कार्य आवंटन में कोई विलंब नहीं हुआ था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा किया गया अवलोकन नहरों के निर्माण में कार्यों के आवंटन से संबंधित है ।

निविदाओं की स्वीकृति एवं कार्य आदेश जारी करने में हुए विलंब कार्य की पूर्णता में विलंब में सहभागी रहे । एन.व्ही.डी.ए. को निविदाओं के मूल्यांकन एवं ठेकों के आवंटन हेतु लिए जा रहे समय को कम करने के लिए कार्यों के आवंटन के अपने तंत्र को सशक्त बनाना होगा ताकि समीक्षा वर्ष से पूर्व शेष परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित हो । सभी ठेकेदारों एवं उनके द्वारा कार्यान्वित कार्यों के डाटाबेस से युक्त एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली, एक सक्षम ठेकेदार को कार्य सौंपने को अंतिम रूप देने में सहायक सिद्ध हो सकती थी।

3.7.7 कार्यों का कार्यान्वयन

जैसा कि रिवर्स कैलेन्डर में प्रावधानित है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की अनापत्ति के पश्चात बांधों के निर्माण में तीन से चार वर्षों का समय लगता है । जैसा कि रिवर्स कैलेन्डर मे आयोजना बद्ध था, नर्मदा कछार में सभी वृहद परियोजनाएं 2011-12 तक पूर्ण की जानी थी । जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, बांधों के साथ-साथ नहरों के कार्यों में स्लीपेज के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे;

(I) बांध

एन. व्ही.डी.ए. मात्र दो बांध पूर्ण कर सका निधियों की कमी के कारण दो बांध एन.एच.डी.सी. को हस्तांतरित किए ।

वर्ष 1956 से 1988 के दौरान जल संसाधन विभाग ने सात से 22 वर्षों का समय लेकर, जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है, नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर पांच बांधों[15] (क्षमता: 2.952 एम.ए.एफ.) का निर्माण किया ।

एन.व्ही.डी.ए. ने 20 से 23 वर्षों का समय लेकर क्रमशः 2006 एवं 2007 में दो बांधों (मान एवं जोबट) का निर्माण पूर्ण किया । एन.व्ही.डी.ए. के पास निधियों की कमी के कारण दो बांध[16] (2.477 एम.ए.एफ.) राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) को स्थानांतरित किए थे जिसने इन परियोजनाओं को चार वर्षों के भीतर पूर्ण किया ।

2007-12 के दौरान, एन.व्ही.डी.ए. द्वारा एक बांध यथा अपर बेदा (क्षमता: 101.09 एम.सी.एम.) रिवर्स कैलेन्डर के अनुसार चार वर्ष की निर्धारित अवधि के विरूद्ध सात

15 बारना, कोलार, मटियारी, सुक्ता एवं तवा

16 आई.एस.पी. बांध, एन.एच.डी.सी. को वर्ष 2000 में हस्तांतरित किया था, जो 2005 में पूर्ण हुआ था । ओ.एस.पी. बांध एन.एच.डी.सी. ने चार वर्षों (2003 से 2007) में निर्मित किया था।

वर्ष में पूर्ण (2010) किया गया था । विलंब, मुख्यत: केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आरेखन में परिवर्तन के कारण हुआ था ।

लोअर गोई बांध (136.65 एम.सी.एम.), जिसका निर्माण फरवरी 2009 में प्रारंभ हुआ रिवर्स कैलेन्डर के अनुसार 36 माह में पूर्ण होना निर्धारित था, अब तक प्रगतिरत था (मार्च 2013)। विलंब मुख्यत: ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के कारण हुआ था ।

1.819 एम.ए.एफ जल के उपयोग के लिए नौ वृहद परियोजनाओं[17] के तेरह बांधों एवं 4.985 एम.ए.एफ जल के उपयोग के लिए सभी मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के बांधों का निर्माण अभी प्रारंभ होना था ।

परियोजनाओं के बांधों के निर्माण में विगत समय में हुए विलंबों को ध्यान में रखते हुए, जब तक एन.व्ही.डी.ए. बांधो के निर्माण में जुड़ी हुई समस्याओं जैसे ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति एवं कार्यान्वयन के दौरान मात्राओं का बढ़ जाने, को प्रभावी ढंग से नहीं सुलझाता तब तक समीक्षा वर्ष तक शेष सभी 13 बांधों को पूर्ण करने में समर्थ नही हो सकेगा ।

निर्गम सम्मेलन मे एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वित्तीय एवं मानव संसाधन की कमी के कारण दो बांधों को एन.एच.डी.सी. को हस्तांतरित किया गया था एवं वृहद बांधों में से एक, नामत: ओ.एस.पी., चार वर्षों की अल्प अवधि के भीतर पूर्ण हो गया । एन.व्ही.डी.ए. ने आगे बताया कि नर्मदा नियंत्रण बोर्ड (एन.सी.बी.) की आगामी बैठक में हालोन परियोजना के लिए एजेंसी तय कर ली जाएगी एवं अपर नर्मदा परियोजना में प्रभावित परिवारों ने न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया था । आगे बताया गया था कि हालोन परियोजना के लिए प्राप्त निविदाएं उच्च दरों पर थी; इसलिए निविदा स्वीकृत करने में समस्या थी ।

उत्तर, ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के कारण विलंब एवं कार्यान्वयन के दौरान मात्राओं के बढ़ने के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है । इसके अतिरिक्त, उत्तर, समीक्षा वर्ष तक बांधों का निर्माण को पूर्ण करने हेतु निविदाओं को अविलम्ब अंतिम रूप देने एवं परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा दर्ज न्यायालयीन प्रकरणों को सुलझाने की आयोजना का विवरण नहीं देता है ।

(II) नहरें

एन.व्ही.डी.ए. 2007-12 किसी भी वृहद परियोजना का नहर नेटवर्क पूर्ण नहीं कर सका ।

विज़न दस्तावेज 2015 में, एन.व्ही.डी.ए. ने वृहद परियोजनाओं के अधीन नहरों के विकास के लिए आवश्यक समय पांच से छह वर्ष प्राक्कलित किया है ।

पूर्ण परियोजनाओं के लिए नहरों के निर्माण में लगा समय नीचे दी गई तालिका में विवरणित है:

[17] दूधी, मोरण्ड-गंजाल, अपर बुड़नेर, चिंकी, अटारिया, आर.आर.बी. एस.एम.एस, हालोन एवं अपर नर्मदा

तालिकाः 3.4

स. क्र.	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	जल का परियोजित उपयोग एम.सी.एम. में	नहर के प्रारंभ होने का वर्ष	नहर की वास्तविक पूर्णता का वर्ष	लिया गया समय वर्षों में
1	ज. सं. विभाग	तवा	2386.72	1956	1998	42
2	ज. सं. विभाग	बारना	559.82	1968	1997	29
3	ज. सं. विभाग	कोलार	435.90	1979	1990	11
4	ज. सं. विभाग	सुकता	170.57	1973	1985	12
5	ज. सं. विभाग	मटियारी	88.38	1973	1985	12
6	एन.वी.डी.ए.	मान	140.10	1984	2006	22
7	एन.वी.डी.ए.	जोबट	112.15	1984	2007	23
		कुल	**3893.64**			

(स्त्रोतः - एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, जल संसाधन विभाग ने 2.952 एम.ए.एफ जल के उपयोग के लिए पांच वृहद परियोजनाओं के लिए नहरों के निर्माण में 11 वर्ष से 42 वर्ष लिए वहीं एन.व्ही.डी.ए. ने क्रमशः 0.114 एवं 0.902 एम.ए.एफ. जल के उपयोग के लिए दो परियोजनाओं (मान एवं जोबट) में नहरों के निर्माण में 22 वर्ष से 23 वर्ष लिए थे।

6.068 एम.ए.एफ जल के उपयोग के लिए, 1991 से 2009 के दौरान प्रारंभ की गई सात वृहद परियोजनाओं की नहरों के कार्य अब भी प्रगतिरत थे (अगस्त 2012) । सात वृहद परियोजनाओं[18] में से 1.318 एम.ए.एफ. एवं 2.035 एम.ए.एफ. जल के उपयोग के लिए 1991 एवं 1996 में एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रारंभ की गई दो (इंदिरा सागर परियोजना एवं बरगी व्यपवर्तन परियोजना) की नहरें क्रमशः 21 वर्षों एवं 16 वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात् ₹ 1016.01 करोड़ एवं ₹ 4025.99 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ अब तक प्रगतिरत थी। रानी अवंतिबाई लोधी सागर परियोजना की नहरों का निर्माण 1992 में आरंभ किया था एवं 2005 से 2009 के दौरान प्रारंभ चार अन्य परियोजनाएं[19] प्रगतिरत थीं । जून 2012 की स्थिति में मुख्य नहरों के विषय में आर.ए.बी.एल.एस., बी.डी.पी. एवं आई.एस.पी. की नहरों का पूर्णता प्रतिशत क्रमशः 99.90 प्रतिशत, 59.68 प्रतिशत एवं 54.38 प्रतिशत[20] एवं वितरिका एवं लघु नहरों के विषय में 89.51 प्रतिशत, 21.55 प्रतिशत एवं 49.57 प्रतिशत था । नहरों के निर्माण

18 आई.एस.पी., बी.डी.पी. आर.ए.बी.एल.एस., ओ.एस.पी, अपर बेदा, पुनासा एल.आई.एस. एवं लोअर गोई

19 ओ.एस.पी. अपर बेदा, पुनासा एल.आई.एस. एवं लोअर गोई

20

	मुख्य नहर एवं वितरिका			वितरिका एवं लघु नहरें		
	कुल	*पूर्ण*	*प्रतिशत*	*कुल*	*पूर्ण*	*प्रतिशत*
आर.ए.बी.एल.एस.	135.5	135.37	99.90	1915.04	1714.06	89.51
बी.डी.पी.	270.705	161.57	59.68	1076.86	232.04	21.55
आई.एस.पी.	239.9	130.45	54.38	1228.11	608.74	49.57

कार्यों में विलंब, मुख्यत: ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति, कुछ दूरियों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, अपर्याप्त प्राक्कलन एवं सभी दूरियों में एक साथ कार्यान्वयन करने के स्थान पर पृथक-पृथक दूरियों के लिए चरणबद्ध रीति में कार्यों का कार्यान्वयन के कारण हुए थे । इन परियोजनाओं के विषय में विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है इस प्रकार, एन.व्ही.डी.ए. किसी भी परियोजना का नहर नेटवर्क 2007-12 के दौरान पूर्ण नहीं कर सका । जैसा कि रिवर्स कैलेन्डर में परिकल्पित है एन.व्ही.डी.ए. को विभिन्न दूरियों में नहर कार्य चरणबद्ध रीति में करने के स्थान पर एक साथ सभी दूरियों में कार्यान्वित करने पर विचार करना चाहिए । यदि सभी अनुमतियां 2018-19 के अंत तक प्राप्त हो जाती है, अनुमतियां प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्यों का आवंटन एवं कार्यों का कार्यान्वयन आरंभ किया जाता है एवं इन परियोजनाओं के लिए परिकल्पित पाँच वर्षों की नियत पूर्णता अवधि से कार्यान्वयन में कोई विलंब नहीं होता है तो शेष सभी सात वृहद परियोजनाएं (1.57 एम.ए.एफ जल) समीक्षा वर्ष 2024 से पूर्व पूर्ण की जा सकती है।

इन सभी सात वृहद परियोजनाओं की सभी गतिविधियां 2024 तक शेष अवधि के दौरान पूर्ण हो जानी चाहिए, योजनाबद्ध अवधि के भीतर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, एन.व्ही.डी.ए. को निविदाओं के मूल्यांकन, ठेकेदारों की क्षमता एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन के कार्यक्रमों की कड़ी निगरानी हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त मानव शक्ति नियोजित करनी होगी । एन.व्ही.डी.ए. को ठेकेदारों द्वारा कार्यों एवं मुकदमेबाजी से प्रभावित दूरियों में भूमि अधिग्रहण में विलंब पर कड़ी निगरानी रखनी होगी एवं समयबद्ध पूर्णता के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि जल का बहाव एक दिशा में होता है अतः संपूर्ण नहर नेटवर्क को एक साथ प्रारंभ करना उपयुक्त एव व्यवहारिक नहीं था । आगे बताया गया कि यदि ठेकेदार अंतिम सिरे पर कार्य पूर्ण कर लेता है एवं शीर्ष सिरे का कार्य अपूर्ण रहता है तो शीर्ष पर कार्य पूर्ण होने के समय तक अंतिम सिरे तक का कार्य नष्ट हो चुका होगा ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के सृजन में विलंब को टालने के लिए रिवर्स कैलेंडर में नहर कार्यों के साथ-साथ वितरिकाओं का कार्यान्वयन करना परिकल्पित था । ठेकेदारों द्वारा शीर्ष सिरे पर कार्य अपूर्ण रहते हुए अंतिम सिरे पर कार्य पूर्ण करने के मुद्दे को परियोजना प्रबंधन तकनीकों यथा सी.पी.एम. एवं पी.ई.आर.टी. के माध्यम से व्यस्थित किया जा सकता था ।

(III) टर्न-की ठेको का प्रारंभ

एन.व्ही.डी.ए.ने (अगस्त 2005) कुछ विशेष शर्तों जैसे ठेकेदारों को शीघ्र कार्य आरंभ करने के लिए समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं मशीनरी अग्रिम, निष्पादन सुरक्षा जमा के विषय में बैंक गारंटी (बी.जी.) जमा करने, विनिर्दिष्ट माईलस्टोन प्राप्त न करने पर शास्ति, शीघ्र पूर्णता पर इन्सेन्टिव, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रकरणों को तैयार करना एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, इत्यादि के साथ टर्न-की ठेका प्रणाली का प्रारंभ किया । टर्न-की ठेका प्रणाली के प्रारंभ का मुख्य उद्देश्य

विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विशेषज्ञता प्राप्त फर्म के माध्यम से परियोजनाओं को पूर्ण करना एवं मद दर ठेकों में देखी गई कमियों/ बाधाओं को नियंत्रित करना था ।

हमने देखा कि 2007 से 2012 के दौरान (**परिशिष्ट 3.7**) मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए दो ठेकों सहित बी.डी.पी., आई.एस.पी., लोअर गोई, पुनासा एल.आई.एस., अपर बेदा (नहर) एवं ओंकारेश्वर (ओ.एस.पी.) वृहद परियोजनाओं के निर्माण ₹ 5472.84 करोड़ के कुल ठेका मूल्य पर 37 टर्न-की ठेके प्रारंभ किए गए थे । इनमें से, 19 ठेके निर्माण कार्यों के लिए, 12 ठेके सलाहकार सेवाओं के लिए एवं छह ठेके सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों के लिए थे । आठ टर्न-की ठेकों के संबंध में 18 से 36 माह की निर्धारित पूर्णता अवधि पहले ही व्यतीत हो चुकी थी । यद्यपि अगस्त 2012 की स्थिति में 12 माह से 20 माह के विलंब के पश्चात् भी सभी कार्य अपूर्ण थे (**परिशिष्ट 3.8**)। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित किया गया, कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के लिए मुख्य कारण, ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त संसाधनों का नियोजन, ऐसे ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन जो पूर्व के ठेकों में चूककर्ता थे, ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति एवं एन.व्ही.डी.ए. द्वारा अपर्याप्त निगरानी थे ।

एन.व्ही.डी.ए.ने मूल्यवृद्धि के भुगतान से बचने एवं परियोजनाओं की निगरानी को बेहतर करने की दृष्टि से कार्यों का आवंटन छोटे पैकेजों में करने का निश्चय किया (जनवरी 2012) एवं पूर्णता अवधि को 30 माह से 18 माह तक घटाया । अगस्त 2012 तक परिकल्पित छोटे पैकेजों में कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए.ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विगत गलतियों से सीख ली गई एवं बांधों एवं नहरों के कार्यों का कार्यान्वयन नई निविदाएं, टर्न-की के आधार पर बुलाई गई । एन.व्ही.डी.ए. ने आगे बताया कि शास्ति का अधिरोपण एवं इन्सेन्टिव का भुगतान, सिंचाई क्षमता के सृजन के साथ जोड़ दिया गया था ।

उत्तर में, ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त संसाधनों का नियोजन, ऐसे ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन जो पूर्व के ठेकों में चूककर्ता थे एवं ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के विषय में नहीं कहा गया था ।

3.8 मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन

अतीत की उपलब्धियों को देखते हुए शेष 266 मध्यम परियोजनाओं को समीक्षा वर्ष से पूर्व पूर्ण करना एन.व्ही.डी.ए. के लिए कठिन होगा ।

अवार्ड में आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. कुल जल में से, 5.39 एम.ए.एफ. जल के उपयोग के लिए 135 मध्यम और 3000 लघु परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई गई थी ।

1 जनवरी 2009 तक यथा संशोधित, मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियम के अनुसार, एन.व्ही.डी.ए. को नर्मदा घाटी में मध्यम एवं लघु परियोजनाओं को छोड़कर सभी सिंचाई परियोजनाओं को तैयार करने एवं कार्यान्वयन करने का कार्य सौंपा गया था तथा जल संसाधन विभाग को, नर्मदा घाटी को छोड़कर वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन करना था । नर्मदा कछार में मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का कार्य एन.व्ही.डी.ए. को सौंपने के लिए एन.व्ही.डी.ए. ने मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियम में संशोधन की अनुशंसा की (फरवरी 2004) । प्रस्ताव

अब तक (अगस्त 2012) शासन के विचाराधीन था । इस प्रकार, नर्मदा कछार में मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं था । जल संसाधन विभाग द्वारा अगस्त 2012 तक 19 मध्यम और 976 लघु परियोजनाओं **(परिशिष्ट 3.9)** का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था (0.405 एम.ए.एफ.) ।

इसी बीच, एन.व्ही.डी.ए. द्वारा नर्मदा कछार में मध्यम एवं लघु सिंचाई (एम.एम.आई.) परियोजनाएं (1.087 एम.ए.एफ जल के लिए 290000 हेक्टेयर) के सर्वेक्षण और डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया (अक्टूबर 2008) जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिकाः 3.5

स. क्र.	कार्य का नाम	निविदा क्र. एवं दिनांक	कार्य की अनुमानित लागत (करोड़ में)	निविदा प्राप्ति की दिनांक	कार्य आदेश की दिनांक एवं कार्य पूर्ण होने की निर्धारित दिनांक	अब तक समय वृद्धि
1	130000 हेक्टेयर के लिए हंडिया गेज से ओंकारेश्वर साईट तक सर्वेक्षण का कार्य (समूह-1)	निविदा क्र. 13/ 08-09 दिनांक 13.10.08	32.11	23.12.08	28.10.2009 27.04.2011	26.4.2012
2.	160000 हेक्टेयर के लिए ओंकारेश्वर बांध से गुजरात राज्य तक सर्वेक्षण का कार्य (समूह-2)	निविदा क्र. 13/ 08-09 दिनांक 13.10.08	40.61	23.12.08	28.10.2009 27.04.2011	26.9.2012

(स्त्रोतः एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदत्त जानकारी)

सर्वेक्षण कार्य, जो अप्रैल 2011 तक पूर्ण किये जाने हेतु नियत थे, अगस्त 2012 तक प्रगतिरत थे । ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2012) 15 मध्यम एवं 308 लघु सिंचाई परियोजनाओं की डी.पी.आर. में से 123 डी.पी.आर. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए थे । जैसा कि जल संसाधन विभाग एवं एन.व्ही.डी.ए. के अधिकारियों की बैठक (फरवरी 2012) में निर्णय लिया गया था, 15 मध्यम एवं 85 लघु सिंचाई परियोजनाओं के (129251 हेक्टेयर के लिए) निर्माण के लिए डी.पी.आर. जल संसाधन विभाग को सौंप दिए गए थे (फरवरी 2012) ।

नर्मदा कछार के शेष भाग (अमरकंटक से हंडिया गेज तक) की परियोजनाओं (710000 हेक्टेयर के लिए 2.677 एम.ए.एफ.) के सर्वेक्षण कार्य अगस्त 2012 तक नहीं सौंपा गया था । एन.व्ही.डी.ए. ने, डी.पी.आर. को अंतिम रूप देने के बाद, पंजीकृत समितियों के माध्यम से 50 प्रतिशत मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का अपने पर्यवेक्षण में कार्यान्वयन करने तथा शेष का जल संसाधन के माध्यम से करने हेतु प्रस्ताव दिया ।

एन.व्ही.डी.ए. ने मध्यम एवं लघु परियोजनाओं की आयोजना बनाने एवं कार्यान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड (एन.बी.पी.सी.एल.) अक्तूबर 2011 में निम्न उद्देश्यों हेतु गठित कीः

- सिंचाई, जल आपूर्ति एवं निकासी के लिए योजनाओं को प्रोत्साहन एवं परिचालन करने

- सिंचाई, विद्युत एवं सम्बद्ध परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने,
- विकास के लिए संभावित परियोजनाओं की पहचान करने एवं
- सिंचाई, विद्युत एवं सम्बद्ध परियोजनाओं इत्यादि के लिए आवश्यक धन जुटाने ।

अब तक (अगस्त 2012), शेष मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का कार्यान्वयन या तो एन.व्ही.डी.ए., एन.बी.पी.सी.एल. या जल संसाधन विभाग द्वारा आरंभ नहीं किया जा सका।

योजना आयोग, भारत सरकार के सिंचाई पर टास्क फोर्स के प्रतिवेदन (मई 2009) के अनुसार मध्यम परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पांच से दस वर्ष आवश्यक होते है । इसलिए, अन्य गतिविधियां, जैसे, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, डी.पी.आर. को तैयार करना, विभिन्न अनापत्तियां, भूमि का अधिग्रहण, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं एजेंसी का निर्धारण जैसी सभी गतिविधियां समीक्षा वर्ष 2024 के पूर्व परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए, 2019 से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए । परियोजनाओं की पहचान के बाद एकमात्र पर्यावरण अनापत्ति जिसके लिए न्यूनतम 27 माह आवश्यक होते हैं, जो एक बाहरी कारक है, पर एन.व्ही.डी.ए. का नियंत्रण नहीं है एवं अन्य गतिविधियों के लिए दो वर्ष की आवश्यकता होगी ।
पर्यावरण अनापत्ति में वास्तविक तीन वर्ष एवं निर्माण सहित अन्य गतिविधियों में 12 वर्ष के न्यूनतम समय को ध्यान रखते हुए जब तक कि समस्त मध्यम परियोजनाएं 2014 तक नहीं पहचानी जाती, अनापत्तियाँ न्यूनतम समय में प्राप्त नहीं की जाती, परियोजनाओं के लिए निधियों का तालमेल नहीं किया जाता एवं अन्य गतिविधियां कुशलता पूर्वक योजनाबद्ध तथा न्यूनतम निर्धारित समय में कार्यान्वित नहीं की जाती हैं, शेष 266 मध्यम परियोजनाओं[21] को समीक्षा वर्ष के पूर्व पूर्ण करना कठिन होगा । 2024 से पहले कार्यों की पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेश को स्पष्ट करना आवश्यक है ।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की लघु सिंचाई पर कार्य-समूह के प्रतिवेदन (अगस्त 2001) के अनुसार सामान्यतः लघु परियोजनाओं पर कुल क्रियान्वयन में तीन से सात वर्ष का समय लगता है । इसलिए, समीक्षा वर्ष के पूर्व लघु परियोजनाओं का क्रियान्वयन तभी संभव है जब परियोजना वार आयोजनाएं तैयार की जाएं, कार्यान्वयन के लिए एजेंसी के साथ करार हो और परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध हो।

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (अक्तूबर 2012) कि 135 मध्यम एवं 3000 लघु परियोजनाएं जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्ण की जानी थीं लेकिन इसके विरूद्ध मात्र 19 मध्यम एवं 1134 लघु परियोजनाएं ही पूर्ण हो सकी । उन्होने आगे स्पष्ट किया कि योजनाओं की समयबद्ध पहचान के लिए व्यवस्था तथा बेसिन के विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव के कारण इन परियोजनाओं को प्रारंभ नहीं किया जा सका था एवं कछारवार उपग्रह चित्रों के माध्यम से सर्वेक्षण पूर्ण किए जाने तथा डी.पी.आर एवं विस्तृत

[21] कुल मध्यम परियोजनाएंः 300 ऋण 34 (19 पूर्ण एवं 15 पहचानी गई)

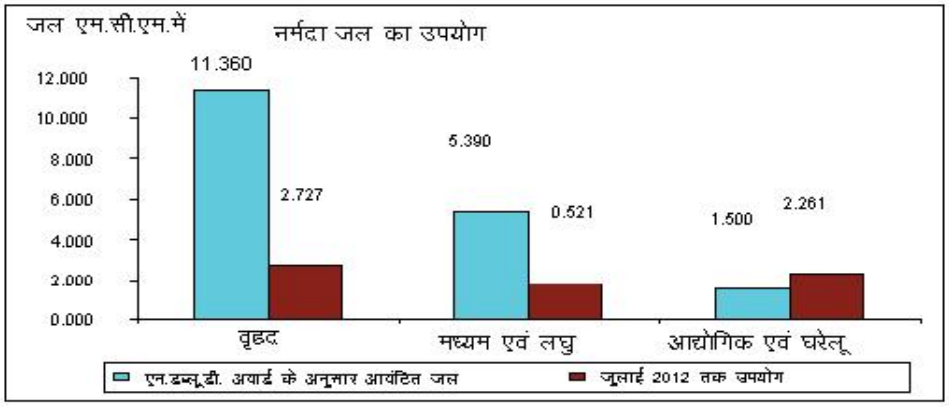
प्राक्कलन तैयार करने के लिए परियोजनाओं की पहचान करने का निर्णय लिया गया था ।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि एन.बी.पी.सी.एल. द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया, जो प्रगति पर था । एन.व्ही.डी.ए. द्वारा आगे बताया गया कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करना चिंता का एक प्रमुख विषय था ।

उत्तर, समीक्षा वर्ष से पूर्व मध्यम एवं लघु परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आयोजना का विवरण नहीं देते हैं ।

3.9 जल के उपयोग की स्थिति

अवार्ड के अनुसार, प्रत्येक पक्ष राज्य, एक जल वर्ष[22] में प्रत्येक वृहद एवं मध्यम परियोजना के द्वारा नहर सिरे पर वास्तविक दैनिक बहाव के आधार पर जल की गणना करेगा । जलाशयों के जल खाते दस दैनिक अवधि[23] में रखे जाएंगे । एन.डब्लू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार जल के उपयोग के लिए बनाई गई आयोजना के विरूद्ध वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से जुलाई 2012 तक जल के उपयोग की स्थिति नीचे ग्राफ में दी गई है:



(स्रोतः एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

3.9.1 जल के उपयोग में कमी

33 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कुल आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. जल के विरूद्ध मात्र 5.51 एम.ए.एफ. जल का उपयोग हुआ था ।

2011-12 तक पिछले पांच वर्षों में जल के घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग सम्मिलित करते हुए, वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से जल के समग्र उपयोग की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है;

22 जल वर्षः यह प्रत्येक वर्ष जुलाई से जून तक जल के उपयोग की गणना के लिए होता है ।

23 यह एक खाता है जो दस दिन की अवधि (इस एक माह में एक से दस, दस से बीस एवं इक्कीस से माह के अंतिम तारीख तक उपयोग मापा जाता है) अवधि के दौरान जल के उपयोग को दर्शाता है ।

तालिका क्रः 3.6

(जल एम.सी.एम. में)

उपयोग का विवरण	जल वर्ष				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार आवंटित जल	24797.82	15369.54	17467.53	17776.49	28070.00
वृहद परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक उपयोग	3018.44	2335	2581.86	3171.77	3363.30
मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से उपयोग	239.15	194.65	193.87	252.86	237.10
लघु परियोजनाओं के माध्यम से उपयोग	280.76	189.02	293.87	406.06	3195.00
घरेलू, औद्योगिक तथा पंप योजनाओं के माध्यम से उपयोग	1251.1	2949.55	2579.98	2838.43	
कुल जल का उपयोग (एम.सी.एम. में)	**4789.45**	**5668.22**	**5649.58**	**6669.12**	**6795.40**
कुल जल का उपयोग (एम.ए.एफ में)	**3.88**	**4.60**	**4.58**	**5.41**	**5.51**
जल की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार आवंटित जल के संदर्भ में उपयोग का कुल प्रतिशत	**19.31**	**36.88**	**32.34**	**37.52**	**24.21**
अवार्ड के अनुसार आवंटित 18.25 एम.ए.एफ जल के संदर्भ में कुल उपयोग का प्रतिशत	**21.26**	**25.21**	**25.10**	**29.64**	**30.19**

(स्त्रोतः एन.वी.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

उपरोक्त से स्पष्ट है, न्यायाधिकरण के अवार्ड की दिनांक से 33 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी जून 2012 को समाप्त जल वर्ष के दौरान केवल 5.51 एम.ए.एफ जल का उपयोग हुआ था जो कि कुल आवंटित जल का 24.21 प्रतिशत था ।

हमने देखाः

- सिंचाई में उपयोग के लिए सृजित 9.11 एम.ए.एफ की संग्रहण क्षमता के विरूद्ध जल वर्ष 2011-12 के दौरान वृहद परियोजनाओं के माध्यम से नर्मदा जल का कुल जल उपयोग मात्र 2.726 एम.ए.एफ (जल संसाधन विभाग की पांच परियोजनाओं से 1.858 एम.ए.एफ तथा एन.व्ही.डी.ए. की चार परियोजनाओं से 0.868 एम.ए.एफ.) था जो कि अब तक 11.05 एम.ए.एफ. की तैयार की गई योजनाबद्ध उपयोग से काफी कम था । उच्च संग्रहण क्षमता के सृजन के बावजूद कम जल का उपयोग मुख्य रूप से नहरों के वितरण नेटवर्क के पूर्ण नहीं होने के कारण था ।
- दो वृहद परियोजनाओं नामतः बी.डी.पी. एवं आर.ए.बी.एल.एस. के मामलों में नहरों के निर्माण का कार्य बांध का निर्माण कार्य पूर्ण होने (1988) के पश्चात् प्रारंभ किया गया[24] । माइक्रो वितरण नेटवर्क के विकास में देरी, ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण होने के पूर्व छोड़ देना तथा अपर्याप्त बोली क्षमता वाले ठेकेदारों को लगाने के कारण वर्ष 1990 से 1992 के दौरान शुरू की गई तीन वृहद परियोजनाओं के निर्माण कार्य, कार्य प्रारंभ होने से 20 से 22 वर्ष बीत जाने के पश्चात अब तक (मार्च 2012) पूर्ण नहीं हो सके थे ।

[24] आर.ए.बी.एल.एस. : 1992, बी.डी.पी. : 1990

- तीन परियोजनाओं[25] के मामलों में जिनके बांध 1988 से 2009 के मध्य पूर्ण हो गए थे, मुख्यत: ठेकेदारों की धीमी प्रगति और अंशत: भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण नहर प्रणाली पूर्ण न होने से जल का उपयोग नहीं किया जा सका था ।

- वृहद परियोजनाओं के माध्यम से कुल 11.05 एम.ए.एफ जल के उपयोग की आयोजना में 0.096 एम.ए.एफ. अतिरिक्त जल का उपयोग भी शामिल था। यद्यपि, कथित अतिरिक्त जल के उपयोग की क्षमता सृजित करने के लिए अगस्त 2012 तक कोई आयोजना तैयार नहीं की गई।

3.9.2 जल के उपयोग में प्रस्तावित कमी में आयोजना का अभाव

जल के उपयोग में वास्तविक वृद्धि के लिए या जल के उपयोग में प्रतिकारी कमी के लिए कोई योजना नहीं बनी थी ।

एन.व्ही.डी.ए. ने तीन[26] विद्युत परियोजनाओं को बाहु उद्देशीय परियोजनाओं में परिवर्तित करने, महानदी कछार में जल का व्यपवर्तन न करने तथा छोटा तवा परियोजना के स्थान पर पुनासा एल.आई.एस. के कार्यान्वयन के कारण वृहद परियोजनाओं में आयोजना बद्ध जल उपयोग (**परिशिष्ट 3.10**) में निम्नानुसार परिवर्तन किया (मार्च 2012);

तालिका क्र. 3.7

1.	जलाशयों (जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्ण चार तथा एन.वी.डी.ए. द्वारा निर्माणाधीन चार) के अनुमानित जल के उपयोग में वृद्धि	8 परियोजनाएं	0.867 एम.ए.एफ.
2.	जल के उपयोग में कमी (तीन पूर्ण तथा छह निर्माणाधीन)	9 परियोजनाएं	0.707 एम.ए.एफ.
3.	जल के उपयोग में कमी (आगामी परियोजनाएं)	6 परियोजनाएं[27]	0.627 एम.ए.एफ.
	कुल कमी		**1.334** एम.ए.एफ.

(स्त्रोतः - एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदत्त जानकारी)

यद्यपि, 0.867 एम.ए.एफ. जल के उपयोग में वृद्धि परिकल्पित की गई थी, कमान क्षेत्र में वृद्धि या बांधों की संग्रहण क्षमता में वृद्धि के द्वारा जल का उपयोग बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं थी । जल वर्ष 2011-12 तक जल के उपयोग की बनाई गई आयोजना की उपलब्धियों के प्राप्त न होने को ध्यान में रखते हुए जल के उपयोग की प्रस्तावित वृद्धि की प्राप्ति नहीं की जा सकती है ।

एन.व्ही.डी.ए. द्वारा 15 परियोजनाओं के लिए 1.334 एम.ए.एफ. (0.707 एम.ए.एफ + 0.627 एम.ए.एफ.) जल के उपयोग में कमी की भरपाई के लिए या तो मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने या नई परियोजना आरंभ करने के लिए अब तक (अगस्त 2012) कोई आयोजना तैयार नहीं की गई ।

- बी.डी.पी. का निर्माण जो कि आर.ए.बी.एल.एस. बांध की दाईं तट नहर है, से 2.035 एम.ए.एफ जल उपयोग की परिकल्पना की गई । आर.ए.बी.एल.एस. बांध में

25 बी.डी.पी., ओ.एस.पी., अपर बेदा ।

26 राघोपुर-रोसरा-बसानिया

27 दूधीः 127.030 एम.सी.एम., एस.एम.एसः 81.36 एम.सी.एम., मोरण्ड गंजालः 37.87 एम.सी.एम., छोटा तवाः 317.32 एम.सी.एम., चिंकीः 163.68 एवं आर.आर.बी.46.20 एम.सी.एम. = योग 773.420 एम.सी.एम.

अपर्याप्त जल होने के कारण बी.डी.पी.की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अटरिया वृहद परियोजना के जलाशय से बी.डी.पी. को (0.091 एम.ए.एफ.) जल देने की एक योजना तैयार की गई थी (जनवरी 2009)। रिवर्स कैलेन्डर के अनुसार अटरिया जलाशय को वर्ष 2019-20 तक पूर्ण करने के लिए योजना बनाई गई थी जबकि बी.डी.पी. को वर्ष 2016-17 तक पूर्ण करने की योजना बनाई गई है । इसके बाद, विस्तृत सर्वेक्षण के समय कमान क्षेत्र में कमी के कारण केवल 0.017 एम.ए.एफ.जल उपयोग करने के लिए अटरिया वृहद परियोजना को लघु परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया (जनवरी 2009) । इस प्रकार, बी.डी.पी. के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी और एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार वास्तविक जल की निकासी पर प्रभाव पड़ सकता है ।

इस प्रकार एक ओर जहां जल के उपयोग में कमी (1.334 एम.ए.एफ.) और जल के अतिरिक्त उपयोग (0.096 एम.ए.एफ.) के लिए कोई आयोजना नहीं थी वहीं दूसरी ओर 2011-12 तक जल के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जल के उपयोग (0.867 एम.ए.एफ.) की प्रस्तावित वृद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

नहर प्रणालियों के पूर्ण होने के लिए कार्य की धीमी गति, सृजित क्षमता से कम जल का उपयोग एवं प्रस्तावित उपयोग में अवास्तविक परिवर्तन को देखते हुए समीक्षा वर्ष के पूर्व आवंटित जल का उपयोग करना राज्य के लिए संभव नहीं होगा जब तक कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के लिए बाधक तत्वों को प्रभावी ढंग से न सुलझाया जाए ।

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (अक्टूबर 2012) कि पानी का पूर्ण सीमा तक उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि नहर का कार्य समय की खपत वाला था और भूमि अधिग्रहण का कार्य 2000 से अधिक गावों तक फैला हुआ था । निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि नर्मदा बचाओ आंदोलन (एन.बी.ए.) के कार्यकर्ताओं द्वारा बाधाएं खड़ी करने के कारण ओंकारेश्वर परियोजना के माध्यम से जल का उपयोग प्रभावित हुआ था । तवा परियोजना के जल के उपयोग में वृद्धि के विषय में यह स्पष्ट किया गया था कि यह मोरण्ड-गंजाल परियोजना के साथ जोड़कर प्राप्त की जाएगी । बरगी व्यपवर्तन योजना के मामले में यह कहा गया था कि जल का पूरा उपयोग चार से पांच वर्ष के भीतर सुरंग के पूर्ण होने तथा अपस्ट्रीम जलाशयों के निर्माण के पश्चात प्राप्त कर लिया जाएगा ।

उत्तर, मात्र तीन परियोजनाओं के संबंध में 0.658 एम.ए. एफ. जल के प्रस्तावित उपयोग का विवरण देता है न कि समीक्षा वर्ष से पूर्व समस्त आवंटित जल के उपयोग करने की एन.व्ही.डी.ए. की परियोजनाओं को पूर्ण करने की आयोजना के बारे में ।

3.10 परियोजनाओं के लिए निधिकरण में बाधाएं

₹ 11001.60 करोड़ की शेष परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धन का तालमेल नहीं हो सका था ।

एन.व्ही.डी.ए. की परियोजनाएं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), ग्रामीण और कृषि विकास राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) और राज्य निधि के माध्यम से वित्त पोषित होती है । एन.व्ही.डी.ए. ने 2006-07 तक कुल ₹ 10371.88 करोड़ व्यय किए । विगत पांच वर्षों के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया हैः

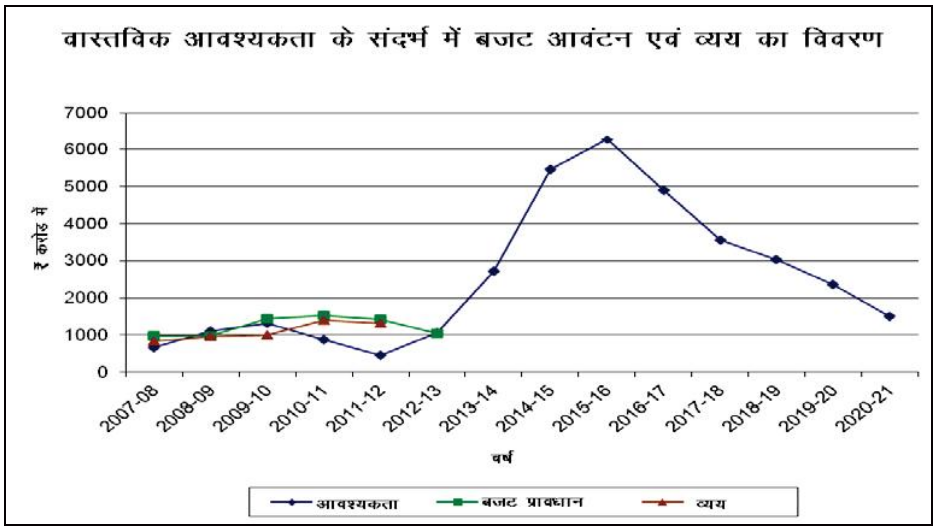
तालिका क्र. 3.8

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	बचत (प्रतिशत)
2007-08	965.43	835.44	129.99 (13.46)
2008-09	981.34	946.46	34.88 (3.55)
2009-10	1127.79	1003.35	124.44 (11.03)
2010-11	1526.83	1384.57	142.26 (9.32)
2011-12	1413.49	1302.58	110.91 (7.85)
कुल	**6014.88**	**5472.40**	**542.48**

(स्त्रोतः एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 2011-12 तक पिछले पांच वर्ष के दौरान बजट प्रावधान को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका । पिछले पांच वर्ष के दौरान ₹ 542.48 करोड़ की कुल बचतें, मुख्य रूप से केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन में देरी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) से अनापत्ति मिलने में देरी, एजेंसियों के निर्धारण में देरी और ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति इत्यादि के कारण थी ।

विज़न 2012 (दिसम्बर 2003 में तैयार), के अनुसार एन.व्ही.डी.ए. ने सभी वृहद परियोजनाओं को 2012 तक पूर्ण करने की आयोजना की थी । एन.व्ही.डी.ए. ने 2007-08 से 2011-12 तक वृहद परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 7068.28 करोड़ की कुल आवश्यकता का आंकलन किया । यद्यपि, एन.व्ही.डी.ए. द्वारा इस अवधि के दौरान ₹ 6314.88 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध मात्र ₹ 5472.40 करोड़ व्यय कर सका । फलस्वरूप, परियोजनाएं अधूरी रह गई और 2024 तक की अवधि के दौरान शेष परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता बढ़ गई थी। एन.व्ही.डी.ए. ने 2020-21 तक शेष परियोजनाओं (वृहद, मध्यम एवं लघु) को पूर्ण करने के लिए ₹ 30760 करोड़, जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में उल्लिखित किया गया है, की कुल आवश्यकता का आंकलन किया (2012)। 2007-08 से 2020-21 के लिए आवश्यक धन, 2007-08 से 2011-12 वर्षों के लिए आवंटन एवं वास्तविक व्यय नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है ।



स्त्रोतः एन.व्ही.डी.ए. द्वारा प्रदाय गई जानकारी

राज्य योजना आयोग ने (मार्च 2012) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए ₹ 20353 करोड़ (**परिशिट 3.11**) के अनुमानित मांग के विरूद्ध ₹ 9351.40 करोड़ की अधिकतम सीमा (सीलिंग) तय कर दी थी । सीलिंग तय होने के पश्चात एन.व्ही.डी.ए. ने ₹ 11001.60 करोड़ के अंतर को पूर्ण करने के लिए धन के तालमेल की कोई आयोजना नहीं बनाई ।

हमने आगे देखाः

- 2020-21 की अवधि के दौरान शेष परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक ₹ 30760 करोड़ का आंकलन मौजूदा दर अनुसूची (वर्षः 2009) के आधार पर किया गया था । विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं की स्फीतिकारक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, उस संपूर्ण अवधि के दौरान जब तक परियोजनाओं का निर्माण चलता, अतिरिक्त निधियों एवं मूल्यवृद्धि की लागत का निर्धारण किया जाना था। यद्यपि, 2016-17 तक पूर्ण होने हेतु नियत परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त मूल्यवृद्धि का प्रावधान किया गया, हमने देखा कि प्रावधान करने में दरों की अनुसूची 2009, जिसके आधार पर प्राक्कलन तैयार किए गए थे, के पश्चात की स्फीतीकारक प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं लिया गया था । हमने देखा कि आठ परियोजनाओं हेतु, उनकी पूर्णता की एक वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए निधियों की आवश्यकता पर्याप्त नहीं होगी (**परिशिष्ट 3.11**)। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्शन में 2015-16 में पूर्णता की ₹ 694.30 करोड़ की आवश्यकता वाली आर.ए.बी.एल.एस. परियोजना के प्रकरण में मूल्यवृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इनके कारण आने वाले वर्षों के दौरान संसाधन की गंभीर बाध्यता हो सकती है जिससे परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता पर प्रभाव पड़ सकता है ।

- एन.व्ही.डी.ए. विगत 21 वर्षों के दौरान कभी भी आवंटित निधि का उपयोग करने में सक्षम नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है । शेष परियोजनाओं की पूर्णता के लिए आयोजना की शेष अवधि के दौरान (यथा 2021 तक), निधियों की वार्षिक आवश्यकता ₹ 1495 करोड़ से ₹ 6261 करोड़ तक होगी । विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है । जैसा कि परियोजनाओं/ कार्यों एवं निधियों की संचालित की जाने वाली प्रमात्रा मूल रूप से बढ़ेगी, एन.व्ही.डी.ए. को, परियोजना के लिए कार्यों की आयोजना, नियतीकरण एवं निगरानी में अपर्याप्तता एवं कार्यों की पूर्णता में अनुवर्ती विलंबों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे ताकि विज़न 2020 में यथा परिकल्पित, परियोजनाओं की पूर्णता को सुनिश्चित किया जाए ।

- एन.बी.पी.सी.एल. को अक्तूबर 2011 में बनाया गया था, जो कम्पनी में पर्याप्त मानव शक्ति के नियोजन के अभाव में अब तक प्रचालन में नहीं आया (अगस्त 2012) । फलस्वरूप, एन.बी.पी.सी.एल. के माध्यम से सिंचाई, विद्युत एवं अन्य संबद्ध परियोजनाओं इत्यादि के विकास के लिए निधियों को उगाहने के लिए प्रक्रिया भी अगस्त 2012 तक प्रारंभ नहीं की जा सकी ।

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (अक्तूबर 2012) कि 2005-06 एवं 2006-07 में बजट का उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि निविदाओं की प्रक्रिया में विलंब थे । उन्होंने आगे बताया कि 2006-07 के बाद प्रदत्त निधियों की उपयोगिता की सीमा में

सुधार हुआ था । एन.व्ही.डी.ए. ने निर्गम सम्मेलन में बताया (दिसम्बर 2012) कि 13वें आयोजना दस्तावेज में परिकल्पित है कि चूँकि संग्रहण के लिए पर्याप्त बड़े बांधों का निर्माण किया जा चुका था, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नई परियोजना प्रारंभ नहीं की जाएगी एवं इसलिए एन.व्ही.डी.ए. ने शेष परियोजनाओं के लिए निधिकरण में समस्या की प्रत्याशा की। आगे यह कहा गया कि प्राधिकरण में अब भी समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संसाधन की बाध्यता है एवं परियोजनाओं के लिए निधियों की समयबद्ध उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बाजार उधार एवं एन.बी.पी.सी.एल. के माध्यम से अन्य निधिकरण के विकल्पों की साध्यता का पता लगाया जा रहा था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान निरंतर ₹ 34.88 करोड़ से ₹ 124.44 करोड़ तक की निधियां समर्पित कर रहा था एवं कार्यान्वयन के अंतर्गत कार्यों की कड़ी निगरानी से आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग हेतु सक्षम बनाना होगा ।

इस प्रकार, समीक्षा वर्ष के पूर्व 18.25 एम.ए.एफ. के आवंटित भाग के उपयोग के लिए परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन में कार्यांवित किए जाने वाली शेष परियोजनाओं के लिए निधिकरण व्यवस्था जोखिम में रही ।

3.11 निगरानी

एन.वी.डी.ए. के मुख्यालय पर निगरानी कक्ष नहीं था ।

निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजना कार्यान्वयन के अनिवार्य घटक है जो समुचित गुणवत्ता एवं मितव्ययिता के साथ परियोजनाओं की समयबद्ध रीति से पूर्णता में सहायक होते है ।

3.11.1 शीर्ष स्तरीय कार्यालय द्वारा कार्यों की अप्रभावी निगरानी

विज़न दस्तावेज 2012, साप्ताहिक निगरानी एवं मुख्यालय पर कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ परियोजनाओं की प्रगति पर क्षेत्र संरचना में सूचनाओं के द्रुत संचारण हेतु एन.व्ही.डी.ए. के प्रत्येक सदस्य के अधीन निगरानी कक्ष की स्थापना का उल्लेख करता है ।

हमने देखा किः

- विज़न दस्तावेज 2012, "समय घटना नेटवर्क विश्लेषण प्रणाली" का उल्लेख करता है जिसमें एक परियोजना की विभिन्न घटनाएं, प्रत्येक घटना के लिए नियत समय के साथ पहचानी जाती है एवं एक घटना का दूसरी घटना के साथ संबंध दर्शाते हुए एक नेटवर्क में रखी जाती हैं । यह प्रणाली विभाग को परियोजना की विभिन्न घटनाओं में जोखिमों की पहचान एवं उन्हें कम करने एवं परियोजनाओं के सही कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की रूपरेखा का विकास एवं आवश्यक उपाय कार्यान्वित करने में सक्षम बनाएगी । यह प्रणाली अब तक प्रारंभ नहीं की गई है (अगस्त 2012)। परिणामतः परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामने आए जोखिमों के निर्धारण एवं ऐसे

जोखिमों के समाधान का पता लगाने के लिए शीर्ष स्तरीय कार्यालय पर व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी ।

- यथा परिकल्पित निगरानी कक्ष स्थापित नहीं हुआ था एवं एन.व्ही.डी.ए. के मुख्यालय पर संबंधित सदस्यों को आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों के नियमित प्रस्तुतिकरण की कोई प्रणाली नहीं थी । फील्ड संरचनाओं द्वारा प्रगति प्रतिवेदन, शीर्ष कार्यालय द्वारा जब और जैसे मांगे जाने के आधार पर प्रस्तुत किए जा रहे थे । जैसा कि, शीर्ष स्तर पर कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित आधार पर नहीं हो रही थी । नियमित निगरानी की प्रणाली के अभाव में शीर्ष स्तर के अधिकारियों कार्यों के कार्यान्वयन में समस्याओं की पहचान समय रहते करने एवं उनकी उपचारी कार्रवाई करने में समर्थ नहीं होंगे । निगरानी प्रणाली में कमी शेष कार्यों की पूर्णता में विलंब में परिणीत हो सकती है ।

 यद्यपि एन.व्ही.डी.ए. ने मुख्यालय एवं क्षेत्र संरचनाओं पर कम्प्यूटर स्थापित किए, कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रभावी ऑन-लाईन प्रबंधन सूचना प्रणाली अब तक विकसित नहीं की गई (अगस्त 2012)।

निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि क्षेत्रों से निर्धारित प्रतिवेदनों के माध्यम से निगरानी के लिए एक व्यवस्था थी एवं निगरानी के लिए एन.व्ही.डी.ए. मुख्यालय पर एवं मुख्य अभियंता द्वारा मासिक/ द्विमासिक बैठकें ली जाती है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन नियमित आधार पर प्राप्त नहीं हो रहे थे एवं अद्यतन जानकारी के साथ नियमित विवरणियों के अभाव में, बैठकों के उद्देश्य प्राप्त नहीं होते।

3.11.2 प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक और अत्यावश्यक पथ पद्धति को अपनाया न जाना

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पी.ई.आर.टी. एवं सी.पी.एम. प्रयुक्त नहीं की जा रही थी ।

शेष परियोजनाओं/ प्रगतिरत परियोजनाओं के शेष कार्यों के लिए प्रारंभ किए जा रहे टर्न-की ठेकों के मामलों में, कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम की भाँति, ठेकेदारों द्वारा आरंभ की तिथि, पूर्णता की तिथि एवं पूर्णता अवधि दर्शाने वाला एक बार-चार्ट प्रस्तुत किया जा रहा था । विलंब के मामलों में, ठेकेदार को विलंब के अनुसार संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा रही थी ।

बार-चार्ट, निर्माण गतिविधियों का एक रेखीय निरूपण है, यह ऐसी गतिविधियों की ओर संकेत नहीं करता जो अत्यावश्यक है एवं जो कम-से-कम संभव समय में परियोजना को पूर्ण करने के लिए साथ-साथ प्रारंभ की जा सके । परिणामतः यह किसी गतिविधि में मूल निर्धारित समय से स्लीपेज के प्रभाव की ओर संकेत नहीं करता । कार्यक्रम

मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक[28] (पी.ई.आर.टी.) एवं अत्यावश्यक पथ पद्धति[29] (सी.पी.एम.) के द्वारा परियोजनाओं की निगरानी इसे एक समाधान प्रदान करते है ।

हमने देखा कि एन.व्ही.डी.ए. में ऐसी गतिविधियों के संबंध में कड़ी निगरानी एवं संपूर्ण विलंब से बचना सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना की अत्यावश्यक गतिविधियों की पहचान के लिए पी.ई.आर.टी. एवं सी.पी.एम. प्रयोग में नहीं लाए जा रहे थे ।

एन.व्ही.डी.ए. के मुख्यालय पर निगरानी कक्ष की अनुपस्थिति में, कार्यों के प्रगति प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की नियमित प्रणाली, ऑन-लाईन प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं निगरानी के लिए पी.ई.आर.टी. एवं सी.पी.एम. के प्रयुक्त होने, मूल्यांकन एवं वैकल्पिक आयोजनाओं का प्रबंधन, 2024 के पूर्व परियोजनाएं पूर्ण करने के लिए, कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विलंबों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं हो सकेगा ।

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी परियोजनाओं की निगरानी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए की जा रही थी जो कि सी.पी.एम.-पी.ई.आर.टी. का उन्नत संस्करण है एवं जो सभी टर्न-की ठेकों के लिए आवश्यक था । उन्होने आगे बताया कि सलाहकारों ने स्वतंत्र रूप से एम.आई.एस. पूर्ण किया एवं ठेकों की निगरानी के लिए एन.व्ही.डी.ए. को प्रस्तुत किया । निर्गम सम्मेलन में एन.व्ही.डी.ए. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सी.पी.एम./पी.ई.आर.टी. चार्ट एन.व्ही.डी.ए. ने बनाए थे किंतु एक गतिविधि जैसे आंदोलन एवं मुकदमेबाजी के कारण भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के स्लीपेज की दशा में संपूर्ण चार्ट का प्रयोजन विफल रहा ।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि एन.व्ही.डी.ए. के मुख्यालय पर निगरानी कक्ष अस्तित्व में नहीं है । एन.व्ही.डी.ए. के मुख्यालय को कार्यों के प्रगति प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की नियमित प्रणाली एवं सी.पी.एम./पी.ई.आर.टी. भी लेखापरीक्षा ने नहीं देखी गईं थी ।

3.12 निष्कर्ष

नर्मदा जल के उपयोग हेतु अधोसंरचना के सृजन के लिए एन.व्ही.डी.ए. ने 2007-12 के दौरान ₹ 6014.88 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 5472.40 करोड़ व्यय किए । केन्द्रीय जल आयोग से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन में, पर्यावरण अनापत्तियां एवं कार्यों के आवंटन में विलंब हुआ था । बांधों के साथ-साथ नहरों के कार्यान्वयन में और भी स्लीपेज हुए थे ।

[28] यह एक समय घटना नेटवर्क विश्लेषण प्रणाली है जिसमें एक परियोजना में विभिन्न गतिविधियाँ उनके योजनाबद्ध समय अवधि पहचानी जाती है एवं एक नेटवर्क में एक घटना का अन्य घटना से संबंध दर्शाते हुए रखी जाती हैं

[29] पद्धति जो, परियोजना के अंत तक की सबसे लंबी योजनाबद्ध गतिविधि की गणना करती है एवं परियोजना को लंबित किए बिना प्रत्येक गतिविधि शीघ्रातीशीघ्र एवं नवीनतम रूप से प्रारंभ एवं समाप्त हो सकती है ।

23 वृहद परियोजनाओं में से, 3.157 एम.ए.एफ जल के उपयोग के लिए सात परियोजनाएं पूर्ण हुई, सात परियोजनाएं प्रगतिरत थी एवं नौ परियोजनाएं अभी आरंभ होनी थी । आगे, इन 23 परियोजनाओं के 26 बांधों में से 13 परियोजनाओं के 11 बांध (9.114 एम.ए.एफ. की संग्रहण क्षमता) पहले ही पूर्ण हो चुके थे, एक बांध का कार्य प्रगति पर था एवं 14 बांधों के कार्य अभी आरंभ होने थे ।

3.764 एम.ए.एफ. जल के उपयोग के लिए शेष सभी मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य अब भी पूर्ण नहीं हुए थे क्योंकि अधिकतर मामलों में परियोजनाओं की पहचान नहीं हुई थी । अपर्याप्त निगरानी, वैकल्पिक योजना तैयार न करना एवं अनुपयुक्त ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन, निर्माण के विलंब में परिणीत हुए। परिणामस्वरूप, 2007-12 के दौरान एन.व्ही.डी.ए. जल का उपयोग को मात्र 1.63 एम.ए.एफ से बढ़ा सका । शेष परियोजनाओं की पूर्णता के लिए निधियों की आवश्यकता का निर्धारण भी अपर्याप्त था । सिंचाई, विद्युत एवं संबद्ध परियोजनाएं इत्यादि के विकास के लिए निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया अब तक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस् कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से आरंभ नहीं हो सकी ।

एन.व्ही.डी.ए. समीक्षा वर्ष तक वृहद परियोजनाओं के शेष बांधों एवं नहरों के कार्यों का निर्माण पूर्ण करने में तभी सक्षम होगा यदि कार्यों को तुरंत सौंपा जाए एवं प्रारंभ किया जाए एवं कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी कुशलतापूर्वक हो । आगे, समीक्षा वर्ष तक शेष मध्यम परियोजनाएं पूर्ण हो सकती है यदि सभी मध्यम परियोजनाओं की पहचान तुरंत हो, कम-से-कम समय में अनापत्तियां प्राप्त हो, परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों का ताल-मेल हो एवं अन्य गतिविधियों को सावधानी से एवं कुशलतापूर्वक निगरानी की जाए तथा कार्यान्वित हो ।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार नर्मदा जल की निकासी एवं उपयोग के लिए तैयारी धीमी है क्योंकि वर्तमान प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई थी । लक्ष्यों की प्राप्तियों के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, अन्यथा मध्य प्रदेश नर्मदा जल के प्राप्ति योग्य भाग को प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा ।

3.13 अनुशंसाएं

शासन, समीक्षा वर्ष तक जल के आवंटित भाग को उपयोग करने के लिए;

- कार्यों की उपयुक्त आयोजना के लिए आंतरिक के साथ-साथ बाह्य कारकों को भी ध्यान में रखते हुए एक यथार्थवादी रिवर्स कैलेंडर तैयार करने
- अंतर्निहित जोखिमों की पहचान करने की एक प्रणाली स्थापित करें एवं प्रभावी निगरानी के माध्यम से कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने संबंधी जोखिमों का पता लगाने हेतु आयोजना बनाने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने
- पर्यावरण एवं वन अनापत्तियों में विलंब के लिए कारणों का परीक्षण करें तथा अनापत्तियां प्राप्त करने के विलंब को कम करने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने

- सक्षम ठेकेदारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु बोलियों के मूल्यांकन के लिए तंत्र को मजबूत करने
- बांधों एवं नहरों के साथ-साथ निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीकें अपनाने
- निधियों की आवश्यकताओं का यथार्थवादी निर्धारण करने एवं निधियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने
- मध्यम परियोजनाओं के क्रियांवयन को प्रारंभ करने के लिए इनकी तुरंत पहचान करने

पर विचार कर सकता है ।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

चौथा अध्याय

लेन देन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में दोष तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आये हैं। इन्हें व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत आगामी कण्डिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

4.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किये जाने से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है :

वन विभाग

4.1.1 उपकर की वसूली में असामान्य देरी के कारण सरकार को ब्याज हानि

मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विकास) सहकारी परिसंघ द्वारा ₹ 34.97 करोड़ देरी से जमा किया गया जिससे नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 4.94 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

मध्य प्रदेश की वित्त संहिता के नियम 29 में प्रावधान है कि यह देखना विभागीय नियंत्रक अधिकारी का कर्तव्य है कि सरकार को देय राशि समय से निर्धारित, वसूली व विविध राज्य सरकार की संचित निधि या लोक लेखा में जमा की गई है। आगे मध्य प्रदेश शासन कराधान (वन विकास उपकर) नियम, 1982 के नियम 3 में प्रावधान है कि किसी माह के दौरान वनोपज बिक्री पर एकत्रित उपकर अगले महीने की 15 तारीख तक वसूली के विवरण सहित रेखांकित चैक द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन, म. प्र. को भुगतान कर देना चाहिए।

हमने देखा (मार्च 2012) कि नियमों में ऐसा कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जिससे उपकर के देरी से भुगतान पर जुर्माना लिया जा सके। हमने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ) भोपाल के अभिलेखों में यह भी देखा गया कि वन उपकर की ₹ 34.97 करोड़ की 2007-08 से 2010-11 तक की देय राशि पीसीसीएफ, भोपाल के कार्यालय में राज्य लघु उपज (व्यापार व विकास) सहकारी परिसंघ मर्यादित (परिसंघ) भोपाल द्वारा 11 से 35 महीने की देरी से भुगतान की गई। इससे न केवल ₹ 4.94 करोड़ की ब्याज हानि हुई, जो कि समय समय पर बैंक के जमा दर के अनुसार गणना की गई है (जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में दिखाया गया है) कि बल्कि इससे परिसंघ को भी अप्राधिकृत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। विभागीय नियंत्रक अधिकारी ने न तो परिसंघ द्वारा भुगतान की गई राशि की निर्धारित उपकर राशि से तुलना की और न उन्होंने वनोपज की बिक्री द्वारा एकत्रित कर के विवरण का सत्यापन किया।

सरकार को मामला इंगित (मई 2012) किए जाने पर सरकार ने परिसंघ द्वारा उपकर भुगतान में देरी स्वीकार की (जुलाई 2012) जिसका कारण जिला संघो के वार्षिक लेखे परिसंघ के कार्यालय में देर से प्राप्त होना बताया गया जिसके फलस्वरूप सरकार को देय वास्तविक उपकर की राशि की गणना में देरी हुई।

उत्तर मध्य प्रदेश कराधान (वन विकास उपकर) के नियम एवं वित्तीय संहिता के अनुरूप नहीं है। यह अनुशंसा की जाती है कि वन विकास उपकर पर लागू होने वाले नियमों को, सरकारी खाते में उपकर के देर से स्थानांतरण के संबंध में, दाण्डिक प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित किया जाना चाहिए जिससे यह विलम्बित प्रेषण के विरूद्ध प्रतिवारण का काम कर सके।

4.1.2 निर्धारित मूल्य से कम पर बिक्री के कारण राजस्व हानि

खैर लकड़ी अवरोध मूल्य से कम पर नीलाम की गई जिससे ₹ 13.82 लाख की राजस्व हानि हुई ।

मध्य प्रदेश के वन मैन्युअल की कंडिका 102(3) के अनुसार, वाणिज्यिक मांग वाले वनोत्पाद के निपटान के लिए सार्वजनिक नीलामी को वरीयता दी जायेगी और जिन प्रकरणों में सार्वजनिक नीलामी में निर्धारित मूल्य[1] के लगभग कीमत नहीं मिलती है, उनमें सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

खैर लकड़ी से सम्बन्धित निपटान की श्योपुर सामान्य संभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच इंगित[2] (फरवरी 2011) करती है कि दिसम्बर 2009 व अप्रैल 2010 के मध्य रखी गई 4 नीलामियों जिनमें 33 ढेरियों व 11336 मदों को कुल निर्धारित मूल्य ₹ 25.17 लाख के विरूद्ध ₹ 11.35 लाख में बेच दिया गया। विभिन्न ढेरियों को निर्धारित कीमत से 35 से 78 प्रतिशत कम कीमत पर बेचा गया। सील बंद निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और विभाग ने बहुत कम कीमत पर बिक्री का संज्ञान भी नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.82 लाख (**परिशिष्ट 4.2**) की राजस्व हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, सरकार ने कथन किया (मार्च 2012) कि श्योपुर संभाग दूर-दराज क्षेत्र में स्थित है इसलिए बोलीकर्ताओं की संख्या सात से ऊपर नहीं गई और खैर की मांग कृत्रिम कत्था की बिक्री के कारण लगभग शून्य तक घट गई। सील बंद निविदाओं के संबंध में कथन किया गया कि प्रचलित आदेशों के अनुसार कार्यवाही की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीलबंद निविदाओं को आमंत्रित करने के मध्य प्रदेश वन मैन्युअल के नियम 102(3) का पालन नहीं किया गया जबकि नीलामी में पाया गया मूल्य विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य से कम था। उत्तर में वनोत्पाद के निपटान हेतु भी

1 निर्धारित मूल्य का अर्थ उस न्यूनतम आरक्षित मूल्य से है जिस पर वनोपज सार्वजनिक बिक्री में नीलाम या बेची जा सकती है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल व अक्टूबर में पिछले वर्ष प्राप्त बिक्री मूल्य के आधार पर तय की जाती है।

2 नीलामी पत्र, नीलामी के परिणाम, अनुमोदन, बिक्री रजिस्टर, रोकड़ बही इत्यादि

कारण स्पष्ट नहीं है जैसे कि विभाग द्वारा औद्योगिक बांस के निपटान हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक नीलामी का पालन किया।

4.1.3 इको पर्यटन गतिविधियों पर केन्द्र सरकार के बिना अनुमोदन के किया गया व्यय

विभाग ने ईको पर्यटन संवर्धन पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 2.17 करोड़ व्यय किए।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 (अधिनियम), प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जिससे वन भूमि या उसके किसी भाग का किन्हीं गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाये। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.), भारत सरकार नई दिल्ली (मई 2010) में स्पष्टतया ईको पर्यटन को एक गैर वानिकी गतिविधि माना गया है व किसी गैर वानिकी गतिविधि का किया जाना जिसमें स्थायी संरचना भी शामिल हैं, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। वन संरक्षक (केन्द्रीय), (एम.ओ.ई.एफ.) भोपाल ने भी यह कहते हुए दोहराया है (सितम्बर 2011) कि पहुँच मार्ग का निर्माण "वनस्पति वाटिका" वन चेतना केन्द्र, लॉग हट, रेस्ट्रां, व नेचर ट्रेल्स के लिए अधिनियम के अंतर्गत एम.ई.ओ.एफ. का अनुमोदन अपेक्षित है।

हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) ईको पर्यटन विकास बोर्ड मध्य प्रदेश, भोपाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में (जनवरी 2012) देखा कि बोर्ड द्वारा वन क्षेत्र में ₹ 6.39 करोड़ की लागत की 92 ईको पर्यटन गतिविधियां में से 21 ईको पर्यटन गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें सम्बन्धित संभागीय वन अधिकारियों एवं फील्ड निदेशकों राष्ट्रीय पार्क के माध्यम से जून 2005 व जनवरी 2012 के मध्य ₹ 2.17 करोड़ खर्च किये गये। इन गतिविधियों में पहुँच मार्ग निर्माण, ट्री हट्स, प्लेटफार्म, नेचर ट्रेल्स, रेस्तरा, नौकायान सुविधा और विश्राम घरों का विकास व मरम्मत इत्यादि शामिल है। **(विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.3)।** ऐसी गतिविधियों को संचालित करने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम का उल्लंघन हुआ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2012) में सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि (I) भारत सरकार के स्पष्टीकरण में (मई 2010) निहित है कि गैर वानिकी गतिविधियों, वन भूमि के उपयोग के मामले में भारत सरकार का आदेश हरियाणा सरकार के लिए लागू है इसे दूसरे राज्य के लिये सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता। (II) बोर्ड द्वारा ईको टूरिज्म गतिविधियों के कार्य आम सभा के जो भी माननीय मंत्री वन विभाग के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव इत्यादि अनुमोदन के उपरान्त ही सम्पादित किये गये। गतिविधियां विभिन्न वन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं और यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है (III) वन प्रबंधन एवं वाइल्ड लाइफ के लिए ईको टूरिजम एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में प्रभाव डालता है जो कि राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संचालित है तथा (IV) इसी प्रकार की ईको पर्यटन गतिविधियां राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित की जा रही है। जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आसाम एवं सिक्किम इत्यादि।

उत्तर अधिनियम एवं एम.ओ.ई.एफ. के स्पष्टीकरण (मई 2010) एवं (सितम्बर 2011) के अनुरूप नहीं है। हरियाणा सरकार को एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी स्पष्टीकरण वन संरक्षण अधिनियम का एक विवेचना था तथा वे स्पष्टीकरण भारत के सभी राज्यों पर सामान्य रूप से लागू है। इसी प्रकार स्पष्टीकरण एम.ओ.ई.एफ. वन संरक्षक (केन्द्र) द्वारा भी राज्य सरकार वन विभाग को जारी कर निहित किया गया कि कोई भी इको टूरिज्म गतिविधियां संभागीय करने के पूर्व भारत सरकार की अनुमति लें। इस स्पष्टीकरण ने भी वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों की प्रकृति को विस्तृत किया है और ईको पर्यटन गतिविधियां, जो लेखा परीक्षा में नोटिस की गई, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

4.1.4 निधियों की अनियमित पार्किंग

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता का उल्लंघन करते हुए संयुक्त वन समितियों हेतु बजट में राशि को आवंटित कर निकासी की गई एवं पी.डी.ए. के स्थान पर बैंक खाते में रखी गई ।

लाभ में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने लकड़ी व बांस के उत्पादन से अर्जित शुद्ध लाभ का 10-20 प्रतिशत संयुक्त वन समितियों[3] पर खर्च करने का निर्णय (फरवरी 2005) लिया। शुद्ध लाभ लकड़ी व बांस की बिक्री आगमों में से निर्धारित खर्च को घटाकर परिकलित किया जाना था। योजना में प्रावधान था कि पूर्वोल्लिखित 10-20 प्रतिशत का 80 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) को सीधे संवितरित किया जाना था व बाकी 20 प्रतिशत प्रशिक्षण, जागरूकता फैलाने और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों हेतु आवासीय सुविधाओं आदि के विकास पर खर्च किया जाना था। "जे.एफ.एम.सी. (सं.व.प्र.स.) को लाभ में हिस्सेदारी की देय राशि का प्रावधान विभाग के वार्षिक बजट नियतन में किया जाना था। मध्य प्रदेश की वित्त संहिता (एम.पी.एफ.सी.) के नियम 6 के अनुसार संचित निधि व लोक लेखा से पैसा किसी अन्य जगह पर निवेश के लिए वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं निकालना चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (विकास) भोपाल (एम.पी.सी.सी.) के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में हमने देखा (फरवरी 2012) कि वर्ष 2007-08 एवं 2011-12 के मध्य ₹ 39.15 करोड़ ट्रेनिंग एवं जागरूकता फैलाने हेतु 20 प्रतिशत भाग को आवंटित करते हुए बजट में प्रावधान किया गया। विभाग द्वारा इस राशि को निकाल कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से बैंक में खाता खोल कर रखा गया। वन विकास एजेन्सी भोपाल ने साथ ही इस लेखे में पड़ी अवशेष अव्ययित राशि को अगस्त 2011 में स्थानांतरित कर दिया गया तथा बिना वित्त विभाग की अनुमति लिए दूसरा खाता सेंट्रल बैंक भोपाल में ए.पी.सी.सी.एफ (जे.एफ.एम.) के नाम खोलकर रखी गई। इसमें से ₹ 20.08 करोड़ योजना के अंतर्गत निश्चित गतिविधियों पर वर्ष 2007-08 एवं 2011-12 के मध्य व्यय कर दिये गये। अव्ययत शेष राशि ₹ 19.07 करोड़ मार्च 2012

[3] शासन (वन विभाग) के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22 अक्तूबर 2001 के अनुसार, वन समितियां गठित की जानी है जो ड्वेलर द्वारा गठित होंगी एवं पंचायती राज जो ग्राम सभा के समान कार्य करेगी ।

के अंत तक बैंक में अवरूद्ध कर रखी गई। निधियों की निकासी और सरकारी लेखे से बाहर रखना न केवल नियम विरूद्ध हैं बल्कि वित्तीय नियंत्रण क्रिया विधि को भी निष्फल करता है। प्रधान सचिव वित्त विभाग ने भी ऐसे सभी बैंक खाते बंद कर राशियों को सरकारी खाते में सम्बन्धित कोषालयों में रखने हेतु निर्देशित (फरवरी 2009) किया।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2012) में इंगित किए जाने पर सरकार ने कथन किया (मई व अगस्त 2012) कि राशि का उपयोग करने के लिए समिति द्वारा समय-समय पर मध्य प्रदेश विकास निधि उपयोग नियमावली, 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत निर्णय लिये गये और चूंकि मानव संसाधन विकास एक सतत प्रक्रिया है इसलिए इसको एक वित्तीय वर्ष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम में निधियों को बैंक खातों में रखने का प्रावधान नहीं है। सरकारी आदेश (28 जनवरी, 2012) में सुस्पष्ट है कि पृथक विकास निधि बजट के माध्यम से आवंटित निधियों की आहरण कर बैंक खाते में रखने की अनुमति नियम में नहीं है। ट्रेनिंग एवं जागरूकता फैलाने हेतु वैयक्तिक निक्षेप खाते के माध्यम से इस राशि का उपयोग करना चाहिए। अतः निधियों का सरकारी खातों से बाहर परिचालन करने से वित्तीय संहिताओं व निर्देशों (फरवरी 2009) का उल्लंघन हुआ हैं।

4.1.5 वायरलैस सेटों की खरीददारी में अनियमित भुगतान

वायरलैस सैट व सहायक उपकरण, भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस न होने के कारण डीजीएसएण्डडी को ₹ 1.32 करोड़ का भुगतान करने के बाद भी नहीं लिया गया एवं बची हुई राशि को शासकीय लेखे में प्रेषण न कर डी.एफ.ओ. के वैयक्तिक जमा खाते में रखे गए ।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4(1) के अनुसार केन्द्र सरकार को तार स्थापना, रखरखाव व संचालन का अन्यत्र विशेषाधिकार होगा बशर्ते ऐसी शर्तों व ऐसे भुगतान जिनको वह उचित समझती है, किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में तार स्थापना, रखरखाव व संचालन का लाइसेंस प्रदान कर सकती है।

हमने लेखापरीक्षा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अभिलेखों में देखा कि तार स्थापना व रखरखाव का लाइसेंस न होते हुए भी वायरलैस सैटो व सहायक उपकरणों की आपूर्ति मेसर्स मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से महानिदेशक आपूर्ति व निपटान, नई दिल्ली (डीजीएसएण्डडी) को ₹ 1.37 करोड़ का अग्रिम भुगतान (मार्च 2010) कर दिया गया। केवल ₹ 6.09 लाख की कीमत के मोटोरोला कंपनी ने सहायक उपकरणों की आपूर्ति कार्य मार्च 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान, नई दिल्ली ने सितम्बर 2010 में विभाग को सूचित किया कि संचालन हेतु लाइसेंस भारतीय तार विभाग से अपेक्षित होने तक आपूर्ति नहीं की जा सकती। चूंकि विभाग (डीजीएसएण्डडी) को लाइसेंस उपलब्ध नहीं करा सका। अतः अव्यतित राशि ₹ 1.32 करोड़ राज्य वन विभाग को (मार्च 2012) वापिस कर दी गई। यह अव्यतित राशि कोषालय में जमा न कर डी.एफ.ओ. विदिशा को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उनके पी.डी.ए. खाते में क्रेडिट करने हेतु बिना वित्त विभाग की अनुमति लिए स्थानांतरित कर दी गई। वित्त विभाग की अनुमति बगैर कोई भी राशि संचित निधि या लोक लेखा से

निकाल कर निवेश हेतु अन्यत्र रखना मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा में इंगित (मार्च 2012) किए जाने पर सरकार कथन किया कि कम्पनी को आदेश जारी करते समय लाइसेंस की आवश्यकता नहीं प्रदर्शित की गई थी एवं (डीजीएसएण्डडी) एक सरकारी संस्थान है व अग्रिम भुगतान आपूर्ति शर्तानुसार किया गया।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि टेलीफोन लाइन को संचालित एवं व्यवस्थित करने हेतु विभाग को जरूरी वैधानिकता की जानकारी से अवगत होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट के माध्यम से आवंटित निधि को पी.डी.ए. में रखा जाना वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश (10 फरवरी 2009) का उल्लंघन हैं।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.1.6 आद्योपांत (टर्न-की) संविदा में घटक का प्रतिस्थापन होने पर मूल्य में कमी न करने के कारण हानि

जारी मिश्रित संविदा के कार्यक्षेत्र से ₹ 48.32 करोड़ को लागत का महत्वपूर्ण घटक "ओपन ट्रफ" (खुली द्रोणिका) हटा दिया गया। प्रतिस्थापित घटकों में ₹ 21.15 करोड़ की राशि के आमेलन के बाद ₹ 27.17 करोड़ की परिणामी बचत राशि भी, संपूर्ण संविदा कीमत घटाने के स्थान पर, दूसरे, कार्यो के लिए भुगतान कर दी गई।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) ने "इंदिरा सागर मुख्य नहर का आर.डी.[4] 130.935 कि.मी. से 155.00 कि.मी. तक में नहर प्रणाली निष्पादन, वितरण प्रणाली सहित" का कार्य ₹ 242.55 करोड़ की आद्योपांत (टर्न-की) संविदा पर दो निर्माण फर्मो (ठेकेदार) द्वारा निर्मित संयुक्त उद्यम को दे दिया (मार्च 2008) कार्य को 36 माह में अर्थात् मार्च 2011 तक समाप्त करना था। ठेकेदार ने मार्च 2008 में कार्य प्रारम्भ किया तथा 48 माह में, मार्च 2012 तक केवल 73 प्रतिशत कार्य पूरा किया। मार्च 2012 तक ₹ 199.77 करोड़ का संचयी भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है।

संविदा अनुसूची में संपूर्ण कार्य को चार बड़े घटकों में विभाजित किया गया अर्थात् -

(I)	मुख्य नहर का संपूर्ण कार्य	₹ 100.73 करोड़
(II)	सटक जलवाही सेतु	₹ 62.87 करोड़
(III)	ओपन ट्रफ का निर्माण	₹ 48.32 करोड़
(IV)	वितरण नेटवर्क प्रणाली (डिसनेट) का निर्माण	₹ 30.63 करोड़

निष्पादन के दौरान, ओपन ट्रफ का संपूर्ण घटक (990 मी0) मुख्य अभियंता द्वारा कार्य क्षेत्र से हटा दिया गया (मार्च 2009)। कार्य लोप की क्षतिपूर्ति जलवाही सेतु की लम्बाई 273 मीटर (मूल 960 मीटर से 1233.12 मीटर) व मुख्य नहर की लम्बाई 717 मीटर (मूल 22115 मीटर से 22832 मीटर) बढ़ाकर की गई।

[4] चल दूरी

हमने लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि ₹ 48.32 करोड़ के ओपन ट्रफ घटक के हटाने के कारण कार्य क्षेत्र बदल गया था, जिसमें कार्य लागत में ₹ 27.17 की शुद्ध कमी हो गई थी। (जैसा कि **परिशिष्ट 4.4** में वर्णित है) हांलाकि प्राधिकरण ने कार्य की लागत में कमी नहीं की। इसके बजाय प्राधिकरण ने लागत में कमी को, अनधिकृत रूप से नहर कार्य के विभिन्न उपघटकों की निर्धारित दरों को बढ़ाकर (मार्च 2009) समायोजित कर दिया। इस प्रकार आद्योपांत (टर्न-की) संविदा के मूल्य में कमी न करके, कीमती घटकों को सस्ते घटकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिससे सरकार को ₹ 27.17 करोड़ की हानि हुई, परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

हमने आगे देखा कि कार्य को विलोपित करने के निर्णय के पूर्व ही ₹ 96.63 लाख "ओपन ट्रफ" के निर्माण पर खर्च कर दिये गये। चूंकि यह कार्य कुल कार्य क्षेत्र से हटाये जाने के कारण निष्क्रिय रहा, अतः इस पर किया गया संपूर्ण व्यय ₹ 96.63 लाख निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2011), कार्यपालन यंत्री नर्मदा घाटी नहर संभाग, खरगौन ने बताया (नवम्बर 2011) कि परिशोधित भुगतान अनुसूची प्रस्ताव को परियोजना समन्वय समिति ने अनुमोदित किया गया था। उन्होनें यह भी बताया कि कार्य का सकल मूल्य संविदा मूल्य तक सीमित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः (i) आद्योपांत (टर्न-की) संविदा को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, कार्य प्रदान करने के बाद,कार्य क्षेत्र से ₹ 48.32 करोड़ के सुस्पष्ट घटक को मुख्य अभियंता द्वारा हटाना अनुचित था क्योंकि इसने संपूर्ण निविदा व संविदा प्रक्रियाओं को गड़बड़ कर दिया। (ii) क्योंकि कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ था जिससे संपूर्ण लागत में कमी आई, लागत में कमी के लाभ को, दूसरे कार्य घटकों की अलग-अलग मदों की दरों को बढ़ाकर, ठेकेदार को दिया गया परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई।

4.1.7 कड़ी चट्टान की खुदाई में कम वसूली

चार नहर निर्माण कार्यो में उपयोग की जाने वाली कड़ी चट्टानों की ₹ 1.05 करोड़ की वसूली नहीं की गई ।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कार्य के प्राक्कलन एवं निष्पादन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई दर अनुसूची का अनुसरण करता है। दर अनुसूची के अनुसार खुदाई से प्राप्त उपयोग करने योग्य कड़ी चट्टान को कार्य स्थल सामग्री लेखे में 1.3 गुणा लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

ठेके के सामान्य नियमों एवं शर्तों के अनुसार खुदाई से प्राप्त कड़ी चट्टान को कार्य निष्पादन के दौरान उपयोग किया जाना था एवं संविदा में वर्णित दर के आधार पर ठेकेदार से वसूली की जानी थी।

हमने देखा (नवंबर 2011 से दिसंबर 2011) कि दो संभागों[5] के अंतर्गत नहर निर्माण के चार अनुबंधों में खुदाई से प्राप्त उपयोग की जाने वाली कड़ी चट्टान के लिए दर ₹ 27 प्रति घन मीटर से ₹ 41 प्रति घन मीटर की दर से वसूली का प्रावधान था।

हमने आगे देखा कि कुल खनित 667427 घन मीटर कड़ी चट्टान में से चारों अनुबंधों के अंतर्गत कार्यों हेतु 298917.75 घन मीटर कड़ी चट्टान आवश्यक थी। इस प्रकार कड़ी चट्टान से कार्यों की आवश्यकता पूरी हो सकती थी एवं वर्णित दर के आधार पर ठेकेदारों से राशि की वसूली की जानी थी, परंतु ठेकेदारों से केवल 14467.87 घन मीटर मात्रा की कड़ी चट्टान के लिए वसूली हो सकी। फलस्वरूप ठेकेदारों से ₹ 1.05 करोड़ की कम वसूली की गई, जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में वर्णित है।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 21, सनावद ने बताया (नवंबर 2011) कि मात्र 14467.87 घन मी. कड़ी चट्टान के लिए वसूली की गई, क्योंकि शेष मात्रा ठेकेदार द्वारा अन्य खदान से लायी गई।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 24, खरगोन ने बताया (दिसंबर 2011) कि राशि ठेकेदार के चलित देयक से काटी जायेगी।

कार्यपालन यंत्री सनावद का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेके की शर्त के अनुसार ठेकेदार को उपलब्ध कड़ी चट्टान का उपयोग करना था। कार्य में उपयोग हेतु कड़ी चट्टान खुदाई से प्राप्त थी, अतः संभागों को उनके उपयोग पर जोर देना चाहिए था एवं ठेके में वर्णित दर के अनुसार वसूली की जानी चाहिए थी।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2013)।

4.2 पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से प्राधिकृत व्यय लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने लोक निधि से व्यय करने में अनौचित्य व्यय, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय को पाया गया। उनमें से कुछ की नीचे चर्चा की गई हैः

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.2.1 अस्वीकार्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान

एक ठेकेदार को कार्य की अवास्तविक प्रगति दिखाने पर, समय पूर्व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर ₹ 11.68 करोड़ का नकद प्रोत्साहन (₹ 5.84 करोड़ भुगतान किए गए) मंजूर कर दिया गया, जबकि ठेकेदार विनिर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा व कार्य लगातार लम्बित रखा गया ।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.व्ही.डी.ए.) ने "पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना जिसमें 35008 हेक्टेयर कृषि अधियोग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए पाइप लाइनों का

[5] नर्मदा विकास (एन.डी.) 24 खरगोन, एन.डी. 21 सनावद

वितरण नेटवर्क 40 हेक्टेयर के "चक"[6] तक था। का कार्य टर्न-की संविदा दर ₹ 418.50 करोड़ में एक ठेकेदार को दे दिया (सितम्बर 2008) कार्य 36 महीने में अर्थात् सितम्बर 2011 तक पूर्ण होना निर्धारित हुआ। 45 महीने खत्म होने पर भी कार्य अभी भी चल रहा है (जून 2012)। ₹ 417.86 करोड़ का संचयी भुगतान सितम्बर 2012 तक ठेकेदार को किया जा चुका है।

निविदा शर्तों की क्लॉज 71 में विनिर्दिष्ट किया गया था कि प्रगति की छमाही समीक्षा की जानी थी और यदि ठेकेदार द्वारा 6 माह की अवधि में समय पूर्व लक्ष्य प्राप्ति की गई थी तो वह 6 माह की अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह 0.2 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि पाने का हकदार था। इस तरह की 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मध्यवर्ती भुगतान द्वारा जारी की जानी थी व शेष 50 प्रतिशत राशि संपूर्ण कार्य समाप्ति पर भुगतान की जानी थी।

ठेकेदार को फरवरी 2010 में समाप्त पहली तीन छमाही अवधियों के दौरान, किए गए कार्य के लिए ₹ 234.92 करोड़ का भुगतान किया गया। अधीक्षण यंत्री (अ.यं.), नर्मदा विकास वृत्त, नं. 8, सनावद द्वारा ₹ 11.68 करोड़ की नगद प्रोत्साहन राशि की अतिरिक्त मंजूरी प्रदान (मार्च 2010) की गई, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है;

तालिका : ठेकेदार को भुगतान किया गया प्रोत्साहन

क्र. संख्या	छमाही अवधियां	रूपयों के सम्बन्ध में लक्ष्य (₹ लाख में)	प्राप्ति (₹ लाख में)	प्रोत्साहन मंजूरी (₹ लाख में)
1	सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 तक	600	1625.18	74.76
2	मार्च 2009 से अगस्त 2009 तक	2400	11327.84	566.39
3	सितम्बर 2009 से फरवरी 2010 तक	7000	10538.83	526.94
कुल			**23491.85**	**1168.09**[7]

हमने लेखापरीक्षा (नवम्बर 2011) में पाया कि यद्यपि संविदा शर्तें माइलस्टोन निर्धारण के लिए वर्क प्रोग्राम में दिए गए कार्य मदों (12 मद) के साथ-साथ निष्पादन को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट करती है, तो भी ठेकेदार ने पहली-पहली छमाहियों में वर्क प्रोग्राम में विनिर्दिष्ट कार्यो के निष्पादन की उपेक्षा की व उसने सारे प्रयास प्रापण व आपूर्ति पर केन्द्रित किए। अगस्त 2009 में समाप्त होने वाली पहली व दूसरी छमाही अवधियों में 12 मदों में से 10 मदों के कार्य निष्पादन के लिए वर्ष प्रोगाम में विनिर्दिष्ट ₹ 30 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के विरूद्व ठेकेदार को केवल प्रापण के विरूद्व ₹ 129.53 करोड़ की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। तीसरी छमाही अवधि में भी ₹ 70.00 करोड़ के

6 चक से आशय खेत का आकार (सिंचाई जल के वितरण की तीव्रता से सीधे संबंधित) जो पार्श्व या सीधी दिशा में जल के कम-से-कम क्षय के साथ प्रभावी सिंचाई प्राप्त कर सके से है ।

7 ₹ 5.84 करोड़ मार्च 2010 में भुगतान किया गया व शेष 50 प्रतिशत कार्य समाप्ति पर संभावित रिलीज के लिए नकद जमा रखा गया।

वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध, ₹ 84.21 करोड़ की राशि ठेकेदार को संविरचन/सामग्री प्रापण के लिए भुगतान कर दी गई और (जैसा कि **परिशिष्ट-4.6** में वर्णित है) विनिर्दिष्ट 10 मदों के विरूद्ध 2 कार्य मदों के लिए ही ₹ 21.17 करोड़ भुगतान किए गए। अतएव सभी तीन छमाही अवधियों के लिए विनिर्दिष्ट माइलस्टोन में विरूद्ध व्यय तरीका अवास्तविक दर्शाया गया। क्योंकि ठेकेदार कार्य सूची में निर्धारित विशिष्ट माइलस्टोन की प्राप्ति करने में असफल रहा, इसलिए संविदा शर्तों के अनुसार वह प्रोत्साहन के लिए अर्ह नहीं था। ₹ 11.68 करोड़ प्रोत्साहन की मंजूरी व उसके विरूद्ध ₹ 5.84 करोड़ का भुगतान अस्वीकार्य था व ठेकेदार से वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2011), कार्यपालन अभियंता (का.अ.) नर्मदा विकास डिवीजन संख्या-25, नर्मदा नगर ने उत्तर दिया कि लक्ष्य प्राप्ति में देरी मुख्यता भूमि अधिग्रहण समस्याओं की वजह से थी। उन्होनें ये भी बताया कि प्रोत्साहन भुगतान सीधे वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित है। उन्होनें ये भी जोड़ा कि प्रोत्साहन के भुगतान को दशाने वाली क्लॉज वित्तीय प्रगति व अनुबंध पत्र में उल्लिखित माइलस्टोन में कोई संबंध स्थापित नहीं करती है। आगे यह बताया गया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत वर्क प्रोग्राम के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य को पहले प्राप्त किया गया, इसलिए प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (i) ठेकेदार को चूंकि भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए मूल्य वृद्वि करके पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति, (सितम्बर 2012 तक संविदा मूल्यों से ऊपर ₹ 6.24 करोड़) की गई। (ii) लक्ष्यों की समयपूर्व प्राप्ति अर्थात् प्रत्येक छमाही अवधि में वर्क प्रोग्राम में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद के लिये माइलस्टोन प्राप्ति, प्रोत्साहन के अनुदान के लिए, संविदा शर्तों के अनुसार पूर्व शर्त थी। ठेकेदार वर्क प्रोग्राम में विनिर्दिष्ट कार्यो के क्रम के पालन व विभिन्न मदों के लिए माइलस्टोन क्रम में असफल रहा। (iii) कार्यपालन यंत्री के ठेकेदार के प्रति पत्र (8 अक्टूबर, 2010) में टिप्पणी की गई कि ठेकेदार द्वारा किया गया प्रापण सम्बन्धी था, इसमें ठेकेदार को अंधाधुंध प्रापण के विरूद्ध सावधान किया गया व उसको उचित वर्क प्रोग्राम का पालन करने व कार्य प्रगति में तेजी लाने को निर्देशित किया गया। (iv) उत्तरवर्ती अधीक्षण अभियंता (एस.ई.) ने भी (नवम्बर 2012) प्रोत्साहन अनुदान के औचित्य पर सवाल उठाये।

मामला सरकार को संदर्भित कर दिया गया था (जुलाई 2012), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

4.2.2 मूल्य वृद्वि समायोजन में अधिक भुगतान

"पी.ओ.एल. एवं सामग्री के त्रुटिपूर्ण घटक अपनाने के कारण ठेकेदार को मूल्य वृद्धि समायोजना हेतु ₹ 85.59 लाख का अधिक भुगतान।

इंदिरा गांधी मुख्य नहर के किलोमीटर 206 से 243.896 के निर्माण का कार्य नर्मदा विकास संभाग 11, बड़वानी द्वारा मेसर्स सोमदत्त बिल्डर्स, नई दिल्ली को जून 2009 में प्राक्कलित राशि ₹ 243 करोड़ में कार्यादेश के 48 महीनों की निश्चित अवधि में पूर्ण करने के साथ सौंपा गया था।

ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध की शर्त 31.1 के अनुसार मूल्य समायोजन के भुगतान स्टील, सामग्री, श्रम तथा पीओएल और सामग्री की कीमत में त्रैमासिक कटौती बढोतरी के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाना होगा। मूल्य वृद्धि की गणना हेतु इस्पात, सीमेंट के लिए अन्य पीओएल और सामग्री का घटक 15 प्रतिशत और 29 प्रतिशत का निर्धारण कार्य की लागत में शामिल प्रत्येक घटक की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया। अनुबंध की शर्तों में मूल्य समायोजन के भुगतान के उद्देश्य के लिए विभिन्न घटकों के प्रतिशत अनुबंध की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे। घटकों के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ठेकेदार का देय मूल्य समायोजन की राशि को प्रभावित करेगी।

हमने देखा (फरवरी 2012) कि कार्य निष्पादन के दौरान अनुबंध में निर्धारित 15 तथा 29 प्रतिशत की तुलना में पीओएल एवं सामग्री दोनों घटकों के लिए 30 प्रतिशत अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 के दौरान मूल्य समायोजन के ₹ 85.59 लाख का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को किया गया।

संभागीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 2012) कि ठेकेदार से अधिक राशि की वसूली की जाएगी।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2013)।

लोक निर्माण विभाग

4.2.3 दोषपूर्ण योजना के कारण व्यर्थ व्यय

बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अनुदान अन्तर्गत 35 कि.मी. सड़क की मंजूरी व कार्यान्वयन में देरी के कारण कार्य को योजना अवधि की समाप्ति व निधियों की रोक की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा, परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ ।

टी.एफ.सी. के, भारत सरकार द्वारा सड़कों व पुलों के रखरखाव के लिए जारी अनुदान सहायता के सम्बन्ध में, (मई 2005) जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अपेक्षित है कि यथाविधि निश्चित करें कि मंजूर हुआ कार्य अनुदान का पूरा उपयोग करते हुए अनुबंधित समय सीमा में पूरा किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि अनुदान पूर्वानुमानित अवधि (2006-10) के आखिरी चार वर्षो के लिए समान किश्तों में दिया जायेगा जिससे कि राज्य सरकार को पहला वर्ष निधियों के आमेलन की तैयारी करने के लिए मिल सके।

राज्य सरकार टी.एफ.सी. की सहायता के अन्तर्गत कार्यान्वित डामरीकृत बांदा-बरायथा -गिरार सड़क (35 कि. मी.) के नवीनीकरण के लिए ₹ 16.57 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया (30 सितम्बर 2008)। टी.एफ.सी. अनुदान केवल उन कार्यो पर ही लागू था जो मार्च 2010 तक किये जाने थे व 31 मार्च 2010 के बाद अतिरिक्त निधियां लागू नहीं थी। चूँकि टी.एफ.सी. अनुदान बन्द होने मे केवल 18 महीने बचे थे, अतः कार्य की विस्तृतता को ध्यान में रखते हुए विभाग के लिए यह अनिवार्य था कि वो निविदा प्रक्रिया व निविदा अनुमोदन शीघ्रता से करे।

हमने देखा कि (अप्रैल 2012) मुख्य अभियंता (सी.ई), लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), सागर द्वारा मई 2009 में अनुमोदनार्थ, प्रस्तुत मसौदा दस्तावेज प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी) द्वारा अपर्याप्त पाये गये। इसलिए दस्तावेज प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी) द्वारा सी.ई. को तत्काल परिशोधन के लिए वापस कर दिए गये। परिशोधन के बाद, दस्तावेज सी.ई. द्वारा जून 2009 में पुनः प्रस्तुत किए गये। निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य को ₹ 17.53 करोड़ की अनुमानित राशि के साथ अनुसूची दर (एस.ओ.आर) से 13.50 प्रतिशत नीचे, एक ठेकेदार को दे दिया गया (अक्टूबर 2009)। हमने आगे जाँच में पाया कि यद्यपि टी.एफ.सी के अन्तर्गत निधियाँ केवल 31 मार्च 2010 तक की उपलब्ध थी, कार्यादेश में कार्य समाप्ति अवधि 17 महीने अर्थात् अप्रैल 2011 तक थी। ठेकेदार ने वर्तमान डामरीकृत सतह को उखाड़कर मार्च 2010 तक ₹ 4.94 करोड़ लागत का कार्य निष्पादित कर दिया व 31 मार्च 2010 के बाद निधि रोके जाने के कारण कार्य को अर्द्धनिर्मित स्थिति में छोड़ दिया। न तो विनिर्दिष्ट डामरीकरण हुआ और न अर्द्धनिर्मित सतह पर उचित परत चढ़ाई गई। इस प्रकार कार्य तेजी से खराब होने के लिए छोड़ दिया गया।

इस प्रकार अनियोजित व विलंबित टी.एफ.सी. कार्य निष्पादन जो प्रारंभिक प्रक्रिया में परिहार्य देरी से घिरा रहा, ₹ 4.94 करोड़ के खर्च को व्यर्थ व्यय में बदल दिया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2012) कार्यपालन अभियंता (ई.ई.) ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और कथन किया कि कार्य मार्च के अन्त तक पूरा किया जाना था लेकिन संविदा ऐजेंसी निश्चित करने की परिहार्य देरी व निविदा को एक समूह में आमंत्रित करने के बजाय एक से अधिक समूहो में तोड़नी थी, कार्य को पूरा नहीं किये जा सकने का कारण रहा।

मामला सरकार को संदर्भित कर दिया गया है (जून 2012), उत्तर अपेक्षित है।

जल संसाधन विभाग

4.2.4 समान कमान क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं का अनियमित निष्पादन

राजापुर उद्वहन सिंचाई योजना के 1628 हेक्टेयर के कुल कमान क्षेत्र कार्य को, समाप्त प्रशासनिक अनुमोदन के विरूद्व 2007 में शुरू किया गया जो त्योंथर में दूसरी बड़ी उद्वहन सिंचाई योजना के कमान क्षेत्र के साथ पड़ गया, जिससे ₹ 1.63 करोड़ का अपव्यय हुआ ।

सोन नदी पर बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की एक अन्तर्राज्जीय परियोजना है। परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ, रीवा जिले में टोंस नदी के दाहिने किनारे पर त्योंथर उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण परिकल्पित किया गया जिसमें 36 कि.मी. नहर का, संरचनाओं व सम्बन्ध वैद्युत-यांत्रिकी उपकरणों सहित निर्माण शामिल था, जिससे कि 11,330 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हो सके। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) अक्टूबर 2007 में केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। सरकार ने विभाग को त्योथर एल.आई.एस. के कार्य को, ₹ 96.36 करोड़ की अनुमानित लागत (जो दिसम्बर 2009 में परिशोधित की गई)

पर शुरू करने की अनुमति (फरवरी 2008) प्रदान कर दी। विभाग ने अगस्त 2006 में कार्य शुरू कर दिया।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा जिले की त्योंथर तहसील में दूसरी एल.आई.एस. (राजापुर एल.आई.एस.) के निर्माण का 1628 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु ₹ 41.97 लाख की लागत पर, प्रशासनिक अनुमोदन (ए.ए.) (नवम्बर 1984) में प्रदान किया था, जो त्योंथर एल.आई.एस. के परियोजित 11,330 हेक्टेयर कमान क्षेत्र[8] द्वारा पूर्णतया आच्छादित था। निधियों का आवंटन न होने के कारण राजापुर एल.आई.एस., का कार्य 2007 तक शुरू नहीं किया जा सका। मुख्य अभियंता गंगा बेसिन रीवा द्वारा राजापुर एल.आई.एस. की एल.आई.एस. शीर्ष कार्य हेतु ₹ 40.58 लाख[9] की स्वीकृति (जुलाई 2007) कार्य ठेकेदारों की (नवम्बर 2007) ₹ 1.77 करोड़ की लागत का तीन संवीक्षाओं के माध्यम से किया गया। मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 1.63 करोड़[10] का कार्य पूर्ण किया जिसके विरूद्ध ₹ 71 लाख भुगतान जारी किया गया। चूंकि राजापुर एल.आई.एस. का मार्च नवम्बर 2012 में दिये जाने के पूर्व त्योंथर एल.आई.एस. की डी.पी.आर. अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः पूरा व्यय ₹ 1.63 करोड़ खर्च करने से रोका जा सकता था।

यह जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संभागों में समन्वय न होने व कमान क्षेत्रों के एक साथ पड़ने वाली योजनाओं को चिन्हित करने में नियंत्रण क्रियाविधि के अभाव का भी सूचक है। मामला मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, रीवा और सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2012), मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन रीवा ने लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2012) व बताया कि राजापुर एल.आई.एस. कमान क्षेत्र पूर्णतया त्योंथर एल.आई.एस. द्वारा आच्छादित है व भविष्य में अनुपयोगी है। उन्होनें आगे कहा कि अनुपयोगी कार्य की लागत को बट्टे खाते डालने की आवश्यक है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया, उत्तर मार्च 2012 तक अप्राप्त है।

4.3. सतत एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितता तब सतत समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो। यह व्यापक हो जाती है जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालक के भाग पर गंभीर न होने की संकेत सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण के अभाव का सूचक भी है। क्रमागत रूप से यह नियमों/विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणीत होता है। लेखापरीक्षा में प्रतिवेदन सतत अनियमितताओं के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है।

8 राजापुर, भगवानपुर, चुनरी, सोहागी, सहिजवार, पांचा, अंतसुईया, खटिया, एवं बेलोहागांव

9 राजापुर एल.आई.एस. के लिए ₹ 5.62 करोड़ की पुनरीक्षित ए.ए. प्रदान करने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया (अक्तूबर 2010)। पुनरीक्षित ए.ए. अपेक्षित थी (जून 2012)।

10 पूर्व में भुगतान किए गए ₹ 71.38 लाख धन बकाया देयता ₹ 91.69 लाख

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.3.1 अतिरिक्त सुरक्षित जमा राशि का न काटा जाना

ठेकेदारों से असंतुलित दर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि की वसूली नहीं किया जाना ₹ 3.56 करोड़ ।

मद दर अनुबंध की शर्त 3.26 में प्रावधानित है कि मदें जिनके लिए ठेकेदार ने प्राक्कलित दरों की तुलना में अनुपातहीन ढंग से उच्चतर दरें उद्धृत कीं, ऐसी मदों के लिए भुगतान, मदों की प्राक्कलित दर में समग्र ठेका प्रतिशत जोड़ कर या घटा कर सीमित किया जाना चाहिए। भुगतान में रोकी गई राशि को कार्यपालन यंत्री द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि के रूप में रखा जाना चाहिए जिसको समस्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जारी किया जाना चाहिए।

हमने देखा (जून 2011 से दिसंबर 2011) कि दो संभागों[11] में संभागीय अधिकारियों ने ठेकेदारों द्वारा प्राक्कलित दरों की तुलना में अनुपातहीन उच्चतर उद्धृत दरों के लिए राशि **₹ 3.56 करोड़** (**परिशिष्ट 4.7**) कम काटी गई। असंतुलित मदों के लिए प्राप्त राशि के कारण ठेकेदारों ने उन मदों के निष्पादन में कोई रूचि नहीं दिखाई, फलस्वरूप कार्य की प्रगति बाधित हुई।

अतः कार्यों की पूर्णता में निर्धारित समयावधि से 21 से 28 महीनों की देरी हुई (दिसंबर 2012)।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 24, खरगोन ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसंबर 2011) एवं आश्वासन दिया कि गणना के पश्चात् राशि की वसूली कर ली जाएगी। कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास 19, भीकनगांव ने उत्तर में बताया (जून 2011) कि ठेकेदार ने उच्च दर के साथ-साथ निम्न दर की मदों का निष्पादन भी किया, अतः अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि की वसूली नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि रोके जाने में चूक, ठेकेदार को अनधिकृत सहायता के साथ ही अनुबंध के प्रावधान का उल्लंघन है।

मामला सरकार को संदर्भित कर दिया गया है (अगस्त 2012)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (मार्च 2013)

4.3.2 मूल्य वृद्धि क्लॉज में संशोधन से ठेकेदार को अधिक भुगतान

शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना मूल्य वृद्धि गुणक घटक में संशोधन के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान ₹ 9.33 करोड़ ।

मानक निविदा दस्तावेजों में प्रावधानित था कि कार्यालय आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए थोक विक्रय मूल्य सूचकांक, मूल्य वृद्धि की गणना के लिए विभिन्न सामग्री जैसे सीमेंट, सामग्री, स्टील एवं अन्य सामग्री आधार होंगे। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-एक, खण्ड-चार, अध्याय-2 के नियम 21 के

[11] नर्मदा विकास संभाग 24 खरगोन एवं नर्मदा विकास संभाग 19 भीकनगांव।

अनुसार मानक बोली दस्तावेज़ (एस.बी.डी.) में किसी परिवर्तन के लिए विधि एवं वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन आवश्यक था।

हमने देखा (नवंबर 2011 से मई 2012) कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तीन ठेकों के मानक बोली दस्तावेजों में मूल्य वृद्धि सूत्र[12] के लिए 0.75 गुणक घटक का प्रावधान था। विभाग ने ठेकेदारों की माँग पर संशोधित मूल्य वृद्धि सूत्र के लिए गुणक घटक 0.75 के स्थान पर 0.85 का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जिसकी स्वीकृति अक्टूबर 2008 में प्राप्त हुई।

इसी बीच विभाग ने कार्यों में संशोधित मूल्य वृद्धि सूत्र में गुणक घटक 0.85 वृद्धि के साथ निविदा आमंत्रित की (जनवरी 2008)।

मानक बोली दस्तावेज़ में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, अतः 0.85 गुणक घटक के साथ ठेका समझौता किया जाना मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 21 का उल्लंघन था, फलस्वरूप ₹ 9.33 करोड़[13] का अधिक भुगतान हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित (अगस्त 2012) किया गया उत्तर अपेक्षित है। (मार्च 2013)

4.4 असावधानी /नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है । तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरूद्ध रही और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्यवाही के अभाव के कारण निष्फल /अनुत्पादक सिद्ध हुई । कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

12

एस.बी.डी. के अनुसार प्रावधान	संशोधित शर्त
V= 0.75*Ps*R*(X-Xo)/Xo	V= 0.85*Ps*R*(X-Xo)/Xo

जहां Ps = घटक का प्रतिशत यथा मजदूर, पी.ओ.एल., सामग्री, सीमेंट, स्टील
R = संबद्ध तिमाही के दौरान किए गए कार्य का मूल्य
V = सामग्री, पी.ओ.एल., सीमेंट के कारण कार्य की लागत में बढ़ोतरी या कमी
X = संबद्ध तीनों माह के लिए समस्त वस्तुओं का सूचकांक
Xo = निविदा खोलते समय समस्त वस्तुओं का आधार सूचकांक

13 अनुबंध क्र. 16/07-08: ₹ 1.73 करोड़, अनुबंध क्र. 07/07-08: ₹ 3.66 करोड़ एवं अनुबंध क्र. 14/07-08: ₹ 3.94 करोड़

जल संसाधन विभाग

चम्बल बेतवा कछार के ईकाइयों में अनुबंध प्रबंधन के मुद्दे पर दीर्घ कण्डिका

चम्बल बेतवा कछार मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी कछार में से एक है। जल संसाधन विभाग 11 संभागों[14] के द्वारा चम्बल बेतवा कछार के कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई का प्रबंधन करता है। लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2011 से अप्रैल 2012 के मध्य चम्बल बेतवा बेसिन के 11 सम्भागों में से सात संभागो की अनुबंध प्रबंधन की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा द्वारा सात सम्भागों[15] के 61 अनुबंधों की जाँच की गई और लेखापरीक्षा के परिणामतः असंतुलित दर की मदों के लिए ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता, विलंब हेतु कम/नहीं क्षतिपूर्ति की वसूली,मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान, विशिष्टि के अनुसार कार्य न करना और अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत की कमियां संज्ञान में आई, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

4.4.1 असंतुलित दर की मदों के लिए ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता

असंतुलित मद की दर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती न होने के कारण ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता ₹ 8.48 करोड़ एवं शासन को हानि ₹ 43.92 लाख ।

अनुबंध की शर्त 3.28 के अनुसार असंतुलित मद[16] दरों के प्रकरण में, मदें जिनके लिए ठेकेदार ने प्राक्कलित दरों की तुलना में अनुपातहीन ढंग से उच्चतर दरें उद्धृत की, ऐसी मदों के लिए भुगतान, मदों की प्राक्कलित दर में समग्र ठेका प्रतिशत जोड़कर या घटाकर सीमित किया जाना चाहिए। अंतर की राशि को ठेकेदारों के देयकों से अतिरिक्त सुरक्षा जमा की भाँति रोक कर रखा जाना आवश्यक था। संविदागत दायित्वों के पालन करने में चूक होने की अवस्था में यह काटी गई अतिरिक्त सुरक्षा जमा शासन को राजसात हो जावेगी।

हमने तीन सम्भागों[17] (सात कार्यों) में देखा (फरवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि असंतुलित दरों के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त सुरक्षा जमा ₹ 9.58 करोड़ ठेकेदारों के चलित देयकों से काटा जाना आवश्यक था, जबकि इसके विरूद्ध पाँच चलित कार्यों से केवल ₹ 0.66 करोड़ की कटौती की गई, परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 8.48 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता हुई । दो अन्य कार्यों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ देने के परिणामस्वरूप उनसे अतिरिक्त सुरक्षा जमा की वसूली न होने के कारण ₹ 43.92 लाख की हानि हुई, जैसा कि विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.8** में दिया गया है।

14 अशोक नगर, भोपाल, गुना, नरसिहंगढ़, राधौगढ़, रायसेन, राजगढ , सम्राट अशोक सागर (एस ए एस) विदिशा ,संजय सागर (बाह) परियोजना गंजबासौदा , सीहोर और विदिशा

15 भोपाल, नरसिहंगढ़, रायसेन, राजगढ , सम्राट अशोक सागर (एस ए एस) विदिशा ,संजय सागर (बाह) परियोजना गंजबासौदा और सीहोर

16 ऐसी मदो जिनके लिए ठेकेदार ने प्राक्कलित दरों में समग्र ठेका प्रतिशत जोडकर या घटाकर की तुलना में उच्चतर दर उद्धृत की हो

17 नरसिहंगढ़, रायसेन ,संजय सागर (बाह) परियोजना गंजबासौदा

प्रमुख सचिव ने बताया (जुलाई 2012) कि इस तरह के स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुबंध प्रणाली में परिवर्तन (मद दर अनुबंध के बदले प्राक्कलित दर धन या ऋण सकल प्राक्कलित निविदा) कर लिया है ।

तथ्य यह है कि उन प्रकरणों में अतिरिक्त सुरक्षा जमा की वसूली नहीं की गई है । परिणामतः ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता ₹ 8.48 करोड़ एवं शासन को हानि ₹ 43.92 लाख हुई।

4.4.2 निर्धारित क्षतिपूर्ति की कम/ नहीं वसूली

सात कार्यों के निष्पादन में विलम्ब जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार थे से निर्धारित क्षतिपूर्ति वसूली नहीं करने से शासन को ₹ 1.68 करोड़ की हानि।

अनुबंध की शर्त 49.1 परिकल्पित करता है कि यदि ठेकेदार माइल स्टोन को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह नियोक्ता को निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु जिम्मेदार होगा। निर्धारित क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि अनुबंध की राशि की 10 प्रतिशत है।

हमने चार संभागों (सात कार्यों) में देखा (दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि ठेकेदार अनुबंध में दर्शाई गई माइल स्टोन को प्राप्त करने में विफल रहे । इस प्रकार ठेकेदार निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2.46 करोड़ के भुगतान हेतु जिम्मेदार थे, जबकि ठेकेदारों के देयकों से ₹ 78 लाख की निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली की गई । इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.68 करोड़ की हानि हुई जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 4.9** में दिया गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया (जुलाई 2012) कि निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली कार्य की समाप्ति पर कर ली जावेगी और विभाग में उपलब्ध सुरक्षा/निष्पादन प्रतिभूति होने से निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि सुरक्षित है।

उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार प्रत्येक माइल स्टोन की अनुपलब्धि पर निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली का प्रावधान है। सुरक्षा / निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति घटिया कार्य एवं टूट-फूट के विरूद्ध ली गई है और निर्धारित क्षतिपूर्ति के विरूद्ध इस राशि का विनियोजन इसलिए आवश्यक था।

4.4.3 स्टील पर मूल्य समायोजन का अनियमित भुगतान

स्टील पर मूल्य समायोजन की गणना में उच्चतर दरों एवं न किये गये कार्यों का भुगतान लेने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान ₹ 81.71 लाख ।

संभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ ने कुशलपुरा तालाब के रेडियल क्रस्ट गेट मय स्टाप लॉग लिफिटंग बीम एवं जेन्ट्री क्रेन के रूपांकन, संस्थापन एवं स्थापना का कार्य अनिल स्टील, इन्दौर को मध्य प्रदेश लद्यु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के माध्यम से सौंपा (मार्च 2005)। प्रदायकर्ता को निर्धारित अवधि 15 माह के अनुबंधित समय में कार्य पूरा करने हेतु कार्य आदेश 24 मार्च 2005 को जारी किया गया । अनुबंध के विशिष्टि निबंधन एवं शर्तो के अनुसार 85 प्रतिशत राशि का भुगतान सामग्री प्रदाय करने के पश्चात् किया जावेगा । शेष 15 प्रतिशत राशि दो किश्तों में भुगतान की जावेगी, प्रथम

10 प्रतिशत की किश्त संतुष्टि कारक स्थापना के बाद एवं द्वितीय पांच प्रतिशत की किश्त उपभोगकर्ता द्वारा सफलतापूर्वक संस्थापना, परीक्षण, एवं जांच के बाद किया जावेगा। ठेकेदार को अनुबंध के शर्तों के अनुसार मूल्य समायोजन का भुगतान किया जाना था। अनुबंध के शर्त 2.40.1 में प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा डाली गई दर का आधार स्टाक यार्ड मूल्य होगी और यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्टील की कीमत में वृद्वि किया जाता है, और ठेकेदार स्टील खरीदता है तब अंतर की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

संभाग ने प्रदाय स्टील पर मूल्य समायोजन ₹ 5.48 करोड़ का भुगतान अवधि मार्च 2005 से दिसम्बर 2011 के दौरान किया, जिसकी गणना मध्य प्रदेश लद्यु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के निविदा आमंत्रण दिनांक (जुलाई 2004) एवं वास्तविक प्रदाय दिनांक पर 'सेल' के प्रचलित दर के अंतर के आधार पर किया गया ।

हमने देखा (फरवरी 2012) कि भुगतान के लिए विचारित स्टील की आधार दर आपूर्ति की तिथि पर 'सेल' के स्टील की वास्तविक आधार दरों से अधिक थी। इस प्रकार मूल्य समायोजन की गणना में गलत (उच्चतर) दर लेने के कारण अधिक भुगतान ₹ 15.10 लाख हुआ ।

हमने आगे देखा कि सम्भाग ने स्थापना एवं संस्थापना के भुगतान पर ₹ 66.61 लाख का मूल्य समायोजन भी दिया जबकि यह कार्य ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया था । परिणामतः कुल अधिक भुगतान ₹ 81.71 लाख किया गया, जैसा कि विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.10** में दिया गया है ।

प्रमुख सचिव ने बताया (जुलाई 2012) कि अधिक भुगतान की गई मूल्य समायोजन की वसूली कर ली जावेगी और अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मूल्य समायोजन के भुगतान के अन्य प्रकरणों की जाँच करें। अधिक भुगतान की वसूली को हमें सूचित नहीं किया गया है (मार्च 2013)।

4.4.4 निम्न योजना के परिणामस्वरूप निष्क्रिय व्यय

योजना में कमी एवं नाला क्लोजर एवं वेस्ट वियर के निर्माण में क्रमबद्वता नहीं होने से निष्क्रिय व्यय ₹ 1.53 करोड़ ।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) की कण्डिका 7.016 में परिकल्पित है कि नाला-बंद[18] करने के कार्य के पहले नियत से अधिक जल निकासी व्यवस्था का निर्माण (वेस्ट वियर)[19], सभी मामलों में बांध/सडल बांध के अन्य भागों का पूर्ण होना, नाला सतह में कट ऑफ ट्रेंच[20] की खुदाई हो जानी चाहिए।

18 नाला बंधान बॉध की अप स्ट्रीम में पानी को संग्रहित करने के लिए नदी या नाले में प्रवाह को रोकने की दृष्टि से बांध के एक भाग में निर्माण से संबद्ध है ।

19 बांध का जलस्तर पूर्ण तालाब स्तर तक पहुचने के पश्चात अधिक पानी के बहाब को अनुमत करने के लिए वेस्ट वियर का निर्माण किया जाता है ।

20 नाले के आधार से ऊपर और नीचे दोनों से ही सीपेज को कम करने के लिए कट ऑफ ट्रेन्च प्रावधानित की जाती है

हमने राजगढ़ संभाग में देखा (फरवरी 2012) कि चौतरा बाँध का बंधान (जून 2010), वेस्ट वियर निर्माण के पहले कर दिया। परिणामस्वरुप वर्षाकाल 2011, में बाढ़ का पानी गाँव में फैल गया और बांध के निकट रह रहे निवासियों एवं बांध की सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थिति में बांध के बांयी दिशा में 80 मीटर लम्बाई में काटा गया यद्यपि तथाकथित बांध के नहर का निर्माण पूर्ण (फरवरी 2011) हुआ था बांध के काटे गये भाग के पुर्ननिर्माण न होने के साथ-साथ वर्षाकाल (2012) के पूर्व वेस्ट वियर का निर्माण न होने के परिणामस्वरूप निष्क्रिय व्यय ₹ 1.53 करोड़ हुआ ।

सम्भागीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 2012) कि जब नालाबंधान किया (जून 2010) गया था, तब खुदाई हेतु पर्याप्त समय था चूंकि ऐसी आशा नहीं थी कि स्ट्रेटा में इतनी अधिक परिवर्तन होगी एवं कड़ी चट्टान की खुदाई की मात्रा बढ़ जायेगी।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है। नियमावली में प्रावधानित है कि नालाबंधान के पूर्व वेस्ट वियर का निर्माण हो जाना चाहिए था जो अनुपालन नहीं किया गया।

4.4.5 विशिष्टियों के अनुसार कार्य का न किया जाना

मिट्टी कार्य बिना जल सिंचन एवं संहतिकरण किए जाने के परिणामस्वरूप अवमानक के कार्य राशि ₹ 49.59 लाख ।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.028 में प्रावधानित है कि एक प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देने वाला अधिकारी, रूपांकन के सही होने एवं आरेखन के संदर्भ में प्राक्कलन में सभी आवश्यक मदों को सम्मिलित करने हेतु उत्तरदायी है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशिष्टियों (कार्यों के लिए दरों की अनुसूची की)की कंडिका 4.9.9 (खण्ड-II, भाग-I) प्रावधानित करती है कि अनुकूलतम आर्द्रता धारिता पर शुष्क घनत्व पर मिट्टी भरण वाले बांध में कार्यान्वित मात्रा में से, न दबने वाली (चट्टान) एवं दबने वाली (मिट्टी) नींव के लिए क्रमशः एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत समंजन छूट (श्रींकेज एलाउंस) घटाई जाएगी। सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार बांध के मिट्टी कार्य में, मिट्टी को 15 सेंटीमीटर की परतों में बिछाना, जल सिंचन एवं अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए मिट्टी कार्य का अनुकूलतम आर्द्रता धारिता पर दृढ़ीकरण सम्मिलित था।

जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ में शमशेरपुरा तालाब के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन का कार्य मध्य प्रदेश जल प्रदाय पुनर्गठन परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) के अन्तर्गत ठेकेदार को दिसम्बर 2010 में सौंपा गया था जिसे दिसम्बर 2011 तक पूरा करना था। कार्य प्रगतिरत था एवं ठेकेदार को नवम्बर 2011 तक चलित देयक से राशि ₹ 1.74 करोड़ का भुगतान किया गया। अनुबंध में नहर हेतु मिट्टी कार्य 1,61,436.65 घन मीटर एवं लाइनिंग कार्य 1076.59 घन मीटर प्रावधान है । कार्य निष्पादन में मिट्टी कार्य 1,59,441.85 घन मीटर एवं लाईनिंग कार्य 810.65 घनमीटर क्रमशः लागत ₹ 68.99 लाख एवं ₹ 36.48 लाख पर शामिल था।

हमने देखा (मार्च 2012) कि मिट्टी कार्य (भराव मात्रा) 134024.59 घनमीटर का किया गया जिसका भुगतान 25 प्रतिशत संकुचन अंश कटौती कर किया गया। यह दर्शाता है कि मिट्टी कार्य बिना जल सिंचन एवं संहतीकरण के किए गए हैं जो कि

पूर्ण मिट्टी कार्य हेतु आवश्यक भाग है। इस प्रकार मिट्टी कार्य राशि ₹ 49.59 लाख[21] का अवमानक कार्य हुआ। जल रिसने के परिणामस्वरूप जलस्तर मे तेजी से कमी आएगी। साथ ही नहरों की लाइनिंग में समयपूर्व क्षय होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव ने बताया (जुलाई 2012) कि नहर की ऊंचाई तीन मीटर से कम है और लाइनिंग विहीन है इस प्रकार जल सिंचन और संहतीकरण आवश्यक नहीं है। आगे प्रमुख सचिव आश्वस्त करते हैं कि आगे के सभी नहरों के मिट्टी कार्यों के जल सिंचन और संहतीकरण के विशिष्टियों में परिवर्तन कर दिया जावेगा ।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि कार्य नहर लाईनिंग से सम्बन्धित है इसलिए मिट्टी कार्य हेतु जल सिंचन एवं संहतीकरण आवश्यक है।

4.4.6 अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन के कारण कार्य की मदों की मात्राओं के बढ़ने के परिणामस्वरूप कार्य पर ₹ 57.55 लाख की अतिरिक्त लागत ।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली की कंडिका 2.028 के अनुसार क्रियान्वयन की अवस्था में मात्राओं में किसी अनुचित परिवर्तन को टालने के लिए कार्य के प्राक्कलन क्षेत्र अन्वेषण एवं सर्वेक्षण को संचालित करने के उपरांत यर्थाथता से बनाए जाने चाहिए।

हमने संभाग सीहोर एवं राजगढ़ में देखा (दिसम्बर 2011 से फरवरी 2012) कि टिटोरिया तालाब (सीहोर) में कड़ी चट्टान की सभी स्ट्रेटा की खुदाई में कड़ी चट्टान के अलावा वास्तविक मात्रा, चौतरा तालाब (राजगढ़) में कड़ी चट्टान की खुदाई की वास्तविक मात्राएं प्राक्कलन की मात्राओं से असामान्य रूप से अधिक थी जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 4.11** में दिया गया है। संभागीय अधिकारी सीहोर ने अतिरिक्त मात्राओं के लिए नई निविदा आमंत्रित की और सम्भागीय अधिकारी राजगढ़ ने अतिरिक्त मात्राओं को ठेकेदार द्वारा इन्कार करने पर विभाग के भारी अर्थ संयंत्र (एच.ई.एम.) संभाग से कराया। इस प्रकार अपर्याप्त सर्वेक्षण और प्राक्कलन के परिणामस्वरूप शेष मात्राओं को उच्चतर दर पर कराने से शासन को ₹ 57.55 लाख[22] का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

संभागीय अधिकारी सीहोर ने बताया (दिसम्बर 2011) कि कड़ी चट्टान की खुदाई की मात्रा करीब 10,000 घनमीटर बढ़ गई और इस प्रकार ठेकेदार ने अनुबंधित मात्रा से

21 नरसिंहगढ़ संभाग (अनुबंध क्रमांक 6/10-11) 134024.59 घनमीटर दर ₹ 37.00 प्रति घनमीटर

22 सीहोर संभाग-अनुबंध क्रमांक 172/2007-08 ₹ 13.19 लाख (मात्रा 10608 घनमीटर दर ₹ 205.80 - ₹ 81.46) (प्राक्कलित दर ₹ 79.47 / घनमीटर + 1.86 निविदा प्रतिशत), राजगढ़ संभाग, अनुबंध क्रमांक 11/2008-09 ₹ 44.36 लाख (31000 घनमीटर दर ₹ 143.10 (एच.ई.एम. द्वारा ली गई दर ₹ 307.74 प्रति घनमीटर- ₹ 164.64 प्रति घनमीटर) (प्राक्कलित दर ₹ 196 प्रति घनमीटर - 16 प्रतिशत) (निविदा प्रतिशत))

आगे कार्य करने से इन्कार कर दिया। संभागीय अधिकारी राजगढ़ ने बताया (फरवरी 2012) कि ट्रायल पिट की खुदाई के आधार पर मात्राओं का प्राक्कलन किया गया था लेकिन खुदे हुए ट्रायल पिट से आशानुरूप खुदाई की स्ट्रेटा प्राप्त नहीं हुई । आगे कहा गया है ट्रायल पिट के अनुचित स्थल चयन के कारण स्ट्रेटा में बदलाव आया जिससे मात्रा में असामान्य वृद्वि हुई। प्रमुख सचिव ने बताया (जुलाई 2012) कि कार्य के विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटा से खुदाई की कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है ।

संभागीय अधिकारियों का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उत्तर तथ्य की पुष्टि करता है कि अपर्याप्त सर्वेक्षण के स्थल चयन के कारण मात्राओं में असामान्य वृद्वि हुई। अनुपयुक्त सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अनुबंध को बन्द करना पड़ा जो कि आगे अन्य एजेंसियों को उच्चतर दर पर सौंपा गया।

भोपाल
दिनांक

(डी.के. शेखर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ कंडिका 1.7.1 पृष्ठ 9)
30 जून 2012 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषित विवरण

स.क्र.	विभाग	वर्ष 2006-07 तक		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं
1.	लोक निर्माण	786	3213	88	512	83	440	77	551	67	393	21	158	1122	5267
2.	जल संसाधन	965	2973	136	593	123	551	109	549	92	429	38	274	1463	5369
3.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	147	294	30	70	30	87	28	77	32	95	13	99	280	722
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.)	101	468	51	223	51	232	60	302	33	200	4	31	300	1456
5.	वन	103	150	24	25	33	69	59	143	84	1121	54	813	357	2321
6.	कृषि एवं किसान कल्याण	230	422	79	192	46	105	68	175	62	284	61	295	546	1473
7.	पशुपालन	144	324	10	44	20	73	26	84	36	172	12	60	248	757
8.	मत्स्य पालन	25	57	2	5	7	20	15	43	4	16	13	40	66	181
9.	ग्रामीण उद्योग	64	169	8	28	8	28	14	52	12	44	14	70	120	391
10.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	84	150	1	1	8	19	11	38	21	83	22	90	147	381
11.	ऊर्जा	7	8	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	8	10
12.	पर्यटन	5	16	-	-	1	7	-	-	1	1	1	10	8	34
13.	विमानन्	8	32	-	-	-	-	1	5	-	-	1	10	10	47
14.	उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	61	223	7	15	6	6	28	83	22	94	32	224	156	645
	कुल	**2730**	**8499**	**436**	**1708**	**416**	**1637**	**497**	**2104**	**466**	**2932**	**286**	**2174**	**4831**	**19054**

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ कंडिका 1.7.3 पृष्ठ 10)
ऐसी लेखापरीक्षा कंडिकाओं का विवरण जिसके संबंध में विभागों के उत्तर 30 सितंबर 2012 तक लंबित है

स. क्र.	विभाग	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग					1	1	2
2	उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण			3				3
3	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	1						1
4	सामान्य (सभी विभाग)		1	1	1	1	1	5
कुल		**1**	**1**	**4**	**1**	**2**	**2**	**11**

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ कंडिका 1.7.4 पृष्ठ 10)
30 जून 2012 तक की ऐसी कंडिकाएं जिन पर पी.ए.सी. द्वारा अभी चर्चा की जानी है

स. क्र.	विभाग	2005- 06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1.	लोक निर्माण	7	-		3	-	10
2.	जल संसाधन	3	-	2	4	7	16
3.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	-	-	-	-	1
4	पशुपालन विभाग	-	-	-	-	2	2
कुल		**11**		**2**	**7**	**9**	**29**

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ कंडिका 1.7.5 पृष्ठ 10)

वर्षवार एवं विभागवार ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं/समीक्षाओं की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक जिनके पी.ए.सी. प्रतिवेदनों पर विभागीय द्वारा की गई कार्रवाई की टीप सितंबर 2012 तक लंबित है ।

विभाग	*निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष*																					
	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	*2005-06*	*2006-07*	कुल
राहकारिता													4	4		2	1					**11**
कृषि		2		2	3	3	4	1	5						1		3		2	1		**27**
पशुपालन					3			1	1	2			2	2					1			**12**
ग्रामीण उद्योग									1		1				1							**3**
मत्स्य पालन											1						1					**2**
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार			2				3			4		3							1			**13**
लोक निर्माण	4	2	6	4	4	3	2	3	3	2	7	5	9	-	8	1	7					**70**
जल संसाधन	25	-	30	13	13	13	2	6	4	5	4	3	7	5	2	2	4					**138**
नर्मदा घाटी विकास विभाग	-	-	1	-	-	1	2	3	3	2	-	1	1	1	-	2	2	2	3			**24**
कुल	**29**	**4**	**39**	**19**	**23**	**20**	**13**	**14**	**17**	**15**	**13**	**12**	**23**	**12**	**12**	**7**	**18**	**2**	**7**	**1**		**300**

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ कंडिका 2.1.8.1, पृष्ठ 22)
सीआरएफ एवं नाबार्ड के अंतर्गत सड़कों के समय पूर्व उन्नयन कार्य को दिखाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	सड़क का नाम	योजना	एस आर आई पी के अंतर्गत व्यय	कार्य पूर्ण	दोष दायित्व समयावधि*	भारत सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन	कार्यादेश की तिथि
1	अशोक नगर	अशोक नगर- विदिशा रोड 13 कि.मी.	सीआरएफ	72.43	मार्च-09	सितंबर-10	जुलाई-08	07.07.09
		अशोक नगर-पिपराई रोड 12 कि.मी.	सीआरएफ	76.67	मार्च-09	सितंबर-10	दिसंबर-08	28.08.09
		मुंगावली -पिपराई रोड 18 कि.मी.	सीआरएफ	116.11	मार्च-09	सितंबर-10	दिसंबर-08	28.08.09
		सारसखेड़ी-नई सराय रोड 18 कि.मी.	सीआरएफ	121.20	मार्च-09	सितंबर-10	दिसंबर-08	20.08.09
2	विदिशा	लटेरी-शमसाबाद रोड (0-16 कि.मी.)	नाबार्ड	123.99	मई-08	नवम्बर-09	अप्रैल-07	29.05.08
3	शाजापुर	अमला-नलखेड़ा रोड (14 कि.मी.)	सीआरएफ	62.01	जुलाई-08	जनवरी-10	दिसंबर-08	27.02.09
		बरोद-अलोट (13.80 कि.मी.)	सीआरएफ	61.74	जुलाई-08	जनवरी-10	दिसंबर-08	02.03.09
				634.15				

*** कार्य की वास्तविक पूर्णता तिथि से दोष दायित्व समयावधि (निष्पादन गारंटी) 18 माह थी।**

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.1, पृष्ठ 26)
ओजीपीसी एवं सील कोट के स्थान पर बीएम एवं एसडीबीसी के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत को दिखाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	निधि	विभाग द्वारा क्रस्ट डिज़ाइन	लेखापरीक्षा द्वारा क्रस्ट डिज़ाइन	निष्पादित आइटम	मात्रा (घन मी.)	दर	निष्पादित किया जाना था	मात्रा (वर्ग मी.)	दर	निविदा प्रतिशत	अतिरिक्त लागत
1	अशोक नगर	विजयपुरा से ईसागढ़ रोड	62/09-10	सीआरएफ	1.14 एमएसए	< 1 एमएसए	बीएम	5174.53	3890	ओजीपीसी	103957.44	69	(-) 21.21	190.3
							एसडीबीसी	2613.96	5594	सील कोट	103957.44	33		
2	नरसिंहपुर	लालपुर उसरी गोरखपुर रोड	152/08-09	सीआरएफ	गणना नहीं	< 1 एमएसए	बीएम	4209.27	3890	ओजीपीसी	84185.68	80	14.84	214
							एसडीबीसी	2104.63	5594	सील कोट	84185.68	33		
3	सतना	उचेहरा पारसमनिया दुरेहा रोड	394/07-08	एमडीआर	<1 एमएसए	< 1 एमएसए	बीएम	4511.661	3059	ओजीपीसी	90233.22	79	(-) 11.70	74.06
							एसडीबीसी	1004.81	4311	सील कोट	90233.22	29		
4	रीवा	लालगंज मनगवां रोड	135/08-09	नाबार्ड	1 एमएसए	< 1 एमएसए	एसडीबीसी	964.982	5594	ओजीपीसी	38599.28	80	(-) 16.01	8.71
										सील कोट	38599.28	33		
5	रीवा	सीतापुर बहेरा दादर वाया बाडोर हर्राना रोड	03/10-11	एमडीआर	1 एमएसए	< 1 एमएसए	बीएम	3007.50	3000	ओजीपीसी	60150	63.2	आइटम रेट 20 प्रतिशत कम	105.86
							एसडीबीसी	3007.50	4499	सील कोट	60150	23.2		
6	अशोक नगर	खडवा - मामोन रोड	71/10-11	डीटीएपीटी निधि	एसपी 20	कर्व सी	बीएम	1875.00	3925	ओजीपीसी	37500	87	(-) 15.61	78.68
							एसडीबीसी	881.25	5640	सील कोट	37500	32		
7	सीहोर	भोपाल नाका सीहोर से जमुनिया रोड	01/07-08	नाबार्ड	एसपी 20	कर्व डी	बीएम	1031.25	2059	ओजीपीसी	20625	44	21.00	26.96
							एसडीबीसी	515.615	2643	सील कोट	20625	17		

8	सीहोर	भोवखेड़ी अमलहा धमन्दा रोड	51/07-08	नाबार्ड	एसपी 20	कर्व डी	बीएम	2232.96	2059	ओजीपीसी	44659	44	21.00	58.13
							एसडीबीसी	1108.96	2643	सील कोट	44659	17		
9	देवास	हाट पिपल्या भौरासा रोड	336/08-09	सीआरएफ	3 एमएसए	< 1 एमएसए	बीएम	2917.50	2059	ओजीपीसी	58350	56	59.00	75.43
							एसडीबीसी	1133.75	2643	सील कोट	58350	17		
10	खरगोन	कसरावद-पीपलगांव रोड	105 डीएल/ 08-09	नाबार्ड	3.3 एमएसए	3.3 एमएसए	डीबीएम	3355.55	4955	बीएम	3355.55	3890	16.66	41.69
11	छिन्दवाड़ा	मानेगांव पिपरिया गमानी अकलमा खुर्सीपार खिरेती रोड	10/सीआरएफ/ 11-12	सीआरएफ	2 एमएसए	< 1 एमएसए	बीएम	1931.25	3878	ओजीपीसी	10300	87	आइटम रेट 14.29 प्रतिशत कम	78.33
							एसडीबीसी	965.63	5528	सील कोट	10300	32		
12	छिन्दवाड़ा	नवेगांव -बिंडरई बोरदई रोड	249/सीआरएफ/ /09-10	सीआरएफ	2 एमएसए	< 1 एमएसए	बीएम	2834.01	3059	ओजीपीसी	55112.40	64	0.79	96.27
							एसडीबीसी	1377.81	4311	सील कोट	55112.40	25		
13	छिन्दवाड़ा	सीताडोंगरी बाम्हनी रोड	26/ सीआरएफ/ 09-10	सीआरएफ	1 एमएसए	1 एमएसए	बीएम	2540.624	3984	निष्पादित ओजीपीसी सील कोट पहले से ही उपयोग हेतु प्रावधानित।			एट पार	101.22
	योग													**1149.64**

परिशिष्ट 2.3
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.1, पृष्ठ 27)
डीपीआर एवं आईआरसी 37 की विशिष्टियों से बाहर निष्पादित कार्य को दिखाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	निष्पादित आइटम	डीपीआर के अनुसार		वास्तविक निष्पादन		स्वीकार्य	अधिक	निविदा प्रतिशत	राशि
					मोटाई	चौड़ाई	मोटाई	चौड़ाई				
1	अशोक नगर	विजयपुरा से ईसागढ़ रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	62/09-10	जीएसबी	180 मि.मी.	7 मीटर	200 मि.मी.	11.7 मी. से 16.6 मी.	7 मीटर में 180 मि.मी.	20 मि.मी. > 7 मीटर @ 407/-	(-) 21.21	43.77
2	गुना	अवान (जंजाली) से मकसुदन गढ़ रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	02/सीआरएफ/ 09-10	जीएसबी	210 मि.मी.	11.80 मीटर	210 मि.मी.	11.8 मीटर	11.80 मीटर में ड्रेनेज परत के रूप में 180 मि.मी.	60 मि.मी. (26190 X 4.8 X 0.6) @ 380/घ.मी.	एसबीडी	28.66
3	शाजापुर	आगर-सारंगपुर-सादीपुर-मोहनबदोरिया रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	07/सीआरएफ /10-11	जीएसबी	180 मि.मी.	375 मीटर	225 मि.मी.	10 मीटर	3.75 मीटर में 180 मि.मी.	16742.75 घन मीटर @ 368	एसबीडी	61.61
4	सतना	अमरपाटन से रामपुर रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	17/सीआरएफ /09-10	जीएसबी	300 मि.मी.	5.5 मीटर	300 मि.मी.	5.5 मीटर	5 प्रतिशत सीबीआर 3 एमएसए यातायात के लिए 230 मि.मी.	(21583 मी. X 5.5 X 0.07 X @ 375/घ.मी.	एसबीडी	31.55
5	सीहोर	सीहोर-बिलकिसगंज रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	06/सीआरएफ /09-10	जीएसबी	250 मि.मी.	7 मीटर	250 मि.मी.	7 मीटर	6 प्रतिशत सीबीआर 3 एमएसए के लिए 180 मि.मी.	13230 घन मी. (27000 X 7 X 0.07) @ 350/घ.मी.	एसबीडी	46.31
6	सतना	नागौद-उचेहरा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	07/सीआरएफ /09-10	जीएसबी	300 मि.मी.	5.5 मीटर	300 मि.मी.	5.5 मीटर	5 प्रतिशत सीबीआर 3 एमएसए यातायात के लिए 230 मि.मी.	12705 घन मी. (3.3 X 1000 X 5.5 X 0.07) @ 375/घ.मी.	एसबीडी	47.64

7	देवास	हाटपिपल्या-भौरासा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	336/08-09	जीएसबी	225 मि.मी.	21.20 कि.मी. के दोनों तरफ एक मीटर	220 मि.मी., 100 मि.मी. एवं 200 मि.मी.	11 कि. मी. में 2.5 मीटर, 3 मीटर और 8.5 मीटर	5885 घन मी.	(12373-5885) @ 389/घ.मी.	59.00	40.12
8	देवास	देवास-राजोदा-केलोदरोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	52/09-10	डब्ल्यू बी एम	250 मि.मी.	3.75 मीटर	250 मि.मी डब्ल्यू बी एम	4.25 मीटर	3.75 मीटर में 250 मि.मी.	(29070.48-25654.68) @ 659/घ.मी.	(-) 9.99	20.26
9	ख.डवा	पंधाना से चईगांव माखन रोड (नाबाड र्के अंतर्गत)	01/07-08	जीएसबी	100 मि.मी.	3.75 मीटर	130 मि.मी	8.84 मीटर	3.75 मीटर में 100 मि.मी.	9346.72 घन मी. @ 387	24.90	43.73
		योग										**363.65**

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.1, पृष्ठ 28)
अनावश्यक सड़क चौड़ीकरण से अतिरिक्त लागत को दिखाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	प्रारंभिक पीसीयू	कार्यपूर्णता अवधि एवं रूपांकित जीवन के बाद पीसीयू	सड़क चौड़ाई का चौड़ीकरण	अनावश्यक चौड़ाई	अतिरिक्त लागत का आंकलन						राशि	कुल राशि
								निष्पादित आइटम	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई	मोटाई	मात्रा (घन मी.)	दर		
1	देवास	पिपलरवा इलाशखेड़ी बालोन बिरगोद सेरछा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत 17 कि.मी.)	19/09-10	962	2500	3.75 मीटर से 5.5 मीटर	1.75 मीटर	जीएसबी	11500	1.75 मी.	250एमएम	5031.25	290	14.59	106.96
								डब्ल्यूडब्ल्यूएम	9800	1.75 मी.	250एमएम	4287.50	760	35.58	
								बीएम	9750	1.75 मी.	50 एमएम	853.125	4055	34.59	
								एसडीबीसी	9750	1.75 मी.	25 एमएम	426.56	5205	22.2	
2	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा उमरिया बांकी बिहरिया रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	05/सीआरएफ /09-10	2305	4590	5.5 मीटर से 7 मीटर	1.5 मीटर	जीएसबी	18800	1.50 मी.	100एमएम	2820	521	14.69	195.32
								सीआरएम	18800	1.50 मी.	100एमएम	2820	705	20.09	
								डब्ल्यूडब्ल्यूएम	18800	1.50 मी.	250एमएम	7050	1094	77.13	
								प्राइमर कोट	15400	1.50 मी.	0	23100 वर्ग मी.	19	4.39	
								टेक कोट	15400	1.50 मी.	0	23100 वर्ग मी.	10	2.31	
								बीएम	15400	1.50 मी.	50एमएम	1155	3878	44.79	
								एसडीबीसी	15400	1.50 मी.	25एमएम	577.50	5528	31.92	
3	छिन्दवाड़ा	सौंसर राजना रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	01/मु.अ. जबलपुर/ 10-11	2408	5729	5.5 मीटर से 7 मीटर	1.5 मीटर	जीएसबी	19600	1.50 मी.	100एमएम	2940	415	12.20	238.50
								सीआरएम	19600	1.50 मी.	200एमएम	5880	590	34.69	
								डब्ल्यूडब्ल्यूएम	19600	1.50 मी.	250एमएम	7350	875	64.31	

								प्राइमर कोट	19600	1.50 मी.	0	29400 वर्ग मी.	22	6.47	
								टेक कोट	19600	1.50 मी.	0	29400 वर्ग मी.	11	3.23	
								डीबीएम	19600	1.50 मी.	50 एमएम	1470	5000	73.50	
								बीसी	19600	1.50 मी.	30 एमएम	882	5000	44.10	
4	छिन्दवाड़ा	समसवाड़ा संख खमरा रोड	75 डीएल/08-09 (12.99%)	1072	2551	3.75 मीटर से 5.5 मीटर	1.5 मीटर	जीएसबी ग्रेड प्	17320	1.75 मी.	100एमएम	3031	387	11.73	192.45
								जीएसबी ग्रेड प्	17320	1.75 मी.	200एमएम	6062	407	24.67	
								सीआरएम	17320	1.75 मी.	300एमएम	9093	523	47.55	
								प्राइमर कोट	17320	1.75 मी.	0	30310 वर्ग मी.	17	5.15	
								टेक कोट	17320	1.75 मी.	0	30310 वर्ग मी.	7	2.19	
								बीएम	17320	1.75 मी.	50 एमएम	1515.5	3059	46.36	
								एसडीबीसी	17320	1.75 मी.	25एमएम	557.75	4311	32.67	
5	छिन्दवाड़ा	मुल्ताई-रोहना-गौरैया पावना रोड	14/सीआरएफ / 10-11	2070	4790	5.5 मीटर से 7 मीटर	1.5 मीटर	जीएसबी	6800	1.50 मी.	100एमएम	1020	405	4.13	82.38
								सीआरएम	6800	1.50 मी.	225एमएम	2295	675	15.49	
								डब्ल्यूडब्ल्यूएम	6800	1.50 मी.	250एमएम	2250	872	19.62	
								बीएम	6800	1.50 मी.	60एमएम	612	3690	22.58	
								एसडीबीसी	6800	1.50 मी.	40एमएम	408	5040	20.56	
	योग														**815.61**

परिशिष्ट 2.5
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.3, पृष्ठ 31)
प्राइमर कोट के स्थान पर सरफेस ड्रेसिंग के निष्पादन को दिखाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	निधि	एसडी की मात्रा (वर्ग मी.)	एसडी की दर	प्राइमर कोट की दर	निविदा %	अंतर की राशि
1	गुना	मयाना नई सराय रोड से मावन वाया खोंकर	179/एसएसी/06-07	सीआरएफ	67281.75	23	18	4.17	3.50
2	गुना	चाचोडा-मृगवास-बकन्या रोड	1/एसएसी/07-08	सीआरएफ	89127.99	23	13	14.21	10.18
3	अशोक नगर	अशोक नगर-ईसागढ़ रोड	31/09-10	सीआरएफ	124740	47	25	2.89	28.24
4	अशोक नगर	अशोक नगर पिपराई मुंगावली रोड	32/09-10	सीआरएफ	104445	47	25	(-) 6.80	21.42
5	नरसिंहपुर	मुंगावली गोरखपुर रोड	15/सीआरएफ/09-10	सीआरएफ	80190	44	19	एसबीडी*	21.68
6	नरसिंहपुर	लालपुर उसरी गोरखपुर रोड	152 डीएल/08-09	सीआरएफ	82585.68	47	25	14.84	20.87
7	सागर	भापेल जैसीनगर रोड	61 डीएल/07-08	सीआरएफ	64177	36	17	(-) 7.29	11.30
8	रीवा	पिपराही जरकुंडी रोड	90 डीएल/08-09	नाबार्ड	61076.63	36	18	(-) 18.33	8.98
9	रीवा	लाल गंज मंगावन रोड	135 डीएल/08-09	नाबार्ड	23268.38	47	25	(-) 16.01	4.30
10	ग्वालियर	शेतला माता चिनोर रोड	20/एसएसी/07-08	प्लान	57909.75	23	18	17.00	3.36
11	नरसिंहपुर	पलोहा अमोदा उल्थान रोड	216/08-09	प्लान	22226.62	47	25	19.77	5.86
12	सागर	शाजापुर तेंदुखेड़ा रोड	225 डीएल/07-08	प्लान	37875	36	17	(-) 4.00	6.91
13	सतना	कृपालपुर रामस्थान रोड	69/05-06	नाबार्ड	43841.21	23	प्रावधानित	(-) 16.06	10.08

14	सीहोर	धामन्दवी अमलाहा रोड	51/07-08	नाबार्ड	37323	23	18	21.00	2.26
15	सीहोर	चमल चंदबाद रोड	52/07-08	नाबार्ड	61657.50	36	17	7.55	11.5
16	शाजापुर	खरदोन कला उगली शाजापुर रोड	18/07-08	नाबार्ड	24675.00	23	18	19.55	1.47
17	शाजापुर	खरदोन कला उगली शाजापुर रोड का बचा हुआ कार्य	177/10-11	नाबार्ड	67875	42	22	17.60	11.19
18	शाजापुर	भेसोदा बादगांव रोड	168/07-08	नाबार्ड	33525	36	17	(-) 2.90	6.55
19	शाजापुर	सन्देरसी खादी पोलाय पिपलरनवा रोड	339/06-07	नाबार्ड	67363.12	23	18	14.31	3.85
20	शाजापुर	बरोद से सुसनेर	139/08-09	नाबार्ड	54375	47	25	(-) 14.00	10.28
21	विदिशा	अनूप पुर मजहरखोड़ी	13/08-09	नाबार्ड	62219.98	36	17	(-) 11.31	10.48
22	विदिशा	सांची-उदयगिरी-गुलाबगंज-बासोदा-बरेठ-उदयपुरा रोड	10/07-08	नाबार्ड	125446	23	18	38.07	8.66
23	विदिशा	गधी-अहमदपुर-विदिशा रोड	112/10-11	प्लान	65659.48	42	19	(-) 22.11	11.76
24	देवास	हाटपिपल्या भौरासा रोड	336/08-09	सीआरएफ	58500	23	18	59.00	4.65
25	देवास	हाटपिपल्या-टप्पा-सिद्धिक गंज रोड	50/09-10	सीआरएफ	106469	51	22	(-) 15.66	26.04
26	खण्डवा	जलकुआ-भगियापुर-सेमलिया-गुडी रोड	57 डीएल/06-07	नाबार्ड	58564.94	23	13	9.90	6.44
27	छिन्दवाड़ा	नवेगांव-बिन्डरई-बोरदई रोड	249 डीएल/सीआरएफ/07-08	सीआरएफ	25205.23	36	17	0.79	4.82
	योग								**276.63**

' कुल मिलाकर निम्न निविदा दर 10.58 प्रतिशत 80190'(44-(19-10.58%))

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.3, पृष्ठ 31)
टेक कोट के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निधि	अनुबंध क्र.	टेक कोट की मात्रा (वर्ग मी. में)	दर	निविदा %	कुल राशि
1	सतना	सतना-सेमरिया रोड	सीआरएफ	12/सीआरएफ/10-11	105455.27	10	एसबीडी	10.54
2	सतना	अमरपाटन से रामपुर रोड	सीआरएफ	17/सीआरएफ/09-10	124579.65	3	एसबीडी	3.73
3	सतना	नागौद-उचेहरा रोड	सीआरएफ	7/सीआरएफ/09-10	131210.06	8	एसबीडी	10.50
4	सतना	खुरई-रजवास रोड	सीआरएफ	02/सीसीएस/10-11	24557.50	8	एसबीडी	1.96
5	नरसिंहपुर	मुंगावली-गोरखपुर रोड	सीआरएफ	15/सीआरएफ/09-10	80190	8	एसाबीडी	6.42
6	नरसिंहपुर	लालपुर-उसरी-गोरखपुर रोड	सीआरएफ	152 डीएल/08-09	84185.68	9	14.84	8.70
7	रीवा	गेविंदगढ़-तिकार रोड	एमडीआर	04 एमडीआर/10-11	48678.75	7	एसबीडी	3.41
8	खरगोन	कसरावद-पीपलगांव-लौंडी रोड	नाबार्ड	105/08-09	80348.40	9	16.66	8.44
	योग							**53.70**

परिशिष्ट 2.7
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.4, पृष्ठ 32)
इलेक्ट्रानिक सेंसर पेवर के नियोजन ना किए जाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	सड़क का नाम	अनुबंध क्र.	निष्पादित आइटम	मात्रा	अंतर	निविदा %	राशि
1	सतना	सिविल लाइन चौक से अंडर ब्रिज तक 2.08 कि.मी. सीमेंट कांक्रीट रोड (स्कॉटलेंड रोड)	274/2010-11	डीएलसी	3104.166 घ.मी.	150/प्रति घ.मी.	(-) 17.01	25.08
				एम 40	7305.66 घ.मी.	350/प्रति घ.मी.		
		सतना चित्रकूट रोड (प्लान के अंतर्गत)	414/2008-09	डीएलसी	4046.454 घ.मी.	150/प्रति घ.मी.	6.20	36.37
				सीसी	8050.616 घ.मी.	350/प्रति घ.मी.		
2	रीवा	सेमरिया-काकरेदी रोड (एमडीआर)	2 एमडीआर/10-11	डीएलसी	453.90 घ.मी.	150/प्रति घ.मी.	एसबीडी	4.16
				एम 40	993 घ.मी.	350/प्रति घ.मी.		
3	नरसिंहपुर	प्लोहा-अमोदा-उल्थान रोड (प्लान के अंतर्गत)	216/08-09	डीएलसी	703.85 घ.मी.	150/प्रति घ.मी.	19.77	8.04
				एम 40	1616.89 घ.मी.	350/प्रति घ.मी.		
	योग							**73.65**

परिशिष्ट 2.8
(संदर्भ कंडिका 2.1.9.5, पृष्ठ 32)
तकनीकी अमले के कम नियाजन के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	सड़क का नाम	अनुबंध क्र.	अवधि	इंजीनियर जो आवष्यक रूप से नियोजित किए जाने थे	वास्तव में नियोजित किए गए इंजीनियर	स्नातक इंजीनियर @ 10000 प्रति माह	राशि
1	सीहोर	सीहोर-बिलकिस गंज-भदभदा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	06 डीएल/सीआरएफ /09-10	22 माह	6	निरंक	6	11.50
2	सीहोर	दरोहा-अहमदपुर रोड (प्लान के अंतर्गत)	01 डीएल/11-12	8 माह	6	1	5	4.40
3	सागर	खुरई-राजवंश रोड 01 से 14 कि.मी. (सीआरएफ के अंतर्गत)	01 डीएल/सीएसएस /10-11	16 माह	6	निरंक	6	9.60
4	सतना	सतना-सेमरिया रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	12/सीआरएफ /10-11	21 माह	6	निरंक	6	12.60
5	देवास	पीपलरवा-इलाशखेड़ी-बालोन बिरगोद रोरछा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	19/09-10	20 माह	6	2	4	8.00
6	देवास	देवली-चौबाराधिरा इकलेरा सुरजाना पीपलरवा रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	20/2009-10	18 माह	6	1	5	9.00
7	रीवा	गेविंदगढ़ तिकार रोड (प्लान के अंतर्गत)	4 एमडीआर/10-11	25 माह	6	2	4	10.00
8	रीवा	सेमरिया-काकरेदी रोड (प्लान के अंतर्गत)	2 एमडीआर/10-11	24 माह	6	2	4	9.60
	योग							**74.70**

परिशिष्ट 2.9
(संदर्भ कंडिका 2.1.10.1, पृष्ठ 33)
निर्णीत हर्जाने को अधिरोपित ना करने को दिखाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	निधि	ठेके की अनुमानित लागत	कार्यादेश की तिथि	कार्यपूर्णता अवधि	विलंब	क्षतिपूर्ति	राशि
1	सागर	उज्जैनिथी-पाटन रोड	03 डीएल/08-09	नाबार्ड	204.77	03.05.08	16 माह वर्षाकाल सहित 02.09.09 तक	497 दिन	1/16% प्रति सप्ताह	9.07
2	सागर	शाजापुर-तेंदूखेड़ा रोड	225 डीएल/07-08	नाबार्ड	470.2	28.02.08	16 माह वर्षाकाल राहित 27.06.09 तक	990 दिन	6 %	31.81
3	सागर	खुरई-थावरी रोड	231/07-08	नाबार्ड	308.44	29.02.08	16 माह वर्षाकाल सहित 28.06.09 तक	900 दिन	6 %	18.51
4	सीहोर	धामंदा-अमलाहा रोड	51/07-08	नाबार्ड	251.36	04.07.07	14 माह वर्षाकाल राहित 03.09.08 तक	1245 दिन	6 %	15.08
5	सीहोर	चमल-चांदबड़ रोड	52/07-08	नाबार्ड	494.00	17.07.07	14 माह वर्षाकाल सहित 16.09.08 तक	1232 दिन	6 %	29.64
6	सीहोर	कलयाना-झोलियापुर रोड	90/08-09	नाबार्ड	403.66	11.08.08	12 माह वर्षाकाल सहित 10.08.09 तक	880 दिन	6 %	24.21
7	सीहोर	शाहगंज-अबदुल्लाह गंज रोड	15/07-08	नाबार्ड	447.14	24.05.07	14 माह वर्षाकाल सहित 23.07.08 तक	818 दिन	6 %	26.83
8	सीहोर	नसरूल्लाह गंज पैकेज	64 डीएल/08-09	प्लान	3259.00	24.07.08	17 माह वर्षाकाल सहित 21.12.09 तक	763 दिन	6 %	195.54
9	सीहोर	भौखेड़ी-बिसनखेड़ी रोड	78/08-09	प्लान	230.66	04.04.08	10 माह वर्षाकाल सहित 03.06.09 तक	678 दिन	6 %	12.88

10	रीवा	गोविंदगढ़-तिकार रोड	4 एमडीआर/10-11 (एसबीडी)	एमडीआर	246.35	07.04.10	10 माह वर्षाकाल सहित 02.02.10 तक	450 दिन	10 %	24.64
11	रीवा	पिपराही-जरकुंडी रोड	90 डीएल/08-09	नाबार्ड	536.26	01.09.08	16 माह वर्षाकाल सहित 31.12.09 तक	850 दिन	6 %	32.29
12	रीवा	ललगंज-मनगवां रोड	132 डीएल/08-09	नाबार्ड	296.45	15.10.08	16 माह वर्षाकाल सहित 14.02.10 तक	400 दिन	6 %	17.78
13	रीवा	सीतापुर बहेरा दादर वाया बादर हर्राना रोड	03/एमडीआर/10-11 (एसबीडी)	एमडीआर	478.16	07.04.10	13 माह वर्षाकाल सहित 06.05.11 तक	365 दिन	10 %	47.81
14	विदिशा	बसोदा-सिरोंज रोड	01 डीएल/सीआरएफ /09-10	सीआरएफ	2507.00	29.01.10	22 माह वर्षाकाल सहित 28.11.11 तक	156 दिन	प्रारंभिक लागत का 1/2000 प्रति दिन	195.57
15	विदिशा	बसोदा-संबारा रोड	33 डीएल/सीआरएफ /07-08	सीआरएफ	462.53	4.06.07	13 माह वर्षाकाल सहित 03.07.07 तक	334 दिन	1/16% प्रति सप्ताह	12.72
16	विदिशा	अनूपपुर मजहरखेड़ी रोड	13/08-09	नाबार्ड	451.30	15.04.08	15 माह वर्षाकाल सहित 14.07.09 तक	546 दिन	6 %	27.08
17	विदिशा	सांची-उदयगिरी-गुलाबगंज-बासोदा- बरेठ-उदयपुरा रोड	10/07-08	नाबार्ड	1446.72	18.04.07	18 माह वर्षाकाल सहित 17.10.08 तक	1095 दिन	6 %	62.80
18	विदिशा	पगरानी से महुआखेड़ा-पृथ्वीपुर	136/08-09	प्लान	356.26	10.10.08	13 माह वर्षाकाल सहित 09.11.09 तक	749 दिन	6 %	21.38
19	विदिशा	ग्वारसपुर-इन्द्रावास	112 डीएल/06-07	नाबार्ड	357.87	20.01.07	12 माह वर्षाकाल सहित 19.01.08 तक	1092 दिन	6 %	21.47
20	शाजापुर	आगर-सारंगपुर-सादीपुर-मोहन बदोरिया रोड	7/सीआरएफ/10-11	सीआरएफ	847.41	02.07.10	15 माह वर्षाकाल सहित 01.10.11 तक	आइटम रेट	10 %	84.74
21	शाजापुर	जेठदाजोड़-कालापीपल-मगरखेड़ी- चांदबड़ रोड	11/सीआरएफ/09-10	सीआरएफ	2309.00	15.02.10	22 माह वर्षाकाल सहित 14.12.11 तक	आइटम रेट	10 %	230.90
22	शाजापुर	सुसनेर से पिदवा वाया पटपड़ा	07/एमडीआर/10-11	एमडीआर	454.39	09.04.10	13 माह वर्षाकाल सहित	206 दिन	10 %	45.43

		रोड					08.05.11 तक			
23	अशोक नगर	अशोक नगर-पिपराई-मुंगावली रोड	32/09-10	सीआरएफ	2086.00	28.08.09	17 माह वर्षाकाल सहित 27.01.11 तक	396 दिन	6 %	125.16
24	खण्डवा	पंधाना से चईगांव माखन रोड	01 डीएल/07-08	नाबार्ड	432.83	11.04.07	16 माह वर्षाकाल सहित 10.08.08 तक	862 दिन	6 %	25.97
25	छिन्दवाड़ा	सौंसर-राजना रोड	01/सीई जबलपुर/10-11	सीआरएफ	1342.01	16.12.10	18 माह वर्षाकाल सहित 15.06.12 तक	आइटम रेट	10 %	134.20
26	छिन्दवाड़ा	मनेगांव-पिपरिया-गमानी अकलम खुर्सीपार खिरेती रोड	10/सीआरएफ/11-12	सीआरएफ	679.88	08.07.11	15 माह वर्षाकाल सहित, पहला माइलस्टोन पू.इ नहीं।	आइटम रेट	10 %	67.98
27	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा उमरिया बांकी बेहरिया रोड	05/सीआरएफ/09-10	सीआरएफ	1480.87	01.02.10	18 माह वर्षाकाल सहित 31.07.11 तक	आइटम रेट	10 %	148.08
28	छिन्दवाड़ा	नवेगांव-बिंडरई-बोरदरी रोड	249/डीएल/सीआरएफ/ 07-08	सीआरएफ	415.72	03.11.07	12 माह वर्षाकाल सहित 02.11.08 तक	1305 दिन	6 %	24.94
	योग									**1714.51**

परिशिष्ट 2.10
(संदर्भ कंडिका 2.1.10.2, पृष्ठ 33)
अनुबंध अवधि के पश्चात मूल्य भिन्नता के अपात्र भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	निधि	कार्यादेश की तिथि	कार्यपूर्णता अवधि	राशि
1	ग्वालियर 2	शेतला माता-चिनोर रोड	20/एसएसी/07-08	प्लान	14.05.07	10 माह वर्षाकाल सहित	46.37
2	सतना	उचेहरा-पारमिनिया-दुरेहा रोड	394/का.य./एन/07-08	एमडीआर	02.01.08	16 माह वर्षाकाल सहित	35.92
3	शाजापुर	भेसोडा बादगांव रोड	168/07-08	नाबार्ड	03.11.07	10 माह वर्षाकाल सहित	16.96
4	शाजापुर	सुन्देरसी खादी पोलाय पीपलरनवा रोड	339/06-07	नाबार्ड	02.03.07	11 माह	31.64
5	शाजापुर	पोलाईकला से रनयाल	321/06-07	नाबार्ड	15.02.07	16 माह	17.61
6	अशोकनगर	विजयपुरा से ईसागढ़	62/09-10	सीआरएफ	24.09.09	12 माह	8.83
7	अशोकनगर	अशोक नगर-पिपराई-मुंगावली	32/09-10	सीआरएफ	28.08.09	17 माह	37.97
8	अशोकनगर	अशोक नगर-ईसागढ़ से नई सराय	31/09-10	सीआरएफ	20.08.09	15 माह	52.15
	योग						**247.45**

परिशिष्ट 2.11
(संदर्भ कंडिका 2.1.10.4, पृष्ठ 37)
गतिशीलन अग्रिम की वसूली न होने को दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	कार्यादेश की तिथि	कार्यपूर्णता अवधि	वसूली योग्य राशि
1	गुना	अवान (जंजाली) से मकसुदनगढ़ रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	02/सीआरएफ/09-10	09.01.2010	22 माह 28.11.11 तक	127.65
2	शाजापुर	जेठदाजोद-कालापीपल-मगरखेड़ी-चांदबड़ रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	11/सीआरएफ/09-10	15.02.2010	22 माह 14.12.11 तक	57.72
3	छिन्दवाड़ा	सौंसर-राजना रोड (सीआरएफ के अंतर्गत)	01/मुअ./जबलपुर/ 10-11	06.12.2010	22 माह वर्षाकाल सहित 05.06.12 तक	28.68
	योग					**214.05**

परिशिष्ट 2.12
(संदर्भ कंडिका 2.1.10.7, पृष्ठ 39)
नाबार्ड कार्यों में कार्यपूर्णता में विलंब को दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	ठेके की अनुमानित लागत	निविदा %	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि	व्यय (लाख ₹ में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	ब्याज @ 6.5 %
1	सीहोर	चरनाल चांदबड़ से परसोन रोड	19.00	494.00	7.55	17.07.07	16.09.08	505.45	अपूर्ण (जनवरी 2012)	109.51
2		गोपालपुर सीगांव नारायणपुर रोड	10.00	212.30	29.99	15.05.07	14.04.08	269.58		65.71
3		भाऊखेड़ी जोड़ से धामंदा	17.60	251.36	21.00	04.07.07	03.08.08	251.36		55.82
4		नीलबड़ एप्रोच रोड़	7.00	119.82	16.11	22.02.07	21.10.07	52.30		14.44
5		राला तिलरिया रोड़	7.18	(I) 145.19	(I) 74.90	26.04.07	25.12.07	163.52		43.48
				(II) 106.95	(II) 18.90	23.09.11	22.03.12			
6		कलवाना केनाल से झोलियापुर	15.00	403.66	(-) 7.50	11.08.08	10.07.09	292.23		47.48
7		गिलहरी से डोमा रोड	4.00	134.17	(-) 1.73	25.07.08	24.05.09	59.02		10.23
8		अमोन से सागपुर रोड	3.40	114.35	10.90	18.05.09	17.01.10	137.50		17.87
9		अरोलिया कुरवार	9.00	296.64	(-) 10.88	18.05.09	17.04.10	180.92		19.60
10		ओबेदुल्लागंज शाहगंज रोड	18.00	(I) 447.14	21.99	24.05.07	23.07.08	419.77		95.50
				(II) 114.61	25.00	19.09.11	18.03.12			
11		सेमरादागी से अतरलिया जेताली बराडी	11.00	348.98	(-) 18.47	23.01.09	22.03.10	140.95		16.03
1	ग्वालियर 2	रंगावा देवगढ़ जिगनिया रोड	9.60	300.00	3.99	30.11.07	29.09.08	228.13	अपूर्ण (जनवरी 2012)	49.52
2		मकोड़ा आंतरी छीमक रोड	25.60	375.00	19.60	18.04.07	06.02.08	417.95		108.66
		मकोड़ा आंतरी छीमक रोड (बचा हुआ कार्य)		206.00	11.70	08.12.11	07.06.12			

3		डांडा खिरक तिगरा रोड	34.20	450.00	4.77	30.11.07	29.09.08	223.53		48.56
		डांडा खिरक तिगरा रोड (बचा हुआ कार्य)		453.00	(-)16.90	13.12.10	13.11.11			
4		करहिया से अरोन वाया गोलार घाटी रोड	15.00	363.12	(-)22.57	07.10.08	07.08.09	55.56		8.66
1	**नरसिंहपुर**	करपगांव खमरिया आमगांव रोड	8.40	306.87	11.00	05.02.10	04.07.11	230.12	**अपूर्ण (मार्च 2012)**	9.97
1	**रीवा**	कथूलिया हारडी रोड	11.00	226.66	(-)13.39	23.07.07	22.07.08	159.27	**अपूर्ण (मार्च 2012)**	37.95
2		शनाब हारडी राहत दादर रोड	7.93	275.27	(-)26.26	13.10.08	12.12.09	34.94		5.10
3		लालगांव मनगवां रोड	14.60	296.45	(-) 16.01	10.10.08	09.02.10	198.32		25.78
4		गनगेंव तिकूरी रोड	7.20	136.78	(-)16.63	13.10.08	12.10.09	31.50		4.94
5		चन्द्रपुर मोरे से बारू रोड	4.50	128.00	(-)32.34	19.11.10	18.05.11	103.51		05.60
6		गांगेव खैरा केवटी रोड	13.00	240.71	(-)15.11	26.06.07	13.12.08	204.33		43.09
7		चाक चांदपुर रोड	13.25	284.78	(-) 3.33	07.06.07	06.06.08	245.38		59.81
8		पिपरी जड़कुर रोड	25.00	538.26	(-)18.33	01.09.08	31.12.09	329.15		48.13
1	**सागर**	पिन्जारी से कन्धारी रोड	6.00	195.54	(-)27.00	15.02.08	14.02.09	82.61	**अपूर्ण (मार्च 2012)**	16.55
2		मोकलपुर से उदयपुरा बेरसेला रोड	11.00	320.93	(-)28.18	05.03.08	04.07.09	92.53		15.53
3		हिलगन से भस्वाही रोड	6.70	221.76	(-) 5.50	15.02.08	14.06.09	172.12		30.76
4		लुहागर नवलपुर रोड	6.80	251.74	(-)25.78	11.02.08	10.06.09	240.54		42.99
5		खुरई थावरी रोड	9.31	308.44	(-)32.18	05.03.08	04.07.09	168.74		29.24
6		भपसोने से सतोरिया रोड	5.70	154.23	(-)25.00	18.02.08	17.02.09	75.84		15.19
7		खुरई नगना डोंगा बरोदिया बालव लुहार रोड	15.40	639.37	(-)21.50	07.02.09	06.07.10	484.34		52.44
8		सिहोरा लोटना लोटनी हीरापुर नरियाबाली रोड	14.00	621.64	(-)22.05	30.01.09	29.07.10	224.27		24.59
1	**विदिशा**	लटेरी शमसाबाद कि.मी. 32 से नाथनपुरा कमरखेड़ी	7.50	187.02	(-)22.80	16.05.06	02.12.06	104.13	**अपूर्ण (अक्टूबर 2011)**	32.71
2		दूधावारी से छपारा	6.00	138.11	3.48	27.11.06	26.08.07	63.31		17.14

3		लश्कर जामल्दी खेरूआहाट	7.00		(-)22.00	27.04.05	27.01.06	57.62		21.53
4		करिया शमसाबाद कि.मी. 16/2 से नाथनपुर कर्राखेड़ी मुदरा नकतारा नटेरन	16.65	446.83	(-)22.89	16.05.05	15.04.06	102.60		36.67
5		बबचिया से मुद्राचंद	5.80	133.8	3.47	27.11.06	26.08.08	144.87		29.81
6		बैरसिया रोड से बागरी जमबार	4.00	104.25	0.47	27.11.06	26.07.07	55.12		15.22
7		सयार से कोसाखेड़े	3.80	96.52	(-) 5.11	29.01.07	28.10.07	86.71		22.40
8		कुरवाई से बरूअल वाया कथोरा नाही	12.40	266.74	20.70	19.04.07	18.04.08	230.02		52.33
9		विदिशा से अशोक नगर	24.80	506.87	14.40	26.06.07	25.09.08	370.06		74.16
10		सांची उदयगिरी	83.20	1042.3	38.07	18.04.07	17.10.08	1059.7		206.64
11		पथारी से किरारखेड़ी	15.00	527.15	(-) 9.68	02.02.08	01.05.09	129.29		21.00
12		सूथिया से अहमदपुर	11.00	296.87	(-)11.00	10.04.08	09.04.09	67.23		10.92
13		बरझेड़ा एप्रोच रोड	4.60	166.23	(-)10.00	16.01.09	15.07.09	142.48		80.83
14		पुरा गोसाई घटेरा पोनिया मुरघुरी	10.00	323.00	(-) 2.51	09.05.08	08.06.09	88.59		13.43
15		बड़ी उकावद से मुंदेला	9.50	258.06	(-)19.27	18.06.08	17.06.09	54.60		8.28
16		दुरंग धामूखेड़ी	16.00	539.98	(-)11.51	12.11.09	11.01.11	333.66		18.07
17		ग्रुंट से बालाखेड़ा रोड	26.00	963.61	(-)18.82	19.01.10	18.06.11	168.49		3.65
18		दयानंद पुर से बदनपुर	6.00	160.92	1.47	27.11.06	26.09.07	160.92		42.71
1	**शाजापुर**	नैनवार गिरवार करेदी रोड	8.20	186.1	2.00	01.08.06	31.07.07	85.45	**अपूर्ण (नवंबर 2011)**	24.06
2		कालापीपल कुरवार	7.00	198.00	(-) 9.55	01.05.08	28.02.09	119.31		21.32
3		पोलाइकला खाटसुर वाया हिमलेश्वर	8.00	181.00	(-) 9.55	01.05.08	28.02.09	157.86		28.21
4		बरोड सुसनेर	25.40	364.19	(-)14.00	22.10.08	19.10.09	317.96		43.05
5		कालीसिंध कुलमनखेड़ी	8.00	250.62	7.49	11.11.08	15.07.09	229.29		34.77
6		मनसाया सेमलिया	9.50	250.62	1.00	30.01.09	30.12.09	149.26		18.59
			720.72					**10953.81**		**2038.59**

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भ कंडिका 2.1.10.8, पृष्ठ 40)
असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्ति सुरक्षा जमा न लेकर ठेकेदारों को अदेय लाभ को दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निधि	आइटम	मात्रा	प्राक्कलित दर	उल्लिखित दर	अंतर	कुल राशि
1	छिन्दवाड़ा	सौंसर-राजना रोड	सीआरएफ	मजदूरों से मिट्टी कार्य	27027 घन मी.	73	150	77	20.81
2	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा-उमरिया-बांकी-बेहरिया रोड का बचा हुआ कार्य	सीआरएफ	सीआरएम	12656 घन मी.	705	900	195	24.68
				बीएम	5390 घन मी.	3878	5600	1722	92.82
				एसडीबीसी	2695 घन मी.	5528	6200	672	18.11
3	खण्डवा	खण्डवा-मुंडी रोड	एमडीआर	डब्ल्यूएमएम	45281.30 घन मी.	659	900	241	109.13
									265.55

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ कंडिका 2.1.11.1, पृष्ठ 41)
सीआरएफ के अंतर्गत गुणवत्ताविहीन बिटुमिनस मेकेडम के निष्पादित कार्य को दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

सरल क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र.	निधि	बीएम की मात्रा (घन मी.)	दर (प्रति घन मी.)	निविदा %	कुल राशि	एसडीबीसी के निष्पादन में विलंब
1	अशोक नगर	अशोक नगर-पिपराई-मुंगावली रोड	32/2009-10	सीआरएफ	2224.75	3890	(-) 6.8%	80.66	15 से 365 दिन
2	गुना	अवान (जंजाली) से मकसुदनगढ़ रोड	02/सीआरएफ/09-10	सीआरएफ	7812.00	3500	मद दर	273.42	3 माह से 11 माह
3	गुना	मयाना नई सराय रोड से मावन वाया खोंकर	179/एसएसी/06-07	सीआरएफ	900.00	2059	4.17%	19.30	1 वर्ष के बाद
4	सागर	खुरई-राजवंश रोड फेज-एक 01 से 14 कि.मी.	01डीएल/सीएसएस/10-11	सीआरएफ	1485.00	3920	मद दर	58.21	35 से 75 दिन
5	सागर	खुरई-राजवंश रोड फेज-दो 17.80 कि.मी. (15 से 32/2 कि.मी.)	02/सीसीएस/10-11	सीआरएफ	2396.615	4000	मद दर	95.86	22 दिन से 1 वर्ष
6	सतना	सतना-सेमरिया रोड	12/सीआरएफ/10-11	सीआरएफ	5282.718	3600	मद दर	190.18	5 से 53 दिन
7	सतना	नागौद-उचेहरा रोड	07/सीआरएफ/09-10	सीआरएफ	6560.53	3875	मद दर	254.22	48 घंटे के बाद
8	विदिशा	बारोदा-सिरोंज रोड	01डीएल/सीआरएफ/09-10	सीआरएफ	5978.00	3970	मद दर	194.25	6 माह
9	सतना	उचेहरा पारसमनिया दुरेहा रोड	394का.य./07-08	एमडीआर	2502.041	3059	(-) 11.7%	65.58	1 वर्ष
10	देवास	हाटपिपल्या भौरासा रोड	336/2008-09	सीआरएफ	2917.50	2059	59%	95.91	7 से 41 दिन
11	देवास	देवास-राजोदा-केलोद-डलब चौकी रोड	52/2009-10	सीआरएफ	3575.44	3702	(-) 9.99%	119.14	15 दिन और 120 दिन
12	देवास	हाटपिपल्या-टप्पा-सिद्धिक गंज रोड	50/2009-10	सीआरएफ	6121.50	3702	(-) 15.66%	191.13	48 घंटे से ज्यादा
13	खरगोन	बेड़िया पीपलगांव रोड	08/एमडीआर/10-11	एमडीआर	2612.75	3400	मद दर	88.83	3 महीने से ज्यादा
	योग				**50368.844**			**1726.69**	

परिशिष्ट 2.15
(संदर्भ कंडिका 2.2.3.2, पृष्ठ 53)
अपर्याप्त आयोजना के कारण लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर व्यर्थ व्यय को दर्शानेवाला विवरण पत्रक

संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम, सिं. क्ष. हे मे	कार्य प्रारम्भ का वर्ष एवं व्यय	प्रावधान	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी आगे टिप्पणी
ज.सं. संभाग छिंदवाड़ा	झिरलिंगा तालाब, 182 हे	2004, ₹1.48 करोड़	निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 7.008 एवं 8.001 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार के लिए गेज एवं डिस्चार्ज आंकड़े सहित जल मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े इकठ्ठे किए जाने चाहिए । इसलिए, एक सिंचाई योजना का प्रारम्भ करने से पूर्व भू तकनीकी अन्वेषणों सहित विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है ।	हमने देखा कि झिरलिंगा तालाब के बेसिन के सरंध्रता सहित भूतकनीकी अन्वेषण नहीं किए गए थे । कार्य के कार्यान्वयन के बाद तालाब के बेसिन में अत्यधिक सरंध्रता थी । इसके परिणामस्वरूप बेसिन में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं रूक रहा था । इसलिए 2009-10 की रबी के लिए मात्र 12 हे एवं 2010-11 की रबी के लिए मात्र पाँच हे में सिंचाई की जा सकी । इसप्रकार परियोजना की पूर्णता के पश्चात अल्प सिंचाई से परियोजना असाध्य सिद्ध हुई एवं अपर्याप्त आयोजना के कारण ₹ 1.48 करोड़ का व्यय बड़े पैमाने पर निष्फल रहा ।	कार्यपालन यंत्री ने बताया कि लघु परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्ट्राटा की जाँच हेतु भूवैज्ञानिक टेस्ट नहीं किए गए थे । सामान्यतः स्ट्राटा की सरंध्रता के कारण सीपेज संभव है। इस योजना के सीपेज को रोकने के लिए परामर्श हेतु बाँध सुरक्षा, बोधी को प्रस्ताव भेजा गया है । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि तालाब में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, बोधी को निर्देश दिए जा रहे थे । उत्तर पुष्टि करता है कि लघु परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्राटा के सत्यापन हेतु भूवैज्ञानिक टेस्ट नहीं किए गए थे ।
ज.सं. संभाग हिरन जबलपुर	मरहापाठा तालाब, 55.46 हे	अक्तूबर 2008, ₹ 86.57	किसी परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व बाद की अवस्था में असाध्यता के कारण परियोजना को	हमने देखा कि ₹ 86.57 लाख का व्यय करने के पश्चात कोई कारण निर्धारित किए बिना मरहापाठा तालाब की नहर के कार्य को जनवरी 2012 में	प्रमुख सचिव के अनुदेशों के अनुसार नहर कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया। इसलिए आयोजना एवं रूपांकन में

संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम, सिं. क्ष. हे मे	कार्य प्रारम्भ का वर्ष एवं व्यय	प्रावधान	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी आगे टिप्पणी
		लाख	छोड़ना टालने के लिए योजना के विभिन्न विकल्पों की साध्यता का पता लगा लेना चाहिए ।	कार्य के क्षेत्र से निकाल दिया गया । प्रमुख अभियंता ने उद्वहन एवं अन्य संसाधनों द्वारा सिंचाई की संभावना को सुनिश्चित करने हेतु पूछा (दिसम्बर 2011) । इसप्रकार योजना की साध्यता लघु सिंचाई योजना के लिए आयोजना करते समय सुस्थापित नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 86.57 लाख का व्यय अवरूद्ध रहा।	कोई कमी नहीं थी । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि चूँकि योजना की क्षमता मात्र 55 हे है नहर के बिना कार्य को कार्यान्वित करना नियत किया गया । उत्तर पुष्टि करता है कि लघु सिंचाई योजना की आयोजना करते रामय नहर के निर्माण की साध्यता सुनिश्चित नहीं की गई थी ।
ज.सं. संभाग हिरन जबलपुर	पिपरिया तालाब, 85 हे	मार्च 2009 ₹ 10.60 लाख	निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 7.008 एवं 8.001 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार के लिए गेज एवं डिस्चार्ज आंकड़े सहित जल मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े इकठ्ठे किए जाने चाहिए । इसलिए, एक सिंचाई योजना का प्रारम्भ करने से पूर्व योजना की साध्यता को स्थापित करने के लिए आयोजनाबद्ध किए जाने वाले कमान क्षेत्र सहित विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है ।	हमने देखा कि विभाग ने एक वर्ग मील जलग्रहण क्षेत्र से कम की पिपरिया लघु सिंचाई योजना की आयोजना की । बाद में कार्य को कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ करने एवं 10.60 लाख का व्यय करने के बाद में प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग के निर्देश के अनुसार कार्यपालन यंत्री ने योजना के जलग्रहण क्षेत्र का एक वर्गमील से कम होने के आधार पर इसे हटाने हेतु अनुरोध किया (फरवरी 2011)। अधीक्षण अभियंता ने कार्य को रोकने की अनुमति दी (अप्रैल 2011)। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व साध्यता सुस्थापित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 10.60 लाख का व्यय निष्फल रहा ।	प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि कम जलग्रहण क्षेत्र होने के कारण योजना का कार्य रोक दिया गया था एवं भूमि अधिग्रहण के ₹ 9.68 लाख का उपयोग किसी अन्य योजना में किया जाएगा । उत्तर कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं आयोजना की पुष्टि करता है ।
ज.सं. संभाग	सिलवा	अक्तूबर	निर्माण विभाग नियमावली की	हमने देखा कि सिलुआ तालाब परियोजना के	

संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम, सिं. क्ष. हे मे	कार्य प्रारम्भ का वर्ष एवं व्यय	प्रावधान	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी आगे टिप्पणी
हिरन जबलपुर	तालाब, 85 हे	2008/ ₹ 95.42 लाख	कंडिका 2.028 के अनुसार, प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी, रूपांकन की सुदृढ़ता एवं आरेखनों के संदर्भ में प्राक्कलनों में सम्मिलित करने हेतु समस्त आवश्यक मदों को शामिल करने हेतु उत्तरदायी होता है।	निर्माण में नहर का निर्माण सम्मिलित था । नहर कार्य के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जनवरी 2009 में यथा कार्यादेश जारी (अक्तूबर 2008) होने के बाद प्रकाशित की गई थी । नहर के लिए भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन था । इसबीच, कार्य के क्षेत्र में से नहर का कार्य विलोपित किया गया (अप्रैल 2010) एवं अपूर्ण कार्य के ठेके को अंतिम रूप दिया गया (दिसम्बर 2011) । इसके परिणामस्वरूप शीर्षकार्य पर ₹ 95.42 लाख का व्यय निष्फल रहा क्योंकि नहर कार्य कार्य पूर्ण नहीं हुआ था ।	फरवरी 2011 के दौरान आर.डी 0 मी से आर.डी.150 मी. के मध्य नहर का कार्य पूर्ण हुआ था। इसीबीच, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने परियोजना से नहर कार्य का विलोपित करने के लिए अनुदेशित किया । आदेश के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा नहर को 150 मी से परे निर्मित नहीं किया गया था । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि नहर का निर्माण नहीं किया जा रहा था क्योंकि योजना का क्षेत्र 100 हे से कम था । उत्तर, कार्य के क्षेत्र में प्रारंभ में नहर को सम्मिलित करने एवं बाद में इसे विलोपित के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है, जो अपर्याप्त आयोजना का सूचक है ।
ज.सं. संभाग कटनी	जुझारी कलैह्या, 200 हे	जनवरी 2009/ ₹ 2.48 करोड़	निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 7.003 के अनुसार, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, सर्वेक्षण प्राक्कलनों को तकनीकी	हमने देखा कि लघु सिंचाई योजना के, अप्रैल 2010 तक पूर्ण होने के लिए योजनाबद्ध शीर्ष कार्य, ठेकेदार द्वारा वेस्ट वियर की एप्रोच चैनल में चट्टान की खदान होने का आरोप लगाते हुए पूर्ण नहीं किया था । इसप्रकार 24 माह के व्यपगत हो	प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि सर्वेक्षण के समय एवं कार्य के प्रारंभ करते समय भी वेस्ट वियर में कोई खदान नहीं थी । कार्य वेस्ट वियर में खदान के कारण विलंबित

संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम, सिं. क्ष. हे मे	कार्य प्रारम्भ का वर्ष एवं व्यय	प्रावधान	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी आगे टिप्पणी
			स्वीकृति इसे प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान करना होगा एवं इसके बाद परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ होगा । सर्वेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व उपयुक्त स्थानों पर स्थाई बैंचमार्क स्थापित किए जाएंगे । उपयंत्री जो सर्वेक्षण एवं लेवल की परिशुद्धता के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे को सर्वेक्षण का कार्य सौंपा जाएगा । इसलिए सर्वेक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि कार्यान्वयन के दौरान जो गत्यावरोध एवं कठिनाईयाँ प्रकट हो सकती हों का पता लगाया जा सके ।	चुकने के पश्चात भी शीर्ष कार्य के निर्माण पर किया गया ₹ 2.48 करोड़ का व्यय निष्फल रहा ।	नहीं हुआ था । शीर्ष कार्य का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं मार्च 2013 तक नहर कार्य के पूर्ण के पश्चात सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । उत्तर यद्यपि शीर्ष कार्य की पूर्णता में विलंब के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है ।
कुल	**607.46 हे**	**₹ 5.89 करोड़**	**पाँच योजनाएँ**		

परिशिष्ट 2.16
(संदर्भ कंडिका 2.2.3.3, पृष्ठ 54)
भूमि के अभाव में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर निष्फल व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
1	ज.सं. संभाग सिवनी	पिपरताल तालाब, 480 हे	फरवरी 2008/ ₹ 2.58 करोड़	परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण सहित समस्त क्रियाकलापों को परिभाषित करते हुए एवं विशिष्टियों एवं गत अनुभव के आधार पर कार्य के विभिन्न अवयवों के लिए आवश्यक समय सूची को विचार में लेते हुए आयोजना बनाई जानी चाहिए । हमने देखा कि कार्य के स्पिल चैनल के लिए आवश्यक वन भूमि के अधिग्रहण के लिए विभाग ने योजना एवं समय सूची नहीं बनाई । योजना के स्पिल चैनल के लिए आवश्यक वन भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रकरण मार्च 2011 तक नहीं बनाया गया था । वन भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर थी । इसके परिणामस्वरूप कार्य जो अक्तूबर 2009 तक पूर्ण होने हेतु नियत था, अप्रैल 2012 तक पूर्ण नहीं किया जा सका था । इसप्रकार, कार्य के कार्यान्वयन से पहले वन भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण 2.58 करोड़ का व्यय निष्प्रयोज्य सिद्ध हुआ ।	स्पिल चैनल बाँध की प्रारंभिक दूरी में स्थित थी जो सागौन के वृक्षों से आच्छादित थी । जैसा कि वन भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन पर था, स्पिल चैनल को स्थल पर चिन्हित नहीं किया जा सका था । प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि निजी भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन था एवं वन भूमि के लिए कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल में प्रक्रियाधीन था । उत्तर तथ्य का सूचक था कि वन भूमि के समयबद्ध अधिग्रहण के लिए कोई निश्चित आयोजना तैयार नहीं की गई थी जिससे कार्य की पूर्णता में अवरोध हो रहा था ।
2	ज.सं. संभाग, हिरन जबलपुर	हरदुआ तालाब, 91 हे	फरवरी 2009 ₹ 67.19 लाख	कार्य के कार्यान्वयन के लिए आयोजना में उपयुक्त समय पर पर्याप्त निधियों की व्यवस्था के लिए आयोजना भी सम्मिलित होना चाहिए । नहर के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रकरण अक्तूबर 2010 यथा	नहर के भूमि अधिग्रहण प्रकरण में कोई निधी आवंटित नहीं की गई थी । आगे, प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि योजना का बाँध पूर्ण किया जा चुका है नहर का कार्य शासकीय

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
				कार्य के सौंपे जाने के बाद प्रस्तुत किया गया । इसप्रकार भूमि के अधिग्रहण में विलंब से कार्य के कार्यान्वयन में विलंब हुआ क्योंकि कार्य अगस्त 2009 में पूर्ण होना नियत था । इसप्रकार कार्य पर ₹ 67.19 लाख का व्यय अब तक निष्फल रहा ।	भूमि पर किया जा रहा था, इसलिए नहर कार्य भूमि अधिग्रहण से प्रभावित नहीं था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिए प्रकरण, शासन को विलंब से अक्तूबर 2010 में प्रस्तुत किया गया था ।
3	ज. सं. संभाग डिंडोरी	सरई तालाब 151.82 हे	फरवरी 2010 ₹ 25.58 लाख	नहर कार्य के लिए विभाग द्वारा निविदाएं नवम्बर 2009 में आमंत्रित की गईं थीं । कार्य फरवरी 2010 में सौंपा गया । इस समय तक, चूँकि किसानों को भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया था, भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी । बाद में, जनता के आंदोलन एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा के भुगतान में विलंब के कारण नहर कार्य के ठेके को बंद करना प्रस्तावित किया गया । अधीक्षण यंत्री ज.सं. परिक्षेत्र जबलपुर ने नहर कार्य के ठेके को रद्द करने के अनुमति प्रदान की (नवम्बर 2011)। इसप्रकार भुगतान करने में विलंब एवं किसानों के मुद्दों को न सुलझाने के कारण कार्य में विलंब हुआ । जनवरी 2012 तक सरई तालाब पर किया गया ₹ 25.58 लाख का व्यय भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण निष्फल रहा ।	तालाब के डूब में आने वाले किसानों के आंदोलन के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका । आगे प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि एजेंसी, स्थानीय जनता के आंदोलन के कारण कार्य प्रारंभ नहीं कर सकी । यह योजना ए.आई.बी.पी. से विलोपित करने हेतु प्रस्तावित की जा चुकी है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने बाद कार्य प्रारंभ करना चाहिए था ।
4	ज.सं. संभाग छिंदवाड़ा	भेड़ा तालाब 640 हे	जुलाई 2009 ₹ 4.48 करोड़	कार्य का निर्माण जुलाई 2009 में प्रारंभ किया गया था । अप्रैल 2011 तक 80.22 प्रतिशत कार्य का पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया था । आगे, स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल के लिए भूमि का अधिग्रहण न होने के आधार पर अप्रैल 2011 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई थी । भूमि की उपलब्धता न होने के कारण जब कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ था, ठेकेदार को ठेका रद्द करने हेतु	प्रमूख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि कार्य अक्तूबर 2010 तक पूर्ण करने हेतु सौंपा गया था, स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे की उपलब्धता नहीं होने के कारण समयवृद्धि प्रदान की गई थी एवं एप्रोच चैनल एवं स्पिल चैनल में निजी भूमि के अधिग्रहण

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
				अंतिम सूचना जारी की गई (दिसम्बर 2011)। इसके परिणामस्वरूप भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण ₹ 4.48 करोड़ का व्यय निष्प्रयोज्य हुआ ।	के लिए अवार्ड पारित हो चुका था । आगे यह बताया गया कि कार्य पूर्ण न होने के लिए ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही थी । उत्तर से, मुआवजे की उपलब्धता न होने के कारण स्पिल एवं एप्रोच चैनल के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलंब की पुष्टि होती है ।
5	ज.सं. संभाग नरसिंहपुर	आलोद, 231 हे	नवम्बर 2009, ₹ 1.56 करोड़	कार्य के लिए उपलब्ध आवंटन का उपयोग नहर कार्य के लिए भूमि अधिग्रहित करने हेतु मुआवजे के वितरण के लिए किया गया जबकि निविदाएं शीर्ष कार्य के लिए आमंत्रित की गईं थी । इसके परिणामस्वरूप शीर्ष कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण शीर्ष कार्य जनवरी 2011 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका था। शीर्ष कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव एल.ए.ओ. नरसिंहपुर को विलंब से अक्तूबर 2011 में भेजा गया था। इसीबीच, योजना की साध्यता को पुनः सुनिश्चित करने हेतु ठेके को रद्द किया जाना प्रस्तावित किया गया ।	यह उस अवधि में निधियों की अनुपलब्धता के कारण था । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि योजना को 231 हे से 500 हे हेतु पुनरीक्षित किया गया एवं नई ऐजेंसी निर्धारित की गई है । उत्तर, निधियों का उपयोग शीर्ष कार्य, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं थी हेतु न किए जाने के लिए कारण को स्पष्ट नहीं करता है ।
6	ज.सं. संभाग कटनी	घुन्नौर तालाब, 91 हे	जनवरी 2009 ₹ 7.24 लाख	बाँध की बाउन्ड्री एवं स्पिल चैनल का निर्माण कार्य वन भूमि से प्रभावित था जिसके लिए वन प्राधिकारियों से पत्राचार अभिलेखों में नहीं पाया गया था । निजी भूमि के भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे को निधियों के अभाव के कारण वितरित न किया जा सकना प्रतिवेदित किया गया था जबकि विभाग के लिए आवंटनों में से समग्र रूप से बचतें थीं। ठेके को बंद करने के लिए प्रस्ताव अप्रैल 2010 में भेजा गया । इसप्रकार भूमि के अधिग्रहण में विलंब के	मुख्य अभियंता वैनगंगा कछार ने बताया (सितम्बर 2012) कि प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग के अनुदेशों के अनुसार नया साध्यता प्रतिवेदन उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु भेजा गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि भूमि के अधिग्रहण के लिए निधियों का तालमेल नहीं किया गया था।

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
				कारण व्यय निष्फल हुआ ।	
7	ज.सं. संभाग कटनी	सल्हना तालाब, 83 हे	दिसम्बर 2008, ₹ 34.68 लाख	हमने देखा कि चूँकि विभाग द्वारा निधियों का तालमेल नहीं किया गया था, मुआवजे का भुगतान न होने से निजी भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण आंशिक कार्य ही कार्यान्वित किया जा सका । कार्य अब भी अपूर्ण था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.68 लाख का व्यय निष्प्रयोज्य हुआ ।	मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार ने बताया (सितम्बर 2012) कि एल.ए.ओ. से शीर्ष कार्य का 28.22 लाख का मांगपत्र प्राप्त हुआ था किन्तु निधि के अभाव में कार्य रोक दिया गया एवं ठेका समाप्त किया गया था । अब साध्यता प्रतिवेदन शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि के अधिग्रहण हेतु निधियों का तालमेल नहीं किया गया था ।
8	ज.सं. संभाग कटनी	बरही तालाब, 288 हे	मार्च 2009 ₹ 32.15 लाख	हमने देखा कि कथित योजना के लिए अधिग्रहण के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आयोजना नहीं बनाई । योजना के शीर्ष कार्य हेतु 57.77 हे के अधिग्रहण के लिए एल.ए.ओ. बहोरीबंद ने ₹ 103.86 लाख का एक मांगपत्र भेजा जिसके विरूद्ध विभाग उपलब्ध आवंटन के आधार पर ₹ 15.00 लाख की निधि प्रदान कर सका । भूमि का अधिग्रहण न होने एवं प्रस्तावित अवधि के भीतर कार्य के पूर्ण न होने के कारण ठेके को बंद करने का प्रस्ताव भेजा गया (मार्च 2011)। विभाग ने भूमि के अधिग्रहण के कार्य को रोकने का निर्णय लिया (अगस्त 2010) । एल.ए.ओ. को भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 9.00 लाख की निधि को अन्य खलहरा लघु सिंचाई योजना के भूमि अधिग्रहण के लिए स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 32.15 लाख का व्यय निष्फल रहा ।	प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि योजना का पुनः परीक्षण किया जा चुका है एवं भूमि के अधिग्रहण के लिए पूर्व में जमा की गई राशि का उपयोग अन्य योजनाओं किया जाएगा । भूमि अधिग्रहण का कार्य, कार्य के प्रारंभ से पहले पूर्ण किया जा रहा है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य भूमि का अधिग्रहण न होने, जिसके लिए निधियों का तालमेल नहीं किया गया, से प्रभावित था ।
9	ज.सं. संभाग	इमलई	मार्च 2006	कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण अप्रैल 1987 में प्रारंभ किया गया था,	कार्यपालन यंत्री ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
	हिरन जबलपुर	तालाब, 98 हे	₹ 1.38 करोड़	तालाब का शेष कार्य सौंपा गया । नहर कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण जुलाई 2009 तक लंबित था । कार्यपालन यंत्री हिरन ने एस.डी.ओ. (एल.ए. एवं राजस्व) से 8.954 हे एवं नहर के लिए 2.15 हे के लिए भूमि अधिग्रहण लेने के लिए अनुरोध किया (अक्तूबर 2010)। एस.डी.ओ. (राजस्व) ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि अवार्ड पारित हो चुका है एवं मुआवजे का भुगतान प्रगति पर था । ठेकेदार को सूचना तामील की गई (अगस्त 2011) एवं अंतिम माप मार्च 2012 तक नहीं लिए गए थे । मार्च 2012 तक ₹ 1.38 करोड़ का व्यय होना प्रतिवेदित किया गया था । इसप्रकार पॉच वर्ष से अधिक के व्यपगत होने के बाद भी भूमि के अधिग्रहण की धीमी प्रगति के कारण ₹ 1.38 करोड़ का व्यय निष्फल रहा ।	कि संभाग के भाग पर विलंब को कार्य के विलंब से नहीं जोड़ा जा सकता । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि परियोजना का मूल प्रशासनिक प्रतिवेदन जनवरी 1982 में राहत कार्य के अंतर्गत प्रदान किया गया था । विभाग ने दिसम्बर 2004 में 98.88 लाख स्वीकृत किए थे । नहर के लिए अवार्ड जुलाई 2009 में पारित हुआ था । 90 प्रतिशत बाँध कार्य एवं 50 प्रतिशत नहर कार्य पूर्ण है । कार्य को अक्तूबर 2012 तक पूर्ण करना लक्षित है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य आयोजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया था ।
10	ज.सं. संभाग हिरन जबलपुर	डूंगरगवाँ तालाब, 243 हे	मार्च 2010 ₹ 92.19 लाख	शीर्ष कार्य के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना सितम्बर 2010 में एवं धारा 6 के अंतर्गत फरवरी 2011 में प्रकाशित हुई थी । विभाग ने टी.एस. नवम्बर 2008 में प्रदान की थी । भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किए बिना कार्य को सौंपे जाने की कार्रवाई निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल थी । फरवरी 2012 तक कार्य पर ₹ 92.19 लाख का व्यय किया गया था एवं योजना के शीर्ष कार्य के लिए मुआवजे के आंशिक भुगतान के कारण शीर्ष कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 15 प्रतिशत ही प्राप्त की जा साकी । इसप्रकार, भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण ₹ 92.19 लाख का व्यय करने के पश्चात लघु सिंचाई योजना पूर्ण नहीं की जा सकी ।	प्रशासनिक अनुमोदन 2003 यू.एस.आर. के आधार पर प्रदान किया गया था जबकि टी.एस. 2007 यू.एस.आर. के आधार पर दी गई थी इसलिए परियोजना की लागत बढ़ी । परियोजना के निर्माण के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध, 30 मार्च 2010 को निधियों की प्रत्याशा में किया गया था । परियोजना के निर्माण में विलंब मुख्यतः 2010-11 से पहले निधियों के उपलब्ध न होने के कारण था। आगे प्रमुख अभियंता ने बताया कि पर्याप्त प्रावधानों के उपलब्ध न होने से एल.ए.ओ. को भुगतान विभिन्न तिथियों पर किए गए थे। अवार्ड मई 2011

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
					में पारित हुआ था। उत्तर यथार्थवादी नहीं था क्योंकि कार्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना प्रारंभ किए गए थे।
11	ज.सं. संभाग सिवनी	पथरिया, 185 हे	मई 2007 ₹ 2.19 करोड़	कार्य मई 2007 में सौंपा गया था। उपसंभागीय अधिकारी द्वारा डूब के क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के लिए 3.63 हे की पूरक भूमि के लिए प्रस्ताव विलम्ब से मई 2009 में प्रस्तुत किया । योजना पर 2.19 करोड़ का व्यय किया गया था एवं लघु सिंचाई योजना का नवम्बर 2008 में नियत पूर्णता के विरूद्ध वर्ष 2011 में पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया था । इसप्रकार कार्य से अपेक्षित लाभ 40 माह से विलंबित हुए थे ।	प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्तूबर 2012) कि बाँध एवं नहर के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए अवार्ड मई 2007 में पारित हुआ था । स्पिल चैनल के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के पूरक प्रकरण में विलंब हुआ था किन्तु कार्य पूर्ण किया जा चुका है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उचित आयोजना से स्पिल चैनल के लिए भूमि का अधिग्रहण सामयिक रूप से किया जा सकता था एवं सिंचाई सुविधा के प्रदान करने में विलंब को टाला जा सकता था ।
12	ज.सं. संभाग सिवनी	सालीवाड़ा तालाब, 151.82 हे	जुलाई 2008 ₹ 1.22 करोड़	कार्य आदेश जारी होने के दो वर्ष से अधिक के पश्चात स्पिल चैनल एवं मुख्य नहर के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जनवरी 2011 में जारी की गई थी । परिणामस्वरूप, भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य विलंबित हुआ एवं 1.22 करोड़ का व्यय निष्फल रहा ।	भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य विलंबित हुआ था एवं नहर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर थी । प्रमुख अभियंता ने आगे बताया (अक्तूबर 2012) कि बाँध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अवार्ड दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2012 के दौरान पारित हुआ था । कार्य के निर्माण में विलंब, कृषकों, जो उच्चतर दर पर मुआवजे की मांग कर रहे थे, को मुआवजे के भुगतान में विलंब के कारण हुआ था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण की

स. क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम आई.पी. हे में	कार्य प्रारंभ का वर्ष/ व्यय	अवलोकन	कार्यपालन यंत्री का उत्तर/ हमारी अगली टिप्पणियाँ
					प्रक्रिया कार्य को सौंपे जाने से पूर्व पूर्ण की जाना चाहिए थी ।
13	ज.सं. संभाग कटनी	पहरुआ तालाब, 324 हे	नवम्बर 2009 ₹ 88.79 लाख	विभाग ने एल.ए.ओ. को कार्य आदेश जारी होने के बाद निधियाँ विमुक्त की (मार्च 2010) जिसके कारण मुआवजे के भुगतान में विलंब से नहर का कार्य बाधित हुआ । फ्लश बार, एप्रोच चैनल एवं नहर के कार्य मई 2011 तक प्रारंभ नहीं किए जा सके थे । इसप्रकार भूमि के अधिग्रहण की विलंबित प्रक्रिया के कारण कार्य की प्रगति धीमी हुई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 88.79 लाख का व्यय निष्फल रहा ।	नहर का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण था एवं नहर का शेष कार्य कृषकों द्वारा बुआई के कारण नहीं किया जा सका । यद्यपि कार्य प्रगति पर था किन्तु धीमी दर पर था । मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार ने बताया (सितम्बर 2012) कि 80 प्रतिशत तालाब एवं 90 प्रतिशत नहर कार्य पूर्ण हो चुके हैं । उत्तर, एल.ए.ओ. को निधियों को विलम्ब से मुक्त करने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है ।
	कुल	**13 योजनाएँ, 3057.41 हे**	**₹ 16.89 करोड़**		

परिशिष्ट 2.17
(संदर्भ कंडिका 2.2.5.1, पृष्ठ 55)
प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	संभाग का नाम	ल. सिं. यो. का नाम	प्र.अ. की राशि	वास्तविक व्यय	प्र.अ. से अधिक	आधिक्य प्रतिशत में	स्थिति
1	ज.सं.सं. डिंडोरी	बंजरटोला	121.62	141.75	20.13	16.55	पूर्ण
2	ज.सं.सं. डिंडोरी	उदार	131.01	259.53	128.52	98.10	पूर्ण
3	ज.सं.सं. डिंडोरी	बिलाईखार	102.59	235.53	132.94	129.58	पूर्ण
4	ज.सं.सं. डिंडोरी	भगनवारा	140.90	296.00	155.10	110.08	पूर्ण
5	ज.सं.सं. डिंडोरी	करोंदा	130.56	197.83	67.27	51.52	पूर्ण
6	ज.सं.सं. डिंडोरी	दनदना	709.12	1640.25	931.13	131.31	अपूर्ण
7	ज.सं.सं. डिंडोरी	सिलघटी	137.40	225.51	88.11	64.13	पूर्ण
8	ज.सं.सं. डिंडोरी	खरगहना	115.72	254.13	138.41	119.61	पूर्ण
9	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	परमहंसी	119.46	164.87	45.41	38.01	पूर्ण
10	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	कुंदा	280.00	318.13	38.13	13.62	अपूर्ण
11	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	गुर्रा	219.55	244.48	24.93	11.36	पूर्ण
12	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	डुंगरिया (उसरी)	151.60	170.19	18.59	12.26	अपूर्ण
13	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	मेहगांव	193.23	259.90	66.67	34.50	पूर्ण
14	ज.सं.सं. कटनी	देवरी हट्टाई	222.07	273.01	50.94	22.94	अपूर्ण
15	ज.सं.सं. कटनी	चपना एल.आई.एस.	334.33	449.65	115.32	34.49	अपूर्ण
16	ज.सं.सं. कटनी	शांतिनगर	383.87	569.45	185.58	48.34	अपूर्ण
17	ज.सं.सं. कटनी	बंदरचुआ	152.41	189.64	37.23	24.43	अपूर्ण
18	ज.सं.सं. 1 सिवनी	गोरखपुर (अंजनिया)	58.79	215.95	157.16	267.32	पूर्ण
19	ज.सं.सं. 1 सिवनी	खामखेरली	275.46	311.25	35.79	12.99	पूर्ण
20	ज.सं.सं. 1 सिवनी	कंडीपार	141.54	200.02	58.48	41.32	पूर्ण
21	ज.सं.सं. 1 सिवनी	पथरिया	163.32	218.86	55.54	34.01	पूर्ण
22	ज.सं.सं. 1 सिवनी	सालीवाड़ा	151.82	198.54	46.72	30.77	अपूर्ण
23	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	पिटकुही	63.20	130.45	67.25	106.41	पूर्ण
24	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	मरहापाठा	55.45	104.80	49.35	89.00	पूर्ण
25	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	बंधी	49.96	163.79	113.83	227.84	पूर्ण
26	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	चिरई	127.52	233.14	105.62	82.83	पूर्ण
		कुल	**4732.50**	**7666.65**	**2934.15**		
					अधिकतम	**267.32**	
					न्यूनतम	**11.36**	

शाहगढ़ एल.आई.एस. पर ₹1.06 करोड़ का व्यय प्र.अ. से अधिक किया गया ।

परिशिष्ट 2.18
(संदर्भ कंडिका 2.2.5.2, पृष्ठ 57)
योजनाएँ, जिनमें ठेकेदारों से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र	संभाग का नाम	अनु. क्र.	योजना का नाम	निविदा मूल्य	ईएमडी ₹ में	पी.एस.डी.
1	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	05/08-09	बागला तालाब	323.23	308000	13.08
2	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	13/08-09	पिंडरई सराफ तालाब	259.23	248400	10.48
3	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	02/08-09	फुटेरा तालाब	104.81	102000	4.22
4	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	01/09-10	भेड़ा तालाब (शीर्ष कार्य)	539.08	526000	21.69
5	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	01/10-11	बिचवासनी तालाब	424.25	490000	16.31
6	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	02/10-11	खामीबदेला तालाब	454.53	519000	17.54
7	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	02/11-12	भेडा तालाब (नहर)	219.58	305000	7.93
8	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	01/07-08	स्वामी सागर तालाब	151.6	148000	6.10
9	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	11/08-09	डुंगरिया तालाब	132.53	130000	5.33
10	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	15/08-09	बम्हनी तालाब	148.58	147000	5.96
11	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	19/08-09	मेहगाँव तालाब	145.67	140000	5.88
12	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	03/09-10	डुंगरिया उसरी तालाब	183.08	158000	7.57
13	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	04/09-10	आलोद तालाब	223.96	193000	9.27
14	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	03/08-09	गडरिया तालाब	114.96	111000	4.64
15	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	10/08-09	गुर्रा तालाब	139.05	135000	5.60
16	ज.सं.सं. डिंडोरी	02/07-08	दनदना तालाब (शीर्ष कार्य)	498.79	381000	21.13
17	ज.सं.सं. डिंडोरी	07/09-10	भगनवारा तालाब	146.47	161300	5.71
18	ज.सं.सं. डिंडोरी	15/09-10	देवालपुर तालाब	82.93	118000	2.97
19	ज.सं.सं. डिंडोरी	01/10-11	खरगहना तालाब	143.5	188100	5.29
20	ज.सं.सं. डिंडोरी	14/09-10	केवलारी तालाब	117.21	162000	4.24

स.क्र	संभाग का नाम	अनु. क्र.	योजना का नाम	निविदा मूल्य	ईएमडी ₹ में	पी.एस.डी.
21	ज.सं.सं. डिंडोरी	04/08-09	उदार तालाब	144.82	158700	5.65
22	ज.सं.सं. डिंडोरी	06/09-10	सरई तालाब	122.52	136300	4.76
23	ज.सं.सं. डिंडोरी	13/09-10	बरगा तालाब	86.52	120000	3.13
24	ज.सं.सं. डिंडोरी	05/08-09	राछो तालाब	149.61	137000	6.11
25	ज.सं.सं. डिंडोरी	03/10-11	दनदना तालाब नहर	301.55	448000	10.60
26	ज.सं.सं. डिंडोरी	02/10-11	सिलघटी तालाब	154.03	195300	5.75
27	ज.सं.सं. डिंडोरी	03/08-09	बिलाईखार तालाब	120.04	116800	4.83
28	ज.सं.सं. कटनी	19/08-09	जामुनचुआ तालाब	172.16	174060	6.87
29	ज.सं.सं. कटनी	09/08-09	मगरेहटा तालाब	252.33	215130	10.47
30	ज.सं.सं. कटनी	06/08-09	भैंसवाही तालाब	88.38	84260	3.58
31	ज.सं.सं. कटनी	24/09-10	बरही तालाब	209.03	222610	8.23
32	ज.सं.सं. कटनी	17/08-09	सल्हना तालाब	85.45	82090	3.45
33	ज.सं.सं. कटनी	02/09-10	गुर्रा तालाब	86.43	79460	3.53
34	ज.सं.सं. कटनी	22/08-09	छाहर तालाब	89.66	87540	3.61
35	ज.सं.सं. कटनी	23/08-09	घुन्नौर तालाब	85.61	85940	3.42
36	ज.सं.सं. सिवनी	03/07-08	पथरिया तालाब	134.5	108000	5.65
37	ज.सं.सं. सिवनी	01/07-08	गोरखपुर तालाब	144.36	119200	6.03
38	ज.सं.सं. सिवनी	17/07-08	पिपरताल तालाब	430.66	419000	17.34
39	ज.सं.सं. सिवनी	16/07-08	बैगापिपरिया तालाब	130.87	127000	5.27
40	ज.सं.सं. सिवनी	05/08-09	सालीवाड़ा तालाब	169.56	181000	6.67
41	ज.सं.सं. सिवनी	06/08-09	कातोली तालाब	186.25	173000	7.58
42	ज.सं.सं. सिवनी	07/08-09	बोथिया तालाब	292.76	256000	12.08
43	ज.सं.सं. सिवनी	08/08-09	दलालनाला तालाब	294.33	257000	12.15
44	ज.सं.सं. सिवनी	04/06-07	खामखरेली तालाब	232.23	187000	9.74

स.क्र	संभाग का नाम	अनु. क्र.	योजना का नाम	निविदा मूल्य	ईएमडी ₹ में	पी.एस.डी.
45	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	03/08-09	सिलुआ तालाब	85.98	91500	3.38
46	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	04/08-09	मरहापाठा तालाब	71.64	72000	2.86
47	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	03/09-10	डुगरगँवा तालाब	214.5	237000	8.36
48	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	01/08-09	देहरीकलाँ तालाब	62.61	63000	2.50
49	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	12/08-09	पिपरिया तालाब	106.65	107000	4.26
50	ज.सं.सं. हिरन जबलपुर	09/08-09	हरदुआ तालाब	71.72	72000	2.87
	योग					**371.67**

परिशिष्ट 2.19
(संदर्भ कंडिका 2.2.5.3, पृष्ठ 58)
असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा की वसूली न होने के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	कार्य का नाम	कार्य की मदें	अतिरिक्त सुरक्षा जमा की राशि लाख ₹ में
1	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	13/2008-09	पिंडरई सराफ तालाब	14	13.79
2	ज.सं.सं. छिंदवाड़ा	14/2008-09	बगदरी तालाब	8	34.51
3	ज.सं.सं. डिंडोरी	02/2007-08	दनदनानाला तालाब	7	101.66
4	ज.सं.सं. कटनी	20/2009-10	पहरुआ तालाब	6	12.52
5	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	03/2009-10	डुंगरिया (उसरी) तालाब	8	19.06
6	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	10/2008-09	गुर्रा तालाब	10	14.74
7	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	11/2008-09	डुंगरिया तालाब	7	10.50
8	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	19/2008-09	मेहगाँव तालाब	6	17.49
9	ज.सं.सं. सिवनी	03/2007-08	पथरिया तालाब	5	11.81
10	ज.सं.सं. सिवनी	05/2006-07	कंडिपार तालाब	7	21.17
11	ज.सं.सं. सिवनी	05/2008-09	सालीवाड़ा तालाब	4	31.34
12	ज.सं.सं. सिवनी	16/2007-08	बैगापिपरिया तालाब	7	34.31
13	ज.सं.सं. सिवनी	17/2007-08	पिपरताल तालाब	6	63.95
	कुल			**95**	**386.84**

(यथा ₹ 3.87 करोड़)

परिशिष्ट 2.20
(संदर्भ कंडिका 2.2.6.3, पृष्ठ 71)
लघु सिंचाई योजनाओं की संरचनाओं के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए नमूने लेने के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	लघु सिंचाई योजना का नाम	अनुबंध क्र.	सी.सी. की मात्रा	सी.सी. का प्रकार	आवश्यक नमूने[1] (संख्या) ((5)-50)/50+4	किए गए टेस्ट (संख्या)	कम नमूने (संख्या)	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	मेहगाँव तालाब	19/2008-09	2302.75	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:4:8	49	14	35	4238714
2	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	डूंगरिया (गोटेगाँव) तालाब	11/2008-09	1192.662	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:4:8	26	15	11	1866983
3	ज.सं.सं. नरसिंहपुर	गुर्री तालाब	10/2008-09	1366.94	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:4:8	30	22	8	2133592
4	ज.सं.सं. कटनी	जुझारी तालाब	21/2008-09	247.79	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:2:4	8	0	8	617451
5	ज.सं.सं. कटनी	गुरेहा पिपरा तालाब	48/2007-08	90.79	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:2:4	5	0	5	181580
6	ज.सं.सं. कटनी	गुराहावंद एवं देवरी रेग्यूलेटर	05/2010-11	1028.528	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:2:4	24	0	24	4196061
7	ज.सं.सं. कटनी	जामुनचुआ तालाब	19/2008-09	289.985	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:2:4	9	0	9	679186
8	ज.सं.सं. कटनी	छाहर तालाब	22/2008-09	587.805	सी.सी. 1:3:6, सी.सी. 1:2:4	15	0	15	1355945
9	ज.सं.सं. कटनी	मगरेहटा तालाब	19/2009-10	345.594	सी.सी. 1:3:6	10	0	10	829426
		कुल		**8819.784**		**176**	**51**	**125**	**16098938**
		कटनी के लिए योग				**71**	**0**		**7859649**

[1] जब कांकरीट की मात्रा 51 घनमीटर के बराबर या अधिक हो तो चार नमूने धन प्रत्येक अतिरिक्त 50 घनमीटर के लिए एक अतिरिक्त नमूना

परिशिष्ट 2.21

संदर्भ कंडिका क्र. 2.3.4.2 (II)पृष्ठ क्रमांक 79)
मूल कार्य में देरी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा आमंत्रण दिनांक	निविदा स्वीकार करने का निर्धारित दिनांक (निविदा दिनांक से चार माह नियमावली के अनुसार)	न.घा.वि. प्रा. द्वारा स्वीकृत निविदा	निविदा स्वीकार करने में विलंब	कार्यादेश दिनांक कार्यपूर्ण करने का निर्धारित दिनांक	कार्यादेश जारी करने में विलंब
	नहर संभाग क्रमांक 1, करेली						
1.	एल.बी.सी. का 130.67 से 135.50 कि.मी., डुंगरिया(0 से 5 कि.मी.) और रेनुका वितरिका का निर्माण	13.4.06	12.08.06	7.3.07	07 माह	7.3.08 6.12.09	11 माह
2	साडूमार शाखा नहर 0 से 4.50 कि.मी., डुंगरिया वितरिका (5 से 23 कि.मी.)	7.10.05	06.02.06	19.7.06	05 माह	1.11.06 31.07.08	03 माह
3.	साडूमार शाखा नहर 4.50 से 9 कि.मी., अमोदा वितरिका (0 से 23 कि.मी.)	13.4.06	12.08.06	7.3.07	07 माह	7.3.08 6.12.09	11 माह
4.	साडूमार शाखा नहर 9 से 21 कि.मी.,	1.8.06	30.11.06	26.4.07	08 माह	10.3.08 9.12.09	10 माह

शेष कार्य प्रदान करने में विलंब

क्र.सं.	कार्य का नाम	मूल कार्य का निरस्तिकरण दिनांक	शेष कार्य के लिए जी शेडयूल भेजी गई	निविदा आमंत्रण सूचना भेजे जाने में विलंब	मुख्य अभियंता द्वारा न.घ.वि.प्रा. को निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदन हेतु भेजी गई	न.घ.वि.प्रा. द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदन का दिनांक	विलंब (माह में)	शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक	न.घ.वि.प्रा. द्वारा निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत	विलंब (माह में)	निरस्तिकरण दिनांक के पश्चात शेष कार्य के निविदा निराकरण में विलंब
नहर संभाग क्रमांक 1, करेली											
5.	एल.बी.एम.सी. का 130.67 कि.मी. से 135.50 कि.मी., डुंगरिया (0 से 5 कि.मी.) और रेणुका वितरिका का शेष कार्य	10.9.10	----	----	27.11.09	16.11.10	**12**	9.2.11	28.12.11	**07**	19 माह
6.	साडूमार शाखा नहर 0 से 4.50 कि.मी., डुंगरिया वितरिका 5 से 23 कि.मी. का शेष कार्य	29.7.09	----	----	27.11.09	31.7.10	**08**	19.4.11	25.9.12	**13**	38 माह
7.	साडूमार शाखा नहर 4.50 से 9 कि.मी., अमोदा वितरिका 0 रे 23 कि.मी. का शेष कार्य	26.11.09	----	----	27.11.09	31.7.10	**8**	2.8.11	14.09.12 अस्वीकृत	**09**	34 माह
8.	साडूमार शाखा नहर का 9 से 21कि.मी. का शेष कार्य	28.10.10	----	----	27.11.09	31.7.10	**8**	10.12.10	28.12.11	**08**	14 माह

नहर संभाग क्रमांक 1, जबलपुर											
9.	बेलखेड़ी वितरिका का उसकी वितरण प्रणाली सहित 0 से 34 कि.मी. तक का शेष कार्य	22.12.08	25.10.10	**22**	----	13.1.11	**निरंक**	13.4.11	23.02.12	**05**	38 माह
10.	पिपरिया उप वितरिका का शेष कार्य	22.12.08	25.10.10	**22**	----	13.1.11	**निरंक**	23.02.12	17.10.12	**04**	46 माह
डिसनेट संभाग, नरसिंहपुर											
11.	एल.बी.सी. के 126.19 से 130.67 कि.मी. तथा उसके वितरण नेटवर्क का शेष कार्य	26.03.10	16.12.10	**8**	24.10.11	31.3.12 तक अनुमोदित नहीं	**5**	निविदा आमंत्रित नहीं की गई	---	---	24 माह
नहर संभाग क्रमांक 1, गोटेगांव											
12.	एल.बी.सी. के 66 से 84 कि.मी. एवं उसके माइनरों सहित शेष कार्य	02.09.08	3.9.11	**36**	31.3.12 तक मु.अ. स्तर पर लंबित	----	----	निविदा आमंत्रित नहीं की गई	----	----	36 माह

परिशिष्ट 2.22

संदर्भ कंडिका क्र. 2.3.4.2 (III) पृष्ठ क्रमांक 80)

ठेकेदार द्वारा कार्य को अपूर्ण छोड़े जाने के कारण नहर प्रणाली को पूरा करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	रूपांकित आई.पी. (हे. में)	अनुबंधित राशि	कार्यादेश दिनांक/ नियत अवधि	निरस्तिकरण का दिनांक	किए गए कार्य की लागत	छोड़े गए कार्य की लागत	मार्च 2012 तक विलंब
1	एल.बी.एम.सी. का 130.67 से 135.50 कि.मी. , डुंगरिया वितरिका 0 से 5 कि.मी. और रेनुका वितरिका 0 से 14.35 कि.मी. का निर्माण	34223	1946.74	7.3.08 6.12.09	10.9.10	1170.54	776.20	2 वर्ष तीन माह
2	साडूमार शाखा नहर 0 से 4.50 कि.मी. और डुंगरिया वितरिका 5 से 23 कि.मी.		1745.86	1.11.06 31.7.08	29.7.09	1357.74	388.12	3.5 वर्ष
3	साडूमार शाखा नहर 4.50 से 9 कि.मी. और अमोदा वितरिका 0 से 23 कि.मी.		2344.03	7.3.08 6.12.09	26.11.09	1037.74	1306.29	2 वर्ष तीन माह
4	साडूमार शाखा नहर 9 से 21 कि.मी.		2211.98	10.3.08 9.12.09	28.10.10	384.45	1827.43	2 वर्ष तीन माह
5	बेलखेड़ी वितरिका 0 से 34 कि.मी.	5171	1472.95	17.4.03 16.1.05	22.12.08	1213.85	259.10	7 वर्ष
6	पिपरिया उप वितरिका 0 से 12.10 कि.मी. और बेलखेड़ी उप माइनर 0 से 15 कि.मी.	7941	1596.99	26.7.03 25.4.05	22.12.08	1090.89	506.10	7 वर्ष
7	एल.बी.सी. 126.19 से 130.67 कि.मी. वितरिका सहित	2986	1540.50	19.8.04 18.5.06	26.3.10	1292.26	248.24	5.5 वर्ष
8	नगना वितरिका	-	787.14	19.9.03 18.10.04	13.6.07	जून 2011 में कार्य पूर्ण		6.5 वर्ष
		50321	**13646.09**			**7547.47**	**5311.48**	

परिशिष्ट 2.23

संदर्भ कंडिका क्र. 2.3.4.2 (IV) पृष्ठ क्रमांक 80)
नहर कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	मुख्य/शाखा नहर का नाम	कार्य पूर्ण करने की अनुसूचित दिनांक	कार्य पूर्ण करने का वास्तविक दिनांक	विलंब की अवधि	कुल सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में)	विलंब का कारण
1	भदगवां शाखा और उसकी वितरिकायें (गुंदराई, मगरधा, वम्हनी, मछवारा) एवं इसके माइनर्स	3-12-2004	31.05.2008	3.5 वर्ष	18937	भूमि अधिग्रहण, बिजली लाइनों को हटानें और अधिक मात्राओं के कारण विलंब
2.	शाहपुरा वितरिका	09.06.04	30.06.10	6 वर्ष	3750	भूमि अधिग्रहण के कारण मूल कार्य बंद करना एवं शेष कार्य 30.06.10 को पूर्ण हुआ
3.	एल.बी.सी.तथा उसकी वितरण प्रणाली का 111 से 117.177 तक निर्माण	09.05.06	15.05.07	1 वर्ष	2273.075	भूमि अधिग्रहण और अधिक मात्राओं के कारण विलंब
4.	एल.बी.सी.तथा उसकी वितरण प्रणाली का 119.500 से 126.190 तक निर्माण	23.05.06	31.01.08	1.5 वर्ष	2206.15	भूमि अधिग्रहण, अधिक मात्राओं एवं कार्यकारी रूपांकन को जारी करने के कारण विलंब
5.	मुख्य नहर का निर्माण कि.मी. 117.175 से 119.500	13.12.08	15.03.09	04 माह	केवल मुख्य नहर	वनभूमि के अनापत्ति एवं अधिक मात्राओं के कारण विलंब
6.	सिवनी वितरिका एवं नेटवर्क	13.10.04	31.05.2006	1.5 वर्ष	3543.65	भूमि अधिग्रहण एवं संरचना रूपांकन सौंपने में विलंब
7.	कंदेली वितरिका एवं उसका नेटवर्क	03.12.04	31.03.2008	3.5 वर्ष	11614.08	भूमि अधिग्रहण, बिजली लाइनों को हटाने, और अधिक मात्राओं के कारण विलंब
8.	कि.मी. 97.00 से 111.00 कि.मी. में 14 कि.मी. लम्बाई में मिट्टी कार्य एवं 12 संरचनाओं का निर्माण	16.7.04	30.03.07	2 वर्ष 09 माह	केवल मुख्य नहर	भूमि सौंपने एवं बिजली लाइनों को हटाने में विलंब
9.	मुख्य नहर कि.मी. 126.19 से 130.67 तक एवं उसकी वितरण प्रणाली	18.05.06	31.3.08	2 वर्ष	2986.00	मार्च 2010 में कार्य निरस्त किया गया लेकिन भूमि अधिग्रहण, बिजली लाइनों को हटानें में विलंब के कारण 31.03.08 तक विलंब हुआ
10.	नगना उप वितरिकाओं की प्रणाली का शेष कार्य	13.05.10	10.06.11	1 वर्ष	---	कार्यस्थल उपलबध न होना
				कुल	**45309.925**	

परिशिष्ट 2.24

संदर्भ कंडिका क्र. 2.3.6.2 पृष्ठ क्रमांक 87)

बढ़े हुये माप के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

एल.बी.सी. कि.मी. 126.19 से कि.मी. 130.का निर्माण कार्य अनुबंध क्रमांक 1/04-05 (राशि ₹ में)

स.क्र.	मद संख्या	मद	इकाई	अनन्तिम देयक में मात्रा	अपूर्ण अन्तिम देयक में मात्रा	अतिरिक्त भुगतान की गई मात्रा	दर	अधिक भुगतान
1	1	मिटटी खुदाई	घ.मी	549728.09	407564.404	142163.68	19.00	2701109
2	7	चिपकने एवं न फूलने वाली सामग्री (सी.एन.एस.) का प्रदाय एवं रखना	घ.मी	112080.04	97002.668	15077.37	93.00	1402195
3	8	फिल्टर सामग्री का प्रदाय एवं रखना	घ.मी	4949.83	4835.198	114.63	270.00	30950
4	11	सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) एम. - 10 40 मि.मी गिट्टी	घ.मी	17051.80	16866.705	185.10	1685.00	311894
5	13	निम्न घनत्व वाले पोली इथिलिन (एल.डी.पी.ई.) फिल्म को प्रदाय करना एवं बिछाना	घ.मी	103806.33	95225.784	8580.55	10.00	85805
6	14	आर.सी.सी. एम - 15 , 20 मी. गिटटी	घ.मी	79.151	70.424	8.73	2105.00	18377
7	16	आर. सी.सी.एम-15 , 20 मि.मी गिटटी का प्रदाय करना एवं बिछाना	घ.मी	52.43	50.941	1.49	2310	3442
8	18	स्टील बार को प्रदाय करना एवं लगाना	मी.ट.	337.596	334.0424	3.55	25125	89194
9	20	पी.वी.सी. पाइप 150 मि.मी. व्यास को प्रदाय करना एवं लगाना	आर.एम.	7367.73	7066.865	300.87	165	49643
10	21	कान्ट्रक्शन ज्वाइंट को प्रदाय करना एवं लगाना	मी.	52210.15	51154.15	1056	14	14784
11	23	225 मिमी चौडे पी.वी.सी. वाटर ज्वाइंट को प्रदाय करना एवं लगाना	मी.	285.062	257.65	27.41	567	15541
12	26	100 मि.मी. व्यास के एसी पाइप को प्रदाय करना एवं लगाना	मी.	184.32	160.75	23.57	92	2168
13	32	मुरम को प्रदाय करना एवं बिछाना	घ.मी.	34669.680	32303.059	2366.62	89	210629
14	33(ए)	हयूम पाइप 600 मि.मी. को प्रदाय करना एवं लगाना	आर.एम.	547.500	434.5	113.00	900	101700
15	33(बी)	हयूम पाइप 1000 मि.मी. को प्रदाय करना एवं लगाना	आर.एम.	107.500	100	7.50	1155	8663
							कुल	**5046094**
		साडूमार शाखा नहर कि.मी. 0.0 से कि.मी. 4.5 का निर्माण						**अनुबंध क्रमांक 01/06-07**
1	7	सी.एन.एस. सामग्री को प्रदाय करना एवं रखना	घ.मी	197282.49	187776.26	9506.23	122	1159760
2	32	नींव भरना	घ.मी	2600.827	2106.228	494.599	28	13849
							कुल	**1173609**
							महायोग	**6219703**

परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ कंडिका क्र. 2.3.6.3 पृष्ठ क्रमांक 87)

निर्धारित अवधि के पश्चात मूल्यवृध्दि के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यादेश/ निर्धारित अवधि	भू अर्जन का माह	मूल्यवृध्दि का भुगतान किया गया	विलंब (माह में)	निर्धारित अवधि के पश्चात मूल्यवृध्दि का भुगतान (₹ लाख में)	विलंब के कारण
1	डिस्नेट संभाग नरसिहपुर	14/02-03	भदगवां शाखा नहर इसके माइनर/ सबमाइनर सहित	04.03.03 03.12.04	जून- 2006	31/05/08	39	372.15	भू अर्जन , विद्युत खंभों का स्थानांतरण्, अधिक मात्रा
2	डिस्नेट संभाग नरसिहपुर	03/04-05	एल.बी.सी. 126.19 से 130.67 इसके माइनर / सबमाइनर सहित	19.08.04 18.05.06	दिसम्बर - 2006	31/03/08	27	75.33	भू अर्जन , विद्युत खंभों का स्थानांतरण्, अधिक मात्रा
3	नहर संभाग क्रमांक 2 जबलपुर	13/02-03	शाहपुरा वितरिका इसकी माइनर/ सबमाइनर सहित	10.09.02 09.06.04	मार्च - 2005	30/06/05	30	33.27	भू अर्जन
								480.95	

परिशिष्ट 2.26

(संदर्भ कंडिका 2.3.6.4 पृष्ठ क्रमांक 88)

जोखिम एवं लागत शर्त को लागू नही करने के कारण शासन को अपरिहार्य हानि को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्र.	अनुबंध क्र.	कार्य का नाम	कार्यादेश दिनांक / निरस्तीकरण दिनांक	मूल ठेके की राशि	अपूर्ण कार्य के लिये भुगतान किया गया अंतिम देयक	शेष कार्य की राशि	शेष कार्य के कार्यान्वयन के लिये निविदागत राशि	अतिरिक्त मात्राओं के कारण बढ़ी हुई राशि	अतिरिक्त लागत/ शासन को हानि	निरस्तिकरण के समय उपलब्ध एस.डी./पी. एस.डी. की राशि	संभाग द्वारा राजसात की गयी एस.डी./पी. एस.डी. की राशि	एस.डी./पी.एस .डी. की असमायोजित राशि
1.	01/07-08	एल.बी.सी. 130.67 से 135.50 कि.मी., डूंगरिया वितरिका 0 से 5 कि.मी., रेणुका वितरिका 0 से 14.35 कि.मी. का निर्माण	7.3.08 / 10.9.10	1946.74	1170.53	776.21	1406.37	460.17	170.00	189.50	115.74	73.76
2.	01/06-07	साडूमार शाखा नहर 0 से 4.5 कि.मी. डूंगरिया वितरिका 5 से 23 कि.मी.	1.11.06 / 29.7.09	1745.86	1357.74	388.12	1233.44	-	845.32	162.78	निरंक	162.78
3.	02/07-08	साडूमार शाखा नहर 4.5 से 9 कि.मी., अमोदा वितरिका 0 से 23 कि.मी.	7.3.08 / 26.11.09	2344.03	1037.73	1306.3	2294.29	-	987.99	178.13	निरंक	178.13
4.	03/07-08	साडूमार शाखा नहर 9 से 21 कि.मी.	10.3.08 / 28.10.10	2211.88	384.44	1827.44	3529.98	-	1702.54	201.92	95.92	106.00
							कुल		**3705.85**	**732.33**	**211.66**	**520.67**

परिशिष्ट 2.27

(संदर्भ कंडिका 2.3.6.4 पृष्ठ 90)

1. असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा का प्रतिधारण न करने के कारण अधिक भुगतान दर्शाता पत्रक

अनुबंध क्र. 1/07-08 (निरस्त कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 1.96 प्रतिशत अधिक[1] राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	मिट्टी की खुदाई	422527.137	घ.मी.	30	19.46	19.84	10.16	4292876
2	2	मिट्टी कार्य	532476.757	घ.मी.	35	22.21	22.65	12.35	6576088
3	12	1:3:6 40 एम.एम. में सीटू लाईनिंग प्रदाय करना एवं लगाना	17113.498	घ.मी.	2200	1729.73	1763.63	436.37	7467817
4	17	1:3:6 40 एम.एम. नींव में प्रदाय करना एवं लगाना	7995.00	घ.मी.	2300	1208.79	1232.48	1067.52	8534822
5	21	स्टील बार प्रदाय करना एवं लगाना	114953.61	कि.ग्रा.	32	25.56	26.06	5.94	682824
6	31 (अ)	600 एम.एम. व्यास ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	60.00	र.मी.	1000	853.40	870.13	129.87	7792
7	33	रेत की परत प्रदाय करना एवं बिछाना	281.11	घ.मी.	80	59.67	60.84	19.16	5386
						ए	कुल		**27567605**

[1] ठेकेदार ने दरें मदवार उद्धृत की थी । कुल प्राक्कलित लागत की कुल उद्धृत मूल्य का समग्र प्रतिशत (अधिक या कम), अलग अलग मदों के वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अलग अलग मदों में एकरूपता हेतु लागू की गई थी ।

2. बेलखेड़ी वितरिका कि.मी. 0 से कि.मी. 34

अनुबंध क्र. 1/03-04 (निरस्त कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 5.897 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	सी.एन.एस. सामग्री प्रदाय करना एवं लगाना	278265.64	घ.मी.	200.00	126.25	133.69	66.31	18451795
2	17	पी.सी.सी. 1:5:8	154.683	घ.मी.	1300.00	847.4	897.00	403.00	62337
						बी	कुल		18514132

3. पिपरिया उप वितरिकाएं

अनुबंध क्र. 2/03-04 (निरस्त कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 8.212 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	सी.एन.एस. सामग्री प्रदाय करना एवं लगाना	172898.53	घ.मी.	180.00	113.74	123.08	56.92	9841384
2	7(बी)	आर.सी.सी. 1:2:4	163.661	घ.मी.	1800.00	1552.61	1680.00	120.00	19639
3	9	एल.डी.पी.ई. फिल्म प्रदाय करना एवं लगाना	325262.6	व.मी.	18.00	12.40	13.42	4.58	1489703
						सी	कुल		11350726

4. पाटन शाखा नहर, बेलखेड़ी एवं कुंवरपुर वितरिकाओं का प्रणाली सुधार कार्य

अनुबंध क्र. 4/09-10 (निरस्त कार्य)			समग्र निविदा प्रतिशत 4.679 प्रतिशत अधिक					राशि ₹ में	
स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1:3:6 40 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	179.172	घ.मी.	3200.00	2097.70	2195.85	1004.15	179916
2	3	1:3:6 20 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	217.144	घ.मी.	3200.00	2435.89	2549.87	650.13	141172
3	4	150 एम.एम. ह्यूम पाईप के लिए मजदूरी	1011.5	र.मी.	70	56.98	59.65	10.35	10469
4	6	मुरूम का संग्रहण एवं फैलाना	43814.92	घ.मी.	220.00	189.83	198.71	21.29	932820
						डी.	कुल		1264377

5. पी.एस.बी. नहर, खजुरी एवं मोहनतारा वितरिका एवं हसुआ वितरिका का प्रणाली सुधार कार्य

अनुबंध क्र. 3/09-10 (निरस्त कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 4.41 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1:3:6 40 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	688.874	घ.मी.	3500.00	2097.70	2190.20	1309.80	902287
2	3	1:3:6 20 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	899.799	घ.मी.	3500.00	2435.89	2543.31	956.69	860829
3	4	150 एम.एम. ह्यूम पाईप के लिए मजदूरी	3260	र.मी.	70	56.98	59.49	10.51	34263
4	6	मुरूम का संग्रहण एवं फैलाना	53194.74	घ.मी.	230.00	189.83	198.20	31.80	1691593
						ई	कुल		3488972

6. साडुमार शाखा नहर के आर.डी. 4.50 से 9.00 कि.मी. तक एवं अमोदा वितरिका आर.डी. 00 से 23.56 किमी. सी.सी. लाईनिंग एवं संरचनाओं का निर्माण

अनुबंध क्र. 2/07-08 (निरस्त कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 7.56 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	मिट्टी की खुदाई	462729.581	घ.मी.	26.50	18.59	20.00	6.50	3007742
2	2	मिट्टी कार्य	867139.125	घ.मी.	30.50	21.58	23.21	7.29	6321444
3	12	सी.सी. एम. -10 40 एम.एम. गिट्टी प्रदाय करना एवं लगाना	7188.787	घ.मी.	2000.00	1655.17	1780.30	219.70	1579377
4	17	1:3:6 40 एम.एम. गिट्टी प्रदाय करना एवं लगाना	8106.942	घ.मी.	2100.00	1199.63	1290.32	809.68	6564029
5	21	शीतल लोह कार्य प्रदाय करना एवं लगाना	61514.130	कि.ग्रा.	32.00	25.08	26.98	5.02	308801
6	29	आर.सी.सी. 1:2:4 20 एम.एम. गिट्टी प्रदाय करना एवं बिछाना	16.240	घ.मी.	2400.00	1779.28	1913.79	486.21	7896
							एफ	कुल	**17789289**

7. एल.बी.एम.सी 126.190 से 130.670 कि.मी.एवं इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण

अनुबंध क्र. 1/04-05 (निरस्त कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 0.99 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	डी.आर./एस.आर. में खुदाई	7696.92	घ.मी.	63	62.85	62.22	0.78	6004
2	4	मिट्टी कार्य	495932.8	घ.मी.	32	19.64	19.45	12.55	6223957
3	18	शीतल लोह कार्य प्रदाय करना एवं लगाना	334.0424	मि.टन	25125	25124.29	24875.55	249.45	83327
4	28	वर्टिकल फेसेज़ पेंट करना	8830.456	व.मी.	14	13.60	13.47	0.53	4680
5	33(ए)	600 एम.एम. ह्यूम पाई प्रदाय करना एवं लगाना	434.50	र.मी.	900	744.89	737.52	162.48	70598
6	33(बी)	150 एम.एम. ह्यूम पाई प्रदाय करना एवं लगाना	150.00	र.मी.	740	177.04	175.29	564.71	84707
						जी	कुल		6473273

8. शाहपुरा वितरिका 6.40 कि.मी. से 11.48 कि.मी. का शेष कार्य

अनुबंध क्र. 1/07-08 (पूर्ण कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 38.39 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	मिट्टी की खुदाई	37148.35	घ.मी.	35	17.7	24.50	10.50	390058
2	2	मिट्टी कार्य	10566	घ.मी.	40	20.9	28.92	11.08	117071
3	6	एल.डी.पी.ई. फिल्म के लिए मजदूरी	21699	व.मी.	8	2.3	3.18	4.82	104589
4	15	1:5:8 आर.सी.सी. प्रदाय करना एवं लगाना	44.362	घ.मी.	1950	953.26	1319.22	630.78	27983
5	16	पूर्वनिर्मित स्लेब	7817.70	घ.मी.	116	65.46	90.59	25.41	198648
6	17 (ए)	600 एम.एम. ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	44	र.मी.	1500	120.63	166.94	1333.06	58655
7	17(बी.)	900 एम.एम. ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	7.50	र.मी.	1600	204.98	283.67	1316.33	9872
8	17 (सी)	1200 एम.एम. ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	22	र.मी.	1600	321.25	444.58	1155.42	25419
9	22	द्वार का निर्माण	0.16	व.मी.	60000	38644.44	53480.04	6519.96	1043
						एच	कुल		933338

9. शाहपुरा वितरिका 22.00 कि.मी. से 24.20 कि.मी. का शेष कार्य

अनुबंध क्र. 2/07-08 (पूर्ण कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 38.83 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	मिट्टी की खुदाई	7412.66	घ.मी.	35	17.7	24.57	10.43	77314
2	2	मिट्टी कार्य	20471.57	घ.मी.	40	20.9	29.02	10.98	224778
3	5	एल.डी.पी.ई. फिल्म के लिए मजदूरी	14893.5	घ.मी.	9	2.3	3.19	5.81	86531
4	6(ए)	1:3:6 40 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	344.674	घ.मी.	2600	1126.4	1563.78	1036.22	357158
5	6(बी)	1:3:6 20 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	262.02	घ.मी.	2700	1788.04	2482.34	217.66	57031
6	15	पूर्वनिर्मित स्लेब	6851.833	घ.मी.	300	185.23	257.15	42.85	293601
7	16 (ए)	600 एम.एम. ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	55	र.मी.	1500	120.63	167.47	1332.53	73289
8	16(बी)	1000 एम.एम. ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	16.5	र.मी.	1600	204.98	284.57	1315.43	21705
9	16(सी)	1200 एम.एम. ह्यूम पाईप प्रदाय करना एवं लगाना	7.5	र.मी.	1700	321.25	445.99	1254.01	9405
						आई.	कुल		1200812

10. शाहपुरा वितरिका 11.48 कि.मी. से 22.00 कि.मी. का शेष कार्य

अनुबंध क्र. 3/07-08 (पूर्ण कार्य) समग्र निविदा प्रतिशत 38.79 प्रतिशत अधिक राशि ₹ में

स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	मिट्टी की खुदाई	42980.47	घ.मी.	32	17.7	24.57	7.43	319345
2	2	मिट्टी कार्य	9691	घ.मी.	35	20.9	29.01	5.99	58049
3	5	एल.डी.पी.ई. फिल्म के लिए मजदूरी	16378.44	व.मी.	11	2.3	3.19	7.81	127916
4	6(ए)	1:3:6 40 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	660.05	घ.मी.	1950	1126.4	1563.33	386.67	255222
5	12	1:5:8 प्रदाय करना एवं लगाना	46.577	घ.मी.	1875	953.26	1323.03	551.97	25709
6	13(ए)	पूर्वनिर्मित स्लेब	6558.4	घ.मी.	285	185.23	257.08	27.92	183111
7	14 (ए)	600 एम.एम. ह्यूम पाईप के लिए मजदूरी	230	र.मी.	1700	120.63	167.42	1532.58	352493
8	14(बी)	900 एम.एम. ह्यूम पाईप के लिए मजदूरी	5	र.मी.	1950	204.98	284.49	1665.51	8328
9	14(सी)	1000 एम.एम. ह्यूम पाईप के लिए मजदूरी	15	र.मी.	2150	321.25	445.86	1704.14	25562
10	17	द्वार का निर्माण	0.72	व.मी.	70000	38644.44	53634.62	16365.38	11783
						जे	कुल		1367518

11. शाहपुरा वितरिका कि.मी. 00 से कि.मी. 6.40 का शेष कार्य

अनुबंध क्र. 4/07-08 (पूर्ण कार्य)			समग्र निविदा प्रतिशत 4.07 प्रतिशत अधिक					राशि ₹ में	
स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	मिट्टी की खुदाई	28142.46	घ.मी.	29.80	23.00	23.94	5.86	164915
2	3	नरम चट्टान की खुदाई	2532.2	घ.मी.	550	112.13	116.69	433.31	1097228
3	8(ए)	1:3:6 40 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	584.36	घ.मी.	2500	2145.05	2232.35	267.65	156404
4	17	पूर्वनिर्मित स्लेब	1900.00	घ.मी.	115.30	98.58	102.59	12.71	24149
						के	कुल		1442696

12. नगना वितरिका

अनुबंध क्र. 1/09-10 (पूर्ण कार्य)			समग्र निविदा प्रतिशत 119.80 प्रतिशत अधिक					राशि ₹ में	
स. क्र.	मद क्र.	मद	कार्यान्वित मात्रा	ईकाई	भुगतान की गई दर	प्राक्कलित दर	प्राक्कलित दर + या - निविदा %	अंतर (6-8)	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	सी.एन.एस. सामग्री प्रदाय करना एवं लगाना	35321.915	घ.मी.	320.00	133.42	293.26	26.74	944508
2	8	1:3:6 20 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	1082	घ.मी.	2800.00	1168.13	2567.55	232.45	251511
3	9	1:3:6 40 एम.एम. प्रदाय करना एवं लगाना	5369.541	घ.मी.	2930.0	1152.31	2532.78	397.22	2132889
4	19	शीतल लोह कार्य प्रदाय करना एवं लगाना	10654.00	कि.ग्रा.	80.00	20.8	45.72	34.28	365219
						एल	कुल		3694127
								कुल योग (ए से एल)	95086865

अपूर्ण कार्य (ए से जी) ₹ **86448377**

पूर्ण कार्य (एच.से एल) ₹ **8638491**

कुल योग ₹ **95086865**

परिशिष्ट 2.28

(संदर्भ कंडिका 2.3.6.4 पृष्ठ क्रमांक 90)

विलंब हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होने के कारण हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

समूह	अनुबंध क्रमांक	ठेकेदार	अनुमानित लागत	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	निर्धारित अवधि /पूर्ण करने की दिनांक	निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण करने की लागत	निरस्तीकरण दिनांक	विलंब	विलंब हेतु शास्ति की वसूली न होने के कारण हानि (अनुमानित लागत का एक प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम आठ प्रतिशत)
1	01/07-08	मे. जी. वेंकटा रेड्डी हैदराबाद	1909	319/7.3.08	21 माह /6.12.09	1139.97 (59 प्रतिशत)	10/09/10	9 माह	152.72
2	1/06-07	एस.व्ही.ई.सी कन्सट्रक्शन हैदराबाद	1659	1686/1.11.06	21 माह /31.7.08	1250.66 (72 प्रतिशत)	29/07/09	12 माह	132.72
3	3/07-08	मे. जी.एस.सी. कन्सट्रक्शन कानपुर	2208	324/10.3.08	21 माह /9.12.09	284.34 (13 प्रतिशत)	28/10/10	11 माह	176.64
								कुल	**462.08**

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ कंडिका 3.6 एवं 3.7 पृष्ठ 100 एवं 102)

विज़न 2020 के अनुसार नर्मदा जल के परियोजित उपयोग के लिए परियोजनावार विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	परियोजना का नाम	बांधों की संख्या	क्षेत्र लाख हे में	जल का परियोजित उपयोग एम.सी.एम.में	पर्यावरण अनापत्ति की तिथि	परियोजना/ परियोजनाओं की स्थिति
(अ) पर्यावरण अनापत्ति वाली परियोजनाएं						
1	तवा	1	2.469	2386.72	परियोजनाएं ज.सं.वि. द्वारा पहले ही पूर्ण की गई	पूर्ण
2	बारना	1	0.548	559.82		पूर्ण
3	कोलार	1	0.451	435.9		पूर्ण
4	सुक्ता	1	0.166	170.57		पूर्ण
5	मटियारी	1	0.101	88.38		पूर्ण
6	आर.ए.बी.एल.एस.	1	1.57	1681	24-07-1990	चल रही
7	बरगी व्यपवर्तन परियोजना	0	2.45	2510.6	12-05-1993	चल रही
8	इंदिरा सागर परियोजना	1	1.23	1625.26	24-06-1987	चल रही
9	ओंकारेश्वर	1	1.47	1300	13-10-1993	चल रही
10	मान परियोजना	1	0.15	140.1	02-01-1984	पूर्ण
11	जोबट परियोजना	1	0.098	112.145	01-07-1986	पूर्ण
12	अपर बेदा	1	0.099	101.09	16-07-2007	चल रही
13	पुनासा एल.आई.एस.	0	0.35	130.2	16-07-2007	चल रही
14	लोअर गोई	1	0.137	136.65	17-01-2008	चल रही
15	अपर नर्मदा	1	0.185	178.93	10-09-2009	प्रक्रियाधीन
16	हालोन	1	0.130	134.000	04-01-2010	प्रक्रियाधीन
	उप योग (अ):			**11691.365 एम.सी.एम./ 9.48 एम.ए.एफ.**		
(ब) परियोजनाएं जिनमें पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रियाधीन है						
17	शेर, शक्कर एवं मछरेवा	3	0.648	486.600	सात परियोजनाओं की पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रियाधीन है	सर्वेक्षण अंतर्गत
18	दूधी	1	0.500	317.460		सर्वेक्षण अंतर्गत
19	मोरण्ड गंजाल	2	0.580	427.650		सर्वेक्षण अंतर्गत
20	अपर बुड़नेर	1	0.890	82.720		पुनरीक्षण के अधीन

स.क्र.	परियोजना का नाम	बांधों की संख्या	क्षेत्र लाख हे में	जल का परियोजित उपयोग एम.सी.एम.में	पर्यावरण अनापत्ति की तिथि	परियोजना/ परियोजनाओं की स्थिति
21	अटारिया	1	0.020	112.000		पुनरीक्षण के अधीन
22	विंकी	1	0.739	458.600		पुनरीक्षण के अधीन
23	राघोपुर, रोसरा एवं बसानिया	3	0.100	46.200		पुनरीक्षण के अधीन
	उप योग (ब)			**1931.230 एम.सी.एम/ 1.57 एम.ए.एफ**		
	वृहद परियोजनाओं के लिए योग	**26**		**13622.595 एम.सी.एम / 11.05 एम.ए.एफ**		
24	वृहद परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त जल उपयोग			119.000		
25	पहले ही पूर्ण किए एम.एम.आर.		2.000	500.000		
26	हंडिया से गुजरात तक एम.एम.आर.		2.900	1348.500		
27	अमरकंटक से हंडिया तक एम.एम.आर		7.100	3301.500		
28	पंपिंग		1.211	1769.195		
29	घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग			1850.220		
	उप योग			**8888.415 एम.सी.एम/ 7.21 एम.ए.एफ**		
	महायोग[1]			**22511.010 एम.सी.एम / 18.25 एम.ए.एफ.**		

1233.48 एम.सी.एम.= 1 एम.ए.एफ

[1] एन.व्ही.डी.ए. के विज़न 2012 दस्तावेज के अनुसार, नर्मदा एवं इसकी सहायक नदियों पर 26 बांधों वाली 23 परियोजनाएं (11.36 एम.ए.एफ के उपयोग के लिए) में, आठ बांधों के तीन कॉम्प्लेक्स (1. शेर, मछरेवा एवं शक्कर (एस.एम.एस.), 2. राघोपुर, रोसरा एवं बसानिया (आर.आर.बी.), 3. मोरण्ड एवं गंजाल) एवं दो बांध वाली चार परियोजनाएं (रानी अवंती बाई लोधी सागर (आर.ए.बी.एल.एस.) एवं बरगी व्यपवर्तन परियोजना के लिए बरगी बांध एवं आई.एस.पी. नहर एवं पुनासा एल.आई.एस. परियोजनाओं के लिए इंदिरा सागर परियोजना (आई.एस.पी.) बांध) सम्मिलित हैं ।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ कंडिका 3.7 पृष्ठ 101)

रिवर्स कैलेंडर 2007 के अनुसार नर्मदा बेसिन में निर्मित की जाने वाली वृहद परियोजनाओं का विवरण दर्शानेवाला पत्रक

स.क्र.	परियोजना का नाम	बांधों की संख्या	क्षेत्र लाख हे में	जल का परियोजित उपयोग एम.सी.एम.में	परियोजना/ परियोजनाओं की स्थिति
(अ) पूर्ण परियोजनाएं					
1	तवा	1	2.469	2386.72	ज.सं.वि. द्वारा पूर्ण
2	बारना	1	0.548	559.82	
3	कोलार	1	0.451	435.9	
4	सुक्ता	1	0.166	170.57	
5	मटियारी	1	0.101	88.38	
	उप योग		**3.735**	**3641.39 (2.952 एम.ए.एफ.)**	
(ब) निर्माणाधीन परियोजनाएं					
6	आर.ए.बी.एल.एस.	1	1.57	1008	चल रही
7	बरगी व्यपवर्तन परियोजना	0	2.45	1008.10	चल रही
8	इंदिरा सागर परियोजना	1	1.23	1674	चल रही
9	ओंकारेश्वर	1	1.47	1300	चल रही
10	मान परियोजना	1	0.15	140.1	पूर्ण
11	जोबट परियोजना	1	0.098	112	पूर्ण
12	अपर बेदा	1	0.099	90	चल रही
	उप योग		**7.067**	**6177.10 (5.007 एम.ए.एफ.)**	
(स) प्रस्तावित परियोजनाएं					
13	पुनासा एल.आई.एस.	0	0.35	105	चल रही
14	लोअर गोई	1	0.137	133	चल रही
15	अपर नर्मदा	1	0.185	178.93	प्रक्रियाधीन

स.क्र.	परियोजना का नाम	बांधों की संख्या	क्षेत्र लाख हे में	जल का परियोजित उपयोग एम.सी.एम.में	परियोजना/ परियोजनाओं की स्थिति
16	हालोन	1	0.130	134.00	प्रक्रियाधीन
17	शेर, शक्कर मछरेवा	3	0.648	567.960	सर्वेक्षण के अंतर्गत
18	दूधी	1	0.500	444.49	सर्वेक्षण के अंतर्गत
19	मोरण्ड गंजाल	2	0.580	465.48	सर्वेक्षण के अंतर्गत
20	अपर बुड़नेर	1	0.890	82.720	पुनरीक्षण के अंतर्गत
21	अटारिया	1	0.020	112.36	पुनरीक्षण के अंतर्गत
22	चिंकी	1	0.739	1969.90	पुनरीक्षण के अंतर्गत
23	राघोपुर, रोसरा एवं बसानिया	3		विद्युत परियोजना	पुनरीक्षण के अंतर्गत
	उप योग (स)			**4193.840 एम.सी.एम / 3.40 एम.ए.एफ.**	
	वृहद परियोजनाओं के लिए कुल			**14012.33 एम.सी.एम / 11.36 एम.ए.एफ.**	

1233.48 एम.सी.एम.= 1 एम.ए.एफ

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ कंडिका 3.7.3 पृष्ठ 104)
पर्यावरण अनापत्ति में विलंब को दर्शानेवाला विवरण पत्रक

स. क्र.	परियोजना का नाम	स्थल अनापत्ति (180 दिवस)			ई.आई.ए./ ई.एम.पी. प्रतिवेदन (540 दिवस)			जन सुनवाई (90 दिवस)			अंतिम मूल्यांकन (60 से 90 दिवस)			लिया गया समय वर्ष में (30 माह)
		प्रस्तुतीकरण	अनुमोदन	समय	प्रस्तुतीकरण	अनुमोदन	समय	प्रस्तुतीकरण	अनुमोदन	समय	प्रस्तुतीकरण	अनुमोदन	समय	
1.	आई.एस.पी.	परियोजनाए पुरानी होने के कारण सभी आवश्यक अनुमतियाँ 1993 से पूर्व ही प्राप्त कर ली गई थी ।										24-06-87		
2.	ओंकारेश्वर											13-10-93		
3.	मान											02-01-84		
4.	जोबट											01-07-86		
5.	आरएबीएलएस											24-07-90		
6.	बी.डी.पी.											12-05-93		
7.	पुनासा एल. आई.एस.	16-07-04	27-09-04	73	02-02-06	16-07-07	529	20-04-05	28-03-06	342	20-02-06	16-07-07	511	03
8.	लोअर गोई	24-10-02	30-12-03	432	13-11-06	17-01-08	430	19-04-06	11-09-06	145	13-11-06	17-01-08	430	06
9.	हालोन	29-10-01	18-11-03	750	28-08-09	04-01-10	129	12-02-09	24-08-09	193	28-08-09	04-01-10	129	09
10.	अपर नर्मदा	29-10-01	13-02-04	837	11-01-07	10-01-09	730	07-03-09	25-03-09	18	11-01-07	10-09-09	973	08

परिशिष्ट 3.4
(संदर्भ कंडिका 3.7.6 पृष्ठ 106)
ठेकों को स्वीकार किए जाने में विलंब को दर्शानेवाला विवरण पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	एन.आई.टी. की तिथि	ठेका स्वीकृत करने की तिथि	स्वीकार करने में लिया गया समय (दिवसों में)
1	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	एम.एम.आर.	160000 हे सिंचाई के लिए ओंकारेश्वर बांध से गुजरात सीमा तक मध्यम एवं लघु का सर्वे कार्य	ई.जी.आई.एस. एवं आर.एम.एस.ई. जे.वी.	13-10-2008	25-09-2009	347
2	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	एम.एम.आर.	130000 हे सिंचाई के लिए हल्दिया से ओंकारेश्वर बांध तक मध्यम एवं लघु का सर्वे कार्य	मे. सेकॉन प्रा.लि.	13-10-2008	25-09-2009	347
3	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की वितरिकाओं आर.डी. 380 से 7730, 8470 मी. से 12130 एवं 15900 मी. से 29000 मी. के मध्य की शेष दूरियों में लाईनिंग का निर्माण	में. आर.आर. अग्रवाल	24-04-2010	15-03-2011	325
4	एन.डी. नहर खरगोन	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 125 से 130.935 मिट्टी कार्य संरचना एवं लाईनिंग (पेवर के साथ) का निर्माण	मे. करन डेवलपर्स प्रा.लि.	25-02-2006	05-01-2007	314
5	एन.डी. 21 सनावद	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 64.50 से 67.04 का डब्ल्यू.बी.एम. एवं मिट्टी कार्य का शेष कार्य	बी.सी. बियानी	15-05-2008	27-01-2009	257
6	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना के डेक स्लेब, निम्न बहाव पुल के राईट साईड एबटमेंट का निर्मोण	में. आर.आर. अग्रवाल	06-04-2010	18-11-2010	226
7	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर की शेष दूरियों में लाईनिंग कार्य का निर्माण	मे. रवि कन्स्ट्रक्शन	24-04-2010	18-11-2010	208
8	एन.डी. 20 मंडलेश्वर	ओ.एस.पी.	ओ.एस.पी. की आर.डी. 9.775 से 146 के मध्य वितरण नेटवर्क के प्राक्कलन तैयार करने एवं कार्य सर्वे आयोजना रूपांकन	मे. एन.के. बिल्डकॉन	27-05-2008	12-12-2008	199
9	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना की आर.बी.एम.सी. की माईनर एवं वितरिकाओं के लाईनिंग कार्य एवं शेष मिट्टी कार्य का निर्माण	मे. एडवांटेज इक्विफंड प्रा.लि.	11-08-2010	24-02-2011	197
10	एन.डी. 12 राजपुर	लोवर गोई	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की बांध, नहरें एवं वितरण प्रणाली की टर्न-की आधार पर कन्सल्टेंसी	केड सिस्टम सर्विस प्राईवेट लि.	20-01-2009	27-07-2009	188

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भ कंडिका 3.7.6 पृष्ठ 106)
कार्य आदेश जारी करने में विलंब का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा स्वीकृत करने का दिनांक	कार्य आदेश का दिनांक	विलंब दिनों में
1	एन.डी. 19 भीकनगांव	कठोरा एल.आई.एस.	कठोरा एल.आई.एस. में रिटेनिंग वाल के लिए जेकवेल का निर्माण	मे. राकेश कुमार सांवला	22-05-2010	22-07-2011	426
2	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	आई.एस.पी.	पुनासा निर्गम नहर में ग्राउटिंग स्टोन पिचिंग का निर्माण दूरी 69.10 से 93.60 कि.मी.	मे. मनोज इंटरप्राइज़ेज	05-02-2011	26-12-2011	324
3	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	दूरी 3630 मी. से 10060 मीटर तक पनवा वितरिका के माईनर आर.एम. 1 की लंबाई में नहर लाईनिंग का निर्माण	मे. मोहनलाल पाटिदार	11-03-2009	12-11-2009	246
4	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	आई.एस.पी.	वितरिका नेटवर्क सहित पुनासा एल.आई.एस. का कार्यान्वयन	मे. सेकॉन प्रा.लि.	23-02-2008	06-08-2008	165
5	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान आर.बी.सी. के आर.डी. 60 से 13640 मी के बीच पी.सी.सी. लाईनिंग का निर्माण	मे. प्रतीक कन्स्ट्रक्शन	12-08-2008	01-01-2009	142
6	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	पनवा वितरिका के आर.एम. 6 माईनर के आर.डी. 5905 मी. के बीच पी.सी.सी. लाईनिंग का निर्माण	मे. मोहनलाल पाटिदार	14-08-2008	01-01-2009	140
7	एन.डी. 11 बड़वानी	आई.एस.पी.	आई.पी.एस. मुख्य नहर के लिए कन्सल्टेंसी कार्य आर.डी. कि.मी. 206 से 248.65	मे. सपन कन्सालटेंट	12-12-2008	30-04-2009	139
8	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना के निचले बहाव आर.सी.सी. डक्ट पुल का निर्माण	में. आर.आर. अग्रवाल	09-06-2008	15-10-2008	128
9	एन.डी. 11 बड़वानी	आई.एस.पी.	आई.एस.पी मुख्य नहर आर.डी. 206 से 243.895 के मुख्य नहर एवं नेटवर्क का निर्माण	मे. सोम दत्त एवं के.डी.एस. जे.वी.	21-02-2009	22-06-2009	121
10	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना की आर.बी.एम.सी. की लघु एवं वितरिकाओं के लाईनिंग एवं शेष मिट्टी कार्य का निर्माण	मे. एडवांटेज इक्विफंड प्रा.लि.	24-02-2011	11-05-2011	76
11	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना की मुख्य नहर की आर.बी.सी. आर.डी. 0 से 16.27 कि.मी. के मध्य शेष दूरियों में लाईनिंग कार्य का निर्माण	मे. जगदीश गुप्ता	29-06-2010	06-09-2010	69
12	एन.डी. 19	कठोरा एल.आई.एस.	पाईप बिछाने एवं आर.डी. 170 पर वितरण चेंबर के निर्माण	मे. राकेश कुमार	06-10-2008	12-12-2008	67

स. क.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा स्वीकृत करने का दिनांक	कार्य आदेश का दिनांक	विलंब दिनों में
	भीकनगांव		सहित आर.डी. 0 से 170 आर.बी.सी का निर्माण	सांवला			
13	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना के निचले बहाव पुल का निर्माण	मे. रवि कन्स्ट्रक्शन	02-02-2011	09-04-2011	66
14	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान आर.बी.सी. के माईनर एवं साब - माईनर के ए.पी.एम. टाईप पाईप आऊटलेट का निर्माण ।	मे. प्रतीक कन्स्ट्रक्शन	20-06-2008	21-08-2008	62
15	एन.डी. 19 भीकनगांव	कठोरा एल.आई.एस.	कठोरा एल.आई.एस. में डी.सी. 123 एवं 4 में आई टाईप क्वाटर एवं जेकवेल का निर्माण	मे. चोकदा एजेंसी	22-05-2010	22-07-2010	61
16	एन.डी. 14 ठीकरी	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 155 से 206 सहित वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए सलाहकारी सेवाएं	मे. घेरजी ईस्टर्न	16-05-2008	08-07-2008	53
17	एन.डी. 19 भीकनगांव	कठोरा एल.आई.एस.	कठोरा एल.आई.एस. पर डी.सी. - 4 के राईजिंग मेन जेकवेल के साथ बी.टी. सड़क का निर्माण	मे. राधाकिशन	05-06-2009	27-07-2009	52
18	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	गुडारिया वितरिका के आर.डी. 3350 मी. से सब माईनर ऑफटेक का निर्माण	मे. शेपहार्ड मैथ्यू	05-12-2011	25-01-2012	51
19	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 10 से 17 कि.मी. में ग्राऊटिंग रटोन पिचिंग एवं रैंप का निर्माण	मे. मनोज इंटरप्राईजेज़	14-11-2011	03-01-2012	50
20	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एल. -4 वितरिका की लाईनिंग का निर्माण	मे. एडवांटेज इक्विफंड प्रा.लि.	14-03-2011	26-04-2011	43
21	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एल. -5 वितरिका की लाईनिंग का निर्माण	मे. एडवांटेज इक्विफंड प्रा.लि.	14-03-2011	26-04-2011	43
22	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एल. -6 एवं 7 वितरिका की लाईनिंग का निर्माण	मे. एडवांटेज इक्विफंड प्रा.लि.	14-03-2011	26-04-2011	43
23	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर के आर.डी. 0 कि.मी. से 17 कि.मी. डामर की सड़क का निर्माण	मे. बलवंत सिंह अटाएर	05-12-2011	16-01-2012	42
24	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट मुख्य नहर आर.डी. 0 कि.मी. से 18 कि.मी. के मध्य लाईनिंग मा मरम्मत कार्य	में. आर.आर. अग्रवाल	08-08-2008	19-09-2008	42
25	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट मुख्य नहर के आर.डी. 13.300 कि.मी. एवं 25.600 कि.मी. पर इस्केप कम क्रास रेगुलेटर	में. आर.आर. अग्रवाल	08-08-2008	19-09-2008	42
26	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर के आर.डी. 2220 पर स्टील गेट	मे. शेपहार्ड मैथ्यू	28-07-2009	07-09-2009	41

स. क.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा स्वीकृत करने का दिनांक	कार्य आदेश का दिनांक	विलंब दिनों में
			एवं हाईस्टंग को छोड़कर क्रास रेगुलेटर का निर्माण				
27	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	बीजापुर वितरिका के बांए तट में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण	मे. शेपहार्ड मैथ्यू	01-08-2009	10-09-2009	40
28	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 4.36 कि.मी. में ग्राऊटिंग स्टोन पिचिंग एवं रैंप का निर्माण	मे. मनोज इंटरप्राईजेज़	24-11-2011	03-01-2012	40
29	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 4.36 कि.मी. से 10 कि.मी. में ग्राऊटिंग स्टोन पिचिंग एवं रैंप का निर्माण	मे. मनोज इंटरप्राईजेज़	24-11-2011	03-01-2012	40
30	एन.डी. 32 बड़वाहा	ओ.एस.पी.	रीी.डब्ल्यू.रीी. नहर (भोगावन) के आर.डी. 8875 मीटर पर नए आर.सी.सी. पुन का निर्माण	मे. बलवंत सिंह अटाएर	11-04-2011	19-05-2011	38
31	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	बाई तट नहर के 0 से 10.92 कि.मी. के मध्य शेष दूरियों में लाईनिंग कार्य का निर्माण	में रवि कन्स्ट्रक्शन	29-06-2010	06-08-2010	38
32	एन.डी.09 भीकनगांव	अपर बेदा बांध	अपर बेदा परियोजना में मेसनरी बॉल का निर्माण	मे. धर्मेन्द्र सिंह तोमर	18-01-2012	24-02-2012	37
33	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की वितरिका आर.डी. 380 से 7730, 8470 मी. से 12130 एवं 15900 मी. से 29000 मी. की शेष दूरियों में लाईनिंक का निर्माण	में. आर.आर. अग्रवाल	15-03-2011	21-04-2011	37
34	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना के छोटी खलटाली पर अप स्ट्रीम पुन का निर्माण	में रवि कन्स्ट्रक्शन	03-04-2012	09-05-2012	36
35	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आइ.एस.पी. मुख्य नहर एवं बेरीपुरा वितरिका के आर.डी. 15.225 कि.मी. पर हेड रेगुलेटर का निर्माण	मे. नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन	03-10-2009	07-11-2009	35
36	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	आई.एस.पी.	ओ.एस.पी. मुख्य नहर के सी.डब्ल्यू.सी का सर्वे कार्य, रूपांकन एवं निर्माण कार्य एवं सिंचाई संयोजकता डी.पी.आर.	मे. टेलकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर	16-05-2008	20-06-2008	35
37	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एम. -2 माईनर एवं एल. -8 वितरिका के लाईनिंग का निर्माण	मे. मोहनलाल पाटिदार	08-03-2011	11-04-2011	34
38	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एल. -9 एवं 10 वितरिका की लाईनिंग का निर्माण	मे. मोहनलाल पाटिदार	08-03-2011	11-04-2011	34

स. क.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा स्वीकृत करने का दिनांक	कार्य आदेश का दिनांक	विलंब दिनों में
39	नहर खरगोन	आई.एस.पी.	वितरिका प्रणाली सहित आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 130.935 से 155 का निर्माण	गायत्रि-बी.सी. बियानी जे.वी.	23-02-2008	27-03-2008	33
40	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	एम.एम.आर.	160000 हे. सिंचाई के लिए ओंकारेश्वर बांध से गुजरात सीमा तक मध्यम एवं लघु का सर्वे कार्य	ई.जी.आई.एस. एवं आर.एम.एस.ई. जे.वी.	25-09-2009	28-10-2009	33
41	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	एम.एम.आर.	130000 हे. सिंचाई के लिए हंडिया से ओंकारेश्वर बांध तक मध्यम एवं लघु का सर्वे कार्य	मे. सेकॉन प्रा.लि.	25-09-2009	28-10-2009	33
42	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	मान आर.बी.सी. की पनवा वितरिका के आर.डी. 5905 मी. से 12000 मी. के मध्य पी.सी.सी. लाईनिंग का निर्माण	मे. मोहनलाल पाटिदार	20-06-2008	22-07-2008	32
43	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	गुडारिया विरिका के बाए तट में डब्ल्यू.बी.एम. राड़क का निर्माण	मे. ठाकुर गोविंद सिंह तोमर	22-07-2011	22-08-2011	31
44	एन.डी.09 भीकनगांव	अपर बेदा बांध	अपर बेदा परियोजना के आर.डी. 895 पर रलूरा का निर्माण	मे. तीरथदास शुक्तराई	13-01-2008	13-02-2008	31
45	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना की टोनकी वितरिका के एल.एम. 1 के साथ नहर लाईनिंग का निर्माण	मे. रवि कन्स्ट्रक्शन	03-11-2009	04-12-2009	31
46	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एल.बी.एम.सी की एल. -8 वितरिका के एम.1,3,4,5,6 एवं 7 एवं माईनर की लाईनिंग कार्य का निर्माण ।	मे. नारायण दास फूलचंद मिश्रा	23-04-2011	23-05-2011	30
47	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना की एल.बी.एम.सी की एल. -1,2,3 वितरिका एवं माईनर की लाईनिंग कार्य का निर्माण !	मे. नारायण दास फूलचंद मिश्रा	23-04-2011	23-05-2011	30
48	एन.डी. 20 मण्डलेश्वर	ओ.एस.पी.	ओ.एस.पी. के एल.आई.एस. फेज़ 4 एवं आर.बी.एल. आर.डी. 0 से 51.281 के निर्माण के लिए कन्सल्टेंसि ।	मे. सेकॉन प्रा.लि.	17-10-2011	16-11-2011	30
49	एन.डी. 20 मण्डलेश्वर	ओ.एस.पी.	ओ.एस.पी. के एल.आई.एस. फेज़ 4 एवं आर.बी.एल. आर.डी. 51.281 से 125 के निर्माण के लिए कन्साल्टेंसि ।	मे. सेकॉन प्रा.लि.	17-10-2011	16-11-2011	30
50	एन.डी. 32 बड़वाहा	ओ.एस.पी.	एल.बी.सी. मुख्य नहर वितरिका का निर्माण आर.डी. 9.75 कि.मी. से 68.92 कि.मी. एवं वितरिका प्रणालि का निर्माण ।	मे. सोमदत्त एवं के.टी.एस. जे.वी.	27-02-2008	27-03-2008	29

स. क.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा स्वीकृत करने का दिनांक	कार्य आदेश का दिनांक	विलंब दिनों में
51	नहर खरगोन	आई.एस.पी.	आर.डी. 130.935 कि.मी. से आर.डी. 155 कि.मी. आई.एस.पी. मुख्य नहर के निर्माण के लिए कन्सल्टेंसी	मे. सनग्रेस	19-02-2008	17-03-2008	27
52	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	मान परियोजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर की शेष दूरियों में लाईनिंग कार्य का निर्माण ।	मे. रवी कन्स्ट्रक्शन	18-11-2010	15-12-2010	27
53	एन.डी. 20 मण्डलेश्वर	ओ.एस.पी.	ओ.एस.पी. की आर.डी. 9.775 से 146 के माध्य वितरण नेटवर्क का सर्वे, आयोजना, रूपांकन एवं प्राक्कलन तैयार करने का कार्य	मे. एन.के. बिल्डकॉन	12-12-2008	07-01-2009	26
54	एन.डी. 16 कुक्षी	मान	पनवा वितरिका की एल.एम. 6 माईनर के साथ नहर लाईनिंग का निर्माण ।	मे. बुंदेला कन्स्ट्रक्शन	22-06-2009	17-07-2009	25
55	एन.डी.09 भीकनगांव	अपर बेदा बांध	अपर बेदा परियोजना की निचले बहाव पर सबमर्सिबल बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज का निमाण ।	मे. राकेश कुमार सावला	26-12-2008	19-01-2009	24
56	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	आर.डी. 12130, 12370, 18258,21600, 22815 एम पर वी.आर.बी. आर.डी. 18 से 27 के मध्य कुल 14 संरचनाओं का मरम्मत कार्य स्टील एक्वाडक्ट इत्यादि की मरम्मत इन्लेट संरचना का निर्माण ।	मे. गिरिराज अर्थ मूवर्स	20-06-2008	14-07-2008	24
57	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट मुख्य नहर के इन्लेट आऊटलेट हेड रेगुलेटर का निर्माण, वी.आर.बी. सी.डी. संरचनाओं की मरम्मत एवं गेट लगाना	मे. गिरिराज अर्थ मूवर्स	20-06-2008	14-07-2008	24
58	एन.डी. 21 सनावद	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर के डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ एवं मिट्टी कार्य का शेष कार्य आर.डी. 64.50 कि.मी. से आर.डी. 67.04	बी.सी. बियानी	27-01-2009	19-02-2009	23
59	एन.डी. 28 पुनासा	आई.एस.पी.	आर.डी. 15.720 पर एस्केप का निर्माण	मे. शेपहार्ड मैथ्यू	16-07-2009	04-08-2009	19
60	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	आई.एस.पी.	चंदेल गांव पर फिश फार्म एवं अंडज उत्पत्ति शाला का निर्माण	मे. जितेन्द्र सिंह	20-04-2011	09-05-2011	19
61	एन.डी. 19 भीकनगांव	अपर बेदा नहर	अपर बेदा परियोजना के लिए कन्सलटेंसी	मे. जिओ इन्फोमेटक	26-06-2009	14-07-2009	18
62	एन.डी. 25 नर्मदा	आई.एस.पी.	चंदेल गांव पर फिश फार्म एवं अंडज उत्पत्ति शाला का	मे. पियूष शर्मा	29-09-2011	17-10-2011	18

स. क.	संभाग का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	निविदा स्वीकृत करने का दिनांक	कार्य आदेश का दिनांक	विलंब दिनों में
	नगर		निर्माण				
63	एन.डी. 21 सनावद	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर का डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ एवं मुख्य नहर आर.डी. 42.05 से 51.506 का शेष कार्य ।	मे. रतन एसोसिएट्स, पूना	06-05-2009	23-05-2009	17
64	एन.डी. 12 राजपुर	लोवर गोई	भीमा नायक सागर परियोजना के बांध, नहरों एवं वितरिका प्रणाली का टार्न-की आधार पर निर्माण ।	मे. आई.वी.आर.सी.एल. एवं एम.बी.एल. सांयुक्त कार्य	21-01-2009	07-02-2009	17
65	एन.डी. 16 कुक्षी	जोबट नहर	जोबट परियोजना के डेक स्लेब, डाऊन स्ट्रीम ब्रिज के राईट साईड एबटमेंट का निर्माण ।	मे. आर.आर. अग्रवाल	18-11-2010	03-12-2010	15
66	एन.डी. 24 खरगोन	आई.एस.पी.	आई.एस.पी. मुख्य नहर में 8 हेड रेगुलेटर आर.डी. 89.710 से 125 एवं आर.डी. 80 से 125 के मध्य वितरिका प्रणाली का निर्माण ।	मे. गुडविल एड. कन्स्ट्र.	28-08-2008	08-09-2008	11
67	एन.डी. 19 खरगोन	आई.एस.पी.	खरगोन एल.आई.एस. का निर्माण	एम.आई.एल. - के.बी.एल जे.वी.	17-03-2011	28-03-2011	11

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ कंडिका 3.7.7 (I) एवं (III)पृष्ठ 107)

बांधों एवं नहरों के निर्माण में विलंबों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	परियोजना का नाम	प्र.स्वी. की राशि करोड़ ₹ में	परियोजना की पुनरीक्षित लागत करोड़ ₹ में	लागत आधिक्य करोड़ ₹ में	परियोजित जल का उपयोग एम.सी.एम. में	बांध आरंभ करने का वर्ष	बांध की पूर्णता का वर्ष	नहर आरंभ करने का वर्ष	नहर पूर्णता का वर्ष	बांध हेतु लगे वर्ष	नहर हेतु लगे वर्ष	विलंब के लिए कारण
1	तवा	परियोजनाएं जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्ण की गई थी			2386.72	1956	1978	1956	1998	22	42	परियोजनाएं जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्ण की गई थी
2	बारना				559.82	1968	1975	1968	1997	07	29	
3	कोलार				435.9	1983	1988	1984	1990	05	06	
4	सुकता				170.57	1973	1985	1973	1985	12	12	
5	मटियारी				88.38	1978	1986	1973	1985	13	12	
6	आर.ए.बी.एल. एस.	566.34	2260.40	1693.06	1681	1971[2]	1988	1992	चल रही	17	चल रही	सूक्ष्म वितरण नेटवर्क प्रगतिरत था (जनवरी 2013)
7	बी.डी.पी.	1101.23	5127.22	4025.99	2510.6	लागू नहीं	लागू नहीं	1990	चल रही	-	चल रही	ठेकेदारों द्वारा कार्यों को अधूरा छोड़ना एवं धीमी प्रगति
8	आई.एस.पी.	2166.67	3182.77	1016.01	1625.26	1984[3]	2006	1992	चल रही	22	चल रही	अपर्याप्त बिड क्षमता के ठेके दारों को नियुक्त करना जो शुरूआति दूरियों में ही कार्य अधुरे छोड़ गए
9	ओंकारेश्वर	788.08	2504.80	1716.72	1300	2003	2007	2006	चल रही	04	चल रही	अपर्याप्त बिड क्षमता के ठेके दारों को नियुक्त करना जो शुरूआति दूरियों में ही कार्य अधुरे छोड़ गए
10	मान	35.94	246.03	210.09	140.1	1983	2006	1983	2006	23	22	अब तक पूर्ण

[2] आर.ए.बी.एल.एस जून 1992 में जल संसाधन विभाग से स्थानांतरित हुआ

[3] बांध कार्य 2000 में एन.एच.डी.सी. को स्थानांतरित हुआ

	परियोजना											
11	जोबट परियोजना	26.91	230.61	203.07	112.145	1987	2007	1987	2007	20	20	अब तक पूर्ण
12	अपर बेदा	87.86	224.41	136.55	101.09	2003	2010	2008	चल रही	07	चल रही	सूक्ष्म वितरण नेटवर्क अभी भी प्रगतिरत है
13	पुनासा एल.आई.एस.	185.04	488.06	303.02	130.2	लागू नहीं	नहर से लिफ्ट	2008	चल रही 09/2012	-	चल रही	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति
14	लोवर गाई	137.44 (अनुमानित लागत)	360.37	222.93	136.65	2009	चल रही	2009	चल रही	चल रही	चल रही	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति
	कुल	**5095.51**	**14624.67**	**9527.44**	**11378.435**							

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ कंडिका 3.7.7 (III) पृष्ठ 111)

एन.वी.डी.ए. में टर्न-की ठेकों का परियोजनावार विवरण

(₹ लाख में)

	निर्माण		कन्सल्टेंसी		सर्वे		कुल	
परियोजना का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत लाख में	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत लाख में	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत लाख में	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत लाख में
अटारिया		0.00			1	3.40	1	3.40
बी.डी.पी.	7	1647.12	4	17.56		0.00	11	1664.68
आई.एस.पी.	5	1518.27	3	14.82	1	8.56	9	1541.64
लोवर गोई	1	332.55	1	3.70		0.00	2	336.25
एम.एम.आर.		0.00		0.00	2	72.72	2	72.72
ओ.एस.पी.	4	1372.43	3	9.10		0.00	7	1381.53
पुनासा एल.आई.एस.	1	418.50		0.00		0.00	1	418.50
एस.एम.एस.		0.00		0.00	1	5.96	1	5.96
अपर बेदा (नहरें)	1	45.46	1	0.50		0.00	2	45.96
अपर बुरनेर		0.00		0.00	1	2.20	1	2.20
कुल	**19**	**5334.32**	**12**	**45.67**	**6**	**92.84**	**37**	**5472.84**

परिशिष्ट 3.8
(संदर्भ कंडिका 3.7.7 (III) पृष्ठ 111)
चल रहे टर्न-की ठेकों में विलंब का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	परियोजना	कार्य का विवरण	फर्म का नाम	अनुबंध क्र.	कार्य के आरंभ का दिनांक	पूर्णता की निर्धारित दिनांक	ठेके की संभावित राशि लाख में	कुल भुगतान	समय अवधि माह में	लिया गया समय माह में	कारण	आरंभ का वर्ष	विलंब माह में
1	आर.बी.सी. 1 कटनी	वी.डी.पी.	लाईनिंग एवं सुरंग सहित आर.बी.सी. नहर का निर्माण आर.डी. 129 से 154 कि.मी.	मे. जे.टी.ई.जी.सी. ए.पी.आर.एल. संयुक्त कार्य	02/2007-08	31-03-2008	31-12-2012	13876	9080	30	50		2007-2008	20
2	एन.डी. 19 भीकनगांव	अपर बेदा नहर	अपर बेदा की मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का निर्माण आर.डी. कि.मी. 0.00 से 30.427	मे. बियानी प्रा.लि.	01/2008-09	29-02-2008	28-08-2010	4545.54	3559.41	30	50	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति	2007-2008	20
3	एन.डी. 32 बड़वाहा	ओ.एस.पी.	एल.बी.सी. मुख्य नहर वितरिका आर.डी. 9.75 कि.मी. से 68.92 एवं वितरण प्रणाली का निर्माण	मे. सोम दत्त एवं के.डी.एस. जे.वी.	16/2007-08	27-03-2008	26.02.2010	19300	9830.32	30	49	ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त संसाधन परिनियोजित करना	2007-2008	19
4	आर.बी.सी. 1 कटनी	वी.डी.पी.	टनल कट एवं कवर सहित आर.बी.सी. सलीमनाबाद वाहक नहर आर.डी. 129 से 154 का कन्सल्टेंसी कार्य	मे. घेरजी ईस्टेम	01/2008-09	09-09-2008	31-03-2011	243	157	30	45		2008-2009	15
5	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	एम.एम.आर.	160000 सिंचाई के लिए ओंकारेश्वर बांध से गुजरात सीमा तक मध्यम एवं लघु का सर्वे कार्य	ई.जी.आई.एस. एवं आर.एम.एसा.ई. जे.वी.	05/2009-10	28-10-2009	27.04.2011	4060.8	2236	18	32	कम आवंटन, सेटेलाईट छवि के लिए भुगतान में विलंब	2009-2010	14
6	एन.डी. 30 मनावर	ओ.एस.पी.		मे. सद्भव इंजिनियरिंग	14/2007-08	28-02-2008	27.02.2011	31020	19970.7	36	50	उच्चतम् न्यायालय से रोक	2007-2008	14
7	नहर खरगोन	आई.एस.पी.	वितरिका प्रणाली सहित आई.एस.पी. मुख्य नहर आर.डी. 130.935 से 155 का निर्माण	गायत्रि -वी.सी. बियानी जे.वी.	07/2007-08	27-03-2008	26-03-2011	24255	17727.96	36	49	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति	2007-2008	13
8	एन.डी. 25 नर्मदा नगर	एम.एम.आर.	130000 हे सिंचाई के लिए हल्दिया से ओंकारेश्वर बांध तक मध्यम एवं लघु का सर्वे कार्य	मे. सेकॉन प्रा.लि.	04/2009-10	28-10-2009	27.04.2011	3211.25	2411	18	30	कम आवंटन, सेटेलाईट छवि के लिए भुगतान में विलंब	2009-2010	12

परिशिष्ट 3.9
(संदर्भ कंडिका 3.8 पृष्ठ 112)
जल संसाधन विभाग की मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का विवरण

(अ) मध्यम परियोजनाएं

स.क्र.	परियोजना का नाम	नदी या सहायक नदी का नाम	रिपोर्टिंग अधिकारी	सक्रिय संग्रहण क्षमता एम.सी.एम. में
1.	जलगांव तालाब	बंजार	का.यं. बंजार नदी सं. बैहर	2.17
2.	बंजारा परियोजना (बाहेरा तालाब)	बंजार	का.यं. ज.सं.वि. कवर्धा	13.71
3.	बिछिया तालाब	कोलारनाला एवं बंजार	का.यं. ज.सं.वि. मंडला	7.23
4.	धुंधर तालाब	धुंधर	का.यं. ज.सं.वि. मंडला	5.11
5.	मेहगांव टोला	बिदरीनाला/गौर	का.यं. ज.सं.वि. हिरन जबलपुर	10.51
6.	बारनु तालाब	बारनु नाला	का.यं. ज.सं.वि. हिरन जबलपुर	8.96
7.	मदई तालाब	मदई नाला	का.यं. ज.सं.वि. हिरन जबलपुर	8.39
8.	बोहरीबंद तालाब	भूटानाला/हरिन	का.यं. ज.सं.वि. कटनी	34.47
9.	परियट तालाब	परियट नाला	नगर निगम	18.47
10.	डुकरीखेड़ा परियोजना	घोगरानाला/सुकरी	का.यं. ज.सं. होशंगाबाद	11.5
11.	सापना तालाब	सापना नदी	का.यं. ज.सं. बैतूल	14.32
12.	चन्द्रशेखर तालाब		का.यं. ज.सं. सं. देवास	30.06
13.	पारस तालाब	पारस नदी	का.यं. ज.सं. सं. देवास	6.1
14.	चोरल नखेरी	चोरल	का.यं. ज.सं. सं. इंदौर	21.46
15.	देजला देवडा तालाब	कुंटा	का.यं. ज.सं. सं. खरगोन	50.29
16.	कुंदा तालाब	भुत्ति नाला	का.यं. ज.सं. सं. 1 धार	8.1
17.	सटक तालाब	सतक	का.यं. ज.सं. सं. मण्डलेश्वर	18.37
18.	सेगवाल तालाब	सोजर नाला	का.यं. ज.सं. सं. बड़वानी	8.62
19.	सकलदा तालाब	छिरी/खुह नाला	का.यं. ज.सं. सं. 1 मनावर	12.69
कुल	**19 परियोजनाएं**			**22078.34**

(ब) लघु परियोजनाएं

स.क्र.	प्रमुख साईट	संभागों का नाम	योजनाओं की संख्या	सी.सी.ए. हे में
1	बरगी	ज.सं. सं. छुखादन	4	768
2	बरगी	ज.सं. सं. कवर्धा	15	1618
3	बरगी	ज.सं. सं. अनूपपुर	5	1598
4	बरगी	ज.सं. बंजार नदी परियोजना सं. बैहार	39	15202
5	बरगी	ज.सं. सं.1 सिवनी	18	4219
6	बरगी	ज.सं. सं. डिंडोरी	56	10233
7	बरगी	ज.सं. सं. निवास	34	6813
8	बरगी	ज.सं. सं. मंडला	22	5110
9	बर्मांघाट	ज.सं. सं. हिरन जबलपुर	37	9394
10	बर्मांघाट	ज.सं. सं. कटनी	29	8445
11	बर्मांघाट	ज.सं. सं. नरसिंगपुर	17	4832
12	होशंगाबाद	ज.सं. सं. दमोह	3	2359
13	होशंगाबाद	ज.सं. सं. छिंदवाड़ा	11	6189
14	होशंगाबाद	ज.सं. सं. होशंगाबाद	15	2689
15	होशंगाबाद	ज.सं. सं. रायसेन	5	4670
16	होशंगाबाद	ज.सं. सं. बैतूल	41	15945
17	इंदिरा सागर परियोजना	ज.सं. सं. सिहोर	16	4119
18	मंडलेश्वर	ज.सं. सं. इंदौर	14	3098
19	मंडलेश्वर	ज.सं. सं. देवास	12	3029
20	मंडलेश्वर	ज.सं. सं. खंडवा	44	5863
21	मंडलेश्वर	ज.सं. सं. मंडलेश्वर	0	0
22	मंडलेश्वर	ज.सं. सं. खरगोन	107	31052
23	सरदार सरोवर	ज.सं. सं. मंडलेश्वर (पार्ट)	0	2457

स.क्र.	प्रमुख साईट	संभागों का नाम	याजनाओं की संख्या	सी.सी.ए. हे में
24	सरदार सरोवर	ज.सं. सं. खरगोन (पार्ट)	51	9516
25	सरदार सरोवर	ज.सं. सं. बड़वानी	82	11922
26	सरदार सरोवर	ज.सं. सं. धार	65	6675
27	सरदार सरोवर	ज.सं. सं. मनावर	135	15673
28	सरदार सरोवर	ज.सं. सं. अलिराजपुर	99	9364
	कुल		**976**	

परिशिष्ट 3.10
(संदर्भ कंडिका 3.9.2 पृष्ठ 116)
जल के पुर्नविनियोजन का विवरण

स. क.	परियोजना का नाम	बांध की सक्रिय संग्रहण क्षमता	क्षेत्र लाख हे में	जल का परियोजित उपयोग एम.सी.एम. में	एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अनुसार जल का उपयोग एम.सी.एम. में	जल के उपयोग में वृद्धि एम.सी.एम. में	जल के उपयोग में कमी एम.सी.एम. में	अधिकतम जल उपयोग एम.सी.एम./ वर्ष में
1	तवा	2050	2.469	2386.72	2219.98	166.74	0	1753/2007-08
2	बारना	455.82	0.548	559.82	596.36	0	-36.54	412.81/2010-11
3	कोलार	265	0.451	435.9	295.09	140.81	0	279.74/2006-07
4	सुकता	78	0.166	170.57	123.47	47.1	0	70.38/2009-10
5	मटियारी	51.12	0.101	88.38	80.26	8.12	0	76.3/ 2008-09
6	आर.ए.बी.एल.एस.	3180	1.57	1681	2142.19	0	-461.19	528.97/2007-08
7	बी.डी.पी.		2.45	2510.6	2016.26	494.34	0	
8	आई.एस.पी.	9750	1.23	1625.26	1685.36	0	-60.1	207.79/2010-11
9	ओंकारेश्वर		1.47	1300	1450.77	0	-150.77	
10	मान परियोजना	127.87	0.15	140.1	148.16	0	-8.06	142.23/2007-08
11	जोबट परियोजना	70.04	0.098	112.145	125.94	0	-13.795	64.52/2010-11
12	अपर बेदा		0.099	101.09	127.17	0	-26.08	
13	पुनासा एल.आई.एस.		0.35	130.2	0	130.2	0	
14	लोवर गोई		0.137	136.65	160.51	0	-23.86	
15	अपर नर्मदा		0.185	178.93	143.22	35.71	0	
16	हालोन		0.130	134.000	87.66	46.34	0	
17	अटरिया		0.020	20.83	112.360	0	-91.53	
		कुल		**11712.195**	**11514.76**	**1069.36**	**-871.925**	
		कुल एम.ए.एफ. में		**9.495**	**9.335**	**0.867**	**- 0.707**	

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ कंडिका 3.10 पृष्ठ 118 एवं 119)

वर्ष 2020-21 तक निधियों की आवश्यकता का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

योजना का नाम	अनुमानित लागत सम्मिलित	मार्च 12 तक व्यय	1-4-12 को शेष लागत	मूल्य वृद्धि की राशि	कुल राशि की आवश्यकता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आई.एस.पी. नहरें	3182.77	2092.84	1090	109.00	1199	255.00	350.00	350.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.एस.पी. बांध एवं पावर हाऊस	4356.00	4356.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ.एस.पी. नहरें	2504.80	1381.57	1123	112.00	1235	224.00	350.00	350.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ.एस.पी. बांध	2224.73	2224.73	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुनासा एल.आई.एस.	488.06	436.70	51	5.00	56	20.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपर बेदा	224.41	214.97	9	1.00	10	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मान	246.03	217.08	29	0.00	29	6.73	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोबट	230.61	215.88	15	0.00	15	12.18	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोवर गोई	360.37	223.10	137	14.00	151	56.74	58.00	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बरगी एल.बी.सी.	2260.40	1566.50	694	0.00	694	77.30	300.00	200.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी.डी.पी.	5127.22	1572.58	3555	355.00	3910	196.00	720.00	1100.00	1025.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपर नर्मदा	683.93	40.17	644	64.00	708	100.00	225.00	200.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हालोन	414.21	50.09	364	36.00	400	50.00	150.00	125.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राघेपुर	440.00	0.53	439	154.00	593	0.10	1.00	100.00	150.00	150.00	125.00	67.00	0.00	0.00
रोसरा	716.00	0.59	715	250.00	965	0.10	1.00	200.00	225.00	200.00	190.00	150.00	0.00	0.00
बसानिया	463.00	0.58	462	162.00	624	0.10	1.00	100.00	150.00	150.00	125.00	98.00	0.00	0.00
अपर बुरनेर	549.00	1.59	547	219.00	766	0.10	1.00	150.00	180.00	150.00	150.00	135.00	0.00	0.00

योजना का नाम	अनुमानित लागत सम्मिलित	मार्च 12 तक व्यय	1-4-12 को शेष लागत	मूल्य वृद्धि की राशि	कुल राशि की आवश्यकता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
चिनकी	1415.00	1.76	1413	565.00	1978	1.00	1.00	300.00	500.00	500.00	300.00	250.00	100.00	27.00
मोरान्द गुन्जल	1434.00	5.22	1429	572.00	2001	0.50	20.00	300.00	450.00	450.00	350.00	250.00	170.00	10.00
शेर, सक्कर, मछरेवा	1685.00	4.59	1680	672.00	2352	5.00	59.00	350.00	450.00	450.00	400.00	250.00	320.00	91.00
दूधी	506.00	1.00	505	202.00	707	1.00	1.00	100.00	150.00	200.00	150.00	60.00	40.00	5.00
अटारियो	209.00	2.64	206	83.00	289	1.00	1.00	1.00	50.00	70.00	70.00	59.00	30.00	7.00
कुल	29720.54	14610.71	15110	3575	18685	1021	2300	3962	4261	3189	1860	1319	660	140
मध्यम एवं लघु	10500.00	0.00	10500	1575	12075	10.00	410.00	1500	2000	1700	1700	1700	1700	1355
कुल जोड़	**40220.54**	**14610.71**	**25610**	**5150**	**30760**	**1031**	**2710**	**5462**	**6261**	**4889**	**3560**	**3019**	**2360**	**1495**

परियोजित निधि आवश्यकता में सम्मिलित मूल्यवृद्धि का विवरण

परियोजना का नाम	पूर्णता के लिए परियोजित समय	हिसाब में लिया गया मूल्यवृद्धि[4] प्रतिशत
पुनासा, अपर बेदा	2013-14	10
लोवर गोई	2014-15	10
आई.एस.पी. नहर, ओ.एस.पी., अपर नर्मदा, हालोन	2015-16	10
बी.डी.पी.	2016-17	10
राघोपुर, रोसरा बसानिया	2018-19	35
अपर बुरनेर	2018-19	40
चिंकी, मोरांद गुंजाल, एस.एम.एस., दूधि एवं अटारिया	2020-21	40

4 मान, जोबट एवं आर.ए.बी.एल.एस. परियोजनाओं में मूल्यवृद्धि सम्मिलित नहीं थी

परिशिष्ट 3.12
(संदर्भ कंडिका 3.10 पृष्ठ 119)
एन.वी.डी.ए. के बजट प्रावधानों एवं व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1989-90 तक		659.28		
1990-91	181.20	76.03	105.17	58.04%
1991-92	354.64	172.56	182.08	51.34%
1992-93	309.54	225.73	83.81	27.08%
1993-94	438.16	243.22	194.94	44.49%
1994-95	404.86	286.72	118.14	29.18%
1995-96	331.14	247.63	83.51	25.22%
1996-97	314.35	249.20	65.15	20.73%
1997-98	410.47	278.31	132.16	32.20%
1998-99	426.74	303.50	123.24	28.88%
99-2000	427.81	321.02	106.79	24.96%
2000-01	554.50	394.14	160.36	28.92%
2001-02	578.50	397.19	181.31	31.34%
2002-03	1032.16	853.82	178.34	17.28%
2003-04	1087.64	803.08	284.56	26.16%
2004-05	3247.72	2927.79	319.93	9.85%
2005-06	1723.48	1204.33	519.15	30.12%
2006-07	1778.89	728.33	1050.56	**59.06%**
2007-08	965.43	835.44	129.99	13.46%
2008-09	981.34	946.46	34.88	**3.55%**
2009-10	1427.79	1003.35	424.44	29.73%
2010-11	1526.83	1384.57	142.26	9.32%
2011-12	1413.49	1302.58	110.91	7.85%

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ कंडिका 4.1.1 पृष्ठ 127)

उपकर की वसूली में विलंब के कारण हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

नियत वर्ष	जमा राशि ₹		जमा उपकर ₹	विलंब अवधि	ब्याज की वार्षिक दर (एस.बी.आई.)	ब्याज की हानि ₹
	चैक क्र.	चालान क्र.				
2007-08	817495 11.03.11	जे14394739 12.03.11	9,41,91,284	35 माह	9.5%	2,60,98,835
2008-09	14394739 12.03.11	जे 14394739 12.03.11	7,35,42,580	23 माह	8.10%	1,14,17,486
2009-10	897270 22.03.11	जे -1678288 26.03.11	7,00,00,000	11 माह	5.25%	33,68,750
	21136 20.3.12	जे - 021779858 22.03.12	68,62,171	23 माह	8.25%	10,85,081
2010-11	220526 26.3.12	जे -3323091 3.04.12	10,51,51,999	11 माह	7.75%	74,70,173
कुल			**34,97,48,034**			**4,94,40,325**

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ कंडिका 4.1.2 पृष्ठ 128)

निर्धारित मूल्य से कम पर बिक्री के कारण राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

समूहों की सख्या	मात्रा की संख्या	निर्धारत मूल्न्य	बिक्री मूल्य	हानि	निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की प्रतिशतता
33	11336	2517503	1135400	13,82,103	55 (विभिन्न समूहों के लिए 35 से 38 तक)

परिशिष्ट 4.3
(संदर्भ कंडिका 4.1.3 पृष्ठ 129)
ईको-पर्यटन विकास के लिए वन क्षेत्र में निर्माण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	योजना	स्थल	विवरण	राशि (लाख में)
1	ओरछा इकोपर्यटन गंतव्य स्थल विकास ओरछा, टीकमगढ़		तुंगारण्य में कैफेटेरया रू. 1.50 लाख पर्यटक साईकिलिंग रू. 1.00 लाख ट्रेकिंग कार्य रू. 2.00 लाख सूचना सामग्री रू. 1.00 लाख केम्पिग साइट एवं अन्य व्यय रू. 2.40 लाख	7.90
			लेण्ड स्केपिंग, स्प्रिकलर एवं कैम्पिग हेतु प्लेटफार्म निर्माण हेतु	3.00
2	रालामंडल में इकोपर्यटन विकास	रालामंडल इन्दौर	रालामंडल तथा देवगुराडिया पहाड़ी के बीच रोप वे निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य रू. 1.00 लाख शिकारगाह के मार्ग की मरम्मत रू. 5.00 लाख तम्बू लगाने हेतु प्लेटफार्म एवं टायलेट इत्यादि रू. 2.50 लाख जल प्रदाय व्यवस्था रू. 2.00 लाख	10.50
3	रालामंडल में साईकिलिंग गतिविधि	रालामंडल इन्दौर	रालामंडल अभ्यारण में साईकिलिंग गतिविधि प्रारंभ करने हेतु	1.00
4	रालामंडल में प्रकृति व्याख्या केन्द्र निर्माण	रालामंडल इन्दौर	रालामंडल में प्रकृति व्याख्या केन्द्र निर्माण हेतु	20.00
5	देलाबाड़ी में पहुंच मार्ग उन्नयन कार्य	देलाबाड़ी औबेदुल्लागंज	ट्री-हट्स निर्माण (देलाबाड़ी) रू. 0.20 लाख पैगोडा/सेट हाउस निर्माण- देलाबाड़ी रू. 0.40 लाख	0.60
6	देलावाड़ी में पहुंच मार्ग खम्भे एवं रेलिंग निर्माण कार्य	देलावाड़ी औबेदुल्लागंज	देलाबाड़ी सनसेट पाइंट पर खम्भे एवं रेलिंग निर्माण - 0.81 लाख घोड़ा चौक में व्यूपांइट पर खम्भे एवं रेलिंग निर्माण 0.34 लाख	1.15
7	तिनछा फॉल में इको पर्यटन विकास	तिनछा फॉल, इंदौर	पैगोडा रेलिंग निर्माण, रोड मुरूमीकरण, पम्प हाउस चौकीदार हट, गेट एवं बोर्ड बनाना	17.93
8	आंवलिया में इको पर्यटन गतिविधि विकास	आंवलिया, खडवा	आंवलिया ग्राम में टेन्ट (कैम्पिंग) लगाने हेतु प्लेटफार्म निर्माण	1.50
9	गांगुलपारा व.वि.ग्रि. मरम्मत एवं नेचल ट्रेल		गांगंलपारा में प्रकृति भ्रमण हेतु पथ निर्माण	1.25
10	किटी वन विश्राम गृह निर्माण	किटी देवास	किटी देवास में निर्माण	20.00
11.	देलाबाड़ी जंगल एवं	देलाबाड़ी	देलाबाड़ी जंगल कैम्प में आकर्षण स्थल पर	2.00

स.क्र.	योजना	स्थल	विवरण	राशि (लाख में)
	साईकिल, टेलीस्कोप इत्यादि का क्रय	औबेदुल्लागंज	सायनेज 1.00 लाख देलाबाड़ी जंगल कैम्प में गतिविधि पैकेज संचालन हेतु - 1.00 लाख	
			चिड़िखोह में साईकिलिंग गतिविधि विकास हेतु - 0.35 लाख चिड़िखोह में प्रकृति व्याख्या केन्द्र हेतु - 16.17 लाख	16.52
12.	उद्यान केन्द्र में ट्री हट	गोपी कृष्ण सागर गुना	उद्यान विकास	2.00
			गोपी कृष्ण सागर बांध पर ट्री हट	5.00
13.	रूखड़ ईको पर्यटन पहुंच मार्ग का विकास	रूखड़ दक्षिण सिवनी	ट्री हट निर्माण हेतु	5.00
			ट्री हट की फर्नीशिग, किचन सामग्री क्रय आदि	4.00
			रूखड़ में नौकायान हेतु पैडल बोट प्रदाय के लिए	0.88
14	बंजारी में ट्री हट निर्माण	बंजारी उत्तर सिवनी	ट्री हट निर्माण	5.00
15.	भेरुघाट इन्दौर	भेरुघाट इन्दौर	ट्री-हट निर्माण	5.00
16.	झांझर इको पर्यटन में पहुंच मार्ग विकास	नेपानगर बुरहानपुर	झांझर में ट्री-हट निर्माण	5.00
			झांझर ट्री-हट में क्राकारी, कटलरी आदि सामग्री क्रय हेतु	0.50
			नौकायान सुविधा	4.20
			टेन्ट (कैम्पिंग) के लिए प्लेटफार्म निर्माण हेतु	1.50
17.	माड़ा सिंगरौली (पूर्व सीधी) में इको पर्यटन विकास	सिंगरौली	माड़ा में नेचल ट्रेल एवं सिट आउट हेतु	5.00
18	समरधा इकोपर्यटन पहुंच मार्ग विकास	समरधा भोपाल	समरधा में कैके, ट्री-हाउस, सिट आउट, नेचर ट्रेल, पाथ वे आदि हेतु	26.76
			समरधा झामन में स्टाप डेम निर्माण हेतु	10.00
			समरधा में वाटर मैनेजमेंट संरचना निर्माण हेतु	0.86
			समरधा में ट्री फेब्रीकेटेड संरचना निर्माण हेतु	1.58
19.	तिलक सिंदूर में स्टाप डेम, घाट निर्माण	होशंगाबाद	तिलक सिदूंर में स्टाप डेम, निर्माण हेतु	16.13
			तिलक सिदूंर में निर्मित डेम के किनार घाट निर्माण	4.80
20.	विल्डर नेस कैम्प	उत्तर सिवनी	पायली व.वि.ग्रि. में दो कक्षों के निर्माण हेतु	5.00
21.	बैनगंगा ईकोपर्यटन पहुंच मार्ग विकास	बैनगंगा बालाघाट	केफैटेरिया, ट्री हाउस, नेचर ट्रेल, हर्बल गार्डन की मरम्मत हेतु	5.00
			कुल	**216.56**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ कंडिका 4.1.6 पृष्ठ 133)

दर्शाए गए ओपन ट्रफ कार्य के प्रतिस्थापन पर टर्न-की संविदा के मूल्य में कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

मद	कुल मूल्य (रू.)	लम्बाई (मीटर में)	(रू. प्रति मीटर)
मुख्य नहर	100,73,10,150	22115	45,549
साटक टेंक	62,86,89,600	960	6,54,885
ओपन ट्रफ	48,31,59,600	990	488,040

ओपन ट्रफ का मूल्य	(अ)	₹ 4,88,0 * 990 मीटर	= रू. 48,31,59,600
मुख्य नहर की बढ़ी हुई लागत	(ब)	₹ 45,549 * 717 मीटर	= रू. 3,26,58,633
साटक टेंक की बढ़ी हुई लागत	(स)	₹ 6,54,885 * 273मीटर	= रू. 17,87,83,605

शुद्ध कमी = अ - **(ब + स)**

= ₹ 48,31,59,600 -

= ₹ 27,17,17,362 (3,26,58,633-17,87,83,605)

परिशिष्ट 4.5
(संदर्भ कंडिका 4.1.7 पृष्ठ 134)
कड़ी चट्टान का लेखाकरण न होना एवं कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	खुदाई की गई कड़ी चट्टान की मात्रा	चट्टान की मात्रा जिसका लेखाकरण किया जाना था	मात्रा जिसका उपयोग ठेकेदार द्वारा किया गया	राशि जिसकी वसूली की जानी थी (उपयोग की गई मात्रा x दर)	वास्तव में वसूल की गई	कड़ी चट्टान की कम वसूली
					खनित मात्रा x 1.3	(घनमीटर में)			
1	ई.ई. एन.डी.-24, खरगोन	9 शीर्ष रेग्यूलेटर का निर्माण	मे. गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन	342504.06 घनमीटर	445255.28 घनमीटर	191777.17	78,62,863 (191777.17 x 41)	0	78,62,863
2	ई.ई. एन.डी.-21, सनावद	लाइनिंग डावेल का शेष कार्य का निर्माण आर.डी. 41.250 से 51.508	मे. रतन सिविल एसोसिएट्स	3738.35 घनमीटर	4859.86 घनमीटर	1575	42540(1575 x 27)	0	42,540
3	ई.ई. एन.डी.-21, सनावद	झीरबर वितरिका की खुदाई / मिट्टी कार्य, सीमेंट कांकरीट लाईनिंग	मे. करण डेवलपर्स	47498.10 घनमीटर	61747.4 घनमीटर	61747.4	18,64,771 (61747.4 x 30.20)	4,36,929	14,27,842
4	ई.ई. एन.डी.-21, सनावद	आई.एस.पी. के मुख्य नहर के खुदाई एवं मिट्टी कार्य आर.डी. 41.25 से कि.मी. 58.865	श्री बी.सी. बियानी	119664.59 घनमीटर	155564 घनमीटर	43818.81	1183108 (43818.81 x 27)	0	11,83,108
		कुल		**513405 घनमीटर**	**667427 घनमीटर**	**298918.38**	**10953282**	**4,36,929**	**1,05,16,353**

परिशिष्ट 4.6
(संदर्भ कंडिका 4.2.1 पृष्ठ 136)
कार्य की अवास्तविक प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

अनुबंध संख्या - 07/2008-09, पीएलआईएस
कार्य - पुनासा उद्धहन सिंचाई योजना का निष्पादन
ठेकेदार - आईवीआरसीएल हैदराबाद

चलित देयक क्रमांक एवं वाउचर क्रमांक / दिनांक	निष्पादित कार्य का विवरण		टिप्पणी एम.बी. क्रमांक / पृष्ठ संख्या
	अधिप्राप्ति (₹ में)	निर्माण कार्य (₹ में)	
प्रथम छमाही अवधि (सितम्बर 2008 से फरवरी 2009)			
चलित देयक 3 /वी.आर. 52/28.02.09	16,25,17,036	0	1387/पी -3
उप योग	**₹ 16,25,17,036**		
द्वितीय छमाही अवधि (मार्च 2009 से अगस्त 2009)			
चलित देयक 4 /वी.आर. 22/22.03.09	250030351	0	1387/पी 6-8
चलित देयक 6 /वी.आर. 38/06.03.09	172001556	0	1387/पी 14-16
चलित देयक 7 /वी.आर. 40/31.03.09	390934949	0	1387/पी 18-20
चलित देयक 10 /वी.आर. 34/23.05.09	105378687	0	1387/पी 26-28
चलित देयक 11 /वी.आर. 03/06.07.09	94269279	0	1387/पी 30-32
चलित देयक 12 /वी.आर. 05/01.08.09	90108900	0	1387/पी 34-36
चलित देयक 13 /वी.आर. 16/21.08.09	30060478	0	1387/पी 38-41
उप योग	**₹ 1,132,78,42,00**	0	
तृतीय छमाही अवधि (सितम्बर 2009 से फरवरी 2010)			
चलित देयक 14 /29/20.10.09	8735832	0	1387/पी 42-44
चलित देयक 15/30/20.10.09	146651612	0	1387/पी 46-48
चलित देयक 16/34/31.12.09	124106921	0	1387/पी 50-52
चलित देयक 17/35/31.12.09	115499274	0	1387/पी 54-56
चलित देयक 18/50/23.2.10	107823344	147739257	1388/3 से13
चलित देयक 119/51.23.02.10	186379463	35303881	1388/13 से 21
चलित देयक 20/61/26.02.10	152964336	28678625	1388/21 से 29
उप योग	**₹ 84,21,60,782**	**₹ 211721763**	
महायोग (सितम्बर 2008 में फरवरी 2010)	**₹ 213,74,62,018**	**₹ 211721763**	

परिशिष्ट 4.7
(संदर्भ कंडिका 4.3.1 पृष्ठ 140)
अतिरिक्त सुरक्षा जमा (ए.एस.डी.) की कम कटौती/न की गई कटौती दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम एवं निविदा प्रतिशत	मदों का विवरण	प्राक्कलित दर (प्रति घनमीटर)	भुगतान योग्य दर (प्रति घनमीटर) प्राक्कलित + निविदा प्रतिशत	भुगतान की गई दर (प्रति घनमीटर)	कार्यान्वित मात्रा	ए.एस.डी. की राशि	कटौती	ए.एस.डी. की कटौती
1	2	3	6	7	8	9	10	11 = 10।(9-8)	12	13
1	ई.ई. एन.डी. 24 खरगोन	मे. गुडविल कंस्ट्रक्शन 41.01 अधिक	सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई के लिए	28.62	40.35	45	517712	24,07,360.8		
			नहर के लिए सभी प्रकार के डी.आर. में खुदाई	173	243.94	297	342504.06	1,81,73,265.42		
			एम.-10 सी.सी. कांकरीट को प्रदाय करना एवं बिछाना	1849.67	2608.21	2800	3188.75	6,11,570,.36		
			प्रबलन छड़ों को प्रदाय करना एवं लगाना	37455.85	52816.49	65000	169.23	20,61,815..39		
			सी.एन.एस. सामग्री को प्रदाय करना एवं बिछाना	87.83	123.85	140	8396.5	1,35,603.475		
								2,33,89,615.46	**1,85,47,223.00**	**(ए)48,42,392.00**
2.	ई.ई. एन.डी. 19 भीकनगांव	श्री बी.सी. बियानी कंस्ट्रक्शन कंपनी 1.61 अधिक	शुष्क एवं आर्द्र खुदाई	26.97	27.2397	45	728491.48	1,29,38,227.23		
			मिट्टी कार्य	46.02	46.4802	60	826508.45	1,11,74,228.94		
			पी.सी.सी.1:3:6 को प्रदाय करना एवं बिछाना	1839.7	1858.097	2200	4828.76	16,50,967.53		
			सी.सी.1:2:4 को प्रदाय करना एवं बिछाना	2281.01	2303.8201	2700	20644.5	81,78,935.946		
			सी.सी. एम-10 को प्रदाय करना एवं ढालना	1884.13	1902.9713	2200	2096.83	622818.689		
								34565178.00	**3841552.00**	**(बी)3,07,23,626**
								म. योग	**(ए+बी)**	**3,55,66,018.00**

परिशिष्ट-4.8
(संदर्भ कंडिका 4.4.1 पृष्ठ 142)
ठेकेदारो को अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्रं	संभाग का नाम	अनुबंध क्रं	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	अतिरिक्त एस.डी. की कम/ वसूली न होना	टिप्पणी
1	गंजबासौदा	11/2008-09	34.64	-------	34.64	कार्य निरस्त
		12/2009-10	665.40	1.80	663.60	
		21/2008-09	29.07	1.10	27.97	
		25/2006-07	67.07	18.61	48.46	
2	नरसिंहगढ़	1/10-11	121.06	31.22	89.84	
		1/2007-08	9.26	------	09.26	कार्य निरस्त
3	रायसेन	329/2009-10	31.50	12.97	18.53	
कुल		7	**958.00**	**65.70**	**892.30**	

परिशिष्ट-4.9
(संदर्भ कंडिका 4.4.2 पृष्ठ 143)
निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली कम/ न होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	वसूली योग्य एल.डी.	वसूल की गई एल.डी.	एल.डी. की कम वसूली
सीहोर	91/2009-10	4.13	----	-- 4.13
राजगढ़	58/10-11	10.39	----	-- 10.39
नरसिंहगढ़	6/2010-11	11.06	8.30	2.76
रायसेन	222,223,226, 230/2009-10	220.42	69.50	150.92
कुल		**246.00**	**77.80**	**168.20**

परिशिष्ट 4.10
(संदर्भ कंडिका 4.4.3 पृष्ठ 144)
मूल्य समायोजन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
कार्य के स्थापना एवं संस्थापन पर मूल्य समायोजन के कारण अधिक भुगतान

(राशि ₹ में)

मद का नाम	मात्रा (संख्या में)	पूर्ण दर	कम की गई दर (85%)	राशि जिसपर मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया		राशि जिसपर मूल्य समायोजन का भुगतान योग्य था
हाईड्रॉलिक सिलेंडर	14	27,10,000.00	23,03,500.00	3,79,40,000.00		3,22,49,000.00
पावर पैक असेंबली	7	17,10,000.00	14,53,500.00	1,19,70,000.00		1,01,74,500.00
राशि जिसपर मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया	**गुणन घटक**	**भुगतान की गई मूल्य वृद्धि**	**राशि जिसपर मूल्य वृद्धि भुगतान योग्य थी**	**गुणन घटक**	**भुगतान योग्य मूल्य वृद्धि**	**आधिक्य**
4,99,10,000.00	0.8898[1]	4,44,09,918.00	4,24,23,500.00	0.8898	37748430.00	**66,61,487.00** (अ)

(राशि ₹ में)

चल देयक	माह	मात्रा	भुगतान की गई दर	भुगतान योग्य दर	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	आधिक्य
4 था	3/07	49562.80 कि.ग्रा.	30.10 (47.20 - 17.10)	14.40 (31.5 -17.10)	15,54,974.00	7,13,693.00	8,41,282.00
5 वाँ	3/08	37688.13 कि.ग्रा.	34.40 (52.20 - 17.10)	17.40 (34.50-17.40)	13,24,250.00	6,65,774.00	6,68,476.00
(ब)							**15,09,758.00**

महायोग (अ+ब)= ₹ 81.71 लाख

[1] गुणन घटक के लिए सूत्र= Ip Io/Io जहाँ Ip आपूर्ति की तिथि पर थोक मूल्य सूचकांक (339.80) एवं Io एम.पी.एल.यू.एन. द्वारा निविदा आमंत्रण की तिथि पर थोक मूल्य सूचकांक (179.80) है ।

परिशिष्ट 4.11
(संदर्भ कंडिका 4.4.6 पृष्ठ 146)
अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण अतिरिक्त लागत को दर्शानेवाला विवरण पत्रक

ठेकेदार का नाम	संभाग का नाम/ अनु.क्र.	मद	प्राक्कलित मात्रा (घनमीटर)	कार्यान्वित मात्रा (घनमीटर)	अधिक मात्रा (घनमीटर)	प्रतिशत वृद्धि
मे. दुर्गा एसोसिएट्स	राजगढ़ अनु.क्र. 52-2009-10	सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई	39010.78	42892.45	3881.67	9.95
		कड़ी चट्टान से अन्य सभी प्रकार की चट्टान में खुदाई	67926.13	74714.30	6788.17	9.99
		कड़ी चट्टान में खुदाई				
		विस्फोटन प्रतिबंधित	308.62	-	-	-
		विस्फोटन अनुमत	3338.40	3553.05[2] धन 31000.00[3]	31214.65	935.01
कुल			**110583.93**	**152159.80**	**41884.49**	**37.88**
मे. एस.के. जैन	सीहोर अनु.क्र. 172/2007-08	सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई	34269.81	37672.24	3402.43	9.92
		कड़ी चट्टान से अन्य सभी प्रकार की चट्टान	38581.10	42410.83	3829.73	9.92
		कड़ी चट्टान में खुदाई	1804.68	2185.21[4] 10608.00[5]	10988.53	608.89
कुल			**74655.59**	**92876.28**	**18220.69**	**24.41**

[2] ठेकेदार के माध्यम से कार्यान्वित मात्रा

[3] एच.ई.एम. संभाग, भोपाल द्वारा कार्यान्वित मात्रा

[4] मूल ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मात्रा

[5] मे. सी.बी.एस. कंसट्रक्शन कं. (अनु.क्र 103/2009-10) द्वारा

पदों की शब्दावली

स. क्र.	पद	परिभाषा
1.	एनिकट	जल की ऊपर बढ़ने एवं दिशा परिवर्तन के लिए प्रवाह के आर पार निर्मित एक अवरोध या बांध को एनिकट कहते है।
2.	शाखा नहर	एक चैनल जो मुख्य नहर से आपूर्ति प्राप्त करती है एवं वितरिकाओं के लिए परिपूरक का कार्य करती है ।
3.	कास्ट इन सिटू लाईनिंग	कार्य स्थल पर कांकरीट मिक्स तैयार कर नहरों की लाईनिंग करना।
4.	सी.एन.एस.	यह विभिन्न स्तरों के चिपकने की गुणधर्मिता वाली एवं इलाईट एवं क्योलिनाइट तथा उनके मिश्रण के साथ 50 प्रतिशत से अधिक तरलता सीमा की कम प्लास्टीसीटी वाले उनके मिश्रण की भांति न फूलने वाले क्ले खनिज जैसी मिट्टियाँ है ।
5.	कमान क्षेत्र	एक सिंचाई योजना से सिंचित कुल क्षेत्र ।
6.	संपीड्य नीव	मिट्टी में नीव ।
7.	क्रास ड्रेनेज	नहर का संरेखण प्राकृतिक ड्रेनेज घाटियों को पार करता है एवं यह प्रावधान ड्रेन्स को सुरक्षित रूप से नहर को बिना क्षति पहुंचाए पार कराने के लिए किया जाता है ।
8.	कृषि योग्य कमान क्षेत्र	ऐसा क्षेत्र जो एक योजना से सिंचित किया जा सकता है एवं जो कृषि के लिए उपयुक्त है ।
9.	वितरिका	एक क्यूमेक से अधिक शीर्ष बहाव के साथ मुख्य नहर अथवा शाखा नहर से निकली एक नहर ।
10.	डी.आर. एवं एस.आर.	विघटित चट्टान एवं नरम चट्टान ।
11.	फील्ड चैनल	शासकीय आऊटलेट से निकाली गई एक चैनल जो किसान के खेतों तक जाती है ।
12.	मुख्य नहर	एक नदी या जलाशय से निकली नहर प्रणाली का एक प्रमुख चैनल
13.	माईनर	एक क्यूमेक से कम शीर्ष प्रवाह के साथ मुख्य नहर, शाखा नहर या एक वितरिका से निकलती एक चैनल ।
14.	नाला डाईवर्ज़न	सिंचाई के लिए जल के दिशा परिवर्तन हेतु प्रवाह के आर पार निर्मित एक स्थाई संरचना ।
15.	प्रि-कास्ट लाईनिंग	नहरों की लाईनिंग के लिए खंडों का निर्माण करने के पश्चात जोड़कर नहर लाईनिंग करना।

16.	आर.डी.	लघुकृत दूरी ।
17.	स्पिल चैनल	एक बांध या घाट से निम्न प्रवाह क्षेत्र में बहाव के नियंत्रित विमोचन करने के लिए उपयोगी एक संरचना स्पिल चैनल है ।
18.	सब माईनर	माईनर से निकलती एक चैनल, जो एक जल मार्ग से अधिक को जल प्रदाय करती है ।
19.	न झुकने वाला नीव	चट्टान में नीव ।
20.	वाटर कोर्स	शाखा नहर, वितरिका, माईनर एवं सब माईनर से निकलती एक चैनल जो जल को अंत तक ले जाती है ।